(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 33 वां दिवस [संख्या 22

मंगलवार,

दिनांक 20 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 2.1 बजे को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, राजस्व, सहकारी, खनिज, स्वास्थ्य, सिंचाई, विकास, उद्योग, यातायात, विद्युत, वन, उपनिवेशन एवं पंचायत-विभाग]

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): होली का राम राम सबको।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्रीमती जमना सोलंकी।

पारा बांध

600. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकडी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पारा बांध नम्बर 2 में सात आठ साल पहले अनेकों गरीब किसानों की जमीन डूब गई थी और जिन्हें न तो नई जमीन अलॉट की गई और न हीं मुआवजा दिया गया जिसके कारण गरीब किसान बेरोजगार हो गये ? यदि हां, तो इन्हें मुआवजे अभी तक क्यों नहीं मिले और अब मुआवजा कब तक मिल जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : जी हां, सब काश्तकारों को अभी तक मुआवजा न मिलने का मुख्य कारण इनके द्वारा अपने विचार बदलते रहने का है, जिसके अन्तर्गत कभी वो जमीन के बदले जमीन एवं कभी डूब में आई हुई भूमि की खातेदारी रखना चाहते रहे हैं। काश्तकारों द्वारा अन्तिम निर्णय लेने के बाद ही जल्दी मुआवजा दिलाने की कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, यह तीन परिवार ऐसे हैं जिनकी

(श्रीमती जमुना सोलंकी)

पारा बांध में जमीन डूब में आ गई है, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। विसूंदनी बांध है, वहां पर भी तीस चालीस परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं यह चाहती हूं कि उनको जमीन के बदले मुआवजा दिया जाय, इसमें क्या कारण है, देरी हुई है और उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : तीस नहीं 172 खातेदार हैं, इनमें से 17 को जमीन के बदले जमीन दे दी गई है, बाकी बहुत से ऐसे हैं, 90 के करीब जो कहते हैं कि हमारी जो जमीन डूब में आई है उसी को रखना चाहते हैं। बाकी यह चाहते हैं कि हमें ऐसी ही जमीन दी जाय, जमीन के बदले जमीन इसका हम कम्पेन्सेशन नहीं चाहते हैं। इस प्रकार कई विचार उनके आते हैं, दरख्वास्त देते रहे हैं। अब भी एस. डी. एम. ने मार्च के महीने में उनको फिर नोटिस दिया कि उनके अन्तिम निर्णय करने पर कार्यवाही की जा सकती है। इसमें मुआवजा तय हो चुका है, पैसा जमा पड़ा हुआ है, लेकिन उनके फैसला नहीं करने के कारण देरी हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यदि काश्तकार कहें कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए हमें जमीन के बदले जमीन चाहिए तो क्या सरकार जमीन के बदले में जमीन देने को तैयार है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर उस गांव में, पास में जमीन नहीं है तो दिक्कत आती है जमीन देने में क्योंकि जो जमीन है, वह सोलह सौ बीघा के आस पास है चार गांवों को, उतनी जमीन नहीं मिलती है कि उन्हें पास में जमीन दी जा सके। उस पर राजी नहीं होते और उन गांवों में जमीन नहीं है तो क्या किया जाय। जमीन के बदले कम्पेन्सेशन नहीं लेना चाहते हैं। बहुत से चाहते हैं, जो बांध हैं, उसका पेटा सूखते ही उस पर काश्त करेंगे। ऐसे लोगों को, जो चाहते हैं, उसमें खातेदारी रखना चाहें तो हम चाहते हैं उसमें दे दें और पास के गांव में एडजस्ट कर सकें तो उनमें दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

नागौर जिले के आदर्श ग्राम

601. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राजस्थान में सन् 1972-73 में कुल कितने गांव 'आदर्श गांव' घोषित किये गये ?

2. जिला नागौर के किन-किन गांवों को आदर्श गांव घोषित किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

3. आदर्श गांव घोषित करने का राज्य सरकार का क्या उद्देश्य था तथा राज्य सरकार इस लक्ष्य को कहां तक पूरा करने में सफल हो पाई ?

4. आदर्श ग्राम घोषित करने का आधार क्या था ?

विकास मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : 1. रजत जयन्ती के उपलक्ष्य में सन् 1972-73 में कुल 461 'आदर्श गांव' घोषित किये गये हैं।

(श्री हरिदेव जोशी)

2. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. इस अभियान के अन्तर्गत पीने के पानी की सुविधा, कमजोर वर्ग के लोगों के लिये आवास सुविधा, पाठशाला भवनों के सुधार, सड़कें, नालियों का निर्माण तथा बिजली आदि के कार्यक्रमों को उपलब्ध साधनों का समुचित ढंग से उपयोग करते हुए चुने हुए ग्रामों में लागू करना है। ग्रामवार लक्ष्य प्राप्ति की सूचना एकत्रित की जा रही है।

4. आदर्श ग्राम चयन करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया था और राज्य सरकार द्वारा प्रसारित सुझावों के अनुसार ऐसे ग्रामों का चयन किया जाना था, जहां पीने के पानी, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास, सड़कें, बिजली, पाठशाला, भवनों की सुविधायें आंशिक रूप से अथवा पूर्णरूप से उपलब्ध न हों व जिनको सीमित साधनों को देखते हुए उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्रीमती गौरी पूनिया : इन कामों के लिए बजट प्रावधान अलग से थे या इसमें है ?

श्री हरिदेव जोशी : कोई बजट प्रावधान नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन ग्रामों को गांधी जन्म शताब्दी के वर्ष में छांटा गया था और यह उद्देश्य था कि एक वर्ष के अन्दर अन्दर इन सुविधाओं को पूरा कर दिया जायगा और इसका पैसा भारत सरकार देगी ?

श्री हरिदेव जोशी : गांधी शताब्दी के अर्से में नहीं, रजत जयन्ती वर्ष के उपलक्ष में 'आदर्श गांव' के रूप में घोषित किये गये थे। कहीं यह स्पष्ट नहीं था, एक वर्ष में पूरा किया जाना है। मकसद यह था, कुछ गांवों को सलेक्ट करके उन पर एम्फेसिस हो डवलपमेंट के अन्दर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बजट ... ..

श्री हरिदेव जोशी : कोई प्रावधान नहीं था, न गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने किया, न राजस्थान गवर्नमेंट ने रखा। इसमें कहा यह गया है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा जांच हो रही है डेवलपमेंट से सम्बन्धित, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसर हैं, वह अपने प्रोग्रामों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें आगे इन विलेजों को प्रायोरिटी दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है, अभी तक चाहे सड़कों के निर्माण का प्रोग्राम हो, पंचम पंचवर्षीय योजना में जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें इन ग्रामों को बिल्कुल छोड़ दिया है यह मानते हुए कि इनके लिये बजट प्रावधान अलग से आयेगा ? और कुछ जिलों की जरूरत हैं उनको इस आधार पर कन्सीडर नहीं किया जा रहा है आगे के प्रोग्राम में ?

श्री हरिदेव जोशी : यह भ्रम है, अलग से पैसा नहीं आयेगा। राजस्थान के वेरिअस डिपार्टमेंट के बजट प्राविजन है, उससे मीट करना है। मैंने हाल ही में, जब ज्यादा चर्चा होने लगी, सबको यह कहा है, वह इसके बारे में निश्चित तरह से चलें। स्टेट

Page No 4

(4)

(श्री हरिदेव जोशी)

लेवल से बना नहीं है प्रोग्राम। निश्चित तरह से चलें और प्रोग्राम को ज्यादा विगरसली लिया जाय।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : जिला स्तर पर कमेटी ने अलग अलग ग्रामों का चयन किया है उनमें से कितने गांवों में, जो सुविधायें बताई हैं, वह दे चुके हैं और कितनों में देना बाकी है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सारी सूचना मेरे पास कलेक्ट नहीं हुई है क्योंकि दिक्कत यह है, इस प्रकार के गांवों का सलेक्शन करते समय कोई एस्टीमेट नहीं बनाया गया, कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया गया, और कुछ नहीं किया गया, जिन विलेजों को घोषित किया गया है, उनकी रोड से इतनी दूरी है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन से इतनी दूरी है, वहां पर पीने का पानी है या नहीं, आवास की सुविधा कितनी है– ऐसा डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है, डेटा कलेक्ट किया गया हो– ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। दिक्कत यह है, पंचायत राज डिपार्टमेंट, सी.डी. डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया है, जिसका फंक्शन अपने आपमें कुछ भी नहीं है उस एरिया में।

श्री पी. के. चौधरी : यह बात मानते हैं, आपने जो कहा है इसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं, जिन गांवों का आपने चयन किया है, उनमें से किसी गांव में इस प्रकार की सुविधायें देने का कुछ काम नहीं किया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं कुछ नहीं कह सकता, हां या ना।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नीचे के क्षेत्र में कार्डीनेशन नहीं, लेकिन आपमें यह सारे डिपार्टमेंट केन्द्रित है, पचायत डिपार्टमेंट आपके पास है, बिजली आपके पास है, सड़क आपके पास है, तो कम से कम आपको इसका कार्डीनेशन करके, आखिर एस्टीमेट कौन मगवाता, पंचायत डिपार्टमेंट को मंगवाने चाहिए– कृपा करके इसको एक्चुअली हाथ में लेकर एक्जीक्यूट करायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : इस बजट के पास हो जाने के बाद ग्रुप आफ कलेक्टर से मिलना चाहता हूं, मिल कर इस बात पर एम्फेसिस करना चाहता हूं, वे इसको टेक अप करें। मुझे रफ आइडिया तो होना चाहिए, इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं और मिलूं, पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि 11 के. वी. लाइन से आखिर यह गांव कितनी कितनी दूर है। इसको एक्स.ई.एन. देख लें और एस्टीमेट बन जायं। मैं यह करके नेक्स्ट ईअर का प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, इतने गांवों को लेते हुए।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : प्रोग्राम की स्वीकृति आई हुई है ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं आई है, यह दिक्कत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : यह रेन्डम तय हुआ है बिना इस कन्सीडरेशन के कि सड़क कितनी दूर है, बिजली कितनी दूर है– इसको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं जिससे भविष्य में इस प्रकार रेन्डम सलेक्शन नहीं हो ?

श्री हरिदेव जोशी : भविष्य में स्वर्ण जयन्ती होगी तब का प्रश्न है। रजत जयन्ती में जिन गांवों को घोषित किया गया, मेरा एप्रोच यह है, जब तक इम्पासिबल नहीं हो तब तक जो गांव सलेक्ट किये हैं उनको सुविधायें दी जानी चाहिए।

प्रश्न संख्या 602

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरसिंह !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 603

श्री रामसिंह !

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 604

श्रीमती मदन कौर !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 605

श्रीमती नगेन्द्र बाला !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

All are absent.

श्री मोहरसिंह !

चूरू-दिल्ली बस मार्ग पर निगम की बसें चलाने का प्रस्ताव।

606. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या सरकार चूरू से दिल्ली बस मार्ग पर राजकीय पथ परिवहन निगम की बसें चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

2. यदि अब तक कोई प्रस्ताव नहीं हो, तो क्या सरकार इस पथ की महत्ता को देखते हुए अब इस मार्ग पर बस चलाने की कार्यवाही करेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) :

1. अभी तक निगम की कोई ऐसी योजना नहीं है।

2. निगम इस पर विचार करेगा।

प्रश्न संख्या 607

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरबड़ !

Not here.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 608

श्री गोरधन सिंह : Not here.

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 609

श्री रामसिंह : Not here.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्रीमती निर्मला कुमारी !

रेगिस्तानी क्षेत्र की खनिज सम्पदा का सर्वे

610. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन कौन सी मुख्य खनिज सम्पदा पाई जाती है ?

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

(2) क्या खनिज सम्पदा की खोज की दृष्टि से उक्त क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो कौन कौन सी मुख्य खनिज सम्पदा यहां उपलब्ध है ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में तेल का भण्डार पाये जाने की सम्भावना है ?

राज्यमंत्री खनिज (श्री जुझार सिंह) : (1) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में फुलर्स अर्थ, बन्टोनाइट सिलिका सैंड, फास्फोराइट, जिप्सम, लिग्नाइट, चूने का पत्थर इत्यादि पाये जाते हैं। प्राकृतिक गैस के मिलने की भी सम्भावना है।

(2) खनिज सम्पदा की खोज की दृष्टि से उक्त क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

(3) अभी तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में तेल के भण्डार पाये जाने की केवल सम्भावना ही है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : इस सम्बन्ध में कई सर्वेक्षण हो चुके हैं, रुमानिया की एक कम्पनी ने भी सर्वे किया था जैसलमेर में, रुसा के एक्सपर्ट्स भी आये, और भी कई एक्सपर्ट्स ने सर्वेक्षण किया है, उस सब का नतीजा क्या निकला है ? इनकी क्या रिपोर्ट्स हैं ?

श्री जुझार सिंह : अभी रिपोर्टस् उपलब्ध नहीं हुई हैं हमको, लेकिन गैस की कुछ सम्भावना है, आइल के बारे में अभी कुछ नहीं मालूम।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जब रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई तो आप सम्भावना की बात किस आधार पर कर रहे है ?

श्री जुझार सिंह : जब तक पूरी सर्वे रिपोर्ट नहीं आ जाये तब तक मैं कह नहीं सकता लेकिन कुछ सम्भावना जरूर है इसलिये उसको गिव अप नहीं किया है।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा जोधपुर) : कुछ बरस पहले मैंने अखबारों में पढ़ा था कि मटासिया टिबा में कुछ गैस मिला है।

श्री जुझार सिंह : लाल टिबा में गैस मिलने की सम्भावना है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जिप्सम के बारे में तो काफी खोज हो चुकी है और लिगनाइट के बारे में हो चुकी है, इसके कई भण्डार हैं, उसके लिये क्या सोचा जा रहा है ?

श्री जुझार सिंह : जिप्सम के काफी भण्डार हैं और उनको 20 लीजेज दी जा चुकी हैं, राजस्थान इन्डस्ट्रीयल एन्ड मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को भी दिया गया है।

श्री मोहन लाल छगाणी (फलोदी) : जैसलमेर में तेल और गैस के बारे में सर्वेक्षण किस के द्वारा कराया गया और कब ?

श्री जुझार सिंह : आइल एन्ड नेचरल गैस कमीशन के द्वारा।

श्री मोहन लाल छगाणी : और लिगनाइट के बारे में ?

श्री जुझार सिंह : लिगनाइट तो बीकानेर में बन्द पड़ा है, और दूसरे का सर्वेक्षण नहीं हुआ।

Page No 7

(7)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इस सर्वेक्षण के बाद भी आप इनडेफीनेट स्थिति में नहीं हैं कि आप कह सकें कि तेल है या नहीं है। और हमारी भारत सरकार की कमीशन क्या कह रही है ? कोई इन्स्टालेशन और एक्सप्लोरेशन की बात चल रही है।

श्री जुझार सिंह : अभी तो सर्वे ही चालू है और जैसा मैंने कहा लाल टीबा, जैसलमेर के पास गैस होने का इन्डीकेशन मिला है, पर अभी सर्वे चालू है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पलाना लिगनाइट के सम्बन्ध में ओपन कास्ट माइनिंग किया जाये और तेल के भण्डार हैं ऐसा सरकार सर्वेक्षण के आधार पर परिणाम निकाल रही है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री जुझारसिंह : अभी मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि यह पूछा भी नहीं गया था।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): रशियन एक्सपर्ट्स ने भी पलाना की खान के बारे में रिपोर्ट की थी ?

श्री जुझारसिंह : जैसा मैंने अभी निवेदन किया, पलाना के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया था, इसलिये उसका जवाब नहीं दे सकता। पलाना की खान में तो बीकानेर स्टेट के समय से काम चल रहा था और लो ग्रेड का मैटीरियल मिलता था, उसको बन्द कर दिया गया है। आगे की जानकारी आप अलग से पूछेंगे तो बताऊंगा।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर): रॉक फॉसफेट की उपलब्धि हुई है, इसके बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री जुझार सिंह : जैसलमेर में रॉक फासफेट बिरमानिया गांव में मिलने के कुछ इन्डीकेशन्स मिली हैं लेकिन अभी काम में नहीं लिया जा सकता।

श्रीमती निर्मला कुमारी : पेट्रोल अक्सर रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाया जाता है और उसके विश्व में कई उदाहरण हैं जैसे कुवैत, साउदी अरेबिया, ईरान। तो हमारे यहां विस्तृत सर्वेक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है ? हमारे यहां अकाल की स्थिति रहती है, लेकिन यदि पेट्रोल मिल जाये तो हमारी सारी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। इस कार्य में देरी क्यों हो रही है ?

श्री हरिदेवजोशी : सर्वेक्षण भारत सरकार करती है, राजस्थान सरकार नहीं करती, और इसके लिये एक बड़े स्तर की आर्गनाइजेशन, आइल एन्ड नेचरल गैस कमीशन है। वह काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लोरेशन कर रही है, पर यह ऐसा काम नहीं है जो साल दो साल में हो जाये, इसमें बरसों लगते हैं, इसलिये अधीर नहीं होना चाहिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : राजस्थान सरकार भारत सरकार से बात तो कर सकती है।

श्री हरिदेवजोशी : राजस्थान सरकार तो लिखती रहती है, लिखा भी है और आगे भी लिखेगी।

श्री मोहर सिंह : बीरमसर और दरीबा में सर्वे हुआ या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : अलग अलग जगहों के बारे में इस वक्त मैं नहीं बता सकता।

Page No 8

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी ।

अजमेर का बस स्टेण्ड

611. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में राज्य पथ परिवहन निगम के नये बस स्टेण्ड का शिलान्यास आज से करीब डेढ साल पूर्व माननीय श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने किया था ?

(2) क्या यह सही है कि आज तक उक्त बस स्टेण्ड का सिवाय शिलान्यास के और कोई कार्य शुरू नहीं हुआ ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से शुरू कराया जायेगा ?

(3) पुराने बस स्टेण्ड पर गत वर्ष मरम्मत पर कितना खर्च किया गया ?

(4) गत तीन वर्षों में अजमेर बस स्टेण्ड से निगम की कितनी आय हुई ? क्या यह सही है कि अजमेर बस स्टेण्ड से आय राजस्थान के अन्य किसी स्टेशन से दूसरे तीसरे नम्बर पर है ?

(5) क्या यह सही है कि पुराना बस स्टेण्ड का अहाता, जहां बसें खड़ी रहती हैं वह कच्चा है और वहां बरसात में पूरा कीचड़ हो जाता है जिससे जनता को बहुत परेशानी होती है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) ।

(1) जी हां ।

(2) भूमि पर कब्जा मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा ।

(3) कोई खर्चा नहीं किया गया है ।

(4) गत तीन वर्षों मे अजमेर बस स्टेन्ड से निगम को कुल आय (यात्री कर सहित) निम्न प्रकार प्राप्त हुई :

वर्ष	कुल आय संग्रह (यात्री कर सहित)
1969-70	20.67 लाख रुपये
1970-71	18.37 लाख रुपये
1971-72	19.09 लाख रुपये

जहां तक बुकिंग स्टेंड की आय का सम्बन्ध है, यह सही है कि अजमेर स्टेंड की आय अन्य बुकिंग स्टेंड्स की तुलना में दूसरी या तीसरे स्थान पर है ।

(5) इस भूमि का धरातल नीचा होने के कारण उसमें बरसात में पानी भर जाता है, इसका अहाता (कम्पाउन्ड वाल) पक्का है ।

श्री किशन मोटवानी : बस स्टेंड का बनना कोई बड़ा पालिसी मैटर तो नहीं है जिसको डिसाइड करने में इतनी देर हो रही है । आज से 8 माह पहले आपने भुगतान भी कर दिया है और पजेशन भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो आप इसको अब तक क्यों नहीं बना पाये ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने थोड़े दिन पहले ही होम कमिश्नर को भेजा था इसके लिये । इस जमीन के बारे में कलेक्टर के कुछ ऐतराज हैं और उनका कहना है कि यह जमीन बस स्टेंड के लिये उपयुक्त नहीं है, दूसरी जमीन सिलेक्ट करनी चाहिये । एक माह के भीतर-भीतर यह फैसला हो जायेगा और काम शुरू हो जायेगा ।

Page No 9

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीया।

श्री किशन मोटवानी : एक मिनट। अगर नया बस स्टेंड बनने में देर लगती है तो क्या आप पुराने बस स्टेंड के अहाते को पक्का बनाने के लिये कुछ आश्वासन दे सकते है ?

श्री हरिदेव जोशी : जब तक नये के बारे में कोई फैसला नहीं होता तब तक कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या 612

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीया।

(अनुपस्थित)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीयाजी के प्रश्न का उत्तर दे दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री जुझारसिंह : If somebody is interested, I Can give the reply.

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बहुत इम्पार्टेन्ट प्रश्न है।

एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज लि० रामगंज मण्डी

612. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : (श्री राजेन्द्र भारतीया की अनुपस्थिति में) क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (कोटा) रामगंज मण्डी के पास इस समय कुल कितने माइनिंग एरिया की लीज है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त कम्पनी को किश्तों में रायल्टी की राशि जमा कराने की स्वीकृति दी है ? यदि हां तो क्यों ? खनिज राज्य मंत्री (श्री जुझारसिंह) : (1) पार्टी के पास इस समय कुल क्षेत्र 4810.16 एकड़ है।

(2) जी हां। एक्सेस रायल्टी को चार किश्तों में वसूल करने की आज्ञा दी गई जो वसूल हो चुकी है।

प्रश्न संख्या 613

श्री अध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नारायणसिंह।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, दांता रामगढ़ में महिला डाक्टर की नियुक्ति

614. श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़,) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दांता में राज्य सरकार ने मातृ शिशु कल्याण केन्द्र आरम्भ किया है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र को चलते कितना समय हो गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र में महिला डाक्टर का पद सृजन किया हुआ है ? यदि हां, तो आज तक डाक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

(श्री नारायणसिंह)

(3) क्या राज्य सरकार उक्त केन्द्र पर शीघ्र ही महिला डाक्टर की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने समय में ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी हां, दिनांक 30-6-72 से ।

(2) जी हां, महिला चिकित्सक के अभाव के कारण ।

(3) जी हां, नियुक्ति हेतु महिला चिकित्सक उपलब्ध होने पर ।

श्री नारायणसिंह : कितना समय लगेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : निश्चित समय तो कहा नहीं जा सकता लेकिन जल्द ही पोस्टिंग करेंगे ।

श्री नारायणसिंह : बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई है ।

श्री हरिदेव जोशी । भरवा दूंगा, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह ।

गंग नहर एवं भाखरा नहर के मोगे

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : क्या सिंचाई मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) गंगनहर और भाखरा नहर परियोजनाओं में सिंचाई के लिये कुल कितने मोगे (आउटलेट) हैं और उनमें से कितने मोगों को स्वीकृत आकार से बड़ा मानकर इस वर्ष स्वीकृत आकार के अनुसार बनाया गया है ?

(2) दोनों परियोजनाओं में मोगों का दुरुस्ती से कितने पानी की चोरी रुकी है तथा अवैध रूप से पानी प्राप्त करने वालों और अवैध मोगे लगाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सिंचाई मन्त्री): गंग नहर व भाखरा नहर परियोजनाओं में कुल 2515 मोगे सिंचाई के लिये हैं जिनमें से 1460 मोगे स्वीकृत आकार से भिन्न मानकर स्वीकृत आकार के अनुसार मोगो पर दुरुस्त किये जा चुके हैं ।

(2) दोनों परियोजनाओं में मोगों को दुरुस्त करने से पानी की कितनी बचत हुई, इसका अनुमान लगाया जा रहा है । जो भी अधिकारी बड़े मोगे लगाने से संबंधित हैं उनसे इसका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है जो मिलने पर उचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल हादी ।

जोधपुर से बाड़मेर तक निगम की बसें

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार जोधपुर से बाड़मेर तक राज्य परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कबतक चालू कर दी जावेगी ?

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मन्त्री) : जी हां, निगम द्वारा जोधपुर-बाड़मेर मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना संबंधी विज्ञप्ति

(श्री हरिदेव जोशी)

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 68 (सी) के तहत राजस्थान राजपत्र में दिनांक 8-2-73 को प्रकाशित करदी है। अब इस पर निजी बस मालिकों के आपत्ति पत्रों की सुनवायी की जायेगी। सुनवाई पूर्ण होजाने पर और फैसला निगम के पक्ष में हो जाने पर निगम इस मार्ग पर गाड़ियों का संचालन करेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सुनवाई कौनसी तारीख को निश्चित की गई है और कौनसी तारीख तक इसका फैसला हो जायेगा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें इस प्रकार के 37 केसेज हैं इसमें थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि अभी तो मीटिंग बुलाई है उसके बाद में फैसला होने पर कार्यवाही की जावेगी मैं समझता हूं कि अप्रेल के एन्ड तक इसका फैसला हो जायेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसको अगर आप वाया अबू रोड़ होकर बस चलावें तो ठीक रहेगा।

श्री हरिदेव जोशी : श्री रघुनाथ बिश्नोई ने जो सजेशन दिया है उसको मैं ध्यान में रखूंगा। मैं उसको देख लूंगा।

श्री मीठालाल (लालसोट) : ये मन्त्री महोदय ने जो रूट्स के बारे में फैसला करने की बात कही है वह कौनसे रूट के बारे में कहा है? क्या सभी रूट के बारे में कहा है?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो सभी प्रकाशित हो चुके है।

प्रश्न संख्या 617

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 618

श्री मनोहरलाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 619

श्री नन्दलाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 620

श्री हाजी जानमोहम्मद।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लेते हैं और प्रश्नोत्तर काल में हाजिर नहीं रहते। यह माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि इसमें काफी खर्चा होता है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह होली की वजह से है। सभी लोग गांव गये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अब तो ढ़ाई बजने को हैं।

एक माननीय सदस्य : होली के नशे में घूम रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुछ लोग महा मूर्ख सम्मेलन में गये हुए हैं

श्री अध्यक्ष : अब तो वह भी समाप्त हो गया है।

Page No 12

(12)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु ।

गंगनहर से सिंचाई

621. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (करणपुर) की अनुपस्थिति में : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगनहर के क्षेत्र में एक जनवरी, 1960 को कितनी सिंचित कमाण्ड एरिया भूमि थी और आज कितनी सिंचित भूमि है ? कृपया बारहमासी, लालगढ़ छः मासी और समेजा के अलग अलग आंकड़े बतायें ?

(2) सन् 1970 में जो फसल खरीफ में आरजी पानी दिया जा रहा है वह कितने कितने रकबे को, 12 मासी लालगढ़ शाखा व समेजा में दिया जा रहा है ?

(3) जब पानी की नहर में कमी है तो फालतू रकबे को पानी क्यों दिया जा रहा है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) गंगनहर क्षेत्र की सिंचाई योग्य कमाण्ड भूमि जनवरी 1960 में कुल 7,59,109 एकड़ थी जिसमें से 6,56,785 एकड़ बारह मासी 59706 एकड़ लालगढ़ व 40,618 एकड़ समेजा छः मासी नहरों की थी, जो कि जनवरी, 1973 तक कुल 7,61,133 एकड़ है जिसमें से 6,60,447 एकड़ बारह मासी 59,986 एकड़ लालगढ़ व 40,700 एकड़ समेजा छः मासी नहरों की है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) पानी केवल खरीफ फसल के लिये दिया जाता रहा है । खरीफ 1970-71 तथा 1972 में पानी की कमी नहीं थी ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल

जिला चिकित्सालय, सवाई माधोपुर

622. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर स्थित जिला चिकित्सालय को स्थापित हुए लगभग दो वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक वहां पर्याप्त चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गई है ।

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय में दवा यन्त्र आदि सामानों का भी भारी अभाव है ? यदि हां तो क्यों ? तथा उनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, न तो वहां पर पूरे डाक्टर ही है और न ही वहां पर रोगियों के लिये जो 100 बेड्स की सेक्शन है वह भी वहां पर उपलब्ध हुए हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर 50 बेड्स ही सैंक्शन थी वहां पर

Page No 13

(13)

(श्री हरिदेव जोशी)

हो बेडस हो गये हैं और तीन डाक्टरों की सैंक्शन भी वहीं पर तीन डाक्टर सैंक्शन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री सुरेशचन्द्र।

कृषि सहकारी समिति सांगल्या

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि सहकारी समिति सांगल्या तहसील दांता रामगढ़ में है ? अगर हां तो जब से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ कौन मेम्बर हैं ? मय नाम, पता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है उक्त समिति को लोन व अनुदान राज्य सरकार एवं सीकर केन्द्रीय सरकारी बैंक द्वारा दिया गया है ? अगर हां तो किस कार्य हेतु किस मेम्बर को दिया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति को ट्रैक्टर खरीदने हेतु कोई लोन दिया गया। अगर हां तो कितना ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री हनुमान एवं श्री लालाराम मन्डोवाल वाल चारण वास तन दांता को सीकर केन्द्रीय बैंक एवं भूमि विकास बैंक से लोन दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा भी दिया गया है ? अगर हां तो कितना और किस कार्य हेतु दिया गया है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री जुझार सिंह) : जी हां। रजिस्ट्रेशन दिनांक 11-3-60 को हुआ। सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। 1000 रुपये व्यवस्थापकीय अनुदान पंचायत समिति के माध्यम से तथा 37,700 रुपये कुओं की मरम्मत, भूमि समतल करने हेतु व बैल खरीदने हेतु मध्यकालीन ऋण सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि यह एक ही परिवार वालों को लोन दिया गया है। और विभिन्न मदों से दिया गया है।

श्री जुझार सिंह : मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे खयाल से ऐसा प्रतीत नहीं होता। मुझे यह पता नहीं है यह एक ही परिवार की सहकारी समिति है।

श्री सुरेशचन्द्र : आप चाहें तो वल्दियत देख सकते हैं सबकी।

श्री जुझार सिंह : इसमें चार सदस्यों की एक है और तीन का परिवार एक है और दो अलग हैं।

प्रश्न संख्या 624

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

Page No 14

(14)

श्री केदारनाथ।

श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति

625. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर), श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति पदाधिकारी बनने के लिए कोई विशेष योग्यता का प्रावधान है ?

(2) क्या राज्य सेवा में लगा अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति का अध्यक्ष या मन्त्री चुना जा सकता है जबकि समिति अविभागीय हो ?

(3) श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के वर्तमान पदाधिकारी कौन कौन हैं ? क्या वे राज्य सेवा में हैं ? यदि हां तो उनकी नियुक्ति किस किस विभाग में और किस किस पद पर हैं ?

(4) क्या राज्य सेवा करते हुए उक्त समिति के अध्यक्ष व मन्त्री पद पर निर्वाचित होना राजस्थान सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुकूल वैधानिक है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत यदि नहीं, तो क्यों किस नियम के अधीन ?

(5) यदि कोई राज्य कर्मचारी किसी अविभागीय समिति का पदाधिकारी नियमानुकूल नहीं बन सकता तो उक्त समिति के पदाधिकारियों ने जो धोखाधड़ी की है उसके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

ी सहकारिता (श्री जुझारसिंह):

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर के वर्तमान पदाधिकारियों की सूचना सदन की मेज पर रख दी है।

(4) जी हां, राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 के संशोधित नियम 36 (1) के अनुसार।

(5) जी नहीं। प्रश्न पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

विद्युत मीटरों की खरीद

626. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत दो वर्षों में राजस्थान विद्युत् बोर्ड ने किन्हीं कम्पनीज से कोई विद्युत् मीटर खरीदे ? यदि हां तो कब तक कितने ?

(2) क्या उनके लिये टेण्डर आमन्त्रित किये गये ? यदि हां तो उनकी रेट्स प्रति मीटर क्या क्या थी ?

(3) क्या यह सही है कि 1971-72 में जो टेण्डर आमन्त्रित किये गए और उनमें से जिसके टेण्डर मीटर के लिए एप्रूव हुए उस की रेट प्रति मीटर 38/- रुपये थी ?

(4) क्या यह सही है कि उन्हीं दिनों उक्त कम्पनी ने मध्य प्रदेश विद्युत् मण्डल को इन्हीं मीटरों को 28/- रुपये में सप्लाई किया ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना एकत्रित नहीं हो सकी इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री।

प्रश्न संख्या 627

श्री भानुकुमार शास्त्री।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 628

श्री सुखलाल सरोवा

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

भाखरा नहर परियोजना के अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र

629. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :** क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—(1) भाखरा नहर परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में कुल कितनी भूमि कमाण्ड घोषित की गई तथा आज तक भाखरा नहर परियोजना से कितनी भूमि को पानी मिल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी हजारों एकड़ भूमि जो पहले कमान्ड घोषित की गई थी बाद में अनकमान्ड कर दी गई। यदि हां, तो ऐसी कुल भूमि कितनी है ? क्या यह सही है कि इस प्रकार की भूमि का पानी बन्द कर दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि जो कमान्ड से अनकमान्ड घोषित की गई तथा जिसका पानी बन्द कर दिया गया ऐसी भूमि से आज भी नहरी भूमि की किश्तें ली जा रही है ? यदि हां तो इसका औचित्य क्या है ?

उपनिवेशन मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : भाखरा नहर परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में सन् 1954 में कुल 9437-42 एकड़ भूमि कमान्ड घोषित की गई थी। इस समय 864433 एकड़ भूमि में पानी लग रहा है।

(2) जी हां। 54634 एकड़ भूमि ऐसी थी जो बाद में कमान्ड से अनकमाण्ड कर दी गई।

(3) जी नहीं। जो भूमि कमान्ड से अनकमान्ड सिंचाई विभाग द्वारा घोषित कर दी जाती है उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मूल्य के संशोधित आदेश जारी कर दिये जाते हैं। जांच के बाद अगर कोई अमल बरामद बाकी पाया जावेगा तो कर दिया जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों किसान है जिनकी भूमि को कमांड से अनकमान्ड कर दी गई है और उनसे आज भी नहरी भूमि की किश्तें ली जा रही हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसे व्यक्तियों को प्रार्थना-पत्र देने चाहियें जांच के बाद कार्यवाही की जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कोई 500 एकड़ की बात हो एक व्यक्ति की बात हो तो प्रार्थना-पत्र दें। वहां तो हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिनको कमान्ड से अनकमान्ड कर दी गई लेकिन उन लोगों से नहरी जमीन की किश्तें ली जा रही हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उनसे बेटरमेन्ट लेवी भी वसूल की जा रही है। ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की गयी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैंने निवेदन किया है कि उनको अलग से प्रार्थना-पत्र देने चाहियें। जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये हैं उसके अन्दर कार्यवाही की गयी है। इसमें सादूंल ब्रान्च के अन्दर 10446 एकड़, इसी प्रकार 24269 एकड़, गंग कैनाल और गंभार के अन्दर 8613 एकड़ भूमि इस प्रकार कुल एकड़ भूमि का फैसला तो कर दिया गया है जैसे जैसे प्रार्थना-पत्र आते हैं हम ठीक कर देते हैं।

एक माननीय सदस्य : इसमें आप ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि अनकमान्ड एरिया की जमीन को कमान्ड कर दी जाय। पैसे वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा जो कमान्ड थी और वह बाद में अनकमान्ड घोषित कर दी गयी लेकिन उनसे पैसा कमान्ड का वसूल कर रहे हैं। इसके लिये आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि वह जब कमान्ड से अनकमान्ड जमीन होते ही उसमें इप्सोफेक्टो ही चेन्ज हो जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बात यह है कि शुरू शुरू में जब सर्वे किया गया था तब यह उम्मीद थी इसमें पानी दिया जा सकेगा। लेकिन बाद में पानी नहीं मिलने के कारण उनको कमान्ड से डिकमान्ड में कनवर्ट कर दिया गया। इसमें करीब 58 हजार एकड़ जमीन के आस-पास पर असर पड़ा। अब इस साल राजस्थान नहर से करीब 65 हजार एकड़ जमीन के लिये पानी मिलेगा। गंग कैनाल से 1 लाख 62 हजार एकड़ जमीन को पानी मिलेगा। इस प्रकार माखरा की जमीन का पानी राजस्थान कैनाल के नीचे दे दिया जावे। अब इस साल पानी मिलने से इप्सोफेक्टो ही वह कमान्ड में आ जायेगी। इसके अलावा अगर कोई जमीन अनकमान्ड हो गयी है तो उसके लिये उन्हें प्रार्थना-पत्र देने चाहिये।

श्री ज्ञान सिंह चौधरी : यह अमरसिंह जसानी क्षेत्र में कितनी जमीन अनकमान्ड से कमान्ड की गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने कहा था कि इस साल हम काफी पानी देने में समर्थ हैं इसलिये कोई विशेष बात नहीं है। और जिनकी जमीन डिकमान्ड की गयी है उनको हम वापिस कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जिन लोगों से आपने किश्तें वसूल कर ली हैं, जिनसे आपने बेटरमेंट लेवी चार्ज कर ली है उन्हें पैसा वापिस दे देंगे जो आज तक आपने लिया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनके पैसे हम एडजेस्ट कर लेंगे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या आप उनको पैसे वापिस करेंगे क्या ? नहीं तो एडजेस्ट कर लेंगे क्या आगे किश्तों में ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिलकुल कर लेंगे।

प्रश्न संख्या 630

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम।

श्री चेतराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जमवा रामगढ़ बांध से सिंचाई

631. **श्री मूलचन्द सामरिया :** (दौसा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जमवा रामगढ़ बांध से किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी भूमि सिंचित होती थी ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध का पानी कब से सिंचाई प्रयोजनार्थ बंद किया गया ?

(3) इससे कितनी आबादी पर प्रभाव पड़ा ?

(4) इस क्षति की पूर्ति हेतु राज्य सरकार उक्त क्षेत्र में क्या क्या साधन सिंचाई हेतु जुटाना चाहती है और वे कैसे व कब तक पूर्ण हो जावेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): 1 इस बांध से तीन तहसीलों में सिंचाई होती थी जो निम्न प्रकार है:—

1.	रामगढ़	3394 एकड़
2.	बस्सी	4277 ,,
3.	दौसा	6878 ,,
		14,549 ,,

2. सन् 1963-64 से इस बांध से सिंचाई को जयपुर शहर को पीने का पानी देने के कारण बन्द कर दिया गया।

3. सिंचाई बन्द होने से तहसील रामगढ़ के 20 ग्राम बस्सी के 17 ग्राम एवं दौसा के 31 ग्रामों की आबादी पर प्रभाव पड़ा है।

4. इस क्षेत्र में चान्द्राना नामक योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो वर्ष 1973-74 में पूर्ण हो जावेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : चान्द्राना पूर्ण होने पर कितनी जमीन की सिंचाई होगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 1136 एकड़।

श्री मूलचन्द सामरिया : जमवा-रामगढ़ के पानी के बन्द होने से जो वहां के गांवों को नुकसान हुआ क्या उसके लिए चान्द्राना का बांध काफी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी तो पूरी सिंचाई नहीं हो सकेगी क्योंकि उससे 14 हजार एकड़ की सिंचाई होती थी।

श्री मूलचन्द सामरिया : ढूंढ नदी पर बांध बनाने का विचार रखा था, सामन्ती जमाने में तो इस जमवा रामगढ़ से इन गांवों को पानी मिलता था और आजादी के बाद इसको बन्द कर दिया गया, वहां ऐसा बांध बनायेंगे कि जिससे इन क्षेत्रों को पानी मिल सके ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका सर्वे करवा लेंगे कि उससे पिलाई इतनी हो सकेगी या नहीं। जयपुर शहर को पानी पिलाना जरूरी था इसलिये केबिनेट ने यह सोचा था और डिसीजन लिया था कि पहले पीने का पानी दिया जाय। जमवा रामगढ़ में यदि अधिक पानी आता है तो

Page No 18

(18)

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

अधिक सिंचाई होती है। पहले पानी अधिक आया तो 3300 एकड़ में सिंचाई हुई थी।

श्री मूलचन्द सामरिया : जयपुर को पानी पिलाने के अलावा भी आपने बताया कि ज्यादा क्षेत्र सिंचित होते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जयपुर की पहले 2 लाख की आबादी थी और अब 6 लाख की आबादी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : बिसलपुर बांध की योजना का भी सर्वे कराया था उसका मकसद यही था कि जमवा रामगढ़ से पीने का पानी हो सकेगा और बिसलपुर बांध से अजमेर, जयपुर, नसीराबाद, टोंक आदि को पीने का पानी मिल सकेगा। उस योजना की आप जानकारी देंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें अव्वल तो चित्तौड़ में 3 फेक्ट्रियों को पानी दिया जा रहा है। सिंचाई विभाग ने उचित नहीं समझा कि खर्चा तो हम करें और पिलाई हमें प्राप्त न होकर पीने का पानी उपलब्ध करायें और हमको एक पैसा न मिले।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जयपुर में आप राजस्थान केनाल ले आओ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : फलौदी में चांदी के पाये लगा कर लिफ्ट करवा दीजिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दोनों पास ही में बैठे हैं, आप तय कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप इसको हैल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब यह बांध मेक्सिमम केपेसिटी में भर जाता है तो चार पांच हजार एकड़ भूमि की सिंचाई इससे हो जाती है। पिछले साल भी ज्यादा पानी आया तो सिंचाई की अधिक गुन्जाइश थी। इसको हम ट्रांसफर तो नहीं करना चाहते हैं। जल विभाग पैसा दे तो उचित है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या राज्य सरकार इतना कमजोर समझती है अपने आपको कि जयपुर के अलावा जमवा रामगढ़ का पानी दूसरे क्षेत्रों को नहीं दे सकेंगे ? क्या राज्य सरकार हमेशा के लिए अयोग्य समझती है या उन किसानों को जो नुकसान हुआ उनको पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने की क्षमता रखती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सरकार तो अयोग्य नहीं समझती है। यह तो आपका खयाल है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या अयोग्य समझती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपका होली का मूड समाप्त नहीं हुआ है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : दून नदी पर बांध का सर्वे बना लिया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने कहा था कि इस पर विचार करेंगे।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : बिसलपुर के लिए $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया सेन्टर से मिला था ?

Page No 19

(19)

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसा मैंने निवेदन किया कि चित्तौड़ के पास 3 फैक्ट्रियों को पानी देने के लिए बांध बनाने का हो गया था। जयपुर को पहले पीने का पानी उपलब्ध कराने का था इसलिए यहां पानी उपलब्ध कराया गया।

श्री अजीतसिंह : सर्वे हो चुका था।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप इसका अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दे सकूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : विसलपुर के लिए पिछले मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया उसकी पूर्ति करना इस केबिनेट का काम है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : विसलपुर के लिए प्रश्न पूछ लीजिए मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : यह कौनसा विसलपुर है। एक विसलपुर मेरे क्षेत्र के पास है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपके पास के की कोई ऐसी स्कीम नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सुखाड़ियाजी ने आश्वासन दिया था। विसलपुर के लिए 1½-2 लाख रुपया सर्वे में खर्च भी हो चुका था। यह भी कहा था कि इससे 24 हजार एकड़ की सिंचाई हो सकेगी और इससे जयपुर शहर और अन्य शहरों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा और उसका सारा कार्यक्रम भी बन गया था। उस विसलपुर योजना की क्या स्थिति है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी उस योजना पर हमारा काम करने का विचार नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कन्फ्युजन है आपके और जल प्रदाय विभाग के बीच में। यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है कि कौनसा विभाग जयपुर को पानी उपलब्ध कराने के लिये जिम्मेदार है और कौनसा इर्रीगेशन के लिए। आपका अभिप्राय यह होना चाहिए कि जमवा रामगढ़ से सिंचाई के लिए और जल प्रदाय विभाग पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए दोनों के बीच में कोई फार्मुला इवोल्व हो जाना चाहिए जिससे कि इर्रीगेशन की पोटेन्शियलिटी और पीने के पानी की समस्या हल होती।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने पहले कहा था कि पहले पीने का पानी उपलब्ध हो और उसके बाद सिंचाई के लिये। इस विभाग को कैसे मजबूर किया जा सकता है कि जमवा रामगढ़ से पानी उपलब्ध कराये ? वैसे ही पानी शोर्ट पड़ रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शोर्ट इसलिये पड़ रहा है कि सरकार ने कमिटमेंट दिया और उसको पूरा नहीं कर रही है वरना यह स्थिति नहीं होती।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जहां तक संभव होता है उसको पूरा करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : सदन में जो आश्वासन दिया उससे मुकर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिल्कुल नहीं।

Page No 20

(20)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

एस. पी. मेडीकल कालेज, बीकानेर

632. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एस. पी. मेडिकल कालेज बीकानेर के (1) पीडिया ट्रिक्स, (2) आरथोपेडिक्स, (3) रेडियोलोजी, (4) एनेस्थेसिया आदि विभाग राजस्थान के कुछ मेडिकल कालेजेज की अपेक्षा अधिक सुसज्जित हैं तथा आल इण्डिया मेडिकल कोंसिल व राजस्थान विश्व विद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट के लिये एप्रूव्ड एण्ड रिकाग्नाइज्ड हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सन 1973-74 के लिये बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के प्रिंसिपल महोदय उपरोक्त विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट्स के अध्यापन का कार्य चला सकते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त समस्त विषयों या कुछ विषयों में अगले सत्र के पोस्ट ग्रेजुएशन के अध्यापन की स्वीकृति देगी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी):

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

श्री भीमसेन : इसके लिये कोई योजना बना लेनी चाहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : एम. डी., एम. एस. कितने जरूरी हैं इसकी आवश्यकता पर निर्भर है ।

श्री भीमसेन : पांचवी योजना में विस्तार कर रहे हैं तो मेडिकल डाक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री हरिदेव जोशी : जैसे ही यह महसूस हुआ कि एम. डी., एम. एस. में ज्यादा संख्या जरूरी है तो निश्चितरूप से कर लिया जावेगा । इसमें फन्ड्स का इन्वोल्वमेन्ट तो है नहीं ।

श्री भीमसेन : आपने जयपुर में पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या निश्चित कर रखी है वह बीकानेर में भी कर सकते हैं, वही वहां रिसोर्सेज मोहैया कर सकते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आज जो संख्या है उससे ज्यादा अधिक फैसेलिटी की बात हो तो अधिक संख्या तब ही बढाई जावेगी जबकि ज्यादा डाक्टर्स की जरूरत हो । फाइव इयर प्लान में जरूरत होगी तो कर लेंगे ।

श्री भीमसेन : क्या आप यह महसूस करते हैं कि एम. एस., एम. डी. की ज्यादा संख्या में जरूरत नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो जब तक फीगर नहीं है, क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे कहूं ।

श्री भीमसेन : एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप···

श्री हरिदेव जोशी : मैंने बताया आज एटप्रजेन्ट जितनी संख्या की जरूरत है उतनी शिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि राजस्थान में पांच मेडिकल कालेज हैं और पोस्ट ग्रेजूएशन की सुविधा केवल एक जगह है। एक जगह के एरिया के डाक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन का लाभ मिलता है दूसरे क्षेत्र के लोग वंचित रहते हैं। दूसरे हॉस्पिटल में भी आप ये सुविधायें प्राप्त करा सकते हैं और उसी प्रकार की सुविधाएं हो जायं तो कोई आर्थिक बोझ तो आप पर पड़ता नहीं है– एडिशनल क्वालिफिकेशन है। आप उनको एम. एस., एम. डी. एज एम. एस., एम. डी. एप्रोव करें। एम. ए. हो जाते हैं, एम. ए., पी. एच. डी. हो जाते हैं सबको एप्रोव करें। दूसरे हॉस्पिटल को वह सुविधा क्यों न मिले ?

श्री हरिदेव जोशी : प्रश्न यह है कि फोर्थ फाइव इयर प्लान पीरियड में जितने लोगों की जरूरत थी उतनी क्रियेट कर दी गई थी। फिफ्थ फाइव इयर प्लान में कितने लोगों की जरूरत होगी यह जब तक ब्राड आउट लाइन तैयार नहीं होती है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। आउट लाइन तैयार हो जाय तभी कुछ कहना सम्भव हो सकेगा।

श्री भीमसेन : जो डाक्टर एम. बी. बी. एस. है और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं....

श्री हरिदेव जोशी : आज शिक्षण की व्यवस्था उतनी ही की हुई है जितनी जरूरत है। आज हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है- एम. डी. को एब्जार्व कर सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन को एब्जार्व कर सकेंगे या नहीं, यह प्रश्न हो जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो आर्थोपेडिक, एनेस्थेसिया और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में काफी फेसिलिटिज बीकानेर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, बीकानेर कालेज में है। उनके यूटिलाइजेशन में क्या दिक्कत है ? दो साल की इन्टर्नशिप पूरी कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में सिर्फ क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपकी कोई लायेबिलिटी तो होती नहीं है। फिर झिझक किस बात की है ?

श्री हरिदेव जोशी : झिझक जैसी कोई बात नहीं है। हमें कितने मैन पावर की जरूरत होगी, उससे इन्क्रीज कर देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सिर्फ क्वालिफिकेशन जिसमें आप पर किसी किस्म का लोड नहीं पड़ता है और न गवर्नमेंट एक्स चेकर पर पड़ता है....

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए तो मैंने निवेदन किया ऐडीशनल बर्डन नहीं है और फिफ्थ फाइव इयर प्लान में कितनी जरूरत होगी, इसका निर्णय होने पर जिन लोगों को एब्जार्व करेंगे उन्हें एम.डी. देंगे बाकी को नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देंगे। पढ़ने से किसने रोका है।

एक माननीय सदस्य : पढ़ाई का इंतजाम नहीं करें तो सिर्फ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के छात्रों के अतिरिक्त जो दूसरे कालेज से एम. बी. बी. एस. होते हैं उनको क्या पोस्ट ग्रेजुएशन को ऐडमिशन मिलती है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

Page No 22

(22)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह किस आधार पर किया जाता है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरिट के बेसिस पर।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर ही फेसिलिटी प्रोवाइड की जाय। उदयपुर के आदमी, जयपुर आये, बीकानेर के आदमी जयपुर आये, जोधपुर उदयपुर, बीकानेर सब जगह हॉस्पिटल हैं, सब जगह लेक्चरार हैं, सब तरह की फेसिलिटी दूसरी जगह पर हैं फिर जबरदस्ती जयपुर लाकर डाक्टर बनाने की योजना बना रखी है। इसके लिये क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

आहोर तहसील की कृषि सहकारी समितियां

633. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालोर जिले की आहोर तहसील में कौन कौन सी कृषि सहकारी समितियां कब कब से बनी हुई हैं ? प्रत्येक के पास कितनी कितनी कृषि भूमि एवं कितनी कितनी सदस्यता हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भवरानी एवं चन्दराई कृषि सहकारी समितियां बिल्कुल बोगस एवं फर्जी बनी हुई है और उनका कई वर्षों से ऑडिट भी नही किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको शीघ्र समाप्त करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री सहकारिता (श्री जुझार सिंह) : (1) जालोर जिले की आहोर तहसील में 15 सहकारी कृषि समितियां हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं। भवरानी सामूहिक सहकारी कृषि समिति का ऑडिट 30-6-70 तक का हो गया है तथा चान्दराई कृषि सहकारी समिति का ऑडिट 30-6-71 तक का हो चुका है। चान्दराई सहकारी कृषि समिति अवसायन में है तथा भवरानी सामूहिक सहकारी कृषि समिति को अवसायन हेतु कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री भगराज : अध्यक्ष महोदय, यह दोनों सहकारी समितियां आज से करीब 15 वर्ष पहले रजिस्टर्ड की गई थी। मगर अभी तक इस सोसायटी के मेम्बरों को लैंड अलॉट नहीं करने से इसका जो फंक्शन है, वह फंक्शन पूरा नहीं हो रहा है तो इनको बोगस मानकर समाप्त क्यों नहीं की जाती हैं।

श्री जुझार सिंह : एक को तो लिक्विडेशन में किया जा चुका है। दूसरी की प्रोसेस चालू है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): आपके नोटिस में तो अब आई है। जिस परपज से सोसायटी बनी थी वह इतने वर्षों तक यों ही रहती रही।

श्री जुझार सिंह : जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी इसलिये काम नहीं कर सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कृषि सोसायटी जब रजिस्टर होती है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जब जमीन के लिए कलक्टर या तहसीलदार से पहले जमीन का आश्वासन मिलता है नहीं तो रजिस्टर ही नहीं करते हैं। अगर किसी कारण दर्ज हो गई तो कई सालों से ये कर्मचारी क्या कर रहे हैं। 20 साल से यों ही सोसायटी बना रखी है। यह लायबिलिटी कैसे रही, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री जुझार सिंह : कौनसी कृषि सोसायटी वर्क कर रही है, कौनसी कृषि सोसायटी वर्क नहीं कर रही है यह देखा जा रहा है और जो कृषि सोसायटी काम नहीं कर रही है उनके खिलाफ कार्यवाही चालू कर दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सोसायटी के अगेन्स्ट तो कार्यवाही चालू कर दी लेकिन इन लोगों को जमीन प्रोवाइड हो जानी चाहिए थी वह नहीं हुई तो प्राइमा फेसी जमीन प्रोवाइड करके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो इतने बड़े डिफाल्टर हैं उनके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : एग्रीकल्चर सोसाइटी के मेम्बर के पास खुद की जमीन होती है और दूसरे मेम्बर्स के पास जमीन नहीं होती है और राज्य सरकार से उपलब्ध कराने के लिये होता है तो वह भी किया जाता है। इस सोसाइटी के पास जमीन नहीं थी इसलिये इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जमीन मिल सकती है। अब किन्हीं कारणों से जमीन उपलब्ध नहीं थी और किन कारणों से जमीन नहीं मिल सकने की वजह से एग्रीकल्चर सोसाइटी काम नहीं कर सकी इसीलिये तो लिक्विडेशन किया जा रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तो राजस्व मंत्री भी रहे हुए हैं। यह सोसायटी रजिस्टर उस कन्डीशन पर होती है अगर जमीन प्राप्त नहीं हुई एक साल के अन्दर तो आटोमेटिक खतम हो जानी चाहिये। अवसायन करने के बाद आप मेम्बर्स को तो सजा दे देंगे लेकिन यह गलती अधिकारियों की भी है। अगर दर्ज कर दी गई तो साल भर बाद आटोमेटिक खतम हो जानी चाहिये थी। यह सहकारी विभाग का फर्ज था। इस रूप में आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री जुझारसिंह : यह सोसायटीज कब तक काम करने लगे इसका टाइम फिक्स नहीं है। माननीय सदस्य चाहते क्या हैं ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : जो सोसायटी रजिस्टर हुई और उसको जमीन नहीं मिल सकी इसके क्या कारण हैं ? उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्योंकि जमीन नहीं मिलने से सोसायटी फंक्शन नहीं कर रही है। सोसायटी कहती है जमीन गवर्नमेंट ने दी नहीं है तो जिन्होंने जमीन नहीं दी है उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री जुझारसिंह : पूरी जानकारी करने पर किसी अधिकारी को दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी ऐक्शन लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्व विभाग का दोष होता है। आपका सहकारी विभाग यह कहता है, आप उनसे बात कर लें। बैठे हुए हैं।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय प्रश्न मैंने इस आशय से किया था कि यह

Page No 24

(24)

(श्री मगराज चौधरी)

सोसायटी ऐसे सदस्यों द्वारा बनाई थी और ऐसे व्यक्ति सदस्य थे जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है इसलिये सरकारी जमीन का तो प्रश्न ही नहीं है। मेम्बर्स के खुद के पास जमीन काफी है। वह पूर्ण क्यों नहीं की गई और पूर्ण करने के बाद वह जमीन सोसायटी के नाम से क्यों नहीं लाई गई ?

श्री जुझारसिंह : सदस्य कौन हैं और उनके पास जमीन है या नहीं इसकी अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। इन्होंने सदस्य की संख्या पूछी थी और उनके बारे में पूछा था सो जवाब दे दिया। इसके बारे में जैसा मैंने निवेदन किया कि क्यों विलम्ब हुआ इसकी जानकारी कर ली जायेगी।

श्री फूलचन्द जैन : अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह सोसायटी उन श्रेणियों में आती है कि जिनके पास जमीन नहीं है और माननीय सदस्य का कहना है कि जमीन उसके पास थी और उसको पूल नहीं किया गया इसलिए यह सारा काम हुआ। आपके पास इनफार्मेशन क्या है वह आपको देनी चाहिए।

श्री जुझारसिंह : यह मैंने नहीं कहा। यह तो सदस्य महोदय ने जानकारी दी है कि यह ऐसी सोसायटी थी कि जिसके पास जमीन थी।

श्री फूलचन्द जैन : आपका क्या कहना है ?

श्री जुझारसिंह : मेरे पास सूचना है कि इनके पास जमीन नहीं होने की वजह से सोसाइटी काम नहीं कर सकी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मामला ऐसा सीरियस है कि इसकी राज्य सरकार को जानकारी करनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन सख्त होना चाहिए ताकि आगे ऐसी बात न हो।

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं और वह समझ चुके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनको समझ करके जो भी एक्शन लेने की आवश्यकता हो वह लिया जाना चाहिए। किसी भी वे में हो और फर्जी कराई है, फिक्टिशस नाम से करवाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री जुझारसिंह : जांच का आश्वासन दे चुका हूं फिर उसके बाद क्या रहा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर भूमिहीनों की सोसाइटी रजिस्टर होती है और उनको प्रायोरिटी होती है। किसी इलाके में जमीन है तब सोसाइटी रजिस्टर की जाती है और फिर एक इन्डीविजुअल इलाटी के बजाय सोसाइटी को प्रिफरेन्स दिया जाता है। जनरली यही भावना है कि कलेक्टिव कल्टीवेशन हो और उसके लिए सोसाइटी का फार्मेशन होता है और इस सोसाइटी के फार्मेशन के पहले इस डिपार्टमेंट को राजस्व विभाग को नेगोसियेट करके देख लेना पड़ता है कि जमीन उपलब्ध है या नहीं और यह सोसाइटी जो एटरेन्डम फार्म हो गयी और अभी जमीन नहीं है फिर प्रायोरिटी का क्या सवाल है ?

श्री मानकचन्द सोगानी (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी तो प्रार्थना है कि इसको स्थगित कर दिया जाये क्योंकि मसला अहम है।

श्री नारायणसिंह मसूदा (मंत्री, सहकारी विभाग) : इसमें स्थगित करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सोसाइटी को जमीन दी जाये जल्दी से जल्दी ।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के पास जानकारी नहीं है । सच्चाई तो यह है कि जिन सदस्यों ने सोसाइटी बनाई उनके पास जमीन है और उन्होंने जमीन मौके पर ले रखी है और सरकारी रेकार्ड में उसे दर्ज नहीं कराई है और न सोसाइटी के नाम में ट्रान्सफर कराई । निवेदन यह है कि या तो इस सोसाइटी को बोगस डिक्लेयर करके लिक्विडेशन में लाना चाहिए या फिर सोसाइटी को रखा जाये तो जो फायदा लोग उठा रहे हैं वह जमीन सरकारी रेकर्ड में ली जानी चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माधोसिंह जी भैंसवाड़ा इसके मेम्बर हैं क्या ?

श्री नारायण सिंह : इस सोसाइटी के बारे में निवेदन कर चुके हैं कि सारी जांच करा ली जायेगी कि किसके पास जमीन है और किन ऑफिसर्स की गलती रही है और ग्राफिसर्स की गलती रही है तो एक्सप्लेनेशन काल किया जायेगा और पूरी जांच कराई जायेगी ।

श्री भगराज चौधरी : Government has not been able to give proper reply to the question. The society was registered 15 years back and since then land has not been allotted. Why should not the Government be frank enough to say that the societies are bogus and take action against them ?

श्री जुझारसिंह : Unless the Government is convinced that they are bogus, how can it say that they are bogus.

श्री भगराज चौधरी : All reports make it clear that they are societies only on paper; they are not working as such. Why should the Government hesitate to say that they are bogus and take action against them ?

श्री जुझारसिंह : They are not bogus.

रजिस्टर हुई हैं 1970 में और उनका आडिट हुआ है तो किस तरह से फिर बोगस हो गयी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री भगराज चौधरी : और बड़े लेण्डलार्ड्स की सोसाइटी है और सरकार को धोखा देने के लिए सोसाइटी बनी है तो इसको कैंसिल किया जाना चाहिए ।

श्री जुझारसिंह : इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और अगर भूमिहीनों की सोसाइटी है तो इसको जमीन क्यों नहीं मिली ?

श्री हरिदेव जोशी : सवाल यह है कि एज कॉआपरेटिव सोसाइटी इसने कोई

Page No 26

(26)

(श्री हरिदेव जोशी)

बेनिफिट डिराइव किया है क्या और दूसरा यह है कि अगर यह होता है और इस प्रकार के लोगों की है तो जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि एक्शन लिया जायेगा ।

प्रश्न संख्या [illegible]

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री झाबरमल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री श्रीराम गोटेवाला ।

विदेश यात्रा पर जाने वाले माइनिंग इन्जीनियर

635. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री जी. डी. शर्मा, माइनिंग इन्जीनियर, जोधपुर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं ? यदि हां, तो कहां और क्यों ?

(2) क्या श्री शर्मा का चयन विदेश यात्रा के लिए किसी विशेष आधार पर किया गया ? यदि हां, तो वह आधार क्या है ?

(3) माइनिंग इन्जीनियर्स का तबादला सामान्यतया कितने वर्षों में किया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि तीन वर्ष एक स्थान पर रहने के बावजूद भी कुछ माइनिंग इन्जीनियर्स के तबादले नहीं किये गये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझारसिंह):

1. जी हां, वे कैनेडा ट्रेनिंग पर भेजे गये हैं ।

2. श्री शर्मा का चयन उनकी वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर राज्यस्तर पर [illegible] कमेटी द्वारा किया गया ।

3. सामान्यतया तबादला दो वर्ष से पहले नहीं किया जाता ।

4. जी हां, प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नहीं किये गये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रशासनिक दृष्टि क्या है ? कुछ तय कर रखा है क्या या जो पांच-पांच वर्ष रहें उनके लिए प्रशासनिक दृष्टि नहीं है क्या ?

श्री जुझारसिंह : यह ट्रान्सफर्स के मामले हैं, यह तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। हमारे पास न इनकी कोई कम्पलेन्ट आई और न कुछ हुआ। आप इसमें चाहते क्या हैं ?

श्री फूलचन्द जैन : यह पालिटिकल इन्टरफियरेन्स करते हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि मिस्टर शर्मा से कोई और व्यक्ति अधिक योग्य नहीं था क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो सूची बताई है, मैं नाम लेकर पूछ लेता हूं कि दो व्यक्ति एक श्री आर. जी. गुप्ता और दूसरे सुन्दरसिंह यह सीनियर थे तो उनको जूनियर किस आधार पर किया गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रशासनिक आधार पर ।

श्री जुझारसिंह : इसमें सीनियोरिटी का प्रश्न नहीं आता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी व श्री श्रीराम गोटेवाला : तो वरिष्ठता के आधार पर अभी आपने कहा है।

श्री जुझारसिंह : जो सलेक्शन हुआ है वह सलेक्शन कमेटी द्वारा किया गया है। सलेक्शन कमेटी में सी. एस. डवलपमेंट कमिश्नर और फाइनेन्स कमिश्नर की कमेटी बैठने के बाद जिन-जिन आदमियों का नाम भेजा, जिनको वाजिब समझा भेज दिया। यह जरूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट को ही लिया जाये। जिसको उपयुक्त समझा इसमें भेजा गया है उसको।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने कहा था कि सीनियोरिटी के आधार पर इनको सलेक्ट किया गया है इसलिए मेरा प्रश्न था यह।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है। मैं भी जानता हूं कि यह इन्टेलीजेन्ट आफिसर हैं और पहले भी जा चुके हैं लेकिन आप जानकारी डिपार्टमेंट से लेकर तो सही जबाब दें। इधर देख कर कहते हैं वरिष्ठता के आधार पर और दूसरी तरफ देख कर कहते है कि बोर्ड बना और उसने सलेक्ट किया तो आप गलत रिप्लाई हाउस में क्यों देते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : गलत इसमें कोई नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मंत्री बनिये तो बढ़िया जबाब दीजियेगा।

श्री जुझारसिंह : यह जो चयन हुआ है। यह सन् 1970 में हुआ है आज की बात नहीं है। उसके बाद में यहां से रिकमण्ड करके भारत सरकार के पास भेजा और भारत सरकार ने केनेडियन गवर्नमेन्ट के पास भेजा और उसके बाद में उनकी मन्जूरी आज आई है....

कई माननीय सदस्य : आज आई है ?

श्री जुझारसिंह : इस साल में आई है और वह 15 तारीख को जा चुके हैं इसलिए यह सलेक्शन एक हाइ पावर कमेटी के द्वारा हुआ। ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ पक्षपात किया गया हो। इसलिए दो तीन साल पहले औरों के नाम भी कन्सीडर हुए थे शायद केनेडियन गवर्नमेन्ट ने एक्सेप्ट नहीं किये। शायद इनका नाम एक्सेप्ट कर लिया।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : न तो आपने वरिष्ठता का ध्यान रखा है और न ही योग्यता का और आप कहते हैं कि प्रशासनिक आधार पर, तो यह प्रशासनिक आधार क्या है यह बताने का कष्ट करें। योग्य भी बहुत है और वरिष्ठ भी बहुत हैं लेकिन वह दूसरा आधार क्या है वह बताने का कष्ट करें।

श्री निर्मला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती थी ..

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सलेक्शन कमेटी किस-किस आधार पर सलेक्शन करती है ?

श्री अध्यक्ष : योग्यता के आधार पर।

श्री फूलचन्द जैन : इसके मेम्बर कौन-कौन थे यही बता दीजिए ?

श्री जुझारसिंह : मैंने बता दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सब आधारों के ऊपर एक बड़ा आधार सिफारिश का है।

श्री जुझारसिंह : मैं इसका जवाब आपको दे दूं...

श्री अध्यक्ष : सब का जवाब एक साथ ही दे दीजिए।

श्री जुझारसिंह : मैंने जैसा कि आपसे निवेदन किया है इसके लिए एक सलेक्शन कमेटी है जो हाई पावर है, जिसमें चीफ सेक्रेट्री, फाइनेंस कमिश्नर और डवलपमेंट कमिश्नर मेम्बर है। उस सिलेक्शन कमेटी ने आदमी को सलेक्ट किया था। मैं नहीं कह सकता कि उसमें आधार क्या था, लेकिन उन्होंने जिसका नाम रिकमण्ड किया उसको राज्य सरकार ने भेजने के लिए केनेडियन गवर्नमेंट को सिफारिश की। राज्य सरकार के रिकमण्ड करने के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि वह रिकमण्डेड आदमी को ही एक्सेप्ट कर लें। एक दूसरा केस ऐसा ही था जिसमें मिस्टर शर्मा, इंजीनियर का नाम रिकमण्ड किया गया था लेकिन उनको उस रिकमण्डेड आदमी की आवश्यकता नहीं थी इसलिए केनेडियन गवर्नमेंट ने उसको एकसेप्ट नहीं किया और उसके बाद दूसरे साल स्क्रीनिंग कमेटी ने दूसरे आदमी को सिलेक्ट किया। उनको जिस योग्यता के आदमी की आवश्यकता थी उनको ले लिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 6 देखिये

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

वैद्यों की बकाया

602. **श्री भंवरसिंह** (नवलगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि आज तक जिला बोर्ड, झुंझुनूं के समय का वेतन वैद्यों एवं उपवैद्यों को नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों और इनकी संख्या क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त वैद्यों और उपवैद्यों को उनका बकाया वेतन कब तक दे दिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम सेवक समाज नाहरी का नाका जयपुर

603. **श्री रामसिंह** (सादूलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक समाज नाहरी का नाका जयपुर, नाम पंजीकृत संस्था के विरुद्ध माह अप्रेल, 1972 व सितम्बर, 1972 में सहकारिता विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो उक्त संस्था के विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं व इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक समाज संस्था के नाम से सरकारी जमीन पर कुछ थड़ियां लगवा रखी हैं और उनका

(श्री रामसिंह)

किराया सरकार न लेकर यह संस्था लेती है ? यदि हां, तो क्या यह संस्था ऐसा करने को अधिकृत है ?

(3) क्या कभी इस संस्था के हिसाब इत्यादि का विभाग ने ऑडिट किया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

1. इस संस्था के विरुद्ध शिकायतें माह सितम्बर, 72 में प्राप्त हुईं जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। आवश्यक कार्यवाही डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल, पुलिस अजमेर, खण्ड जयपुर को लिखा जा चुका है क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत जांच करने का अधिकार रजिस्ट्रार संस्थाएं, राजस्थान, में निहित नहीं है।

2. क्योंकि संस्था के निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रार सहकारी विभाग को कोई अधिकार नहीं अतः थड़ियों के संबंध में विभाग को कोई जानकारी नहीं है। संस्था के उद्देश्यों के अनुसार संस्था न तो कोई थड़ी लगवा सकती है और नहीं कोई किराया ही वसूल कर सकती है।

3. जी नहीं। क्योंकि इसका अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

मजदूरों का वेतन

604. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में डी. पी.ए.पी. और डी.डी.पी. के अन्तर्गत चल रहे कार्यों पर मजदूर लगे हुए हैं ? यदि हां, तो इन मर्दों-महिलाओं, बच्चों को किस दर से मजदूरी दी जाती है ?

(2) क्या यह मजदूरी की दर "न्यूनतम वेतन दर कानून" के अनुकूल है ?

उत्तर

1. जी हां, इन मर्दों, महिलाओं व बच्चों को निम्न दर से मजदूरी दी जाती है:—

भवन निर्माण पर मर्दों को 3.25 पैसे प्रतिदिन,

अन्य कार्यों पर

मर्द—रु० 2-50 से 3-00 प्रतिदिन,
महिला—रु० 2-00 प्रतिदिन
लड़का व लड़की रु० 1-50 प्रतिदिन

2. वन विभाग की मजदूरी की दरें न्यूनतम वेतन दर कानून के अन्तर्गत निर्धारित दरों से बढ़कर है।

चम्बल की नहरों से सीपेज

605. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल की नहरों से होने वाले सीपेज के कारण कई गांवों की हालत ऐसी हो गई है कि आने जाने के रास्ते प्रायः बन्द से हो गए हैं ?

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

(2) क्या यह सही है कि रास्तों की ऐसी दयनीय दशा के कारण किसानों को माल लाने व ले जाने में बहुत कठिनाई हो रही है ?

(3) विश्व बैंक से मिलने वाली ऋण-राशि से क्या सरकार ऐसे स्थानों पर गांवों के रास्ते ठीक करवाने का विचार रखती है ?

(4) सीपेज की रोकथाम के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है और रास्तों को ठीक करवाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

1. जी नहीं, चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा आवश्यकता से अधिक पानी लेने, खालों को ठीक प्रकार से मेन्टेन न करने व रात के समय पानी न लेकर खालों को काट देने के कारण रास्ते खराब हुए हैं।

2. जी हां।

3. सड़क बनाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ का है। सड़कों के निर्माण हेतु रु० 16 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

4. सीपेज की समस्या को हल करने के लिए 9.94 करोड़ अनुमानित लागत की एक बृहद् योजना बनाई गई थी। सीपेज से प्रभावित क्षेत्र को बचाने के लिए कुछ छोटी योजनाएं भी बनाई गई और उन पर काम किया गया। अब इस काम को पूरा करने के लिये विश्व बैंक प्रोजेक्ट में प्रावधान किया जा रहा है। रास्तों की ठीक करवाने का काम भी विश्व बैंक के चम्बल क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

मकराना माइनर मिनरल

607. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा मकराना माइनर मिनरल पर लगाये गए माइन्स सेफ्टी एक्ट से छोटी छोटी खानों को बन्द करने के आदेश दिये गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त खानें बन्द होने से वहां के हजारों मजदूर बेकार हो जावेंगे ?

उत्तर

1. जी हां। कुछ खानों के लिए।

2. अभी ऐसी स्थिति नहीं है।

सीकर तहसील के ग्रामों को बिजली

608. **श्री गोरधनसिंह** (सीकर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर तहसील के ग्राम बिडोली, मण्डौता, कंवरपुरा मुण्डा का बास उर्फ अर्जुनपुरा, गोठड़ा इत्यादि गांवों के निवासी बिजली की लाइन लेने हेतु मांग कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव सीकर से भूड़ और नोसल को जो बिजली की लाइन गई है के आस-पास ही पड़ते हैं ?

(श्री गोरधन सिंह)

यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त गांवों को बिजली देने हेतु सर्वे कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक इन गांवों का सर्वे कराकर सरकार बिजली की लाइनें देने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां। केवल एक ग्राम बिडोली जो पहले से विद्युतिकृत गांव "अन्तड़ी" के सबसे नजदीक है, का सर्वे कराया गया था परन्तु योजना अलाभप्रद पाई गई। अन्य ग्राम बिडोली से भी अधिक दूर होने के कारण इनका सर्वे नहीं कराया गया। इन ग्रामों के विद्युतिकरण के बारे मे अभी निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची

609. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्व मंडल ने राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस सूची में अंकित वरिष्ठता के आधार पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं ? यदि हां, तो किन किन की कब कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि श्री थानसिंह वर्तमान तहसीलदार, मेड़ता से सीनियर व्यक्ति अभी भी नायब तहसीलदार ही है ? यदि हां, तो वे कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. जी हां, सूची राजपत्र, दिनांक 23-11-72, भाग 2 (क), पृष्ठ संख्या 417-440 पर प्रकाशित हो चुकी है।

2. जी नहीं।

3. जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

गुड़ा गोकुलपुरा बांध योजना

613. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) बूंदी जिले की तहसील हिण्डोली में गुढा गोकुलपुरा बांध योजना के लिये कितनी धनराशि निश्चित की गई है तथा इस पर कार्य कब से शुरू हुआ था तथा इस बांध के कब तक पूर्ण होने की आशा की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध का ठेका 1972 में ठेकेदार श्री नारायण लाल रिजवानी इन्दौर वाले को दिया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त ठेकेदार ने किन किन और कितने मजदूरों की कुल कितनी मजदूरी अब तक नहीं चुकाई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त गरीब मजदूरों को उनकी बकाया दिलाने के लिए सरकार कुछ आवश्यक कदम उठायेगी ?

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

(4) यदि हां, तो कब तक इन श्रमिकों को उनकी बकाया का भुगतान करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

1. गुढ़ा गोकुलपुरा बांध का तखमीना 6,97,400 रुपये का राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस योजना पर सन् 1966-67 में अकाल के मद से कार्य आरम्भ हुआ था और वर्ष 1973-74 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

2. जी हां, मजदूरों से प्राप्त प्रार्थना पत्र के अनुसार करीब 160 मजदूरों के 6944 रुपये मजदूरों को चुकाने शेष है। सूची संलग्न हैं।

3. राज्य सरकार इस विषय में प्रयत्न कर रही है।

4. इन मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पटवारियों के पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति

617. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डोन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) राजस्थान में कितने पद पटवारियों के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है ? इनमें कितने पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि 28 प्रतिशत सुरक्षित कोटा पटवारियों का पूर्ण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इसकी पूर्ति करने का विचार रखती है और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

1. राजस्थान में पटवारियों के कुल 9406 पद स्वीकृत है। इनमें से 627 पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

2. 28% का कोटा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पटवारी के रिक्त पदों पर नव नियुक्ति उपरोक्त सुरक्षित कोटा को ध्यान में रखकर की जाती हैं।

कालेज आफ नर्सिंग

618. श्री मनोहरलाल (कामां): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाईमान-सिंह अस्पताल के अहाते में स्थित कालेज आफ नर्सिंग के प्रथम वर्ष नर्सिंग की छात्राओं को विभिन्न विषयों में लेक्चर्स देने हेतु केवल मेडिकल कालेज जयपुर के लेक्चरार्स को ही आमंत्रित करने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या इसका अक्षरशः पालन हो रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि नर्सिंग की प्रथम वर्ष की छात्राओं को बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर्स देने हेतु जयपुर से बाहर की एक अध्यापिका

Page No 33

(33)

(श्री मनोहरलाल)

(उदयपुर में पदस्थापित) डाक्टर सरला भार्गव को, जो जयपुर में अवकाश उपभोग कर रही है, पारिश्रमिक के आधार पर बुलाया गया है? यदि हां, तो 4 माह पूर्व जयपुर से स्थानान्तरित डाक्टर को क्लासेज देकर निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन करने का औचित्य क्या है ?

(3) क्या सरकार प्रिन्सिपल श्रीमती बैंजामिन की इस अनियमित एवं पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की जांच करायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कालेज के स्टोर्स का प्रति वर्ष सत्यापन नहीं होता और स्टोर्स में गड़बड़ी पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कालेज में बरती जा रही पूर्वोक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

2. जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

3. प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

4. जी नहीं।

कस्बा देही एवं नैनवा में भूमि नाजायज कब्जे

619. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बून्दी की तहसील नैनवा के कस्बा देही एवं नैनवा में कितनी कितनी भूमि वन विभाग एवं चरागाह में निकाली गई उसके रकबा एवं खसरा नं. की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि कस्बा देही एवं नैनवा में इस भूमि पर अनुसूचित जाति के भूमिहीनों का नाजायज कब्जा था ? यदि हां, तो कौन कौन से रकबा एवं खसरा नं. पर किस किस का था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त भूमि पर जिनका नाजायज कब्जा था क्या सरकार द्वारा उन्हीं भूमिहीनों को वह भूमि अलाट कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. जिला बून्दी की तहसील नैनवा के कस्बादेही एवं नैनवा में वन विभाग से निकाली गई भूमि का ब्यौरा परिशिष्ट (1) में अंकित है। चरागाह में कोई भूमि नहीं निकाली गई।

2. जी हां। ब्यौरा परिशिष्ट (1) में अंकित है।

जिस भूमि पर नाजायज कब्जा था ऐसे व्यक्तियों को उनके परिवार के समीप रखे जाने की सुविधा के लिए उनको अन्य खसरा नं. की भूमि आवंटित कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पिड़ावा

620. श्री हाजीजान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पिड़ावा के भवन का कार्य अधूरा पड़ा

(श्री हाजीज़ान मोहम्मद खां)

है ? यदि हां, तो कितना कितना कार्य बाकी है तथा यह कब तक पूरा हो जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में एक डाक्टर परिवार नियोजन व दीगर स्टाफ भी पूरा नहीं है जिससे जनता को असुविधा होती है ? यदि हां, तो अब पूरा स्टाफ कब तक भेज दिया जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां। लकड़ी का कार्य, बिजली फिटिंग तथा सेनेट्री फिटिंग का कार्य होना शेष है। शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

2. जी नहीं। केवल चिकित्सक एवं संगणक की नियुक्ति की कार्यवाही जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिवार नियोजन संस्थान, राजस्थान, जयपुर के छायाकार व कलाकार

624. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या स्वास्थ्य मन्त्री (परिवार नियोजन) यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) परिवार नियोजन संस्थान राजस्थान, जयपुर के 2 छायाकारों व 11 कलाकारों को राज्य परिवार नियोजन अधिकारी ने किस कारण से अतिरेक (सरप्लस) किया जब कि उनके पदों की मन्जूरी सन् 1974 तक की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों में श्री जे. पी. शर्मा छायाकार की परिवार नियोजन संस्थान में नियुक्ति 17-7-1968 थी व श्री चान्द नारायण वर्मा छायाकार की नियुक्ति 26-7-1968 थी ? अगर हाँ, तो श्री वर्मा के बजाय श्री शर्मा को वरिष्ठ होने पर किस कारण अतिरेक कर सामान्य प्रशासन 'ग' में भेज दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि श्री जे. पी. शर्मा वरिष्ठता के आधार पर ही परिवार नियोजन फोटोग्राफी की विशेष ट्रेनिंग भारत सरकार, नई दिल्ली से करके आये थे ?

उत्तर

1. राज्य सरकार द्वारा दो छायाकारों एवं चौदह कलाकारों के पद समाप्त करने के फलस्वरूप इन पदों पर कार्यरत कनिष्ठतम 11 कलाकारों एवं 2 छायाकारों को अतिरेक घोषित किया गया।

2. जी नहीं। श्री चांदनारायण छायाकार के पद पर नियुक्ति तिथि 16-7-69 है जबकि श्री जगदीशप्रसाद छायाकार के पद पर 17-7-69 है अतः श्री जगदीश प्रसाद श्री चांद नारायण से कनिष्ठ है।

3. जी नहीं। प्रशिक्षण हेतु वरिता के आधार पर नही भेजा गया।

वर्क चार्ज श्रमिक

627 श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खनिज विभाग में कितने वर्क चार्ज श्रमिक हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं तथा विभाग में वे कितने समय से कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या खनिज विभाग के वर्क चार्ज श्रमिकों की वेतन श्रृंखला निर्धारित है ?

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार श्रमिकों की वेतन शृंखला में श्रमिकों को वेतन देने का इरादा रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह सही है कि भारतीय माइनिंग विभाग कर्मचारी संघ, उदयपुर के अध्यक्ष का स्थानान्तरण उसके अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह नियमों के प्रतिकूल नहीं है ? यदि नियमों के प्रतिकूल है तो क्या सरकार इसके स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. विभाग में 900 दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जो विभिन्न समयों से कार्य कर रहे हैं। जो श्रमिक खदानों पर कार्य करते हैं उन्हें चिकित्सा सुविधा एवं रहने के लिए तम्बू आदि की सुविधा दी जाती है। जहां पूर्वेक्षण कार्य चलता है वहां पर फर्स्टएड बोक्सेज रखे जाते हैं और रहने के लिए तम्बू आदि की सुविधा दी जाती है।

2. जी नहीं। इस समय वेतन की दैनिक दरें निर्धारित हैं। वेतन शृंखला निर्धारित नहीं है। वेतन शृंखला का प्रश्न विचाराधीन है।

3. जी हां। स्थानान्तरण करना नियमों के प्रतिकूल नहीं है। स्थानान्तरण निरस्त करने का प्रश्न सक्षम अधिकारी के विचाराधीन है।

राजस्थान को-ऑपरेटिव सर्विस के सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति

628. श्री सुखलाल सेंगचा (जैतारण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जून, 1972 में ली गई परीक्षाओं के पश्चात दिनांक 13-12-72 को परिणाम घोषित कर राज्य सरकार को 13 रिक्त स्थान के लिए राजस्थान को-ऑपरेटिव सर्विस के, सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार किन कारणों से इन सेवाओं के लिए नियुक्ति-पत्र जारी नहीं कर रही है ?

उत्तर

जी हां। सूची में कतिपय विसंगतियां दृष्टिगोचर होने पर लोक सेवा आयोग से स्पष्टीकरण मांगा था। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा करवाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। उसके बाद नियुक्ति-पत्र प्रचलित होंगे।

सवाई माधोपुर जिले में कन्ट्रोल के कपड़े का वितरण

630. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में कन्ट्रोल के कपड़े की कितनी गांठों की मन्जूरी प्रति-माह 1971-72 तथा 1972-73 में हुई और उसमें से कितनी कितनी गांठें प्रत्येक तहसील को मिलीं ?

(श्री चेतराम)

(2) उपरोक्त कन्ट्रोल के कपड़े का वितरण किन किन डीलरों द्वारा किस किस क्षेत्र के लिये किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यह कन्ट्रोल का कपड़ा खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बिक रहा है और जिला अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

उत्तर

1. कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण का कार्य माह नवम्बर, 72 से ही प्रारम्भ हुआ है। सवाई माधोपुर जिले को प्रतिमाह कपड़े की गांठों की मंजूरी हुई तथा प्रत्येक तहसील को मिले कपड़े का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सदन की मेज पर रखदी गयी है।

2. कन्ट्रोल कपड़े का वितरण जिन जिन डीलरों द्वारा जिस जिस क्षेत्र के लिए किया जा रहा है सूची परिशिष्ट 'ब' पर सदन की मेज पर रखदी गयी है।

3. जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम पंचायत शिवबाड़ी की भूमि

634. **श्री झाबरमल सुण्डा** (फतेहपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत शिवबाड़ी बीकानेर को कुल कितनी कृषि भूमि किस खसरा नम्बर की किन किन शर्तों पर आबादी भूमि के रूप में दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि तात्कालीन जिलाधीश ने उपरोक्त भूमि नगर सुधार न्यास क्षेत्र में लेने हेतु राज्य सरकार को लिखा था ? अगर हां, तो उपरोक्त भूमि ट्रस्ट को किन कारणों से नहीं दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि को आबादी भूमि में बदलने के बाद गांव के अनुसूचित जाति एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों को नहीं देकर लाखों रुपयों का व्यक्तिगत लाभ उठाया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि 1970-72 में नियुक्त तात्कालीन उप-जिला विकास अधिकारी ने उपरोक्त जमीन सम्बन्धी पत्रावली में इस बात का संकेत किया है कि इस जमीन सम्बन्धी मामले की जांच सी. बी. आइ. से कराई जानी चाहिये क्योंकि इस में लाखों रुपयों के घोटाले में राज्य के बड़े अधिकारी व राजनैतिक नेता सम्बन्धित हैं ?

(5) क्या सरकार उपरोक्त जमीन सम्बन्धी मामले की जांच सी. बी. आइ. से कराना चाहती है ताकि जांच बिना किसी हस्तक्षेप के निष्पक्ष तरीके से हो सके ?

उत्तर

1. ग्राम पंचायत शिवबाड़ी को 677 ॥) 2 बीघा सिवाय चक भूमि खसरा नं० 89 की निम्न शर्तों के अनुसार परिवर्तन करने के आदेश दिये थे :—

1. उस समय का लगान का 20 गुना ग्राम पंचायत द्वारा जमा कराना होगा।

2. ग्राम पंचायत इस भूमि को आबादी के लिए प्लाट काटकर उसकी

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

स्कीम नियमानुसार बनाकर व उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही नियमानुसार फरोख्तगी की कार्यवाही कर सकेगी।

3 इस आवंटित भूमि का उपयोग केवल आबादी विस्तार हेतु ही होगा।

2 जी नहीं।

3 जी नहीं।

4 जी हां, तत्कालीन उप-जिला विकास अधिकारी द्वारा सरपंच शिवबाड़ी के विरुद्ध सी. बी. आइ. के द्वारा जांच कराने का संकेत है।

5 मामला इस विभाग से संबंधित नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला गंगानगर के बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

270. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) जिला गंगानगर में कितने बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ?

(2) राष्ट्रीयकरण के पूर्व इन मार्गों पर कितनी बसें चल रही थी और उनमें जिला गंगानगर के कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे ? आज कितनी बसें चल रही हैं और इनमें जिला गंगानगर के कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अब बसें पहले से कम चल रही हैं और जिला गंगानगर के लोगों को धन्धा न दिया जाकर बाहर के लोगों को धन्धा दिया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि आवागमन के साधन में विघ्न पड़ा हुआ है, बसें समय पर नहीं चलतीं और यात्रियों को पूरी सुविधा नहीं है ?

उत्तर

1 5 बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

2 राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन मार्गों पर 80 बसों के परमिट दिये हुए थे। उन 80 बसों पर गंगानगर जिले के कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे उनकी संख्या देना सम्भव नहीं है। इस समय राजस्थान पथ परिवहन निगम की 57 बसें इन मार्गों पर चल रही हैं। जिन पर गंगानगर जिले के करीब 110 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

3 जी नहीं।

4 जी नहीं।

वेतन का भुगतान

1271. श्री केशरदेव (लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री भागचन्द जैन, कनिष्ठ लिपिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सीकर इससे पूर्व राज्य पथ परिवहन निगम में कार्य करते थे ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 27-11-71

Page No 38

(38)

(श्री केशरदेव)

क्रमांक 2647 से प्रादेशिक प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इनके जयपुर को इनके वेतन की बकाया भुगतान के बारे में लिखा गया है ? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. जी हां, दिनांक 1-8-66 तक कार्यरत थे।

2. जी हां।

श्री जैन दिनांक 1-8-66 तक निगम में कार्यरत थे, दिनांक 2-8-66 से उन्हें निलम्बित कर दिया था, एवं दिनांक 19-9-66 से उन्हें यात्री पथ प्रदर्शक के पद समाप्त करने पर सेवामुक्त कर दिया था। पुनः निगम द्वारा निर्णय लेने पर इनकी सेवायें लगातार मानते हुए कनिष्ठ लेखक के पद पर पदस्थापन कर दिया। श्री जैन रोडवेज विभाग के कर्मचारी थे, इसलिए निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे, राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों से विकल्प मांगे थे। इन्होंने कोई विकल्प नहीं दिया। परिणामतः राज्य सरकार गृह विभाग ने इनको राज्य सेवा में भेजने के आदेश दिये। इसी आधार पर इन्होंने राज्य सेवा में ड्यूटी ज्वाइन करली थी। श्री जैन निलम्बित रहे थे, और जांच पूरी नहीं हुई थी कि reinstate कर Medical Directorate में भेज दिये गये थे, इसलिए इनकी जांच संबंधी फाइल निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को उनके द्वारा ही जांच करने हेतु दिनांक 15-8-71 को भेज दी गई थी। निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इनकी जांच पर शीघ्र निर्णय करने हेतु लिखा जा रहा है। जांच निर्णय प्राप्त होने पर निलम्बित समय के वेतन भुगतान करने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

भरतपुर जिले की बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सड़क

272. श्री नत्थासिंह (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में सन् 1972 में भयंकर बाढ़ आई थी ? यदि हां, तो इस बाढ़ से कौन-कौन से राजकीय मार्गों को क्षति पहुंची ? बाढ़ग्रस्त राजकीय मार्गों को बनाने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार से कितनी रकम स्वीकार हुई है और इस राशि में से कितनी-कितनी राशि किन-किन मार्गों पर खर्च की गई है ? खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की कौन-कौनसी सड़क पर कार्य पूरा हो चुका है और किन किन मार्गों पर कार्य चल रहा है ?

उत्तर

1 जी हां।

सूची (अ) प्रस्तुत है

42.00 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। विवरण खर्च जनवरी 73 तक सूची (अ) में अंकित कर दिया है।

2. उच्चैन पीगोरा सड़क को छोड़कर शेष मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

ग्राम पंचायत दांता, कांकरा के सरपंचों के खिलाफ शिकायतें

273. श्री सुरेश चन्द्र (कोटपूतली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दांता, कांकरा के सरपंचों के खिलाफ जिलाधीश, सीकर को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत दांता द्वारा श्री बालानन्द स्वामी को सरकारी जमीन का पांच रुपये में पट्टा अनाधिकृतरूप से दिया गया ? यदि हां तो उक्त सरपंच को अनाधिकृत पट्टा देने का क्या अधिकार था ? क्या राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1 जी हां। ग्राम पंचायत कांकरा के विरुद्ध शिकायतों की जांच हो रही है और अभी उसमें कार्यवाही चल रही है। ग्राम पंचायत दांता के विरुद्ध जांच करवाई जाकर रिपोर्ट जिलाधीश द्वारा विकास विभाग को भेजी गई थी जहां से श्री पूर्णमल की शिकायत की विस्तृत जांच के लिये अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी को भेजी गई है। जबकि दूसरी शिकायत जो श्री ओमाराम द्वारा हुई थी उसका मामला अन्तिम निर्णय के लिये अब विचाराधीन है और तहसीलदार से कुछ सूचना और मांगी गई है।

2 जी हां, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। किसी सरपंच को अनाधिकृत रूप से पट्टा देने का अधिकार नहीं है। इस विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है कि वाकई यह पट्टा अनाधिकृत रूप से दिया गया है या नहीं। इसकी प्राथमिक जांच जिलाधीश द्वारा कराई गई थी और विस्तृत जांच अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा की गई थी। जिस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रायसिंहनगर से रिड़मलसर मंडी तक सड़क बनाने की योजना

274. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर से रिडमलसर मंडी तक सड़क बनाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क नहीं बनने से इस क्षेत्र की जनता को काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त सड़क बनाने का कार्य शुरू करेगी ?

उत्तर

1. जी, नहीं।

2. जी, हां। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

Page No 40

(40)

मार्गों के राष्ट्रीयकरण की स्कीम

275. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन राज्य में बसों के मार्गों का राष्ट्रीयकरण हेतु किन किन मार्गों की स्कीमें राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करवा चुका है ? और जो विचाराधीन हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त मार्गों पर कॉरपोरेशन की बसें कब तक अलग अलग चालू हो जायेंगी ? उस अनुमानित माह की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) वित्तीय वर्ष 1973-74 में कॉरपोरेशन को किस किस मेक की कितनी बसें प्राप्त होने की आशा है और उन्हें क्रय करने व उन पर बोडियां बनाने इत्यादि के लिए कितनी वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होगी ?

(4) राजस्थान से पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश और देहली जाने वाले अलग अलग अन्तर्राज्यीय बस मार्ग कौन कौन से हैं जिन पर उन राज्यों के साथ बसें चलाने के लिए रेसिप्रोसिटी तय की हुई है ?

(5) उपरोक्त अन्तर्राज्यीय बस मार्गों में से वित्तीय वर्ष 1973-74 में कॉरपोरेशन किन किन मार्गों पर अपनी बसें चलाना चाहता है ?

उत्तर

1 निगम द्वारा राष्ट्रीयकरण करने हेतु जिन मार्गों की योजनाओं का प्रकाशन कर दिया गया है। उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। विचाराधीन योजनाओं को अभी अंतिमरूप दिया जा रहा है।

2 उक्त योजनाओं पर आये हुये निजी बस मालिकों के आपत्ति पत्रों की सुनवाई संयुक्त विधि सलाहकार व उप विधि सलाहकारी द्वारा की जा रही है, जैसे जैसे योजनाएं स्वीकृत होती जायेंगी, निगम उन पर निर्धारित तिथि से बसों का संचालन करता जायगा।

3 वित्तीय वर्ष 73-74 में निगम को लगभग 400 नई बसों की आवश्यकता होगी जो "टाटा तथा लिलेण्ड" मेक की होंगी इतनी बसें क्रय करने तथा उन पर बोडी बनवाने के लिये लगभग 380 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी। जिसकी व्यवस्था की जा रही है। जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार एवं औद्योगिक बैंकों से ऋण के रूप में ली जायेगी।

4 सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

निगम उन सभी अन्तर्राज्यीय बस मार्गों पर बस चलाना चाहेगा जो निगम के डिपोज को छूते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समितियों के अध्यापकों के स्थानान्तरण

276. श्री चिम्मनसिंह भाटी (मीम) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला परिषद् व पंचायत समिति सर्विस सलेक्शन कमीशन के पास अध्यापकों के अन्तर्जिला व अन्तर्पंचायत समितियों के स्थानान्तरण के कुल कितने आवेदन-पत्र पेंडिंग हैं ? अध्यापकों के नाम, आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि, स्थान का नाम जहां आना चाहता है व उस स्थान का नाम जहां जाना चाहता है दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानान्तरणों में क्या कठिनाई है जब कि वहां अध्यापकों की मांग एवं जहां वे जाना चाहते हैं वहां स्थान रिक्त भी है तो फिर उनके आवेदन-पत्र स्वीकार क्यों नहीं किये जाते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के हित को ध्यान में रखकर कमीशन से शीघ्र ऐसे स्थानान्तरण करवाने को कहेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) शिक्षा सत्र के मध्य होने के कारण स्थानान्तरण संभव नहीं है। इसी कारण आवेदन पत्र आयोग के पास विचाराधीन हैं।

(3) जो मामले शिक्षा सत्र का मध्य होने के कारण पेंडिंग हैं, उन पर निर्णय शिक्षा सत्र की समाप्ति पर आयोग द्वारा ले लिया जावेगा।

बूंदी जिले के जंगलों का ठेका व प्लान्टेशन

277. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बून्दी जिले में गत 10 वर्षों से अब तक कितने जंगलों का ठेका देकर कटवाया गया है ?

(2) बून्दी जिले में नये जंगल लगाने के नाम पर कुल कितने प्लान्टेशन कहां कहां पर किये गये और अब तक इन पर कितना व्यय किया जा चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्लान्टेशन से किसी भी प्रकार का रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ ? यदि हुआ है, तो अब तक कौन कौन से प्लान्टेशन से कितना ?

(4) क्या अब भी गडोली सर्किल में प्लान्टेशन बनाने की योजना है ? क्या इस सम्बन्ध में बैरवा जाति व बंजारा जाति के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत रटलाई के विरुद्ध मुकद्दमें

278. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत, रटलाई जिला झालावाड़ के विरुद्ध सन् 1970-71 व

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

1971–72 में किन किन व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से मुकद्मे क्यों चलाये गये ?

(2) इन मुकद्मों पर अभी तक पंचायत का कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(3) क्या इन खर्चों की स्वीकृति नियमानुसार लेली गई थी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत रटलाई के विरुद्ध सन् 70-71 तथा 71-72 में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई मुकद्मा नहीं चलाया गया।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम पंचायत, रटलाई द्वारा आबादी भूमि का बेचान

279. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) रटलाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, बकानी जिला झालावाड़ द्वारा सन् 70,71 एवं 72 में आबादी भूमि किन किन व्यक्तियों को दी गई है ? कृपया सूची मय नाम व भूमि की तादाद व कीमत दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि रेवेन्यू लैण्ड में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई है फिर भी पंचायत द्वारा यह भूमि दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि नियमानुसार न देकर अपनी मर्जी से सरपंच ने बिना मुश्तह्की कराये, बिना नीलाम कराये अपने ही व्यक्तियों को दे दी है ? यदि हां, तो क्या यह उचित है ?

(4) क्या यह सही है कि आबादी भूमि में किसी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को भी मकान बनाने के लिए भू-खण्ड दिया गया है ? यदि हां, तो किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। क्या इनसे इस भूमि की कीमत भी ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। यह भूमि रेवेन्यू से पंचायत को कन्वर्ट की जा चुकी है।

(3) इस सम्बन्ध में जांच के लिये जिलाधीश को लिखा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

(4) जी हां। सर्व श्रीनारायण, चौसा बागरी, तथा नारायण, लच्छीराम भील निवासी रटलाई को जो कि क्रमश: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के हैं उन्हें भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जयपुर के अधिशासी अभियन्ता

280. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जयपुर कार्यालय में कितने ऐसे अधिशासी

(श्री मीठालाल)

अभियन्ता हैं जिनको एक ही पद, कार्यालय व क्षेत्र में कार्य करते तीन साल से अधिक समय हो गया ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कई अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध गलत कार्य करने, भ्रष्टाचार, रिश्वत आदि के गम्भीर आरोप होते हुए भी वे कई वर्षों तक एक ही जगह कार्य करते चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जयपुर कार्यालय में ऐसे 6 अधिशासी अभियन्ता हैं जिनको एक ही पद, कार्यालय व क्षेत्र में कार्य करते तीन साल से अधिक समय हो गया है। सूची 'अ' संलग्न है।

(2) जी नहीं, इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के आरोप विद्युत मण्डल में नहीं आये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

तहसील पदमपुर के मन्दिर की माफी भूमि का अलाटमेंट

281. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चक 6 ई.ई.ए. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर में मन्दिर की माफी भूमि किसको और किस आधार पर अलाट की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जिसको यह भूमि अलाट की गई है उसका नाम अलाटमेंट के वर्ष से दस साल पूर्व तक की अवधि में राजस्थान की किसी निर्वाचन सूची में दर्ज नहीं है ?

(3) यदि हां, तो उसे किस आधार पर राजस्थानी मान कर यह भूमि अलाट की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि यह सारी कार्यवाही गलत ढंग से की गई है और जिस व्यक्ति को उक्त भूमि आवंटित की गई है वह अम्बाला शहर (हरियाणा) का रहने वाला है ?

उत्तर

(1) श्री कन्हैयालाल पुत्र कालूराम ब्राह्मण को मंजूरशुदा माफीदार श्री रामलाल के जायज वारिश होने के कारण आवंटन की गई।

(2) जी हां।

(3) भूमि आवंटन मंजूरशुदा माफीदार के जायज वारिश होने के कारण भूमि अलाट की गई।

(4) जांच की जा रही है।

तहसील पदमपुर में भूमि का अलाटमेंट

282. **श्री गुरदयाल सिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चक 15 ई. ई. ए. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर में मुरब्बा नं० 52 व 64 की भूमि किस किस को स्थाई या अस्थाई कब से किस आधार पर अलाट की गई है ?

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

जिन व्यक्तियों को यह भूमि अलाट की गई है वे किस स्थान के रहने वाले हैं और आजकल कहां रह रहे हैं ? क्या उनका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज है ? यदि हां, तो किस किस गांव में और किस सूची संख्या पर ?

उत्तर

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि का रिजर्वेशन

283. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंह नगर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के भूमिहीन व्यक्तियों के लिये राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि का रिजर्वेशन किया गया है ? यदि हां, तो किन किन गांवों और किस किस चक में ?

उत्तर

जी हां। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला झालावाड़ में पास बुकों का वितरण

284. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में किसानों को किन किन तहसीलों में कितनी कितनी पास बुकें अब तक वितरित कर दी गई है ?

(2) तहसील झालरापाटन में कितनी पास बुकें किसानों को देनी बकाया हैं और अब तक भी क्यों नहीं दी गई तथा अब कब तक दे दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में अब तक 25,720 पास बुकें किसानों को वितरित की जा चुकी है। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) झालरापाटन तहसील में बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू है। कार्यवाही के उपरान्त पास बुकें वितरण कर दी जायेंगी। खातेदारों की संख्या अनुमानतः 26,000 है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

साबी बांध का निर्माण

285. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता(बानसूर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर जिले में साबी बांध को बंधाने के लिये सर्वे कराई गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हो रही है और इस बांध के कब तक निर्माण होने की आशा है ?

(सिंचाई मन्त्री)

उत्तर

जी हां, इस योजना का तखमीना बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था। केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने दिल्ली क्षेत्र को बाढ़ से अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से कुछ विशेष सुझाव दिये जिन कारणों से बांध की लागत लगभग 4 करोड़ हो गई।

अब सम्बन्धित राज्य दिल्ली व हरियाणा इस योजना के सम्बन्ध में कोई उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं। राजस्थान ने भी अब साबी के केचमेन्ट क्षेत्र में 32 छोटी योजनाओं के लिए सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है और लगभग 25 स्थानों पर सर्वे का काम किया जा चुका है।

तहसील बैराठ में सिंचाई के बन्धे

286. श्री हनुमान सहाय (बैराठ): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बैराठ तहसील जयपुर में कितने सिंचाई के बंधे कहां कहां हैं? इनसे कितनी कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होती है और सिंचाई के पश्चात इन बन्धों में कितना फुट पानी भरा रहता है?

(2) क्या यह सही है कि तहसील बैराठ में टुकु बंधा आमलोदा, पणदो का बंधा, कांकिलजी का बंधा, भामोद. छीड़का बंधा, रघुनाथपुरा, बहोड़दा का बन्धा, राड़ावास, सूरपुरा बन्धा का राज्य सरकार सर्वे कराए जाने एवं स्वीकृति किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विगत 7 वर्षों में छीतोली के बन्धे से लिफ्ट इरिगेशन किये जाने की स्वीकृति हेतु कागजात पेंडिंग हैं? यदि हां, तो अब तक स्वीकृति क्यों नहीं दी गई? क्या राज्य सरकार स्वीकृति देने का विचार रखती है तथा इस बन्धे में कितना फुट पानी सदैव रहता है?

उत्तर

(1) बैराठ तहसील में सिंचाई करने वाले 2 बांध बैराठ व छीतोली बांध हैं जिनसे क्रमशः 289 एवं 635 एकड़ सिंचाई होती है। इन बांधों में कोई पानी नहीं बचता है। इसके अतिरिक्त अन्य बांध देवन सिक्कावली, सकतपुरा, जग्गाजी एवं तालुका बास है जिनसे सिंचाई नहीं होती।

(2) टंकू बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। मालावास का कार्य भी अकाल राहत के अन्तर्गत चालू किया गया है। अकाल राहत सलाहकार समिति जयपुर से एक प्रस्ताव इन बांधों की सर्वे हेतु प्राप्त हुआ है। उनको एक माह में सर्वे कर व तकनीकी दृष्टि से सही जांच कर कार्यों को शुरू किया जा सकेगा।

(3) अ–जी नहीं।

ब–प्रश्न ही नहीं उठता।

स–बांध में कोई पानी नहीं बचता.

डाया योजना की स्वीकृति

287. श्री देवीलाल (सराड़ा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर तहसील सराड़ा डाया योजना की

Page No 46

(46)

(श्री देवीलाल)

तकनीकी जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो यह जांच कब शुरू की गई और कब सम्पूर्ण हुई है ?

(2) क्या डाया योजना की स्वीकृति भारत सरकार से कराने के लिये भेजी गई ? यदि नहीं, तो कब तक भेजकर स्वीकृति ले ली जाएगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही योजना को केन्द्र सरकार को भेजना सम्भव होगा।

अन्ता के गांवों की लघु सिचाई योजना

288. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि चम्बल सिचाई योजना के अन्तर्गत जो गांव लिफ्ट कमान्ड में आरहे हैं और उन्हें सिचाई के नक्शों में दिखा रखा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार यहां कार्य कब तक चालू करेगी ?

2. क्या यह भी सही है कि कुछ गांव अन्ता सब तहसील के लघु सिचाई योजना में आ गये हैं ? यदि हां, तो क्या वहां ट्यूब वैल लगेंगे या कुओं के लिए ऋण दिया जावेगा और यह कार्य कब से प्रारंभ होगा ?

(स्थगित किया गया)

तहसील विजयनगर द्वारा जमीन का आवंटन

289. श्री बेगाराम चौहाण (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

तहसील उपनिवेशन राजस्थान नहर परियोजना विजयनगर द्वारा 1969 से 1972 तक कितनी जमीन हरिजन जाति को और कितनी सवर्ण जाति को लाटरी द्वारा आवण्टित की गई और कितनी जमीन बाकी पड़ी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का लौटरी प्रणाली से अस्थाई आवंटन वर्ष 1970-71 से प्रारम्भ हुआ। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

दौसा क्षेत्र में बिजली के सामान की चोरियां

290. श्री मोठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. गत पांच वर्षों से दौसा, बांदीकुई, सिकराय एवं लालसोट आदि ए. ई. एन. दौसा क्षेत्र में बिजली के सामान की कितनी चोरियां प्रति वर्ष हुई ?

2. उक्त चोरियों के सम्बन्ध में क्या अधिकारियों ने पुलिस में रिपोर्ट की थी यदि हां तो क्या परिणाम निकलें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(विद्युत मन्त्री)

उत्तर

1. ए. ई. एन. दौसा के क्षेत्र में बिजली के सामान की तीन चोरियां केवल 1972-73 वर्ष में ही हुई हैं।

2. जी हां। इनमें से एक चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया और अन्य दो मामलों में पुलिस द्वारा छान–बीन की जा रही है।

जयपुर जिले के ट्रान्सफार्मर

291. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. जयपुर जिले के दौसा, बांदीकुई, सिकराय, लालसोट क्षेत्रों में कितने ट्रान्सफारमर ऐसे हैं जो अपनी कार्यक्षमता से अधिक ओवर लोड कार्य पर चल रहे हैं ?

2. ओवर लोड ट्रान्सफार्मर क्यों चालू किये गये ?

3. क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में ऐसे भी ट्रान्सफार्मर स्थित हैं जिन पर पूर्ण लोड भी नहीं है, फिर भी अधिकारियों द्वारा उन ट्रान्सफार्मरों से नये विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

1. जयपुर जिले के दौसा, बांदीकुई, सिकराय, लालसोट क्षेत्रों में 42 ट्रान्सफार्मर ऐसे हैं जो निर्धारित क्षमता से अधिक भार पर कार्य कर रहे हैं।

2. प्रारम्भ में आवश्यकतानुसार क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर ही लगाये जाते हैं। परन्तु कभी कभी उपयुक्त क्षमता के ट्रान्सफार्मर उपलब्ध न होने के कारण उन पर कनेक्टेड लोड अधिक हो जाता है।

3. जी हां। उक्त क्षेत्र में ऐसे ट्रांसफार्मर भी हैं जिन पर उनकी क्षमता के अनुसार अभी पूरा भार (लोड) नहीं आया है। परन्तु यह सही नहीं है कि वहां कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। उक्त उप संभाग के मंजूरशुदा गांवों के जो प्रार्थना–पत्र नये कनेक्शनों के लिए प्राप्त हुए हैं उन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती रही है।

तहसील शाहबाद की वन भूमि का अलाटमेन्ट

292. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

तहसील शाहबाद जिला कोटा में क्या जंगलात विभाग से भूमि रिलीज कर एलाटमेन्ट कृषि हेतु किया गया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि रिलीज की गई है और उसका आवंटन कब और किन किन व्यक्तियों को किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां इस तहसील में कुल 553 एकड़ भूमि रिलीज की गई है इस भूमि के आवंटन का कार्य राजस्व विभाग का है और जिन जिन व्यक्तियों को आवंटन की गई इसकी जानकारी भी राजस्व विभाग ही दे सकेगा।

Page No 48

(48)

बस मार्गों के परमिट

293. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में प्राइवेट बस मालिक को कितने परमिट दे रखे हैं और उनकी कुल कितनी बसें चलती हैं । 1970-71 और 1971-72 की सूची पेश करें ।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कितने परमिट दे रखे है और निगम की कुल कितनी बसें चलती हैं । 1970-71 और 1971-72 की सूची पेश करें ।

(3) प्राईवेट बस मालिकों ने यात्री कर की 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में कितनी राशि जमा कराई तथा इसी समय में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्री कर की कितनी राशि जमा कराई।

उत्तर

1. राजस्थान में प्राइवेट बस मालिकों की निम्न संख्या में परमिट दे रखे हैं:—

1970-71	1971-72
3775	4,072

प्राइवेट बस मालिकों की बसों की कुल संख्या:—

1970-71	1971 72
3,875	4,197

सूची पेश करने में अधिक समय लगेगा।

2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के परमिटों और उसकी कुल बसों की संख्या निम्न है:—

वर्ष	परमिटों की सं.	बसों की सं.
1970-71	265	380
1971-72	309	432

सूची पेश करने में अधिक समय लगेगा ।

3. राजस्थान यात्री कर की राशि जो प्राइवेट बस मालिकों ने और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने जमा (लाखों में) कराई:—

	70-71	71-72	72-73
प्राइवेट बसेज	211.12	250.43	311 88
रोडवेज	118.29	128.87	90.15

परिवार नियोजन केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति

294. श्री लूनाराम (डूंगरगढ) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा परिवार नियोजन केन्द्र सम्बन्धित पंचायत समितियों के प्रस्ताव के अनुसार खोलती है। यदि हां, तो क्या पंचायत समिति सरदारशहर ने ग्राम साहनपालसर में परिवार नियोजन केन्द्र व ग्राम शिमला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये विभाग को कोई प्रस्ताव भेजे हैं। यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त केन्द्र खोलने की स्वीकृति दे दी है।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के प्रस्ताव के विपरीत किसी अन्य ग्राम में उक्त केन्द्र खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। यदि हां, तो किस ग्राम में और केन्द्र खोलने का आधार क्या है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

1. केवल पंचायत समिति के प्रस्ताव पर परिवार नियोजन केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

2. प्रश्न विचाराधीन है।

अस्पतालों में मरीजों पर व्यय की गई धनराशि

295. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में (1) जे. एल. एन. होस्पीटल, अजमेर (2) जनाना होस्पीटल, अजमेर (3) पी. बी. एम. मेन्स होस्पीटल, बीकानेर (4) पी. बी. एम. विमेन्स होस्पीटल, बीकानेर (5) सवाई मानसिंह होस्पीटल, जयपुर (6) जनाना होस्पीटल, जयपुर (7) एम. जी. होस्पीटल, जोधपुर, (8) उम्मेद होस्पीटल, जोधपुर (9) जनरल होस्पीटल, उदयपुर (10) नाना होस्पीटल, उदयपुर चिकित्सालयों में कितने आउटडोर मरीजों ने अपनी चिकित्सा करवाई और वहां पर कितनी धन राशि व्यय की गई। उनकी अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पोषाहार कार्यक्रम में पंचायत समितियों का चयन

296. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम के तहत पंचायत समितियों के चयन का मामला सरकार के विचाराधीन है? अगर हां, तो कब से एवं कुल कितनी पंचायत समितियों का चयन किया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांचोर उपरोक्त कार्यक्रम के चयन के लिए बिलकुल उपयुक्त है? अगर हां, तो इसका चयन कब तक कर लिया जावेगा? अगर नहीं तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1972-73 के लिए दो पंचायत समिति तालेड़ा एवं डग का चयन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है और वर्ष 1973-74 के लिए भी दो पंचायत समितियों का चयन किया जाना है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तीन पंचायत समिति घाटोल, डूंगरपुर एवं सुमेरपुर की सिफारिश केन्द्रीय सरकार को भेजी जा चुकी है।

(2) विस्तृत जांच करवा कर भारत सरकार को सिफारिश की जायेगी। उनके उत्तर आने पर ही निश्चय रूप से कहा जा सकेगा।

ग्राम माउण्डा खुर्द में औद्योगिक कनेक्शन

297. श्री मालाराम (नीम का थाना) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम माउण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना में औद्योगिक कनेक्शन प्रायोरिटी संख्या 1 से 11 तक के कब डिमाण्ड नोटिस निकाले गये और कब सिक्योरिटी जमा कराई गई व कब कनेक्शन दिये गये ?

उत्तर

ग्राम माउण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना में औद्योगिक कनेक्शनों की प्रायोरिटी संख्या 1 से 11 तक के कनेक्शनों को कब डिमाण्ड नोटिस दिये गये और कब सिक्योरिटी जमा कराई गई व कब कनेक्शन दिये गये उसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

कोटपूतली तहसील में औषधालय खोलने की स्वीकृति

298. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जयपुर जिले में 1962 से अब तक किस किस तहसील में कौन से आयुर्वेद औषधालय खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील में कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। 1962 के बाद कोटपूतली तहसील में ग्राम मेसलाना, चिमनपुरा मोरधा, बनार, मकिरी, (मोहनपुरा, जोधपुरा), बागावास, अहिरान में औषधालय खोले गये। चालू वित्तीय वर्ष व आगामी वित्तीय वर्ष 1973-74 में नवीन औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बनास नदी [illegible] सर्वेक्षण

299. श्री नानालाल (राजसमंद) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में रेल मगरा तहसील में बनास नदी की रेत का सर्वेक्षण किया गया है जो कांच बनाने के काम आती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस उद्योग को स्थापित कराने के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो इसका सर्वेक्षण कब तक किया जायगा ?

उत्तर

जी नहीं। क्योंकि नदी की रेत कांच बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है।

बूंदी जिले की खनिज सम्पदा

300. श्री रमेशचन्द्र व्यास (हिण्डोली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि बूंदी जिले की खनिज सम्पदा का भू सर्वेक्षण गत कुछ वर्षों में हुआ है ? यदि हां, तो किन किन स्थानों पर कौन कौनसी सम्पदा कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में उपरोक्त उपलब्धियों पर आधारित कोई उद्योग धन्धा खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब,कहां-कहां और किस किस सम्पदा के लिये ?

उत्तर

(1) जी हां। बूंदी जिले की खनिज सम्पदा का भू-सर्वेक्षण सर्व प्रथम 1940 में कुक सेक के द्वारा किया गया तथा गत कुछ वर्षों में राज्य खान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्थान द्वारा भिन्न स्थानों में सर्वे किया गया। उसकी सूची संलग्न है।

(2) निकट भविष्य में राजस्थान सरकार द्वारा खनिज उपलब्धियों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई विचार नहीं रखती है।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 6-3-73)

झामर-कोटड़ा से ट्रकों द्वारा राकफास्फेट का ट्रान्सपोर्टेशन

5. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे—

झामर-कोटड़ा से निम्नलिखित रजिस्ट्रेशन नम्बर के ट्रकस द्वारा अब तक किस किस माह में कितने कितने टन राक-फास्फेट का ट्रान्सपोर्टेशन किया गया है :—

(1) आर. जे. वाई. 4538

(2) आर. जे. वाई. 372

(3) आर. आर. एल. 2355

(4) आर. आर. एल. 4449

(5) आर. आर. एल. 2898

(6) आर. आर. एल. 1661

(7) आर. आर. एल. 411

कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 19-2-73)

राजस्थान में सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत सड़कों का ठेका

8. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत अब तक राजस्थान में कौन कौन और कितनी कितनी मील सड़कों का निर्माण

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हुआ है ? इनमें से कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है और कितनी सड़कों पर कितनी और कहां पर कार्य चालू है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन सड़कों का निर्माण किन किन ठेकेदारों से करवाया गया।

(3) ऐसे प्रत्येक ठेकों की मूल रकम कितनी कितनी थी और अन्तिम भुगतान कितना कितना हुआ है ?

(4) किन किन ठेकेदारों के कितनी कितनी रकम के बिल भुगतान के लिये विभाग के पास विचाराधीन पड़े हैं और कब कब से ?

(5) उपरोक्त ठेकेदारों में विभाग की कितनी कितनी रकम कब से बकाया पड़ी है और इसका अब तक भुगतान न होने का क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 23-2-73)

देवस्थान विभाग के मकानों में किरायेदार

45. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देवस्थान विभाग द्वारा दिये गये मकानों में कितने सरकारी कर्मचारी कितने कितने किराये पर और कब से रह रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखी जावे।

(2) देवस्थान विभाग, राजस्थान के मकानों में कितने गैर सरकारी व्यक्ति कितने कितने किराये पर और कब कब से रह रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखी जावे।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 23-2-73)

सीमा सड़क परियोजना के तहत 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 71 तक ठेकेदारों को भुगतान

53. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1971 से लेकर 31 मार्च, 1971 तक किस किस ठेकेदार को किस किस कार्य के लिए कितनी कितनी रकम का भुगतान किया गया है ?

(2) इस रकम से ठेके की रकम के अतिरिक्त कितना कितना एक्सट्रा आईटम्स का भुगतान किया गया ?

Page No 53

(53)

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(3) एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान उपयुक्त अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किया गया या नहीं ? यदि हां, तो ऐसी स्वीकृति किस किस भुगतान के सम्बन्ध में कब कब प्राप्त हुई थी ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) वांछित सूचना उक्त सूची (अ) में अंकित करदी गई है।

(3) अन्तिम भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई है।

सूची (ब) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 27-2-73)

डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत सड़कों पर कार्य

73. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत कौन कौन सी सड़कें ली हुई हैं ?

(2) उन सड़कों पर अकाल राहत विभाग से किस साल में किस किस काम के लिए कुल कितना खर्चा हुआ ?

(3) उपरोक्त सड़कों को सम्पूर्ण कराने का कुल कितना तखमीना है ?

(4) अकाल राहत विभाग से उपरोक्त सड़कों पर जो काम हुआ वह ठेकेदार को संभलाया या नहीं ? अगर हां, तो कितनी कीमत का ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में निम्न सड़क स्वीकृत की गई है।

लूणकरणसर से कालू=20 कि० मी०

कोलायत से रणजीतपुरा=81 कि० मी०

(2) वर्ष 1970 के अकाल काल में लूणकरणसर से कालू रोड़ पर 23,183/- व कोलायत रणजीतपुरा रोड़ पर 167, 210/- अर्थ वर्क कंकर, धांधला आदि पर व्यय हुआ है।

(3) बीकानेर लूणकरणसर रोड़ का कार्य समाप्त हो चुका है कोलायत रणजीतपुरा सड़क का 41.58 लाख रुपये का तखमीना है।

(4) अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत हुए कार्य से प्राप्त सामान को सड़क निर्माण में ले लिया है और इसका भुगतान ठेकेदार को नहीं किया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:—

(1) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान में बिजली में पचास प्रतिशत कटौती से उत्पन्न स्थिति

(54)

(श्री अध्यक्ष)

के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी तरह का प्रस्ताव श्री हाण्डा ने दिया है किन्तु वह देर से प्राप्त हुआ।

(2) श्री झावरमल सूंडा, सदस्य विधान सभा ने मेड़ता सिटी, जिला नागौर में सफाई मजदूरों की हड़ताल के दौरान नगर पालिका के चेयरमैन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) दिनांक 8 मार्च, 1973 को नागौर जिले के अकालग्रस्त क्षेत्र में कुआ पर बिजली की सप्लाई नहीं होने की स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामसिंह कुड़ी, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। दिनांक 7 मार्च को सरकार की ओर से राजस्थान में बिजली की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जा चुका है। अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) दिनांक 12 मार्च, 1973 को श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा 27 मार्च से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल और 29 मार्च से परीक्षाओं का बहिष्कार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस प्रश्न को शिक्षा विभाग पर अनुदान की मांगों पर निकट भविष्य में होने वाली बहस के दौरान माननीय सदस्य उठा सकते हैं और मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : एक स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था....

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं लिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था ...

श्री अध्यक्ष : अभी यहां आया ही नहीं है। अभी तक उस पर डिसिजन नहीं लिया गया है, उस पर मैंने कोई रोशनी नहीं डाली है कि लिया गया है या नहीं लिया गया है। नामंजूर किया गया है या मंजूर किया गया है। जब तक वह सारी बात सामने न आवे मेरी समझ में नहीं आता कि आप उस पर क्या कहना चाहते हैं। फिर भी कहना ही चाहें तो दूसरी बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात। मैंने आपसे कह दिया कि उस पर निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, बिजली की कटौती राज्य सरकार ने की है उस सम्बन्ध में आपने सूचना मांगी है। इस सम्बन्ध में मुझे केवल यह कहना है कि मुख्य मंत्रीजी भी जब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

देहली गए थे चीफ मिनिस्टर्स कोंफ्रेंस में, इस सदन में ऐसा जिक्र आया था कि बिजली के सम्बन्ध में वहां पर कुछ निर्णय लिए हैं। इस सदन में यह आश्वासन भी दिया गया था कि मुख्य मंत्रीजी, वहां पर जो निर्णय लेकर आए हैं उस सम्बन्ध में इस सदन को कोंफिडेंस में लेंगे और इस सदन में वक्तव्य देकर बिजली के सम्बन्ध में जो भी मुद्दे तय हुए हैं, उन्हें बतायेंगे। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि मुख्य मंत्रीजी ने अभी तक इस सदन को कोंफिडेंस में नहीं लिया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो इस पर जल्दी से जल्दी वक्तव्य गवर्नमेंट की तरफ से दिलाया जावे। विद्युत मंत्रीजी भी आज यहां पर मौजूद हैं, यदि वे इस स्थिति में हों कि वक्तव्य जल्दी दे सकें तो अभी संकेत दे सकते हैं और इसमें जो दिल्ली में निर्णय हुए हैं उसके बारे में भी कहा जाना चाहिए।

दूसरी बात मुझे यह भी कहनी है कि अब जब कि हमारे यहां अणु विद्युत गृह चालू हुआ और इसमें यह आशा दिलाई गई थी कि अब राजस्थान पूरी तरह से इस स्थिति में है कि कोई कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि हम और कई प्रान्तों की बनिस्बत ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। मुझे यह जानकारी देनी है कि अचानक गवर्नमेंट ने बिना पहले कोई इण्डीकेशन दिए एकदम से 50 पर्सेंट कटौती कर दी है जिससे स्थिति बहुत गम्भीर बन गई है। मेरा निवेदन है कि इसका वक्तव्य आप कल या परसों दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य सरकार द्वारा अनाज के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अच्छा यह होगा कि चूंकि अनाज के व्यापार को सरकार····

श्री अध्यक्ष : The member should draw the attention of the Minister concerned.

श्री मीठालाल (लालसोट) : ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर सर। जैसा गफ्फार अली जी बोल रहे हैं कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सेक्रेट्रियेट से जिससे मालूम हो कि इन इन माननीय सदस्यों को यह बोलना है। यह ध्यान आकर्षण की कोई प्रक्रिया हो···

श्री अध्यक्ष : एक लाइन इसमें दी गई है बीजिनेस रूल्स में and we expect the Hon. Members that they have read this.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा अनाज के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : करिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए आप कहे बिना नहीं रहेंगे।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इनका निवेदन बड़ा बेकरार है वह निकले बिना नहीं रहेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यह अनाज के राष्ट्रीयकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार कितना गेहूं लेगी, कितना स्टाक बनायेगी, कितना बिक्री के लिए निकालेगी…

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : आप भी फरमावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हम लोगों की तरफ से रखा गया है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी रखा है। इस बारे में पहले माननीय मन्त्रीजी का वक्तव्य आजाय यहां पर वे क्या करना चाहते हैं और फिर हम बोल लें।

श्री अध्यक्ष : मैं भी यही कहता हूं। लेकिन माननीय सदस्य का आग्रह, पुनः आग्रह और पुनः आग्रह रहता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस सारी बात पर विचार के लिए यदि दो घण्टे का डिस्कशन रख लिया जाय तो बढ़िया रहेगा।

श्री अध्यक्ष : जो सामने चीज आई है उस पर विचार करना नहीं चाहते और दूसरा कोई कमेंट है नहीं। कोई सजेशन, कोई मोशन आया नहीं है जिस पर विचार कर निर्णय लिया जा सके। अभी तो जो सामने है उस पर विचार हो जाना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यह पॉलिसी मैटर है जिस पर दो घण्टे की चर्चा…

श्री अध्यक्ष : पॉलिसी मैटर को उठाने के लिए भी नियमों के अन्दर व्यवस्था दी गई है। आप नियमों के अन्तर्गत कोई बात सामने लावें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु कोई चीज तो सामने आवे।

माननीय मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न जनसाधारण के नित्यप्रति उपयोग में आने वाली अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और यहां अधिकांश जन समुदाय कृषि कार्य में ही लगा हुआ है किन्तु कृषि उपज के मूल्यों में अनिश्चितता और अस्थिरता है जिससे देश की समूची अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। फसल के समय खाद्यान्नों के भाव बहुत कम हो जाते हैं और कृषक वर्ग को अपनी उपज, बहुत नीचे भावों में बेचनी पड़ती है, किन्तु जैसे ही उनकी उपज बिक चुकती है एवं व्यापारियों के बड़े बड़े गोदामों में संग्रहित हो जाता है तब खाद्यान्न को रोक कर

(श्री परसराम मदेरणा)

कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर कीमतों को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार व्यापारी वर्ग वर्षों से अनुचित लाभ उठा रहा है और इन बढ़ते भावों का प्रभाव जीवनोपयोगी वस्तुओं पर भी पड़ता है, जिनके भाव भी खाद्यान्नों के भावों से प्रभावित होकर बढ़ने लग जाते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण मजदूर व कार्मिक वर्ग अधिक मजदूरी व वेतन की मांग करता है, जिनकी पूर्ति करने पर अधिक धनराशि बाजार में आने से रुपये का मूल्य कम हो जाता है और भाव बढ़ जाता है।

इस प्रकार कृषि उपज के कृत्रिम अभाव के कारण महंगाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जिससे अर्थ व्यवस्था पर ठेस पहुंचती है। खाद्यान्नों की कमी अनावृष्टि एवं अन्य कारणों से हो जाने पर भी व्यापारी वर्ग उसका अनुचित लाभ उठाने से नहीं चूकते और देश में खाद्यान्न होते हुए भी देश को खाद्यान्न के आयात हेतु विदेशों का मुंह देखना पड़ता है। इस प्रकार कृषि उपज के मूल्यों में अस्थिरता व अनिश्चितता व्यापारियों द्वारा उत्पन्न की जाती है और उस संकटपूर्ण स्थिति से उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को ही हानि होती है और निहित स्वार्थ उनका शोषण करता रहता है। इस असामाजिक प्रवृत्ति को रोकने हेतु भारतीय कांग्रेस दल द्वारा अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था, किन्तु इसकी क्रियान्विति न होने के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 9 व 10 अक्टूबर, 1972 को इस निर्णय को दोहराते हुए इसकी क्रियान्विति के लिये जोर दिया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव की व्यापक उपयोगिता एवं महत्व की दृष्टि में रखकर अनाज के थोक व्यापार के सम्बन्ध में राज्य सरकार के मन्त्रिमण्डल ने दिनांक 9–11–72 को, निर्णय लेते हुए इस योजना के विभिन्न पहलुओं के विचारार्थ एक कमेटी गठित की थी, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दिनांक 9-2-73 को विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर राज्य सरकार के मन्त्रिमण्डल ने गेहूं का थोक व्यापार रबी की फसल से एवं चावल का थोक व्यापार खरीफ की फसल के साथ निगम एवं राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम के माध्यम से क्रय करने का भी निर्णय लिया।

खाद्यान्न के थोक व्यापार को सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने के चार मुख्य उद्देश्य हैं :—

1. विक्रय अतिरेक (मार्केटेड सरप्लस) पर सरकार का प्रभावशाली नियन्त्रण रखते हुए सट्टे की प्रवृत्तियों को समाप्त कर, कीमतों के अनावश्यक उतार चढ़ाव को रोकते हुए उचित दरों पर खाद्यान्न की उपलब्धि कराना।

2. किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतें दिला कर, उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करना एवं उनकी पैदावार को सार्वजनिक अभिकरणों से विक्रय कराना।

3. उपभोक्ताओं विशेषतः कमजोर एवं दलित वर्गों को उचित कीमतों पर खाद्यान्न की निश्चित उपलब्धि करवाना।

4. थोक व्यापार में मितव्ययता लाने हेतु अनावश्यक बिचौलियों को थोक व्यापार से समाप्त कर गेहूं के क्रय व विक्रय में सुव्यवस्था कायम करना।

(श्री परसराम मदेरणा)

थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्यान्न छोड़कर, शेष बिक्री योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न को उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उपलब्ध कराना है। दिनांक 22-2-73 को मुख्य मंत्रियों की बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् इस योजना को निम्नांकित मुख्य विशेषताएं निर्धारित की गई हैं :

1. गेहूं के निजी थोक व्यापार पर रोक लगाना।

2. राज्य के जिन क्षेत्रों में गेहूं अधिक उत्पन्न होता है उनका पृथक घेरा बनाना एवं जिन क्षेत्रों में बहुत कम पैदावार होती है तथा अधिकांश रूप में गेहूं उपयोग में लाया जाता है उन क्षेत्रों की अलग से परिधि स्थापित करना है।

3. राज्य के अन्दर गेहूं एवं गेहूं से उत्पादित वस्तुओं का आवागमन भारतीय खाद्य निगम एवं सार्वजनिक अधिकरणों के माध्यम से ही किया जाना।

4. वर्तमान में जो खेरूंज विक्रेता कार्य कर रहे हैं उन्हें नये लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार कार्य करने दिया जाना।

5. समस्त देश में क्रय एवं विक्रय की एक सी किस्म के गेहूं की समान दरें स्थापित करना।

6. व्यापारी गांवई छोटे व्यापारी तथा उपभोक्ता को निर्धारित नियमों के परिधि में उत्पादक से सीधी क्रय करने की छूट देना एवं उपभोक्ता एवं ग्राम के छोटे व्यापारी को छोड़कर अधिघोषित क्षेत्र के बाहर गेहूं की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना।

7. एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का आवागमन केवल भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ही किया जाना।

8. राज्य में भारतीय खाद्य निगम एवं राजस्थान राज्य भन्डार व्यवस्था निगम के माध्यम से सभी प्रकार का गेहूं भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किया जाना, परन्तु पूरा खाद्यान्न केन्द्रीय पूल में एकत्रित किया जाकर राज्य की आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य की मांग की पूर्ति करना।

9. रोलर फ्लोर मिलों से केवल स्थगित पिसाई (कस्टम मिलिंग) कराई जाना।

10. शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केटिंग तथा सर्विस सहकारी समितियों को अधिकांश रूप में यथासम्भव खेरूंज विक्रय के लिये उपयोग में लेना।

11. राज्य के कृषि विभाग के माध्यम से बीजों का वितरण किया जाना।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की क्रियान्विति करने की दृष्टि से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दी राजस्थान व्हीट रेगुलेशन आफ ट्रेड ऑर्डर 1973 जारी करना आवश्यक हो गया है, जिसका प्रारूप तैयार कर भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है। राजस्थान के वर्तमान खेरूंज एवं थोक विक्रेताओं को अनाज का धन्धा करने हेतु प्रतिवर्ष एक अप्रेल से अनुज्ञा-पत्र का अधिकृत अनुज्ञापन अधिकारी से नवीनीकरण कराना होता है।

(श्री परसराम मदेरणा)

इस अनुज्ञा-पत्र में गेहूं का व्यापार भी सम्मिलित है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार दिनांक 1-4-73 से गेहूं का (लाइसेन्स) अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण राजस्थान फूड ग्रेन लाइसेंसिंग आर्डर, 1964 के अन्तर्गत नहीं किया जायगा। राज्य सरकार ने दिनांक 15-3-73 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर गेहूं के व्यापार में कार्यरत सभी व्यापारियों को सूचित कर दिया है कि गेहूं के नये व्यापार आदेश के अन्तर्गत कोई थोक व्यापारी नहीं रहेगा व सिर्फ वही व्यक्ति गेहूं का व्यापार कर सकेगा जिसके पास नये आदेशों के अन्तर्गत लाइसेन्स होगा। अतः जिन व्यापारियों के पास गेहूं का स्टाक है, उपरोक्त आदेशों के प्रभावशील होने के पूर्व 31-3-73 तक अपने गेहूं के स्टाक को निस्तारित (डिस्पोजल) कर दें। यदि कोई व्यापारी मार्च के अन्त तक अपने गेहूं के स्टाक का निस्तारण नहीं कर सकेगा तो बचा हुआ गेहूं राज्य सरकार निर्धारित दरों पर क्रय कर लेगी।

जयपुर के जौहरी बाजार क्षेत्र से तथा अलवर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ राजनैतिक दलों की व्यापारियों से सांठ गांठ होने, व्यापारियों के झूठे प्रचार से राज्य सरकार के प्रभावित होने तथा राज्य सरकार द्वारा अनाज की मनमानी कीमतें बढ़ जाने पर कोई कदम न उठाने की बाबत आशंका प्रकट की है। इस सम्बन्ध में, मैं इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि राज्य सरकार इस प्रकार के अनर्गल प्रचारों से लेशमात्र भी प्रभावित नहीं हुई है एवं थोक व्यापार के हाथ में लेने हेतु कृतसंकल्प है। इस हेतु विभिन्न सार्वजनिक अभिकरणों (पब्लिक एजेन्सीज) को गेहूं के क्रय के लिये प्रशासनिक तन्त्र, वित्तीय प्रबंध, भन्डार व्यवस्था व अन्य पूरक सहायक वस्तुओं के प्रबन्ध किये जाने हेतु परामर्श व आदेश दे दिये हैं। इन अभिकरणों ने, इसका उचित प्रबन्ध किये जाने के बाबत भी राज्य सरकार को आश्वस्त कर दिया है। इतनी विशाल, महत्वपूर्ण, परम्परागत चली आने वाली नीति के क्रियान्वयन के समय इस प्रकार की अड़चनें निहित स्वार्थ के लोगों द्वारा पैदा किये जाने वाली सम्भावनाओं का राज्य सरकार प्रतिरोध कारगर तरीके से कर रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने खाद, बिजली, डीजल आदि की लागत का वर्तमान महंगाई को देखते हुए गेहूं के निर्धारित भावों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। इस क्रम में यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इस बिन्दु को आधार मान कर केन्द्रीय कृषि आयोग द्वारा गेहूं के सभी किस्मों की 76) प्रति क्विन्टल और लाल गेहूं की 74) रुपया प्रति क्विन्टल की क्रय दर निर्धारित की है। अभी पिछले माह दिल्ली में हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में यह सिफारिश की गई है कि फार्मी, दड़ा व कणक किस्म के गेहूं की क्रय कीमत मैक्सीकन व अन्य साधारण प्रकार के गेहुंओं से ऊंची रखी जावे। यह बिन्दु केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है एवं इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाना है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि गेहूं के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय समाज में संरचनात्मक परिवर्तन लायेगा। जिसके फलस्वरूप उत्पादक व उपभोक्ता के बीच

(श्री परसराम मदेरणा)

रहने वाले अनावश्यक बिचौलियों की समाप्ति की जाकर उत्पादकों को उनके उत्पादन की लाभकारी कीमत प्राप्त करा एवं उपभोक्ता को हर समय उचित मूल्य पर गेहूं की उपलब्धि से आश्वस्त करना है। अनाज जैसी परमावश्यक नित्य उपयोग वस्तु के व्यापार से निहित स्वार्थ के वर्गों की समाप्ति की जाकर राज्य सरकार गेहूं के थोक व्यापार पर पूर्ण नियन्त्रण रखेगी, जिससे खाद्यान्न की कीमतों पर नियन्त्रण रखा जाना सम्भव हो सकेगा एवं खाद्यान्न की कीमतों के बढ़ जाने से अन्य आवश्यक वस्तुओं पर होने वाली बढ़ोतरी को भी रोका जा सकेगा तथा समाज के कमजोर तबकों को खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

राजस्थान सरकार ने, यह महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए, देश के और राज्य के करोड़ों उत्पादकों और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने हेतु हाथ में लिया है। राज्य सरकार इस सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में अड़चन पैदा करने वाले निहित स्वार्थी तत्वों को आगाह करने, सामयिक चेतावनी देना भी आवश्यक समझती है। अगर निहित स्वार्थी तत्वों ने गेहूं के वर्तमान राष्ट्रीयकरण में किसी प्रकार की बाधा, अड़चन या अवांछनीय कार्यवाही इसे असफल बनाने हेतु की तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करना ही राज्य सरकार के सामने विकल्प रह जायेगा।

थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कोई साधारण उपाय, कदम नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण, संरचनात्मक कदम है जो कि निहित स्वार्थों को प्रभावित करेगा। अत: मैं समस्त सदन के माननीय सदस्यों को चाहें वे किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित हों, अपील करूंगा कि इस लक्ष्य की सफलता प्राप्त करने में राज्य सरकार को अपना समर्थन एवं सहयोग प्रदान करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए थोड़ा लिबरल होकर......

श्री अध्यक्ष: और फार्म में आप इसको उठा सकते हैं। I have no objection.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके लिए थोड़ा समय दें।

श्री अध्यक्ष : बोलिए आप।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो राज्य सरकार द्वारा गेहूं और चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है उसका मैं अपने दल की ओर से स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश में खाद्यान्न के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो और उसके जरिए जो उत्पादक हैं उनको उनके उत्पादन की वाजिब कीमत मिल सके और उपभोक्ता है उसको भी वाजिब कीमत पर खाद्यान्न मिल सके, उपलब्ध हो सके। यह एक लक्ष्य जो इस योजना से प्राप्त करने का है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं एक महत्वपूर्ण कदम है और यदि यह भी कहा जाए कि हिन्दुस्तान में आजादी आने के बाद जो स्ट्रक्चरल चेंजेज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की दिशा में जो कदम उठाए जाने चाहिए- यह कदम उस दिशा में एक परम्परागत तरीका जो खाद्यान्न खरीदने का और बिक्री करने का कुछ पूंजी के मालिकों के हाथ में रहने की वजह से और इस प्रकार जीवन की आवश्यक वस्तु संग्रह कर, उनकी मर्जी और रहम पर इसकी कीमत निर्भर थी, उसमें बुनियादी तब्दीली करने की यह एक दिशा है और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय इस काम को सफल बनाना, मैं समझता हूं, वे तमाम लोग जो कि आज देश की अर्थ व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन चाहते हैं, शोषण को समाप्त करना चाहते हैं, वे तमाम इसका स्वागत करेंगे। आज देहातों में, शहरों में, सब जगहों पर यह विषय चर्चा का विषय बना हुआ है और आम तौर पर जिन लोगों को इस साल फसल के वक्त 25/- रुपये मन तक अपना गेहूं बेचना पड़ा और खरीदने के वक्त 60/- रुपये मन या 150/-रुपए क्विंटल तक इसको खरीदना पड़ा है, यह एक बहुत ही कटु अनुभव है उसमें इस कदम ने एक अच्छा धरातल भी तैयार किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जनता में, क्या मजदूर में, आम छोटे किसानों में, आम मध्यम वर्गीय लोगों में, आम थोड़ी तनख्वाह पाने वाले लोगों में, इन तमाम लोगों ने इस कदम को स्वागत की दृष्टि से देखा है परन्तु इसको अमल करने में, सरकारी मशीनरी इसको सक्षमता के साथ लागू कर सकेगी या नहीं कर सकेगी इस बारे में जगह जगह सन्देह व्यक्त किया जा रहा है। इस कदम के खिलाफ वह तबका जिसके कि निहित स्वार्थ हैं, वे बड़े व्यापारी हैं बड़े जमीन्दार हैं जिनके पास बहुत अधिक अनाज होता है और जो अपने घरों में इकट्ठा कर लेते हैं उनके अलावा ग्राम जनता में इस कदम का स्वागत किया जा रहा है लेकिन सन्देह इस बात पर व्यक्त किया जाता है कि आया कि यह जो अच्छा लक्ष्य है, उसको यह सरकार क्रियान्वित कर के और जो इसके लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकेगी या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया हैं, उस वक्तव्य से यह संदेह उत्पन्न होता है और उन सन्देहों का कोई निराकरण नहीं होता है। एक बात तो जनता यह चाहती है कि जब सवाल खरीदने का आएगा तो इसके लिए किसान को वाजिब कीमत मिले। यह किसान भी चाहेगा मैं समझता हूं कि यह जो कीमत आपने निर्धारित की है, उस पर आपको दुबारा विचार करना चाहिए। अभी जो किसानों को जिस तरीके से इनवेस्टमेन्ट करना पड़ा है, जो महंगाई है, आया उसके प्रपोर्शन में कीमत दी जाएगी, यह विचारणीय है। दूसरी बात अभी सरकार की ओर से मंत्री महोदय ने यहां पर क्रय की कीमत की घोषणा की है। जब तक कि सरकार साथ के साथ विक्रय को घोषणा नहीं करे और इन दिनों के बीच में बहुत सामान्य सा अंतर अधिक से अधिक 2 रुपया मन या 5 रुपया क्विन्टल इतना ही फर्क इसके अन्दर रहे। यह नीचे तक रिटेल तक करना है ताकि उपभोक्ता को मिल सके जो खाद्यान्न आप खरीदते हैं उसके विक्रय करने के अन्दर किसी भी हालत में इससे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये। इस बात की घोषणा इसके साथ ही साथ होनी चाहिए, साइमलटेनियसली होनी चाहिए वरना जनता में यह भ्रम फैलता है और जिसके पीछे वास्तविकता भी है कि सरकार खरीदती तो बहुत कम कीमत पर है और बेचती है ऊंची कीमत पर। इसलिए जो व्यवस्था हम करने जा रहें हैं और जिससे शोषण का अन्त करने जा रहे हैं, उसमें इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है। खरीदने का जो भी भाव निर्धारित किया गया है वह 74/– रुपया क्विन्टल बताया गया है और वह किस भाव से बेचा जाएगा उसकी घोषणा नहीं की गई है। यदि वह खाद्यान्न ऊंची कीमत पर बेचा जाएगा तो वह इस परपज को डिफीट करने वाला होगा। इसलिए एक तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक भावों का सवाल है क्रय के साथ विक्रय के भाव, दर भी अभी से निर्धारित की जानी चाहिए। अभी दो रोज पहले भारत सरकार के किसी प्रवक्ता का वक्तव्य समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला था, वह यह था कि खरीदने की कीमत 76/– रुपया क्विन्टल है और आल इंडिया पर बेचने की कीमत 78/ रुपया क्विन्टल है। इसमें यह क्लेरीफिकेशन नहीं है कि यह क्रय या विक्रय की कीमत है। परन्तु ऐसा लगता है कि यह रिटेल की दर है। उसमें उन्होंने यह कहा था कि जहां तक रिटेलर्स हैं उनकी कीमत हम 85 से लेकर 95/–तक तय कर रहे हैं। यह संभवत: शिन्दे साहब का वक्तव्य था, वे इस बीच में निर्धारित करेंगे। परन्तु मैं समझता हूं कि इसका कोई उल्लेख माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य में नहीं है। जो बिक्री की कीमत है वह भी उतनी ही इम्पारटेन्ट है जितनी की क्रय की कीमत। किसान इस कीमत पर बेचता है तो उसे इस बात का सन्तोष रहता है कि जब वह खरीदने को आएगा उसे अनाज इतने ही फर्क में मिल जाएगा। तो इस बात को निश्चित रूप से तय किया जाना चाहिए। इसको तय करने से, निश्चित करने से जो असन्तुष्ट वर्ग है, जो पार्टी इस स्कीम को डिफीट करना चाहती है उसको बल नहीं मिलेगा।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी खरीदने की क्या एजेन्सीज रहेंगी, किस लेवल पर खरीद करेगी, पेमेन्ट का क्या तरीका होगा। आपका उसके अन्दर क्लासीफिकेशन का क्या तरीका होगा? केटेगोराइजेशन कैसे होगा इसके अन्दर, ब्यूरोक्रेटिक जो तरीके हैं, करप्शन है उसको किस प्रकार से हम घटा पायेंगे, क्योंकि इन 25 वर्षों में इस प्रकार का भी बड़ा कटु अनुभव है, माननीय मंत्रीजी के वक्तव्य में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इन सारे कार्यों में जनता का पूरी तरह से सहयोग लिया जायगा, वितरण में भी और खरीदने में भी और मैं समझता हूं कि अगर जनता का सहयोग नहीं लिया जायगा जनता के सपोर्टर्स आफ दी स्कीम की कमेटी बनाकर खरीदने के लिए भी और बिक्री करने के लिए भी, और केवल इस सारी स्कीम में खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी केवल ब्यूरोक्रेसी पर डिपेण्ड किया जायगा तो यह तैयारी इस स्कीम को कामयाब करने की नहीं बल्कि उस स्कीम को नाकामयाब करने की होगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक अप्रैल से सरकार इसको टेक ओवर करना चाहती है, लेकिन अभी तक कोई आफिशियल लेवल तक, कलेक्टर्स तक किसी को यह नहीं पता है कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

व्यवस्था क्या होगी, किस तरह से खरीदा जायगा, किस तरह से बिक्री होगी, कौन किस को डिस्पेच करेगा ? यह बहुत आवश्यक था, आवश्यक ही नहीं, अध्यक्ष महोदय इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए आपको जैसे भण्डारों की आवश्यकता होगी, आपको एजेन्टों की आवश्यकता होगी, आपको खरीदने वालों की आवश्यकता होगी। आज इस बात की गवर्नमेंट तैयारी करती। गांव के लोगों को इकट्ठा करके पूछती कि आपके गांवों के अन्दर कहां पर कौन सी हवेली या नोहरा है जहां स्टाक रखा जा सकता है। आइडियल चीज तो यह होगी कि जिस गांव को जितनी मात्रा की आवश्यकता है उस गांव में उतना स्टॉक रखने की व्यवस्था की जाय।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

गांवों की कमेटी बनाकर उन्हें कहें कि जितना अनाज सरप्लस होगा वह डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पर ट्रान्सपोर्ट किया जाय बाकी उसी गांव के अन्दर रखें, और इस चीज की व्यवस्था में गांव वालों का सहयोग लें। कम से कम पंचायत लेवल पर आप सेन्टर्स बनाकर, खरीद करने के भी और बिक्री करने के भी, गांव की जनता का सहयोग उसके नीचे लेकर स्टॉक रखें तो इस बात के कामयाब होने की सम्भावना थी, लेकिन जैसा कि अभी नजर आ रहा है माननीय मंत्रीजी के वक्तव्य के अन्दर कि केवल आप सरकारी आफिसर्स या सरकारी एजेन्सी के ऊपर ही निर्भर करना चाहते हैं, तो मुझे खेद है कि जो आशंका लोगों में है और जिस तरह का अनुभव सरकारी मशीनरी का है, वह उसमें काफी सत्यता है, और वह उस चीज को कामयाब बनाने के बजाय नाकामयाब बनायेंगे। आपकी इस स्कीम के बारे में आपकी आफिशियल मशीनरी को, अधिकतर को आस्था नहीं है। लोग कहते हैं कि यह जबरदस्ती थोपी जा रही है। आपके बड़े बड़े जिम्मेदार आफिसर्स जो इसी डिपार्टमेंट में हैं जिनके जिम्मे इसको एक्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी है, वे इसको ऐसा बुरा मानते हैं, जो उनके गले नहीं उतर रही है, उनकी उसमें आस्था नहीं है, सिन्सियेरिटी नहीं है। मै कहूंगा कि इस प्रकार के लोग इसको कभी एक्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे और उलटा फैल कराने की कोशिश करेंगे। इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए, पब्लिक को कान्फीडेन्स में लिया जाना चाहिए। अभी से लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को, यह बताया जा रहा है कि तुम बेरोजगार हो जाओगे। बड़े थोक व्यापारियों द्वारा खुदरा वालों को कहा जा रहा है, मुनीम गुमाश्तों को कहा जा रहा है, मजदूरों से कहा जा रहा है वह बेरोजगार हो जायेंगे। गवर्नमेंट को बहुत से आदमी चाहिये, बहुत से एजेन्ट चाहियेंगे, किस तरह उन लोगों को रिक्रूटमेंट करेंगे, और वह लोग जो इससे प्रभावित होंगे उनका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। यह स्कीम जनता के सामने आनी चाहिए, ताकि वह लोग बजाय होस्टाइल होने के सिन्सियर या सपोर्टर इस स्कीम के बन सकते हैं और इसमें सक्रिय सहयोग देने को तैयार हो जाते। शहरों और कस्बों में इस प्रकार के लोग तो यह चाहते हैं कि यह स्कीम कामयाब हो, आज इसके बारे में जानकारी करना चाहते है कि आप कैसा सहयोग लेना चाहते हैं यह आपको बताने की आवश्यकता है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, पेमेंन्ट का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां अकाल सहायता में मजदूरों को मजदूरी डेढ़, दो महीने तक नहीं मिलती है जबकि हम यह मानते हैं कि हम लोगों को खाने का रिलीफ देने के लिए यह काम खोल रहे हैं। ऐसी सरकारी मशीनरी के कारण लोगों को मारे मारे फिरना पड़े अपने पेमेन्ट के लिए तो मैं यह बताना चाहता हूं कि कामयाब बनाने के बजाय यह दिशा फैल्योर की दिशा होगी। इसमें नुकशान जरूर हो सकता है लेकिन इस बात की गारन्टी करना आवश्यक है कि पेमेन्ट उसी दिन होगा, उसकी गाड़ी वापिस नहीं की जायगी। वह माल जिस दिन लायेगा उसी दिन सरकारी तौर पर खरीद होगी, और उसका पेमेन्ट हो जायगा। इस बात की व्यवस्था पूरी करना चाहिये, जिस स्तर पर इन्तजाम करना पड़े, स्टाफ ज्यादा बढ़ाना पड़े तो करें, लेकिन किसान को शिकायत नहीं हो कि उसकी गाड़ी वापिस कर दी गई, उसके माल का पेमेन्ट नहीं हुआ। यह इस स्कीम की बेकबोन है, रीढ़ की हड्डी है जो शुरूआत में होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक वितरण व्यवस्था का सवाल है माननीन मंत्रीजी इस स्टेटमेंट में इसके बारे में बिलकुल चुप हैं। माननीय मंत्रीजी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि हम चाहते हैं कि कमजोर वर्ग को उचित कीमत पर खाद्यान्न मिल जाय, तो क्या आप सारी जनता के लिए वितरण की व्यवस्था करना नहीं चाहते हैं ? क्या आपकी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट्री स्कीम है क्या ? तो फिर उसका स्वरूप क्या है ? कमजोर लोगों को और सस्ते दरों पर मिले इस बात का मैं स्वागत करता हूं और स्वागत करूंगा लेकिन उसको किस रूप में आप करना चाहते हैं, बल्कि आपका यह गारन्टी देना चाहिए कि कम से कम जो मिडिल क्लासेज हैं उन मिडिल क्लासेज को तो पूरा राशन में कन्ट्रोल रेट पर, चाहे वे गांवों में हों या शहरों में हों उनको मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आज आपने केवल फेयर प्राइस शाप का सिस्टम रखा है जिसके अन्दर दो किलो देते हैं, नीड क्या है इस बात का ध्यान नहीं किया है, मगर जितना उपलब्ध हुआ उतना दे दिया, तो यह स्कीम सकसीड नहीं होगी, बल्कि वह लोग तो आपके फर्म सपोर्टर्स होने चाहिए स्कीम के वे ही लोग असन्तुष्ट होकर इसको फेल कर देंगे . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आपको गांवों से लगाकर शहरों तक इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि एक छोटी कमेटी वह जितने घरों को हैंडिल कर सके, एक कमेटी मान लीजिये हजार राशन कार्डस को हैंडिल कर सकती है, उस कमेटी को पूरा माल देंगे और उनके पास सारा स्टाक पहुंच जाय इसकी पूरी व्यवस्था की जाय। इसमें केवल अनाज से ही काम नहीं चलेगा बल्कि इन लोगों को और भी एसेन्शियल चीजें जो कन्ट्रोल रेट पर देते हैं उन चीजों को भी उनके साथ पूरा पूरा जोड़ना पड़ेगा तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों का सम्मिश्रण करके जनता में वातावरण पैदा करके, कान्फीडेन्स पैदा करके, जो लोग इस टेक ओवर के पक्ष में है उन सबका सहयोग लेकर आप इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर से सफल हो सकते हैं। अगर इसको नहीं करेंगे और केवल सरकारी तन्त्र पर आपने निर्भर किया तो मैं यह कहूंगा कि आप इस स्कीम को फार्मल तौर पर और एक्सपेरीमेन्टल तौर पर रखना चाहते हैं। आपके खुद के दिल में यह मान्यता नहीं है कि यह कामयाब हो सकती है, आप भी इसको एक्सपेरीमेन्टल तौर पर रख कर इसको फेलयोर डिक्लयर करवाना चाहते हैं। यह जो बातें मैंने निवेदन की हैं They are sine qua non to the success of the scheme of public participation-responsible to the people. और यह चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई नहीं होगीं तो केवल ब्युरोक्रेसी के आधार पर मैं यह समझता हूं कि आप थोक व्यापारियों के हाथों में खेलेंगे, और उन लोगों के, उन तत्वों के हाथों में खेलेंगे जो आज आपको बुरी तरह से गालियां दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस दौरान में मुझे देहातों का दौरा करने का मौका मिला है। आज गांवों के लोग परेशान हैं। यह क्वेश्चन डिबेट का, बहस का और प्रचार का बना हुआ है। बड़े व्यापारी तबके की ओर से लगातार इस प्रकार का प्रचार हो रहा है. जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी और सिन्डीकेट कांग्रेस, यह तीनों दल लगातार, जो कि इस स्कीम के खिलाफ हैं, इस स्कीम के खिलाफ होना यह उनका राजनैतिक अधिकार है, परन्तु बेबुनियादी बातें कह कर, जिनके पीछे कोई आधार नहीं है, उस प्रकार की बातें कह कर इस स्कीम के प्रति डर पैदा करें, किसानों में डर पैदा करें छोटे व्यापारियों में डर पैदा करें। इसको लगातार कोशिश की जा रही है। इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। मजदूरों के जरिये से प्रचार किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रचार को रोका जाना चाहिए। अभी तक मुझको खेद के साथ कहना पड़ता है, न तो सरकारी तौर पर और न संस्थाओं के तौर पर कहीं भी कोई कदम सरकार ने उठाया हो, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं सी. पी. आई. की ओर से सैंकड़ों मिटिंग में, हर जिले में, जहां जहां हमारी पार्टी का प्रभुत्व है, इसके बारे में हम अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस सत्तादल, सोशलिस्ट पार्टी, और मार्क्सवादी सी. पी. आई. जो पार्टीज हैं। ऐसे बड़े प्रश्न पर जो आम जनता के सामने लाया गया, उसको कामयाब बनाने की कोशिश करेंगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यह तभी हो सकता है, जब कि सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाये जायेंगे। मुझे उम्मीद है कि उन पार्टीज को भी कान्फीडेंस में लिया जायेगा, जो इस स्कीम के पक्ष में है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय . . . .

श्री अध्यक्ष : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को 2 बजकर 11 मिनट पर लिया था। एक घण्टे से अधिक हो गया है। मैं यह मानता हूं कि प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन हाऊस को यह भी विचार करना है। जैसा कि आप को मालूम है, डिमान्ड आने वाली है! मैं चाहूंगा कि 4 बजकर 10 मिनट पर इसको समाप्त कर दें। उसके बाद दूसरा विषय ले लें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 5,5 मिनट का समय दे दें।

श्री मीठालाल : 15 मिनट और दें। रामानन्दजी को ही 15 मिनिट और दे दें।

श्री अध्यक्ष : उनको तो दे चुके हैं।

श्री केदारनाथ : अभी तो इस पर डिबेट हो रही है ! उसके बाद तो समय नहीं होगा। हाउस एडजोर्न हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : क्या डिमान्ड पेश करने का इरादा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : देर तक बैठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : साढ़े चार बजे तक बहुत होता है।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, एक एक (दलों की ओर संकेत), एक, एक होगा।

इसमें इम्पार्टेन्ट बात यह है कि पार्टीज का दृष्टिकोण आ जाये। चाहे वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो। जिस किसी एक को मौका देते हैं, तो हरएक पार्टी का दृष्टिकोण आ जाये, वह काफी होगा।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बिल की जिक्र करते हुए जो पार्टियों के नाम लिये हैं, उसके लिए हमें बोलने के लिए मजबूर किया है। कुछ पार्टियों के नाम लिये हैं। जैसे कि सत्ताधारी पार्टी से गुरुदक्षिणा ले रहे हों। दूसरी पार्टियों पर इस तरह से आरोप लगाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आप सुनते ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उनके आरोपों के उत्तर देंगे तो आप कुछ कह नहीं पायेंगे। अभी आप जो कहना चाहते हैं, वह कह दें। आरोपों का उत्तर फिर कभी दे दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरी तरफ से मीठालालजी उत्तर दे देंगे।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने खाद्यान्न व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि निर्णय करने के बाद इसको कितनी जल्दी लागू किया जाये, इस बारे में सरकार जल्दी करने के साथ साथ कुछ और नहीं सोच पा रही है। ऐसा लगता है, जैसे कि वह राजहठ कर रही है। इस बारे में योजना आयोग ने भी यह कहा कि जब तक इस पर गहराई से विचार न कर लिया जाये तब तक इसको लागू नहीं किया जाये। लेकिन राज्य सरकार अचानक ही जल्दी से जल्दी लागू करना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह विवेकपूर्ण दृष्टि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण का एक वातावरण चला आ रहा है। अब वह और ज्यादा चल रहा है। हालांकि गल्ले के व्यापार में आप वितरण व्यवस्था कर रहे हैं। व्यापार भी चला रहे हैं। उसमें झांक कर देखते हैं तो यह पता चलता है कि कितनी आपको सफलता मिली है। आपके खाद्य निगम के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। आपके कर्मचारी वितरण व्यवस्था कर रहे हैं। जो गल्ला खरीदते हैं। उसमें आप को क्या प्राप्त हुआ है ? क्या उपलब्धि हुई है ?

(श्री मीठालाल)

वहीं सब चीजें हैं। वही की वहीं व्यवस्था हैं। भ्रष्ट अफसर शाही है। ढुलाई वगैरह के बारे में देख लीजिये। वितरण व्यवस्था के बारे में देख लीजिये। मैं समझता हूं कि सारी की सारी वहीं चीजें हैं। आखिर यह राष्ट्रीयकरण की नीति को लेकर सरकार कहां जा रही है। जो अधिक से अधिक देना चाहते हैं, उसे राजनैतिक दृष्टि से अधिक देखा जा रहा हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार यह भी कर रही है कि किसानों को 74-75 तक छूट रहेगी। थोक व्यापार को आप खत्म कर रहे हैं। खुदरा व्यापार चला रहे हैं। आपने यह भी कहा है कि 95 रु० तक बेचने में छूट रहेगी। 74-75 रु० क्विन्टल में खरीदने की सुविधा है। खुदरा कैसे बेच सकता है। जब कि फसल के टाइम पर 64-65 में बाजार में हैं। आपने 74-75 में कर दिया। अगर फसल के टाइम में उपभोक्ता गल्ला खरीदेगा, तो उसको 50 रु० में मिलेगा। फसल का टाइम निकल जायेगा तो 95 में खुदरा व्यापारी से क्यों खरीदेगा? अगर नुकशान होगा तो ऐसा क्यों करेगा? सरकार निगम कायम करेगी तो वह 95 रु० में बेच लेगा। यह किस प्रकार से होगा?

अध्यक्ष महोदय, यह भी निश्चित नहीं कर सके हैं कि इस योजना को कैसे लागू करेंगे? खाद्य निगम की मारफत सेकर रहे हैं या किस प्रकार से? अप्रेल से आप काम को हाथ में ले रहें हैं। यह दिन तो आपने अच्छा चुना है। अच्छा दिन है। अभी तक आपने किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई है। आपकी इस योजना से मुनीम, गुमाश्ते, पल्लेदार बेकार होंगे। उनके बारे में सरकार क्या सोचती है। इस बारे में सरकार को पहले ही घोषणा करनी चाहिए थी। जब वे बेकार हो जायेंगे तो सरकार उनको किस प्रकार के काम देगी? क्या सरकारी एजेन्सी में लेगी? उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी? आपके पास तो रखने के लिए जगह भी नहीं है। खरीदेंगे तो केन्द्र से रुपया आयेगा। नुकशान के लिए 20 करोड़ का सालाना घाटा जायेगा। इसके लिए भण्डार बनाने के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। 20 करोड़ का घाटा पड़ेगा या नहीं लेकिन आपके कर्मचारी और अधिकारी यह अवश्य करेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, राशन वाली दूकानों पर वितरण करने की व्यवस्था आप को मिल रही है। गेहूं आप कैसा दे रहे हैं, यह छिपा नहीं है। जो गेहूं पैदा करने वाले हैं, उनको आप नहीं दे पा रहे हैं। और जो गेहूं की दूकानें है. राशन की दूकानें हैं उनका पूरा हिसाब लगा कर देखें, अध्यक्ष महोदय, वह जो चीनी और गेहूं बेचती हैं उनसे उनको आमदनी होती है डेढ़ सौ रुपये महीने और उनका खर्च सारा का सारा छः सौ रुपये महीने का है। दुकान का किराया, मुनीम की तनख्वाह के अलावा वह आफिसरों के यहां चीनी पहुंचाते हैं, गेहूं भी पहुंचाते है इस प्रकार उनका खर्चा माह का छः सौ रुपये पड़ता है। अब यदि डेढ़ सौ रुपये मिले और छः सौ रुपये खर्च हो जाय तो वह लोग बेईमानी नहीं करेंगे तो फायदा कैसे होगा? इसलिए जो एजेंसी के द्वारा आप वितरण कराते हैं इनको तब ही फायदा हो सकता है जब की वह बेईमानी करें।

(श्री मीठालाल)

अध्यक्ष महोदय, इस समय जो पैसा आप राष्ट्रीयकरण या इस हठधर्मी पर लगा रहे हैं, वह पैसा आप बैंकों से लेंगे। उस पैसे को कृषि आयोग के मार्फत कृषि विकास पर खर्च करते तो मैं समझता हूं कि जो पैसे से आप यह व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे कम पैसे से, कम खर्च से ज्यादा से ज्यादा गल्ला आपको उपलब्ध हो जाता। अध्यक्ष महोदय, मेरा मोटा फार्मूला यह है, जयपुर शहर में एक महीने में आपको पांच हजार बोरी चाहिए, लेकिन पांच हजार बोरी अनाज पैदा नहीं किया, केवल दो हजार बोरी अनाज पैदा किया तो चाहे आप कर्मचारियों को विठा दें, चाहे उपभोक्ता भण्डार के मार्फत बेचें, या व्यापारियों के मार्फत बेचें या आप खुद ताकड़ी लेकर बैठ जायें, वह गेहूं तो कम रहेगा और जब तक आप ज्यादा गेहूं नहीं लायेंगे तब तक लोगों को गेहूं नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में चावल की रेट बांधी है, चावल की रेट इस तरह से बांधी है कि चावल डेढ़ सौ से तीन सौ तक हैं। आपने जो विज्ञप्ति निकाली है, उसके अनुसार सवाई माधोपुर में 175 रुपये, अलवर में 138 रुपये, जयपुर में 175.50 रुपये, चित्तौगढ़ में 200 रुपये, सीकर में 116 रुपये, जोधपुर में 185 रुपये और अजमेर में 140 रुपये हैं।

सीकर में चावल का उत्पादन नहीं है, न वहां पर मिल है और न वहां पर चावल का उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़ में चावल पैदा होता है, फिर भी वहां पर 210 रु०। राजस्थान में ट्रान्सपोर्टेशन के कारण से चावल के भाव में इतना डिफरेन्स आये कि 84 रुपये क्विंटल और 94 रुपये क्विंटल का डिफरेन्स रहे, तो आगे जाकर आप क्या करेंगे ?

हरियाणा में चावल का व्यापार किया सत्तर रुपये क्विंटल के हिसाब से लिया और आन्ध्र, मैसूर और केरल में वह गल्ला 133 रुपये और 133.75 रुपये क्विंटल के भाव से बिकवाया। अध्यक्ष महोदय, इन चीजों को देखते हुए इस पर आप सोंचे। सबसे बड़ा और मूल प्रश्न इसमें है उसकी आपने पूरी तरह से जांच नहीं की है। वैसे हमारी तरफ से इसमें पूरा सहयोग है, हम बराबर सहयोग करते रहेंगे, लेकिन हम पूरी तरह से सहयोग करते रहें तब भी आप इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इतना जरूर करिये, सोच समझ कर पूरी व्यवस्था करिये अन्यथा यह योजना बेकार और असफल सिद्ध होने वाली है। इसलिए अच्छे ढंग से सोचें और आगे के प्रोग्राम को करने की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी व्यवस्था है......

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मीठालाल : चाहे कोई छोटे काम में सफल नहीं हो रहा हो, जैसे कोई कोई स्कूल की परीक्षा में फेल हो जाय फिर भी एम. ए. की परीक्षा देने पर उतारू हो रहा हो। जब तक वह हाई स्कूल की परीक्षा में पास न हो तब तक ...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : इसे आप एम. ए. की परीक्षा मानते हैं, इसका मतलब है बड़ा कदम तो मानते हैं।

श्री मीठालाल : पहले हाइ स्कूल में फेल हो चुके हैं ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इस काम को आप एम. ए. की परीक्षा जैसा कह रहे हैं ।

श्री मीठालाल : यह काम वैसा ही है जैसे कोई हाइ स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया हो और एम. ए. की परीक्षा में बैठ रहा हो । पहले आप चीनी और गेहूं तो राशन की दुकानों पर अच्छी तरह से बांट दें । आज आप जो गल्ला दे रहे हैं, उसमें कंकर दे रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं और उसमें करोड़ों रुपये का घाटा होता है···

श्री अध्यक्ष : और लोगों को भी समय देना है । आप कृपया समाप्त करें ।

श्री मीठालाल : इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में कानून बनाया है नये लाइसेन्स देने के लिए । आप इसको एक तारीख से चालू कर रहे हैं, एक तारीख से राष्ट्रीयकरण कर लाइसेन्स का नवीनीकरण करेंगे तो पहले आपको कानून की घोषणा कर देनी चाहिए । लेकिन अभी कानून नहीं बना है ।

इसके अलावा जिलाबन्दी का मामला है, सात जिलों में गुजरात की सीमा पर होने की वजह से बन्दी की है, इस वजह से कि गल्ले की गुजरात में तस्करी न हो । आपने जो जिलाबन्दी की है, इससे मैं सहमत हूं लेकिन जिला सवाई माधोपुर में चावल का उत्पादन हो और वहां से जयपुर चावल लाते हैं तो उसमें भी आप परमिट का सिस्टम कर देते हैं । मैं निवेदन करता हूं, इसमें परमिट का सिस्टम करने की आवश्यकता नहीं है । आप परमिट का सिस्टम शुरू करना चाहते हैं तो एस. डी. एम. स्तर पर, तहसील स्तर पर करिये क्योंकि इस सिस्टम के अनुसार जिला कार्यालयों में जाकर परमिट लोगों को लेनी होगी । अगर किसी को अचानक माल भेजने की जरूरत पड़ जाय या लाने की जरूरत पड़ जाय तो जिला कार्यालय में जाकर परमिट लायेगा तो उसके लिए काफी महंगा यह पड़ेगा । इसके अलावा लोगों को दस दस, पन्द्रह पन्द्रह बोरी लाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको परमिट लेनी चाहिए लेकिन अगर सवाई माधोपुर से पांच बोरी जयपुर लानी हैं उसके लिए भी परमिट सिस्टम रखते हैं तो लोगों को दिक्कत होगी इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको ऐसी पालीसी निर्धारित करनी चाहिए जिसमें आप एक लिमिट रख दें कि इतने तक परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे ऊपर लाना है गल्ला तो जिलाधीश कार्यालय या तहसील स्तर पर परमिट दे दिया जायगा ।

मेरा निवेदन है कि आप 1 तारीख से राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : हम भी बोलेंगे ।

श्री मीठालाल : आप इसके लिए जो कानून लायें, वह सोच समझ कर लायें, एक दूसरे के साथ में भेदभाव वाली नीति या किसी राजनीति लोलुपता की भावना के साथ नहीं लायें । आप गम्भीरतापूर्वक सोच कर कानून लायें । इस ढंग से लायेंगे तो हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं, राजनैतिक पार्टीज सहयोग देने के लिए तैयार हैं ।

(श्री मीठालाल)

आपने जो बड़ा कदम उठाया है उसको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से करेंगे तो हम इसमें सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्षजी, इस नीति के साथ राज्य सरकार और राजस्थान की कांग्रेस को, जो सोशल क्लाइमेट, एक वातावरण पैदा करना चाहिए था, वह नहीं कर पाई है, वह इसमें फेल रही है। सरकार इसमें एडवान्स एक्शन लेने के अन्दर फेल रही है और जिस कांग्रेस पार्टी का हवाला माननीय मंत्रीजी ने अपने स्टेटमेंट में दिया है, वह देना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया है इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की नीति के मुताबिक कांग्रेस ने सारे एम.एल.एज. के मार्फत और पी.सी.सी. के मार्फत प्रेस के प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके इसके लिए वातावरण नहीं बनाया है। इसका मतलब यह है कि इतनी बड़ी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार के पास सोशली और पालिटिकली तैयारी नहीं है। फिर भी जो कदम थर्ड फाइव इयर प्लान में शुरू हो जाना चाहिए था, उसको आज करते हैं तो भी मैं स्वागत करता हूं।

दो तीन मेरे दिमाग में शंकाएं हैं मान्यवर, मैं चाहूंगा, आपने अपनी तरफ से केन्द्र को जो स्कीम बनाकर दी है, वह इस सदन के सामने स्टेटमेंट

(3.57 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

के रूप में आ जाती कि क्या करना है, उसका क्या इन्तजाम है और शुरू में क्या प्रकाशन लेना चाहते हैं, क्या स्टेप लेना चाहते हैं तो हम अपनी अच्छी राय और सजेशन दे सकते थे।

मान्यवर, प्रोक्योरमेंट प्राइस की बात कही गई, जैसा रामानन्दजी ने कहा, इसके साथ में इश्यू प्राइस होनी चाहिए थी। अब भी तय नहीं कर पाये हैं तो अगले दस दिनों के अन्दर यह तय हो जानी चाहिए कि इश्यू प्राइस और रिटेल प्राइस क्या होनी चाहिए। जो फेअर प्राइस शोप के मार्फत अनाज बांटेंगे, कंज्यूमर को जिस प्राइस पर मिलेगा उसमें और रिटेल प्राइस में, जो रिटेल दुकानदार है उसकी प्राइस में क्या फर्क होगा और कितना फर्क होगा? एक मैं यह भी चाहता हूं, राज्य सरकार यह फैसला करे, प्राइसेज में इतना डिफरेन्स रहे, प्रोक्योरमेंट प्राइस और इश्यू प्राइस में इतना डिफरेन्स रहे, जिससे जो अनाज पैदा करता है, उसको सही कीमत मिले। आज किसानों के आर्गेनाइजेशन आब्जेक्शन इसी बात पर कर रहे हैं। इसलिए जो एग्रीकल्चर की प्राइस है, उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली हो ताकि प्रोड्यूसर के अन्दर इन्सेन्टिव पैदा होगा और उसके पास कम से कम इतनी सेविंग हो जाय ताकि आयन्दा वह इन्वेस्टमेंट कर सके। प्रोड्यूसर में इसके बिना आप सेल्फ इफिसियेन्सी क्रियेट नहीं कर पायेंगे। आज सही प्राइस प्रोड्यूसर को मिलती है, हो सकता है कि सही प्राइस प्रोड्यूसर को नहीं मिले, इन्सेन्टिव नहीं मिले, तो हो सकता है कि वह अपने क्रॉप पेटर्न को बदल दे। जो आपका मकसद है फूड ग्रेन के होल सेल व्यापार को हाथ में लेकर वितरण करें जिससे किसानों में सेल्फ सफिसियेन्सी आये-यह स्टेप बहुत बड़ा है, प्रोड्यूसर को सही कीमत मिले और कन्ज्यूमर को

(श्री केदारनाथ)

सही कीमत पर सही चीज मिले और इस मकसद से आप सब्सीडाइज करें। जो डिफरेन्स है उसको केन्द्र के मार्फत पर राज्य सरकार करने को तैयार है।

तीसरी बात यह आई है कि एजेन्सी के रूप में वेअर हाउसिंग कोर्पोरेशन, नेशनल फूड कोर्पोरेशन और क्रय विक्रय संघ रहेंगे। क्रय विक्रय संघ को एजेंसी के रूप में कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो कन्ज्यूमर कोआॅपरेटिव स्टोर देहातों में हैं, जो तहसील वाइज मारकेटिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है, उनको कैसे आप फाइनेन्स कर पायेंगे और कैसे उनमें बदल कर पायेंगे। मौजूदा मैनेजमेंट चाहे करप्ट हो, मैं असल में यह बात मानता हूं कि देहातों में जो मार्केटिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटी हैं और शहरों में कन्ज्यूमर कोआॅपरेटिव स्टोर हैं, उनको एजेंसी मान कर आप इस्तेमाल करें। इसके लिए जो स्टेप लेने होंगे, कोआॅपरेटिव सोसाइटी और मार्केटिंग सोसाइटी किस तरह ठीक तरह काम करें। ट्रेडर के मुकाबले उसका कोई नेट वर्क या स्कीम आपके पास तैयार नहीं है। देहातों और शहरों में जो कोआॅपरेटिव हैं, मैं मानता हूं क्योंकि यह बड़ी चीज है, बाद में मैनेजमेंट बदल जायगा, मैनेजमेंट का तरीका भी बदल जायगा। फिलहाल आप क्रय विक्रय संघ को एजेंसी के रूप में मान कर इस्तेमाल करें यह मैं विचार करके चलता हूं। अब 15-20 दिनों में मंडियों में गेहूं आएगा तो जैसे माननीय रामानन्द जी ने कहा किसान के दिमाग में यह भी नहीं है कि मेरा अनाज कौन खरीदेगा। आपने कहा रिटेलर खरीद सकता है। जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए आपने कोई नीति नहीं बनाई हैं। आप उनको लेकर देंगे, लाइसेन्स उनको कैसे देंगे, उनका आपरेशन कैसा होगा, क्या रोल प्ले करेंगे ? ये पोलिसी मैटर्स हैं। अगर इनको आप तय कर पायेंगे तो वातावरण ठीक बनेगा। मैं चाहता हूं कि एराइवल्स से पहले जितनी एडवान्स एक्शन में कमियां हैं, वे कम्पलीट हो जानी चाहिएं। कितना पैसा आप गंगानगर से लेंगे, कितना प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं, कितना स्टाक आपके हाथ में होगा, कितनी फेयर प्राइस शोप्स खोलने जा रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

कितने रिटेलर्स को अनाज कन्ज्यूमर्स के लिए देंगे। ये बातें होंगी, तो जो पीपुल्स परटीसिपेशन पर होगा, प्रेस पर, प्लेटफार्म पर, एडवान्स एक्शन होगा उसका लीगल तरीके से हम स्वागत करेंगे।

श्री मोहनलाल छगाणी (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और अभी जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस ने प्रचार नहीं किया, मैं कहता हूं कि गांधीनगर से विधाननगर, यहां तक कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को लागू करने के फैसले से लेकर लगातार प्रोपेगेन्डा हो रहा है। मुख्य खतरा जो मुझे इस सारे थोक व्यापार में लग रहा है वह है इन्टरप्रेटेशन जैसे मार्केटिंग और मार्केटबल सरप्लस। यह जो थोक व्यापार का आधार है, राज्य सरकार मार्केटबल सरप्लस को आधार नहीं बनाना चाहती। मंडियों में जो माल आता है, उसके आधार पर व्यापार किया जाएगा, खरीद होगी। सवाल यह है कि मार्केटबल

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

सरप्लस के हमारे पास आंकड़े नहीं है लेकिन पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छा प्रोक्यूरमेंट हुआ। जैसे उनका अनाज था 80-85 में मार्केटबल सरप्लस प्रोक्योर कर लिया था, उनका आधार था प्रोक्योरमेंट प्राइस, वह मार्केट प्राइस से अधिक थी। इसलिए खरीदा हुआ माल खाद्य निगम के पास पहुंचा। तो मूल उद्देश्य यह रहा है कि राज्य सरकार मार्केटबल सरप्लस के आधार पर सारे के सारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का निर्माण करके, इस व्यापार को हाथ में ले, यह बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो उसके परिणाम खतरनाक निकलेंगे और वही परिणाम होगा जैसे शुगर का हुआ है। यह बात मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में चली थी क्योंकि जिस के पास मार्केटेबल सरप्लस है उस आदमी को हमने छूट दे रखी है बेचने की कि वह डाइरेक्टली उपभोक्ता को बेच सकते है। तो स्थिति यह होगी कि आज जिन काश्तकारों के पास मार्केटेबल सरप्लस है वह सीधा व्यापारी बन जाएगा। दूसरी बात छोटे व्यापारी उनमें लगातार सांठगांठ करेंगे और स्थिति इस तरह से बनेगी कि खाद्य निगम एक प्राइस देगी, वेयरहाउसिंग निगम दूसरी प्राइस देगी और व्यापारी तीसरी प्राइस देगा।

दूसरा मुद्दा यह है कि आज जो खाद्य निगम के मारफत व्यापार करवा रहे हैं उसके लिए मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि खाद्य निगम के बारे में आपने मुख्यमंत्री सम्मेलन में कौनसी बात उठाई। आज खाद्य निगम का प्रोक्योरमेंट से लेकर वितरण तक कास्ट 26) रु० है। पहले प्रोक्योरमेंट से गोदामों तक जाता था तब 11) रु० था। अभी जो इकानामिक सर्वे हुआ उसमें मार्जिनल इन्क्रीज फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने बताया, वह 13:-60 से 15) रुपये तक वहां पहुंचने की कॉस्ट थी लेकिन टोटल कास्ट खाद्य निगम को पड़ता है 26) रु०। आप प्रोक्योरमेंट 26) जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से 102) क्विंटल में गेहूं पड़ेगा। आप लगातार सस्ते दामों में 85-86) रुपये में सप्लाई करते रहेंगे। यह जो बड़ा हाथी है खाद्य निगम और जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर इतना है, वह इन प्राइसिज को कैसे नीचे उतार पाएगा, यह दूसरा मुद्दा है। क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जितने प्राइस स्ट्रक्चर में होते हैं, वह हमारे फिजूल खर्चे के कारण होते हैं। अभी मेरे ख्याल से थोक व्यापार लेने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी मंत्री महोदय देते कि मंडियों में कितना अनाज आता है। यहां जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार 5 में से एक काश्तकार मंडियों में ले जाता है। दूसरे, जितना फार्म प्रोड्यूस होता है, 3/4 हिस्सा किसान खाने में खर्च करता है। तो सरप्लस का सर्वे होना चाहिए था और उस आधार पर जो छोटे छोटे लोग हैं गांवों और शहरों में, जो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर जिंदा हैं, उनको हम आश्वासन देते हैं कि इस संख्या में लगातार गेहूं दे पायेंगे। चाहे कम्पलशन से, चाहे किसी कारण से मार्केटेबल सरप्लस जब तक सरकार हाथ में नहीं लेगी तब तक जो वितरण व्यवस्था है, वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगी।

यह जो प्राइस स्ट्रक्चर की बात मंत्री महोदय ने कह दी और जैसे गंगानगर के माननीय सदस्य ने इस बात को ठीक

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

कहा कि जितनी हायर प्राइस आप देंगे उतनी प्राडक्टिविटी किसान की बढ़ेगी। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि जितना एग्रीकल्चरल प्राइसिज कमीशन ने इन्सेंटिव दिया उसके रिवर्स में प्राडक्टिविटि रही। 0.2 प्रतिशत काश्तकार थे जिन्होंने इस टेक्नोलोजी को अपनाया, खर्च किया, कैपीटल इन्वेस्टमेंट किया, उनको कुछ फायदा मिला, बाकी आज मंडियों का सर्वे करें तो ज्यों ज्यों भाव गिराते हैं, मंडियों में अराइवल बढ़ता है, ज्यों ज्यों भाव बढ़ाते हैं मंडियों में माल नहीं आता है। इसका मुकाबला कैसे कर पायेंगे, इन्फ्लेशन लगातार कायम होगा ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पहले राकफेलर फाउंडेशन ने सिफारिश की थी केंद्रीय सरकार को जिसमें यह था कि हर गांव का सर्वे करके पता लगायें कि कितना कितना अनाज आ सकता है, किस तरह से वितरण व्यवस्था होगी, इस तरह की जानकारी देनी चाहिए ताकि उस बारे में हम कदम उठा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक अप्रैल से सरकार खाद्यान्न का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। वह तिथि ही ऐसी है कि उस दिन जितने काम होते हैं सब गलत। पिछले दिनों राजस्थान के 9 जिलों में जो लेवी की व्यवस्था हुई उसके अनुसार गोडाउन्स होने चाहिएं थे, उसके कारण किसान को 50) के बजाय 58) रुपये देने पड़े, उसका परिणाम यह हुआ कि किसान का मोटा अनाज लेना बंद कर दिया और महंगाई बढ़ी। सरकार ने खाद्य निगम के मारफत जो व्यापार करना चाहा था, उसने पिछले दिनों मुनाफाखोरी कम नहीं की और मुनाफाखोरी में कीतिमान कायम किया। खाद्य निगम ने 1967-68 में दुगना मुनाफा कमाया। जैसे गेहूं खरीदा 45) में, बेचा 88) में, चना खरीदा 90) में बेचा 128) में, मक्का खरीदा 56 में, बेचा 71 में, मूंग खरीदा 145) में बेचा 210) में, सरसों खरीदा 165) में बेचा 206) में। इस प्रकार सरकार ने डेढ़ गुना से दुगना मुनाफा खाद्य निगम के मारफत कमाया और उसके उपरांत हालत यह है कि खाद्य निगम घाटे में चलती है और निगम ने 1969–70 में 8.33 करोड़ व 1971–72 में 8.40 करोड़ का घाटा बताया। जिस निगम ने इतना कमाया उसने घाटा बताया। सरकार ने घोषणा की कि अनाज का व्यापार अपने हाथ में लेंगे और जब कि आज वास्तव में इस समय अधिकांश व्यापारी एक प्रतिशत व्यापार करते हैं, उसका अर्थ सरकार के घोषणा के अनुसार 2 प्रतिशत महंगाई राष्ट्रीयकरण की घोषणा के आधार पर हो गई। इसमें हमने कहा सरकार को आज के व्यापारी के रूप में आना चाहिए, हर समस्या का उपाय राष्ट्रीयकरण नहीं, आपको खुले व्यापारी के रूप में आना चाहिए और बाजार में....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइंट आफ आॅर्डर। माननीय सदस्य क्या पढ़ रहे हैं ? उसका उल्लेख करें। यह जो भाव आपने बताए, किस आधार पर ?

(74)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे आंकड़े हैं। आवश्यकता नहीं कि आपको आधार बताऊं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास हुए हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे दल की रीति नीति के आधार पर इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं और मैंने आंकड़े व्यापारियों से एकत्रित किए हैं, वह पढ़ रहा हूं।

यह सूचना जो मेरे पास है यह मेरी निजी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सदन में व्यापारियों की तरफ से कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने निवेदन कर दिया कि मेरी खुद की निजी जानकारी है जो मैं सदन में दे रहा हूं। तो मैं यह कह रहा था कि किस प्रकार की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से बिक्री होगी। आप राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं इसमें आपको यह बताना चाहिये कि किसान से सरकार किस भाव से लेगी? उप-भोक्ताओं को किस भाव से मिलेगी? गेहूं कहां से खरीदा जायेगा? वितरण व्यवस्था किस प्रकार होगी? किसान को उचित मूल्य उसको मिलेगा या नहीं? मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह भी नहीं बताया कि कितना स्टाक उनके पास बचेगा। अनाज जो राज्य सरकार बेचेगी उसको किस भाव से बेचेगी। आज यह सभी प्रकार की अनिश्चितता न केवल उप-भोक्ताओं के अन्दर है बल्कि किसान के मनमें भी इसकी अनिश्चितता बनी हुई है। आपकी एजेन्सी कौनसी होगी। आप गेहूं मन्डियों से खरीदेंगे या गांवों मे टेक ओवर करेंगे। मन्त्री महोदय ने सदन में जैसा कि पहले कहा है कि राज्य सरकार मोटे कपड़े का वितरण कर रही है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि बाजार में आज कहां मोटा कपड़ा उपलब्ध हो रहा है? आज आपके यहां पर जो राशन की व्यवस्था है वह बहुत ही खराब है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों का नाम राशन कार्ड में एड करवाना चाहता है तो उसको करीब आठ रुपये तक खर्च करने पड़ जाते हैं। अगर वह मनुष्य म्युनिसिपैलिटी से वेरीफाइ करा कर आजाता है तो भी उसके बच्चे का नाम राशन कार्ड में एड नहीं किया जाता। अगर किसी के घर में बहू बनारस से आई है तो उसका नाम राशन कार्ड में नहीं बढ़ता है। एक एक राशन कार्ड में 8 या दस रुपये खर्च हो जाता है फिर भी कलक्टरेट में ऐसी अव्यवस्था है कि आप महीनों चक्कर काटते रहो आपके कार्ड में एन्ट्री नहीं होती है। अगर इस प्रकार से ही वितरण व्यवस्था रही तो जनता परेशान हो जायगी। इसके अलावा आपने एक अप्रेल की तारीख निश्चित की है अनाज के थोक व्यापार को सरकार के हाथ में लेने को। अब सिर्फ दस दिन रह गये हैं। अभी तक जनता के अन्दर अनिश्चितता बनी हुई है। सदन के माननीय सदस्यों में भी इसके बारे में अनिश्चितता बनी हुई है कि किस प्रकार से व्यवस्था होगी। अच्छा तो यह होता कि आप इस सदन में इन सभी बातों पर एक विस्तृत नोट बनाकर माननीय सदस्यों को वितरित कर देते तो सदन के माननीय सदस्य इस पर स्टडी कर लेते और बाद में यहां पर इस प्रश्न पर दो घन्टे तक विचार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

होता तो ठीक रहता। यह क्या कि रामानन्दजी ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा। वे कुछ बोललें और अपने भाषण में एक दो पार्टीज को गालियां दे दें। और उसमें अपने विचार प्रकट कर दें यह तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय, रूल्स के तहत, अपने जो रूल 127 है उसके तहत में सदन को इस सारे मामले पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करते फिर इस पर सदन में माननीय सदस्य दो घन्टे तक विचार करते तो ठीक रहता। और जब माननीय सदस्यों के समक्ष में आ जाती कि राष्ट्रीयकरण ठीक रहेगा तो राष्ट्रीयकरण किया जाता तो अच्छा होता। आखिर नीति का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जो सदन में वक्तव्य दिया उसमें कुछ सदस्यों ने मेरे वक्तव्य पर शंकायें, आशंकायें इस सदन में प्रकट की। मुझे खुशी है कि एक बात पर सभी सदस्य सहमत हो गये कि यह मामला नीति का प्रश्न है और राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि एक अप्रेल से अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है इसमें माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं कि हम गेहूं के थोक व्यापार को हाथ में ले रहे हैं, उसका राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं। इसके लिये हम अब की बार किसी भी थोक व्यापारी का जो लाइन्सेस होलसेल का होता है इस लाइसेन्स को रिन्यू नहीं करने जा रहे हैं। इसके फलःस्वरूप कोई भी व्यापारी होलसेल व्यापारी नहीं रह सकेगा और उसके अनुसार स्टाक भी नहीं रख सकेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें व्यापार नहीं करने देंगे। लेकिन उन्हें जो लाइसेन्स दिया जायेगा उसके अनुसार कुछ क्वान्टिटी तक थोक व्यापारी गेहूं खरीद सकेगा उसके लिए कुछ कन्डीशन्स होंगी और उस प्रेसक्राइब्ड कन्डीशन्स के अनुसार ही उसे कार्य करना पड़ेगा। अभी हवामहल से जो सदस्य महोदय आये हैं जो कि अक्सर हवा में बातें करते रहते हैं वे बता रहे थे, और अन्य सदस्यों ने भी बताया....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने तो जो हमारी पार्टी के अन्दर प्रस्ताव पास हुआ उसके अनुसार निवेदन किया।

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरी बात सुन लें पहले। उन्होंने कहा कि एक अप्रेल से राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है। और अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ कि किस प्रकार से वितरण व्यवस्था होगी, कहां से गेहूं खरीदा जायेगा। तो इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि ब्रिटेन का हाउस आफ कामन्स है–पार्लियामेंट के उस हाउस आफ कामन्स के बाहर यह लिखा हुआ है It is better to look fool rather than to open mouth and prove it. इस प्रोवर्ब को आपने चरितार्थ कर दी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह तो आपने साबित कर दी है।

श्री परसराम मदेरणा : अभी यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, जैसे हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि

(श्री परसराम मदेरणा)

इसकी क्रय और विक्रय की व्यवस्था क्या होगी ? इसमें कुछ मुद्दे, जो उठाये गये है जैसे इश्यू के मामले और खरीद के मामले। तो मेरा निवेदन है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि इश्यू प्राइसेज नहीं बताये और सिर्फ प्रोक्योरमेंट प्राइसेज ही बताये हैं। तो इसके अन्दर मेरा निवेदन यह है कि भारत सरकार ने जो अक्टोबर सन् 72 में गेहूं के अन्दर दो वैराइटीज तय की थीं। जो रैड गेहूं हैं उनकी प्राइसेज तो 74) रुपये है प्रति क्विन्टल और व्हाइट, मेक्सिकन गेहूं जो है उसकी प्रोक्योरमेंट प्राइसेज जो है 76) रुपये प्रति क्विन्टल है। इसके अलावा इसमें अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स कान्फरेन्स हुई थी उसमें यह मुद्दा कई मुख्य मन्त्रियों ने उठाया था कि गेहूं की और भी वैराइटीज हैं जैसे कणक शरबती गेहूं, दड़ा गेहूं। उनके मारकेट प्राइसेज भी अलग हैं। मारकेट में उनके बारे में क्या होगा ? उनके प्राइसेज भी अलग होनी चाहिये ? तो इस प्रश्न पर चर्चा होने के बाद में भारत सरकार ने इस बात को सिद्धांतरूप से स्वीकार कर लिया है और इस प्रश्न पर भारत सरकार शीघ्र ही निर्णय लेने वाली है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में दो चार दिन में निर्णय ले लेगी। इसके अलावा प्रोक्योरमेन्ट के बारे में चीफ मिनिस्टर्स और फूड मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेन्स में प्रोक्योरमेंट के बारे में भी और बातें रखीं। इसमें यह भी तय किया गया कि इसमें गेहूं की जो ग्रेडेशन है उसके बारे में इसमें ऐसा रखा गया है कि एक क्वालिटी बिलों तक तो ठीक है वरना यह भी स्थिति आ सकती है कि लोग इसमें काफी कोल्यूजन कर सकते हैं जिसमे कि काश्तकार को धक्का लग सकता है। इसमें भी भारत सरकार ने सिद्धान्त रूप में, जो फूड मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स कान्फरेन्स में इस बारे में तय हुआ उसको सिद्धांतरूप में मान लिया है। जो फिट फोर ह्यूमन कन्जम्प्शन है उसको तो रखा है लेकिन जो फिट फोर ह्यूमन कन्जम्प्शन नहीं है उस केटेगरी को परचेज तो करने के लिये भारत सरकार ने कह दिया है लेकिन यह कह दिया कि उसे एनीमल कन्जम्प्शन के लिये रखा जायेगा। यह मामला अभी भारत सरकार की पोलीटिकल कमेटी के सामने केबीनेट ने रखा है। मैं समझता हूं कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा। तो इस प्रकार सभी मुद्दों पर, जो प्रोक्योरमेंट परचेज के बारे में हैं, उन पर भारत सरकार ने सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया है, जो मुद्दे उठाये गये हैं, उनके बारे में भारत सरकार ने प्रोक्योरमेंट प्राइस और इश्यू प्राइस के बारे में भी तय कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी एक बात रखी है कि कुछ न कुछ गेहूं सेन्ट्रलपूल में रखा जावेगा ताकि उसके लिये भारत सरकार सबसिडी भी देगी। जो पूल में नहीं रखेंगे उनको सबसिडी नहीं मिलेगी। हमने यह निर्णय लिया है कि हम सारा का सारा गेहूं सेन्ट्रल पूल में रखेंगे। इससे हमें काफी फायदा रहेगा। जो भी स्टोक है वह सेन्ट्रल पूल में रखने से हमें विद होल्ड स्टोक एवेलेबल होता रहेगा। उसके अन्दर गेहूं के इश्यू प्राइसेज पूल से 78) रुपये होंगे। भारत सरकार की जो इश्यू प्राइस है वह 78) रुपये है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह होल सेल प्राइस है।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार होल सेल प्राइस पर नहीं बेचेगी। वह तो रिटेल पर बेचेगी। प्रोक्योरमेन्ट प्राइसेज की रेट 71 से लेकर 74 तक है और इसमें भी कुछ ग्रेडेशन के हिसाब से है और इसके अलावा व्हाइट गेहूं की इश्यू प्राइस जो है वह 78) रुपये है। इसके अन्दर सात रुपया ओवर हाल चार्ज और लगाकर कुल 85) रुपये में राजस्थान में सेल प्राइस होगी। मैं समझता हूं कि यह प्राइस भारतवर्ष में एक दो प्रांत को छोड़कर राजस्थान के अन्दर सबसे कम रेट होगी।

इसलिये जो इश्यू प्राइस है भारत सरकार की वह 78) रुपया है। यह 75) रुपये की एवरेज प्राइस में जो एडीशन है, 74, 75, 76, रु. तो 78 रुपये में दे रही है इसको देने में भारत सरकार 130) करोड़ रुपये से ऊपर सबसेडाइज कर रही है। इसलिये हमने यह भी भारत सरकार पर छोड़ा है। लेकिन भारत सरकार का ऐसा सोचना है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस और सेल प्राइस और इश्यू प्राइस के बीच में जो डिफरेन्स है बहुत कम है, इतना आगे नहीं रह सकेगा। लेकिन जो कुछ स्थिति है यह दो चार दिन में स्पष्ट हो जावेगी। यह निर्णय सारे देश के लिये लागू होगा। भारत सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो शिन्दे साहब ने 84 से 94 रु० तक कहा उसका क्या मतलब है?

श्री परसराम मदेरणा : शिन्दे साहब ने अखबारों में क्या कहा मैं कह नहीं सकता। एक बात कह सकता हूं कि जहां तक राजस्थान राज्य का प्रश्न है, जो कुछ भी शिन्दे साहब ने कहा उनका मतलब है ट्रेडर्स, व्यापारी किस प्राइस में बेचेंगे। पर्टीकुलर प्राइस में बेचेंगे। उससे ज्यादा नहीं होगी। मेरे स्टेटमेंट को समझ लीजिये। मैं सब समझा हुआ हूं बात को। लेकिन राजस्थान में किस प्राइस पर खरीद कर सकेंगे ट्रेडर्स जिसको हम लाइसेन्स देने जा रहे हैं उनके लिये सब कन्डीशन्स तय करने वाले हैं। प्रोड्यूसर को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिये प्रोड्यूसर, डीलर और कन्ज्यूमर इन सबके लिये क्वांटिटी निर्धारित करने जा रहे हैं। जिसको भारत सरकार की कन्सेन्ट के लिये भेजा जा रहा है। एक दो दिन में वहां से अनुमोदन होने के बाद यहां पर 1 अप्रेल से लागू होगी। हम सब की क्वांटिटी फिक्सअप करने जा रहे हैं। काश्तकार को 20 क्विन्टल की छूट है, जरूरत पड़ी तो कम की जाएगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : कब क्या हो जाय पता नहीं।

श्री परसराम मदेरणा। मैंने इसमें बहुत गुन्जाइश रखी है। कान्स्टिटेन्ड विजिलेंस होगी मेरी। जैसी भी स्थिति पलटा खाती है तो कोर्नर करने की कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ी तो ग्रोअर और कन्ज्यूमर की क्वांटिटी को कम करूंगा। कन्ज्यूमर के ऊपर भी क्वांटिटी इम्पोज कर रहा हूं। उस हालत में आधा क्विन्टल से ज्यादा नहीं रहने वाला है। सबको कोर्नर किया जा सकता है। यह सब देखते हुए क्वांटिटी फिक्स अप करने जा रहा हूं। यह फिक्स अप के बाद यह प्रिकाशन्स लिये हैं कि जो पर्चेज सेन्टर्स हैं, जो पोइन्ट्स पर्चेज के हैं उनको भी ओर्डर के नीचे गजट

(श्री परसराम मदेरणा)

155-156 में नोटिफाई करने जा रहा हूं। हमने वर्क आउट कर लिया है और अगले दो तीन दिनों में जो सरप्लस एरिया है, जहां से अनाज आता है, उसको वर्क आउट कर लेंगे।

यहां अर्थ के सम्बन्ध में भी बात कही। उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। दूसरी गनी बैग्स की डिफिकल्टी, इसकी भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। एफ. सी. आइ. के पास 3 लाख न्यूगनी बेग्स पड़ी हुई हैं। स्टोरेज के सम्बन्ध में भी बात कही। स्टोरेज की भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। स्टोरेज केपेसिटी पूरी है। 5 लाख टन की तो एक दम रेडी है। प्रोक्योर किए हुए अनाज का वितरण भी करना चाहेंगे। इसलिए ज्यादा भी हो तो व्यवस्था हो सकती है। इसलिए स्टोरेज के लिए भी कोई डिफिकल्टी नहीं है और राज्य सरकार के पास वह क्षमता है।

यहां पर स्माल ट्रेडर्स जिसका "डीलर" वर्ड रखा है, कन्ज्यूमर कितना खरीद सकेगा इसके लिए भी आज कुछ नहीं कह सकता। भारत सरकार मुझे कानून से आगाह कर देती है, क्वान्टिटी के सम्बन्ध में छिपाने की बात नहीं है, ज्योंही भारत सरकार कानून बना देगी, जो कुछ भी स्टाक करने की हम परमीशन लेंगे यह उसमें बता दिया जावेगा।

यहां लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने 7 जिलों को कार्डन अप करने की बात कही। खरीफ खाद्यान्न की लेवी लगाई, उसके लिए है। कितना एरिया कार्डन अप होगा, सरप्लस कितना एरिया होगा, पर्चेज सेन्टर्स खुले रहेंगे, कोर्डन अप करके नोटिफाइ कर लेंगे इसका इन्तजार कीजिए, दो तीन दिन में आपको मालूम हो जावेगा।

श्री फूलचन्द जैन : दो तीन दिन बाद सुन लेंगे। यहीं तक खत्म कर दें तो अच्छा है।

श्री परसराम मदेरणा : इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होगी और डीलर जिसको छूट दी है खरीदने की और केवल कन्ज्यूमर को बेचने की, उस डीलर की प्रोक्योरमेंट प्राइज में और राजस्थान सरकार की प्रोक्योरमेंट प्राइज में विशेष फर्क नहीं रहेगा, बहुत मामूली फर्क रह सकेगा। उसके बेचने की जो प्राइज होगी और राज्य सरकार जिस दर पर बेचेगी, जो हमारी स्टेट प्राइज है, किस तरह उसको केल्कुलेट किया है यह सब राज्य सरकार पर छोड़ा है चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में, लेकिन राजस्थान सरकार उनकी मन चाही सेल प्राइस रखेगी इसकी परमीशन होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह करीब करीब बराबर होगी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने पल्लेदार और व्यापारियों के बेकार होने की बात कही। हमने तखमीना लगाया है इसकी आवश्यकता नहीं है अभी सोचने की। हम जो टेक ओवर कर रहे हैं होल सेल ट्रेड वह गेहूं का कर रहे हैं। दूसरे सब ही व्यापार करने की छूट है। अभी बेकार नहीं हुए हैं और आप बनाना चाहें तो भले ही बनें। इसलिए अन्य अनाज का व्यापार वे कर सकते हैं। इसलिए उनको रिहेबिलिटेट करने की भी योजना नहीं बनायी है।

(श्री परसराम मदेरणा)

राज सरकार जिस वक्त ऐसी स्थिति होगी, योजना पर विचार जरूर करेगी ।

चावल की रेट के सम्बन्ध में एक बात कही गई । अभी कुछ रोज पहले जब इस सदन में एक बार निवेदन किया था तो यह कहा था कि जिनके पास अनाज है चाहे वह किसान हो, प्रोअर हो या व्यापारी हो, उन स्टाक को उसे बेच देना चाहिये । अगर वह नहीं बेचेगा तो राज सरकार कुछ कदम उठा सकती है। एक चेतावनी दी थी। इसके बाद देखा कि बहुत से लोग अभी तक बेच नहीं रहे हैं या स्टाक का जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया है वह झूठा है तो राज्य सरकार ने उन स्टाकों पर छापा मारा था और पच्चीस हजार क्विंटल के आस पास ऐसा अनाज पकड़ा गया है। अब या तो उसको जैसा कि डिक्लेअर किया गया था कानून के अन्तर्गत लेकर या उचित कीमतों पर उसे कन्जूमरों को बिकवा कर उसे ठीक करेंगे । कीमतें हमने तय कर दी हैं । सब जिलों में प्राइसें तय की है वह इसेन्सियल कमोडिटीज एक्ट के सेक्शन 3 बी के नीचे जो प्रोसीजर रखा है डिटरमिनेशन आफ सेल प्राइस वह प्राइस मैंने तय की हैं । हो सकता हैं इसके केलकुलेशन में और जो दो सालों में प्राइसें रहीं चावल के मामले में, वे गलत रह गई हों । इसलिये यह प्रश्न भी राज्य सरकार के सामने पुनर्विचार के लिये आ गया है और मैं इस सम्बन्ध में भी एक दो दिनों में निर्णय लेने वाला हूं । सीकर और चित्तौड़ के बीच में फर्क नहीं रहना चाहिये ।

राजस्थान चावल ग्रोइंग एरिया नहीं है । कहीं पर भावों में थोड़ा अन्तर हो सकता है । इस में रेशनेलाइज करके एक ही प्रकार का दोनों में निर्णय लेंगे । यह राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में नीति है ।

यहां पर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य के बाद में चार पांच बातें कहीं । खासतौर से एक बात ऐसी थी कि जो · · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो चुभने वाली थी ।

श्री परसराम मदेरणा : जो चुभने वाली थी । वह चुभाना भी चाहते हैं । मालूम नहीं क्या चाहते हैं मुझ से ? पर स्ट्रक्चर जो चेन्ज हम करने जा रहे हैं उसमें राज्य की मशीनरी की आस्था नहीं बता रहे थे वे, राज्य सरकार की भी आस्था में उन्होंने सन्देह प्रकट किया है और कहा है कि सरकार इसे तो एक्सपेरीमेन्टल तौर पर करने जा रही है। जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं ऐसी बात नहीं है। यह हाफ हार्टेड मीजर नहीं है। राज्य सरकार इस बारे में कृतसंकल्प है कि या तो कम्पलीट सक्सेज होगी या कम्पलीट फेल्योर होगी। यह राज्य सरकार का अकेला का ही प्रश्न नहीं है। यह मसला राजाओं के प्रिवीपर्सेज से भी बड़ा है। सारे देश के नागरिकों को अफेक्ट करने वाला यह निर्णय है। जो इतना बड़ा निर्णय है तो इसमें हमारा कनविक्शन है या नहीं, कॉन्फीडेन्स है या नहीं यह पूछना हंसी करने जैसा है। कान्फीडेन्स हमारा इसमें नहीं होता तो इस मसले में हम बोलते भी नहीं। मुझे पूरा कॉन्फीडेन्स ही नहीं, मेरे लिये तो यह आर्टिकल आफ फेथ है। जिस व्यापार को हम हाथ में लेने जा रहे हैं दृढ़ निश्चय से लेने जा रहे हैं, इसमें दूसरे लोग

(श्री परसराम मदेरणा)

या इसमें आज दिन तक ट्रेड करते आ रहे लोग किसी तरह के टेकटिक्स अपनावें वे अपने इन टेकटिक्स में किसी तरह से सफल नहीं हो सकेंगे। उनका भी हमी स्टाक लिया जा रहा है। फिर भी यह तब सम्भव हो सकता है जब आपके बराबर कम्पीटीशन में खड़े हों। दूसरों को प्राइस ज्यादा मिलती हो और हम से कम मिलती हो, ऐसा तो है नहीं और वे भी उनकी प्राइस पर बेच सकते हों, इन सारी सम्भावनाओं को, लूप-होल्स को मैं प्लग करने जा रहा हूं। ऐसी सूरत में राज्य सरकार की एकमात्र पब्लिक एजेन्सी के रूप में मार्केट में रहती हैं। कानून हम बना रहे हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस एक्ट के सम्बन्ध में ऑक्शन करना, ट्रेड करना कम्पीटीशन करना है उसे कानून को भी इसके नीचे ला दिया है। वह भी इसमें लागू नहीं होगा जहां गेहूं खरीद करने का प्रश्न है। जहां राज्य सरकार सभी प्रकार के गेहूं को एक निश्चित दर पर खरीदने जा रही है। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार इसमें असफल रह सकती है।

एक माननीय सदस्य : यहां सभी गधे घोड़े बराबर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : एजेन्सी क्या है राज्य सरकार की, यह नहीं बताया, यह अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने और कहा। मैं इस बारे में अपने वक्तव्य में काफी खुलासेवार कह चुका हूं। राज्य सरकार दो एजेन्सियों के जरिये यह काम करेगी। भारतीय खाद्य निगम और राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम। बाकी एजेन्सी नीचे के लेवल पर ही होंगी शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केटिंग तथा सर्विस सहकारी समितियों के माध्यम से। इन एजेन्सियों को सब एजेन्ट के तौर पर ले सकते हैं फिर अपेक्स बाडी जो हैं वे इस स्थिति में नहीं हैं कि इस काम को फिलहाल अपने हाथ में ले सकें। पहले सोचा था कि इनको भी भागीदार बना लें। पर आगे जब कभी ये सक्षम होंगी तो उनका सहयोग हम लेंगे। उससे हमें लाभ मिल सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एफ. सी. आइ वाले एजेन्ट तो मुकर्रर नहीं करेंगे बड़े व्यापारियों को जैसे यह अब तक करते रहे है और इनडाइरेक्टली इनका सारा व्यापार प्राइवेट हाथों में दे देते थे ?

श्री मीठालाल : नये चमचे पैदा किये जावेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : Don't throw vaigue question.

तो यह जो निर्णय हमने किये हैं चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेन्स में किये हैं और सब प्रकार की गेहूं की सभी वैराइटीज के खरीदने के लिये किया है और इसलिये इन सबका स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार प्राइसेज फिक्स होंगे। पहले की तरह रिजेक्ट करने का सवाल नहीं हैं। पहले 76, 75, 74 तक लेते थे। इसमें नीचे की क्वालिटी को रिजेक्ट कर देते थे। पर इस बार यह नहीं है। फिट फोर एनीमल कन्जम्प्शन को भी खरीदेंगे इसलिए रेटों में और रिजेक्शन की गुंजाइस नहीं रहती हैं।

अब अपने एजेन्ट किस को बना रही है, किस को नहीं बना रहीं है इस संबन्ध में

(श्री परसराम मदेरणा)

एफ. सी. आइ. में अब तो होल सेलर तो रहें नहीं। दूसरे जो व्यापारी रहे वे केवल रिकमण्डेड क्वान्टिटी तक खरीद कर रिटेलर को बेच सकते हैं। इसलिये होल सेलर, जो व्यापार करने वाले हैं उनका एफ. सी. आइ. उपयोग नहीं करे इसके आवश्यक इन्स्ट्रक्शन उनको दिये जावेंगे। इस पोइन्ट पर अभी डिटेल में बात नहीं की हैं। पर मैं समझता हूं पहले भी कोआॅपरेटिव सोसायटीज को इन्होंने एजेन्ट बनाया था। अब वहां कोआॅपरेटिव सोसाइटीज नहीं हैं। वहां पर, कम से कम थोक व्यापारियों को तो एजेन्ट नहीं रखेंगे। बाकी मशीनरी से काम लिया जा सकता है। या ये लोग इस धन्धे को कम्प्लीट छोड़ दें तो उनको ले सकते हैं काम में। चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में निर्णय लिया था कि कच्चे आढ़तिया हैं, उनको हमें समाप्त नहीं करना चाहिये क्योंकि उनका फंक्शन लिमिटेड है। कच्चे आढ़तियों के बारे में अलग से केटेगरी नहीं रखी है, पर पंजाब में और हरियाणा में उन को यों ही रख रहे हैं कानून में। गंगानगर में हमारे कच्चे आढ़तिया हैं। इस सम्बन्ध में हम क्या कुछ करेंगे बातचीत करने के बाद में ही तहकीक कह सकूंगा।

जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इस सम्बन्ध में गंगानगर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यहां कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसका जितना प्रचार करना चाहिये था और लोगों को जानकारी करानी चाहिये थी वह नहीं कराई। हालांकि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी लोगों में प्रचार करके इस चीज के अनुकूल वातावरण बनाया है। मैं निवेदन कर दूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है कांग्रेस पार्टी आज नहीं वर्षों से होलसेल ट्रेड का टेक ओवर का निर्णय ले चुकी है-अहमदाबाद के सैशन में यह लिया गया था। उसके बाद भारत सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिये गये और अब पार्टी को जो कुछ उत्तरदायित्व निभाना है, मैं समझता हूं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें और कांग्रेस पार्टी अपना उत्तरदायित्व वहन करने में किसी पार्टी से पीछे रहने वाली नहीं है। आप पालिटिकिल पार्टीज के लिये कुछ भी कहते रहे, मैं पार्टी के गुडनेस और उसके सिद्धान्तों पर विश्वास करता हूं। इस स्ट्रक्चर को सक्षम बनाने में राज्य सरकार को पूरा सहयोग देंगे।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह परमिट जिला अधिकारी तक...

श्री उपाध्यक्ष : नो, आॅर्डर प्लीज। काफी हो चुका है।

अनुदानों की मांगें

अनुदानों की मांग सं. 28, 42 व 23 का प्रस्तुतिकरण।

श्री हरिदेव जोशी (मंत्री सामुदायिक विकास एवं सार्वजनिक निर्माण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य, सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय तथा मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 52 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री हरिदेव जोशी)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14 करोड़ 36 लाख 11 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9 करोड़ 15 लाख अठावन हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6 करोड़ 98 लाख 75 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुई।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट लूंगा। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने हड़ताल कर रखी है। सरकार से जानना चाहूंगा। किस तरह ''

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मांगें प्रस्तुत हुई।

मांग संख्या 28, 42 व 23 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : 1 मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा क्षेत्र में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गनगौरी बाजार स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के अनुपात में कमरों के निर्माण पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को सड़कों पर डामर बिछाने और मरम्मत किये जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कम कर दिया जाय (विधान सभा के हवा-महल क्षेत्र में स्थित राजकीय भवनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मार्ग नं. 8 सूरजपोल दरवाजे से मानकचौक चौपड़ तक की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सामाजिक शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 37 समुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (महिला मंडलों को उद्दीपका पुरस्कृति समय पर न दिये जाने तथा पुरस्कार देने में भेदभाव बरते जाने पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को दिये जाने वाले सहायतार्थ अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):

10. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा की गई अनियमितताएं एवं समय पर औजार आदि नहीं खरीदे जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर):

11. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले की सड़कों की दुर्व्यवस्था को ठीक कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़):

13. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों व भवनों की मरम्मत समय पर नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सही योजना न बनाने से कार्यों की रकम बेकार जाती है उस पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक-52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्माण कार्यों की रकमों का सही ढंग से बंटवारा नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री कृपाराम)

16. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों एवं सड़कों के कार्य को देखते हुए श्री डूंगरगढ़ में सहायक अभियन्ता भवन एवं पथ का कार्यालय खोले जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री पर विभाग का मार्का व नंबर अंकित करने तथा अभियन्ताओं के स्थानान्तरणों पर एक सम्पूर्ण सूची में चार्ज लेने व देने वाले के हस्ताक्षर होने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेरूनां से सूडसर सड़क को ए० पी० डी० पी० में ली जावे, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सड़क है, इस पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाना से कातर सड़क को ए० पी०डी०पी० में बनाने हेतु चर्चा के लिये।)

20. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ से कालू सड़क, जो फेमिन में बन रही है, उसे डी०पी०ए०पी० प्रोग्राम में लेने हेतु चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेलवे स्टेशन बिग्गा से राष्ट्रीय पथ नं० 11 तक 3 किलोमीटर अकाल राहत में बनी सड़क को गिरट बलवाकर डामर की बनाई जाने से लोगों को बड़ी परेशानी उत्पन्न हो रही है, गाड़ियां चल नहीं सकती गत वर्ष अधिशासी अभियन्ता ने ठेका देकर रद्द कर दिया और कार्य नहीं करवाया इस पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले की सातों तहसीलों के लिये नई तहसील बिल्डिंग बनाने पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों की आर्थिक स्थिति को गिरने से बचाने हेतु चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतें आर्थिक मामले में बड़ी कमजोर है जिन्हें सरकार द्वारा उनके सार्वजनिक कार्यों सफाई, विद्युत, जल आदि के लिए नगरपालिकाओं की तरह अनुदान दिया जावे) के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री लूणाराम)

25. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में सहायक अभियन्ताओं के पद का सृजन कर निर्माण कार्यों का उचित मूल्यांकन कराने हेतु चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति को डूंगरगढ़ में अभी निजी बिल्डिंग नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

27. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न पदों को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

28. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में सड़कों के विकास के प्रति सरकार द्वारा उदासीनता बरतने के लिए चर्चा हेतु)।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) :

29. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकुन्दगढ़ से बिसाऊ वाया मण्डावा सड़क के निर्माण कार्य में बरती जाने वाली ढिलाई एवं अधिकारियों की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझनूं से मलसीसर सड़क को चालू वित्तीय वर्ष में काट देने पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझनूं से बिसाऊ सड़क को चौड़ा किया जाने पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डावा से झुंझनूं वाया वाहिदपुरा, दुराना, आबूसर सड़क को पूरा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझनूं पंचायत समिति के अध्यापकों को फिक्सेशन के कारण दी जाने वाली बकाया वेतन का भुगतान नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री रामनारायण चौधरी)

दिया जाय (पंचायत समिति झूंझनूं तथा अलसीसर के अध्यापकों को फिक्सेशन के कारण देय बकाया वेतन का धनाभाव के कारण भुगतान नहीं करने पर चर्चा के लिए)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर):

35. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी भवनों की समय पर मरम्मत नहीं किये जाने की विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी भवनों में लगे पंखों आदि की समय पर सफाई नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) :

37. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी भवनों की समय पर मरम्मत नहीं किये जाने की विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए)।

38. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यो आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी भवनों में लगे पंखों आदि की समय पर सफाई नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री मोहनराज (बाली) :

39. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फालना से बाली की 5 मील सड़क को सीधा व चौड़ा कराने की तात्कालिक आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली के निकट मीठडी नदी पर पुल बनाने हेतु इस वर्ष भी कोई प्रावधान न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली कस्बे में राज्य के अधिकारी वर्ग के लिए आवास हेतु भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

42. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों एवं पंचायत समितियों की सीमा पुनः निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर):

43. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्य में जो त्रुटियां हैं उन पर चर्चा के लिए)।

श्री मोहरसिंह (चूरू):

44. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़ से बहल सड़क का निर्माण अपूर्ण है इस पर चर्चा के लिए)।

45. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग चूरू से फतहपुर सड़क पर डामर डालने में असफल रहा है इस पर चर्चा के लिए)।

46. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में विभाग अपने अधिशासी अभियन्ता के लिए कार्यालय तथा निवास के लिए भवन बनाने में असफल रहा है इस पर चर्चा के लिए)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़) :

47. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले की सड़कों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

48. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को सामाजिक शिक्षा हेतु धनराशि न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री करनसिंह (डीग) :

49. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाढ़ से टूटी हुई सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

50. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर सब डिवीजन की सड़कों की हालत बहुत खराब है उन्हें मरम्मत करने के क्रम में विशेष तौर पर बाड़ी से सेपऊ की सड़क की मरम्मत करने के बाबत चर्चा के लिए।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :

51. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा से कवाई सड़क पर अन्धेरी नदी पर पुल के निर्माण के लिए बहुत कम धनराशि दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

52. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा कस्बे से पाली तेलनी होती हुई सड़क कुम्भराज 15 मील की दूरी पर आगरा बम्बई रोड़ से कनेक्ट किए जाने हेतु निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है इस पर चर्चा के लिए)।

53. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत

(श्री जगमोहन सिंह)

मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीपा बड़ौद से हरनावदा शाहजी तक सड़क निर्माण के लिए कोई प्रावधान न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

54. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सानपुरा कवाई से छीपाबड़ौद सारथल इरचेरा सड़क की मरम्मत हेतु कोई धनराशि का प्रावधान न होने से चर्चा के लिए)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) :

55. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की दुर्दशा एवं राजकीय भवनों की खराब स्थिति की ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

56. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील की आवश्यक सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

57. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के कार्य कलापों को गति देने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

58. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक में बनास नदी में गोलेह घाट के रपटी के नवीन निर्माण के विषय पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक शहर बाई पास सार्वजनिक हित में निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह (मादरा) :

60. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज के ढांचे में परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

62. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ सब डिवीजन में सडकों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द खामरिया (दौसा) :

63. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में

(श्री मूलचन्द सामरिया)

से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (खान भांकरी से कुण्डल सड़क का काम पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

64. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट-दौसा रोड पर लालसोट घाटे में पहाड को खोदकर सडक बनाने और अब उस कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा लालसोट, लालसोट गंगापुर, लाल सोट सवाई माधोपुर व लालसोट-केथून सडक की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट-डीडवाना रामगढ़ पंचवारा सडक कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट-दौसा रोड से कल्लोवास होते हुए सिन्दोली तक नई सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [श्योसिंहपुरा (लालसोट) से मित्रपुरा तक सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

69. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बगड़ी से खुर्रा (लालसोट) माताजी तक नई सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

70. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट से खटूम्बर तक नई सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [दौलतपुरा (लालसोट) से कोट खावदा (चाकसू) तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

72. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीडवाना-रामगढ़ पचवारा सड़क कार्य को शीघ्र चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिय जाय (दौसा-लालसोट

(श्री मीठालाल मीणा)

के मध्य राहुवास के पुल के दोनों ओर सड़क पर डामर बिछाकर सड़क पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोट खावदा-तूंगा सड़क को शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट के मोटर स्टैण्ड के पास सड़क को ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

76. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के बारे में चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक विभाग के कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में मंडियों के शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

80. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राज्य में सड़कों के निर्माण का समयबद्ध (Time bound) कार्यक्रम के अभाव पर चर्चा के लिये] ।

81. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कमकर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सड़कों के विस्तार शीघ्रता से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में ढढीकर की घाटी को नीचा करके सड़क बनाने पर चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचम) पंचवर्षीय योजना में अलवर तहसील में नई सड़कें निर्माण के लिए ली जाने पर चर्चा के लिए)।

85. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत चुनाव न करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर कम कर दिया जाय (पंचायतों को अधिक सूक्ष्म बनाने पर चर्चा के लिए)।

श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना):

87. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क-निर्माण में राज्य सरकार की भेद-भावपूर्ण नीति पर चर्चा के लिए)।

88. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना अस्पताल भवन की दयनीय एवं टूटी-फूटी हालत पर चर्चा के लिए)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

89. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रांत के सीमावर्ती जिलों में दूसरी प्राथमिकता की सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास में ढिलाई बरतने के कारण के विषय पर चर्चा के लिए)।

90. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर से जोधपुर वाया बावतू डामर सड़क जो बंगूड़ी से पचपदरा तक बनी हुई है जिसकी स्वीकृति दिलाने में राज्य सरकार द्वारा उदासीनता एवं उपेक्षा की नीति बरतने पर विचार पर चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर से बाड़मेर वाया बावतू सीमावर्ती सड़क को केन्द्र द्वारा सुरक्षा सड़क तय कराने में राज्य सरकार द्वारा ढिलाई एवं उपेक्षा की नीति अपनाने पर चर्चा के लिए)।

92. मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अधूरी सड़कें पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सन् 73-74 के लिए बाड़मेर जिले में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सड़कों के निर्माण के लिए प्रावधान करने में घोर उपेक्षा की जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद (मालपुरा) :

94. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले धन के अपव्यय पर चर्चा के लिए)।

95. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज योजना की असफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री राजेन्द्र भारतीया (बूंदी) :

96. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत आठ दस वर्षों से बूंदी जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा कम राशि आवंटित किये जाने पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय कोटा, बूंदी व झालावाड़ की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

श्री रामचन्द्र सिंह (चौरासी):

98. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिला में सड़कों के निर्माण कार्यों में गति लाने हेतु चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय लम्भोला से खड़दा सड़क तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर को कंकड़ बिछाकर पक्की बनाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) :

100. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा की विभिन्न सड़कों को पंचवर्षीय योजना मे लाने पर चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा से डामली, थाना के रेल्वे स्टेशन वाया झाड़ोल, जयसमन्द, जावद, अदवास, सेमाल नईझार, सेमाल जावद, अदवास जयसमन्द, जयसमन्द रोड रेल्वे स्टेशन वाया झाड़ोल, सेमाल सड़क को पंचवर्षीय योजना में लाने पर चर्चा के लिए)।

102. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नठारा से रेल्वे स्टेशन तक सड़क सल्लाड़ा वाली सलूम्बर सड़क वाया सल्लाड़ा सड़क निर्माण, गोमती नदी पर पुलिया निर्माण पर चर्चा के लिए)।

(श्री देवीलाल मीणा)

103. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण विकास के लिए एप्रोच सड़कों का निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

104. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा की अधूरी सड़कों के निर्माण कार्यों को पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में नठोरा से डीगरी वसी सलूम्बर सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति कराड़ा में आदिवासी खण्ड स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) :

107. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कठूमर से घोसराणा (अलवर) सड़क का कार्य 10 वर्षों में भी पूरा न किये जाने एवं अन्य सड़कों की आवश्यकता पर ध्यान न दिये जाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

108. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की बानसूर तहसील में नई सड़कों के निर्माण में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

109. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की बानसूर तहसील में सड़कों की मरम्मत में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के क्रेश प्रोग्राम के दो साल से काफी रुपया लेप्स (lapse) होने में अधिकारियों की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति को पंचायतों द्वारा ग्रामों में उपलब्ध पशुओं का गोबर व मनुष्य के मल व मूत्र से खाद बनाने में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि

Page No 94

(94)

(श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता)

के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्कूलों में ट्रेन्ड अध्यापकों की कमी के कारण कुछ ट्रेन्ड व्यक्तियों की ऐज रिलेक्स करके अध्यापक पद पर लगाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल आर्य (रेवदर) :

113. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन):

114. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशवराय पाटन में लाखेरी से सवाम तक की सड़क का अब तक सर्वे नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक कार्यो आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के कस्बा लाखेरी में सार्वजनिक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से कोटा नेशनल हाइवे नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिला में चल रहे क्रेश प्रोग्राम में सड़कों का कार्य बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में केश प्रोग्राम में बनी सड़कें तलवास से करवा करवर से समेकी कापरन से रोटदा नालों का पक्का कार्य नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील नेनवां में इन्द्रगढ़ से करवर तक की सड़क में डामर नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में तालेडा से बून्दी रोड जो बून्दी से खटकड़ लाखेरी एवं नेनवां/लाखेरी में स्टेशन लाखेरी तक की सड़कों की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी रोड

(श्री नन्दलाल बैरवा)

काप्रेन तथा काप्रेन स्टेशन तक की सड़कों का कार्य पूरा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

122. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्द्रगढ़ से उनियारा तक की पक्की सड़क नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

123. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नैनवा से टोंक तक की सड़क को पक्की नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

124. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लवान से माखिदा इटावा रोड पर चम्बल नदी की पुल बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

125. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में क्रेश प्रोग्राम की धनराशि अन्य जिलों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

126. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में अधूरे क्रेश कार्य को अब तक पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

127. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अब तक जिला परिषदों पंचायत समितियों ग्राम पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

128. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पंचायत समितियों के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के भवनों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

129. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में न्याय पंचायतों के खाली स्थानों के चुनाव समय पर नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

130. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिला में पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य पूरे हो जाने पर भी प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री मुन्शीलाल महावर (बस्सी) :

131. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जटवाडा पडासोली रोड, लवाना वांसखों रोड, कानोता सांभरिया रोड, बस्सी से तूंगा रोड की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लिंक रोड्स व ग्रामीण सड़कों के राजस्थान में अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक बंगले का बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में अभाव है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):

134. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से टोडारायसिंह तक जाने वाली सड़क को अतिशीघ्र चौड़ी करवाई जाने हेतु चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कें बनाने में जयपुर जिले में सामान और औजार का प्रतिशत केवल 35 ही रखा गया है जबकि अन्य जिलों में 50%, 45% बढ़ा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में पूंजी की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस सम्बन्ध में जब तक सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी खुले रूप में स्वीकृत नहीं की जावेगी तब तक सार्वजनिक कार्य पूरे नहीं हो सकते हैं इस विषय में चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क निर्माण हेतु समस्त सामग्री उपलब्ध होते हुए भी चाकसू तहसील में शिवदासपुरा से चन्दलाई की सड़क पक्की नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील फागी

(श्री जयकिशनलाल तोसावडा)

में निमेड़ा से पारली मंडावरी होती हुई सड़क को अतिशीघ्र डामर से पक्की करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से टोंक जाने वाली सड़क को अति शीघ्र चौड़ी कराने हेतु चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दूदू से चाकसू जाने वाली सड़क को ठीक कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता के ध्येय को ध्यान में रख कर पंचायत समितियों के लिए साधन जुटाने के बारे में चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत बगरू (पंचायत समिति सांगानेर) में भ्रष्टाचार एवं गबन के मामलों की शीघ्रता से जांच न होने के विषय पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत, बगरू (पंचायत समिति सांगानेर) द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को निःशुल्क पट्टे न दिये जाने के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन न करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गबन के मामलों की शीघ्रता से जांच न होने के विषय पर चर्चा के लिए)।

श्री विजय सिंह (मांडल) :

147. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भगवानपुरा, दौलतगढ़ सड़क पर मानसी नदी के पुल के अधूरे कार्य से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में बनी सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को फेअर वेदर रोड्स बनाने की रकम दी जाने हेतु चर्चा के लिये)

150. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी को लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर, दिया जाय (इन्जीनियरिंग

(श्री विजयसिंह)

सबोर्डिनेट्स (सिविल) की बेकारी को दूर करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की कार्य-कुशलता की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

152. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिड़ावा से सूरजगढ़ तक सड़क के न बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पून्जी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छुनड़ी से चिड़ावा तक की सड़क की मरम्मत न कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) :

154. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य की वार्षिक योजना (1973-74) में नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिये अत्यन्त कम धनराशि आवंटन किये जाने के लिये चर्चा हेतु)।

155. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य की बनी सड़कों की मरम्मत के अभाव से दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

157. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत जयपुर नगर की सड़कों एवं नालों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु 17.15 व 18.00 लाख रुपयों का क्रमशः आवंटन करना परन्तु जोधपुर के लिये कोई राशि प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पून्जी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर-बिलाड़ा सड़क के पांचवें मील से भदवासिया तक

(श्री अमृतलाल गहलोत)

की केवल दो मील सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री फारुक हसन (सवाई माधोपुर):

160. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री चेतराम (टोडाभीम):

161. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर होने वाला खर्च उपयोगिता की दृष्टि से उचित प्रकार व्यय किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (मैटिरियल कम्पोनेन्ट की बढ़ती हुई मात्रा और उच्च मूल्य के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के Norms उच्च है अतः स्टाफ कम हो और यातायात पर व्यय में कटौती हो इस पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (मैटिरियल कम्पोनेन्ट का अधिक प्रयोग उनकी उच्च मूल्य को देखते हुए अधिकारियों के Norms (Posting points) निश्चित किये जावें और यातायात वाहनों का दुरूपयोग न हो इसका प्रबन्ध हो इस पर चर्चा के लिये)।

164 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों तथा पंचायत समितियों के अलाभकारी कार्यों को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह):

165. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में डामर की पक्की रोड्स के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़):

166. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमाक्षेत्र के निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (राजस्थान के विभिन्न जिलों में सड़कों के निर्माण में क्षेत्रीय वाद की भावना पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

169. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में सड़कों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में सड़कों के निर्माण में घोटालों की जांच के लिये नियुक्त अडिअप्पा हाई पावर जांच समिति की सिफारिशों पर अमल करने में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई ढिलाई पर चर्चा करने हेतु)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

171. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (मुख्य सड़कों पर रपटों व पुलियों के अभाव में वर्षा में रास्तों का बन्द हो जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।)

172. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (नागोर जिले की मुख्य सड़कों पर उड़ान की मिट्टी से रास्ते प्रायः बन्द हो जाने पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कुचामन से सांभर जाने वाली सड़क पर डावजी नदी पर रपट बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (हरसोर से भकरी होकर परवतसर (जिला नागोर) सड़क पर भकरी के पास टूटी सड़क की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (किशनगढ़ से परबतसर जाने वाली सड़क पर रेल्वे फाटक की जगह पुलिया न होने से पैदा हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (परबतसर किशनगढ़ सड़क पर रुपनगढ़ के पास अधूरे पुलिए से पैदा कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

177. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (नावां के पास बनी गलत पुलिया से पैदा खतरे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागोर जिला

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मुख्यालय) से अजमेर जाने वाली सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

179. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला मुख्यालय को तहसील व पंचायत समितियों से मिलने वाले सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

180. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी सड़कों को विभाग के अन्तर्गत लेकर मरम्मत करने की चर्चा के लिये) ।

181. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेण से आकेली 'बी' जिला नागोर प्लान के अन्तर्गत सड़क का निर्माण न होने पर चर्चा के लिये) ।

182. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की इमारत के प्रसार हेतु स्वीकृत धनराशि की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये) ।

183. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, तहसील व विधान सभा चुनाव क्षेत्र को एक ही रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

184. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत कार्य कर रहे ग्राम सेवकों को पंचायतों में सचिव के पद पर अनिवार्य रूप से रखने की चर्चा के लिये) ।

185. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोरेरी चांचा व लंभोड़ ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति डेगाना की जमीन पर रेल्वे का नाजायज कब्जा करने पर विभाग द्वारा कोई कारगर कदम न उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

186. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत कार्य कर रहे अध्यापकों व अन्य स्टाफ को चिकित्सा व्यय न मिलने की चर्चा के लिये) ।

187. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति डेगाना के कृषि कार्य की उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

188. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्रीराम रघुनाथ चौधरी)

दिया जाय (ग्रामीण तालाबों को जिनसे कुओं में पानी की सतह बढ़ती है को सिंचाई में मानने जिनका कार्य पंचायतें करवाती हैं की चर्चा के लिये) ।

श्री बनवारीलाल (निवाई) :

189. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्माण कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि के अपव्यय किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) :

190. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ में सार्वजनिक निर्माण कार्य की धीमी गति के संबंध में चर्चा के लिये) ।

191. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत समितियों में व्याप्त अव्यवस्था की चर्चा के संबंध में) ।

श्री हरीकिशन (राजगढ़) :

192. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर, राजगढ़ रोड़ पर रूपा रेज नदी पर व सिपेज रायपुरा नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

193. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा राजगढ़ में बाइ पास रोड़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

194. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिए) ।

195. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर राजगढ़ स्थित लिवाण कोठी नारायनपुर से राजगढ़, मुद-डावर रोड़ सिरावा माचाड़ी सब लिंक रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

196. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारी वर्षा वाले क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में सड़कों की मरम्मत के लिए अधिक धनराशि के प्रावधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम):

197. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

198. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर जाय (गंगानगर जिले में सड़कों के निर्माण में घोटालों की जांच के लिए नियुक्त अडिप्पा हाइ पावर जांच समिति की सिफारिशों पर अमल करने में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई ढिलाई पर चर्चा करने हेतु) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

199. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुरक्षा सड़कों की मरम्मत करने के बारे में चर्चा के लिए) ।

200. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के नीचे आई हुई काश्त की भूमि का मुआवजा दिलाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

201. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सड़कों की मरम्मत के लिए प्रावधान करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

202. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये) ।

203. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन एवं अन्य शिक्षा विभाग की इमारतों की मरम्मत कराने की चर्चा के लिये) ।

204. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में स्वास्थ्य प्राथमिक केन्द्र में परिवार नियोजन खण्ड भवन का शीघ्र निर्माण करने की चर्चा के लिये) ।

205. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सरकारी इमारतों की मरम्मत कराने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये) ।

206. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103, सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (रानीवाड़ सांचोर सड़क को चौड़ी करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

207. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर की अधूरी सड़कों को पूरा करवाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

(104)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

208. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का पुनर्गठन करने हेतु चर्चा के लिये) ।

209. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास कार्य करने के लिए बजट का प्रावधान करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

श्री मनोहर लाल (कामां)

210. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदावल से बंसी पहाड़पुर पत्थर की खानों तक सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

211. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के हिस्से में कामां पहाड़ी नाले के किनारे पर सड़क बंधवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

212. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कलावरा से हरियाणा की सीमा तक गुड़गांव कैनाल के किनारे पर सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

213. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामां से वाया छिछरवाड़ी तथा वाया लोटेसर बरोली धाऊ तक सड़क बनवाने हेतु चर्चा लिये) ।

214. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीग से बरसाना तक सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

215. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सौनोखर से नौनेरा तक सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

216. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घाटमीका से हरियाणा की सरहद तक सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

217. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकरी से गोविन्दगढ़ तक सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिए) ।

218. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नेशनल हाइवे पर चालू वर्ष में पूरी रकम खर्च नहीं करने पर चर्चा के लिए ।

(श्री मनोहर लाल)

219. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर द्वारा कर्मचारियों से बेगार व घरेलू काम लेने पर चर्चा के लिए)।

220. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्क चार्ज कर्मचारियों से घरेलू काम लेने पर चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा निधि की रकम का सही हिसाब नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

222. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा राजहंस होटल जयपुर के सामने से आगे तक बिना मंजूरी के सड़क बनवाने पर चर्चा के लिए)।

223. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ओवरसियरों को वाहन भत्ता न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

224. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क बनाने हेतु केवल मशीन की खरीद में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

225. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधीक्षण अभियन्ता भवन एवं पथ, जयपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विधान सभा सदस्यों के आवास घरों में निर्माण संबंधी छुटपुट कार्यों में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिए)।

226. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुलपाड़ा से जुरहरा तक सड़क पूरा करवाने हेतु चर्चा के लिए)।

227. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग कामां व डीग तहसीलों में क्रैश प्रोग्राम की सड़कों को बनवाने में असफलता पर चर्चा के लिए)।

228. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पान्होरी से जनूथर सड़क बनवाने हेतु तथा सैंत से वाया जनूथर नदबई सड़क पूरा कराने हेतु चर्चा के लिए)।

Page No 106

(106)

(श्री मनोहरलाल)

229. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोपालगढ़ व सीकरी के बीच फोतली से रामगढ़ नौगांवां तक सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिए)।

230. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति डीग के अध्यापकों के स्थिरीकरण व पदोन्नति में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

231. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में अध्यापकों की सेवाओं को फैशनेबुल कराने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर):

232. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव:—

233. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण कार्य की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए विशेषतः जयपुर जिले के लिये धनराशि आवंटित न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमन्द):

235. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजसमंद रेलमगरा तहसील के बड़े गांवों में मुख्य मार्गों पर सड़कें बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माध्यमिक स्कूल भवन कुंवारिया को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री पो. के. चौधरी (फुलेरा):

237. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 100 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय) त्योद से खांडेला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (फुलेरा काचरोदा सड़क के लिए बजट प्रावधान पर चर्चा के लिये)।

(श्री पी० के० चौधरी)

239. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कालाडेरा से वाघाल सड़क के अस्टीकलान वाघाल पोर्शन के लिए बजट प्रावधान पर चर्चा के लिये) ।

240. मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लारपुरा से मंडा भीमसिंह तक सड़क के लिये बजट में अपर्याप्त प्रावधान पर चर्चा के लिये) ।

241. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आंशिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

242. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जोबनेर से धोड़ी, खाडेल, काजीपुरा होती हुई त्योद तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

243. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम वाघाल से रेनवाल तक सड़क निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

244. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मंडा भीमसिंह से भैंसलाना, भादवा होती हुई चोसला तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये)

श्री [illegible]लाल (मकलेरा) :

245. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (हरनावदा में मनोहर थाना (जिला झालावाड़) की कच्ची सड़क को योजनाबद्ध पक्की कराये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

246. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में जो सड़कें ठेकेदारों द्वारा बनाई जा रही हैं उनमें हो रहे विलम्ब के कारण परेशानियों पर चर्चा के लिये)

247. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में बागीडोरा से गड़ी रोड़ के निर्माण तथा मोणाडूंगर से भूखिया तथा भूखिया से आंजना रोड के निर्माण में शिथिलता पर चर्चा के लिये)

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) :

248. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की

(श्री शंकरलाल जाट)

लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी डूंगरपुर वाया नरखामा सड़क का कार्य पूर्ण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

250. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोछवा भालता रोड़ का कार्य पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील झालरापाटन की सड़कों की बहुत खराब हालत को ठीक कराने हेतु चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खपारेल से बकानी तक सड़क पर डामर न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37 सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में ऋण की रकम को कम कर देने की चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन तहसील में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई ठीक न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा):

255. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (छानी से झाझरी सड़क तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर को सड़क पर कंकड़ बिछाये जाकर पक्की बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (खेरवाड़ा तहसील, जिला उदयपुर का तहसील भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (खेरवाड़ा गोदावरी से रानी सड़क जिला उदयपुर की सड़क पर कंकड़ बिछाये जाकर पक्की बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):

258. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी

Page No 109

(109)

(श्री भीमसेन)

की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर–कालूकी राष्ट्रीय मार्ग से लेविल क्रासिंग लूणकरणसर से जोड़ने अर्थात् एक किलोमीटर सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

259. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पूगल–बेरियाकली (राजस्थान नहर क्षेत्र में) सड़क के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

260. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माणकार्यो पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अनूपगढ़–उत्तरगढ़ के. 0 से 22 मील के बीच मिसिंग लिंक्स को पूरा करने के विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

261. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर–सरदारशहर वाया कालूका, कालू गारवदेसर का 20 किलोमीटर का मिसिंग लिंक को डी. पी. ए. डी. के फण्ड से सम्पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये) ।

262. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पुगल से बरसलपुर वाया कुम्हार वाला, वल्लर भूरासर मिसिंग लिंक को पूरा करने से बाड़मेर से गंगानगर तक सीमा सड़क बन सकेगी इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

263. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में रेलवे समतल पारगद्वार रेलवे लेविल क्रोसिंग गेट्स हटाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) :

264. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (हिण्डौन क्षेत्र की सड़कों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) :

265. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर शेखावाटी तहसील में नवलगढ से परसरामपुरा रोड का कार्य आज तक पूरा न किया जाता इस पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

266. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में सड़क की जीर्ण शीर्ण अवस्था पर चर्चा के हेतु) ।

267. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनू के अपूर्ण डाक बंगले को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री हाजीजान मोहम्मद (पिड़ावा) :

268. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा में सड़कों की खराब हालत व मरम्मत न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जिला झालावाड़ में राशि कम कर देने पर चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत प्राईमरी स्कूलों में अव्यवस्था से छात्रों की पढ़ाई न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) :

271. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) :

272. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर मंडावा सड़क को पक्की बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर शेखावाटी) रामगढ़ सड़क को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज के ढांचे में परिवर्तन करने के लिये चर्चा हेतु)।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) :

276. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बहुत सी ऐसी अलाभकारी व कम पंचायतों वाली पंचायत समितियों को जिनसे राज्य सरकार एवं जनता को कोई लाभ नहीं है उनको समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों व पंचायत समितियों का पुनर्गठन नहीं होने से प्रशासन की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये) ।

278. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से ओवरसियर के पद को खतम करने से राज्य की पंचायत समितियों में उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये) ।

279. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पचायत समितियों को समय पर बजट नहीं मिलने से स्थानीय विकास की गति अवरुद्ध होना व कर्मचारियों को समय पर वेतन व भत्ते नहीं मिलने से असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

अनुदान की मांग सं. 20, 42 व 23 पर विचार एवं उनका पारण

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर, हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय बहुत महत्वपूर्ण मसला है । सरकार इस बारे में क्या सोचती है ?

श्री उपाध्यक्ष : No. आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल छंगाणी : थोड़ा सा मंत्री महोदय एक मिनिट की जानकारी दे दें ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान श्रम जीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर एक ज्ञापन दिया है । माननीय मुख्य मंत्री से प्रतिवेदन आदि के संबंध में मांग की गई है और इसी विषय के सपोर्ट में वे आज हड़ताल पर हैं । यह उन्होंने कहा है और यही मुझे जानकारी है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सरकार उनकी मांगों का समर्थन करे ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय मेरे कटौति के प्रस्ताव ...

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय हम ज्यादा समय नहीं लेंगे । इतना महत्वपूर्ण मसला है । सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं । जो माननीय मंत्री जी को जानकारी थी, वह उन्होंने दे दी है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांण्डा : एक दो प्रश्न ही पूछना चाहेंगे ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : (साथ साथ बोलने से अश्रव्य) जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिये सरकार को ..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, टोकन स्ट्राइक है- केवल आज के लिये । आज श्रम जीवी पत्रकार संघ काम नहीं करेंगे । टोकन स्ट्राइक है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

(श्री हरिदेव जोशी)

राज्य सरकार का गवर्नमेंट आफ इंडिया को जो भी वाजिब होगा वह लिखेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्व सम्मति से समर्थन करता है और भारत सरकार को मूव करें यूडं वेज बोर्ड की जो सिफारिशें हैं जो ऐतराजात हैं उनका पूर्णतया समर्थन करते हुये यह सदन प्रस्ताव पास करता है....

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय अभी हार्डली 15 मिनिट हुये, ये कागज मेरे पास आये हैं। राज्य सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है जैसे ही राज्य सरकार फैसला करेगी वैसे ही गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिख देगी। यह मैं इस सदन को विश्वास दिला सकता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी जिस प्रकार सामुदायिक विकास योजना गांवों के लिये बनाई जाती है उसी प्रकार यहां पर नागरिक सामुदायिक विकास योजना बनाने के लिये यहां पर घोषणा की गई थी। पर उस सामुदायिक विकास योजना के बारे में नागरिक सामुदायिक विकास योजना के बारे में अभी तक क्या हुआ, यह जानकारी आज तक सदन को नहीं दी गई और उस योजना के अभाव में आज नगर परिषद, नगर विकास न्यास द्वारा किस प्रकार से शहरों का विकास करना चाहिये और किस योजना बद्ध तरीके से विकास होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। आज चाहे हम नगर परिषद की हलचलों को देख लें जगह जगह अवैधानिक निर्माण कार्य हो रहा है, परकोटे तोड़े और बेचे जा रहे हैं और इसी प्रकार हम नगर विकास न्यास की हलचलों को देख लें जो लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। जिस प्रकार का विकास नगर विकास न्यास द्वारा किया जाना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा इन दोनों विभागों की अकर्मण्यता को रोकने के लिये जो सरकार ने यहां कहा है सामुदायिक विकास योजना शीघ्र ही लागू करेंगे वह योजना लागू होनी चाहिये।

आज नई नई बस्तियां जयपुर शहर में बसाई जा रही हैं। जो सर्वप्रथम विकास की सीढ़ी है ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिये वह है नहीं। आप चाहे आदर्श नगर चले जायं, चाहे राजा पार्क चले जायं और चाहे सी-स्कीम में चले जायं बनीपार्क में चले जायं। जयपुर शहर में जहां जहां नई बस्तियां हैं आप चले जायं वहां अभी तक ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है और ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों के घरों का जो गन्दा पानी है वह सड़कों पर बह रहा है। डामर की सड़क और पानी का तो वैसे ही आपस में वैर है। सारी जगह की सड़कें टूटी हुई मिलेगी और दिन ब दिन टूट रही हैं और जिसको आदर्श नगर कहते है वह आदर्श नगर नहीं, मैं समझता हूं, नारकीय नगर हो रहा है। इसी प्रकार जयपुर शहर में जो नई नई बस्तियां जिनके बारे में मैंने उल्लेख किया है उनमें आज ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आज परकोटे के भीतर और बाहर व्यवस्था की गई है ओपन ड्रेनेज बना दी जो जयपुर शहर में परकोटे के भीतर ड्रेनेज थी, जो राजा महाराजाओं द्वारा भीतर चौकड़ियों के आधार पर बनाई गई

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

थी वह बहुत अच्छे आधारों पर बनाई गई थी। बरसात होती है और बरसात के बाद सारा पानी गायब हो जाता है।

परकोटे के बाहर चले चाहे मिर्जा इस्माइल रोड पर चले जाय चाहे किसी महत्वपूर्ण रास्ते पर, म्यूजियम पर चले जायं किसी भी स्थान पर चले जायं वहां पानी का निकास नहीं है। सौभाग्य से इस समय जयपुर शहर में ओपन ड्रेनेज बनाई जा रही है। इससे थोड़े समय राहत अवश्य मिलेगी. लेकिन ज्योंही बरसात आयेगी सड़कों की सारी मिट्टी इक्ट्ठी होकर इस ओपन ड्रेनेज में भर जायगी और फिर इसकी सफाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी ज्यों का त्यों रहेगा। भले ही माननीय मंत्री महोदय इस समय मेरी बात का खण्डन करें लेकिन हम इस समय भी सदन में बैठे हैं और अगली विधान सभा में फिर मिलेंगे उस समय विचार कर लिया जाय ओपन ड्रेनेज जो बनाई थी वह सफल नहीं रही। लोगों ने कहीं बम्बे डाल दिये है तो कहीं मिट्टी और पत्थर डाल दिये हैं इस कारण ओपन ड्रेनेज का पानी सारा का सारा सड़क पर आ रहा है।

उसी प्रकार आमेर रोड पर देख लें सारी ओपन ड्रेनेज भर गई हैं। नाहरी के नाके आप बनाने जा रहे हैं वह भी मिट्टी से भर रही है। बरसात आयेगी और सारे शहर का कूड़ा करकट उसमें इकट्ठा हो जायेगा और सफाई नहीं हो सकेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा जयपुर शहर में चारों तरफ़ नाले बने हुये हैं आज दिन तक भी उसकी सफाई नहीं हो सकी। चौड़ा रास्ता थोड़ा साफ कर दिया बापू-बाजार है, नेहरू बाजार जो नालों पर छाप दिया गया नीचे की सफाई नहीं होने के कारण सारा का सारा पानी भरा हुआ है जिसके कारण सफाई नहीं हो पाती है। ये नागपुर जैसी नालियां बनी हुई है आप भी उसी पैटर्न पर बनाने जा रहे हैं। अगर नालियों को नहीं छापा गया, उनको नहीं ढ़का गया तो जयपुर शहर में जगह जगह आप शौचालय बना देंगे। प्रातः काल दैनिक मानव की की जो आवश्यकता है उसके निपटने में इन नालियों का प्रयोग करेंगे। इसलिये निवेदन करूंगा जो नालियां बना रहे हैं उनको ढके जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है नालियों को छवाये जहां आप मेन होल बनाने जा रहे हैं वहां एक लोहे का बम्बा फिट कर दें। सारा कूड़ा करकट उस मेन होल से निकाल लें और फिर कूड़े की एक ट्रेन आई और उसको भर कर ले गई और उसे वापिस लगा दिया तो आपकी नालियां भी जाम नहीं होंगी। जो पानी नालियों का है और जो कूड़ा करकट है वह उसी डिब्बे में एकत्रित हो जायगा। और उस क्रेन के आधार पर वह डिब्बे वहीं से उठाकर खाली करके वापिस लगा दिये जायेंगे। फिर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह नालियां बनी हैं, अब वह कहां बनी कहां नहीं बनी, इस ओर मैं नहीं जाना चाहता हूं। जयपुर शहर में विकास हो रहा है, नालियां बन रही हैं लेकिन जिन स्थानों पर अभी नालियां बनीं और जयपुर शहर की जो चारों कालोनीज़ हैं आगामी वर्ष में मंत्री महोदय मैं आशा करता हूं कि आप पूरा करेंगे।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कहा था कि राजस्थान के सारे शहरों का मास्टर प्लान बना दिया जायेगा लेकिन मास्टर प्लान कब बनेगा ? जयपुर शहर का मास्टर प्लान बना, उसके उपर आब्जेक्शन्स इनवाइट करने की तिथि कब की होगी और कब फाइनेलाइज होगा यह भी अभी एक प्रकार की चर्चा है। पता नहीं कब सारी बात होगी। जयपुर शहर के आस पास उपनगर बनने चाहिए। आज सांगानेर का विकास करना चाहिए, आमेर का विकास करना चाहिए, झोठवाड़ा का विकास करना चाहिए, भांकरोटा का विकास करना चाहिए, नायला का विकास करना चाहिए और यह विकास करेंगे तो जयपुर शहर में जो घनी बस्तियां हैं उनका बरडन कम होगा और जिस प्रकार से दिल्ली में छोटे छोटे उपनगर बनाये गये हैं और दिल्ली का बरडन कम हो रहा है इसी प्रकार से जयपुर के आस पास उपनगर बस जाने के बाद जयपुर शहर में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो कन्जेशन बढ़ता जा रहा है वह नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अभी हमारे यहां पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की व्यवस्था है। आज पंचायतों के पास कोई काम नहीं रहे। धन देने का काम बैंकों के पास है, शिक्षा में केवल स्कूलों के मास्टरों का ट्रांसफर वाली बात रह गयी है। वह ट्रेक्टर दे नहीं सकती, इन्सट्रूमेन्ट्स दे नहीं सकती, खाद देने के लिए दूसरा विभाग आज पंचायतों के पास कोई काम नहीं रहा। उनको धन नहीं मिलता। आप पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर जो धन देते हैं, वह पंचायत समितियों तक ही सीमित रह जायेगा और पंचायतों तक धन नहीं पहुँचेगा और लोकतांत्रिक गणराज्य में जहां पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने नागोर में सबसे पहले पंचायती राज का दीपक जलाया था वह, मंत्री महोदय एक प्रकार से बुझ चुका है। वह पंचायती राज राजस्थान में नहीं है। आठ आठ वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे हैं उसके कारण से यहां पर पंचायतों के पास कोई काम करने को नहीं बचा और केवल पंच, सरपंच वगैरह बैठे हैं। वह जानते हैं कि हमें सरकार ने आठ वर्षों की मानोपाली तो दे दी और फिर समय मिल जायेगा, सरकार पता नहीं चुनाव करायेगी या नहीं और उनको बेईमानी करने से कोई नहीं रोक सकता। आज कई स्थानों पर पंच, सरपंच, प्रमुख और प्रधानों के स्थान खाली पड़े हैं लेकिन उनके चुनाव सरकार नहीं कराना चाहती है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों के चुनाव आप शीघ्र करायें और राजस्थान में टू टायर सिस्टम रखें। इसका अर्थ यह है कि पंचायतों को शक्तिशाली बनायें और पंचायत समितियों हटा दें और जिला परिषदों को कायम रहने दें। राजस्थान में पंचायतें जो कि गांवों में एक प्रकार की विधान सभायें हैं उनको जितनी शक्तिशाली आप बनायेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पंचायतों को शक्तिशाली बनायें, पंचायत समितियों को हटा दें और चुनाव भी शीघ्र ही करायें। आज इन पंचायतों के क्षेत्र में जितने भी राज्य के कर्मचारी चले गए, चाहे वह अध्यापक हों, चाहे कर्मचारी हों वह आज परेशान हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

एक अध्यापक का या कर्मचारी का एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में ट्रांसफर हो नहीं सकता, इसके अलावा आपने एक आयोग और बैठा रखा है, एक से छुट्टी मिल गयी तो आदमी दूसरे के पास गया और दूसरे ने यदि इन्कार कर दिया तो वह आदमी बेकार हो गया। आज जो राज्य के कर्मचारी पंचायती राज में चले गये वे परेशान हैं चाहे वे अध्यापक हों या कर्मचारी हों। उनको वेतन नहीं मिल रहे हैं और जो मेडिकल फैसेलिटीज के बिल हैं उनका भुगतान भी वर्षों से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज इस पंचायती राज में चाहे कर्मचारी हों या अध्यापक हों या दूसरे हों वह दुखी हैं, इस ओर भी आपको विचार करना चाहिए। चुनाव की तिथि की घोषणा करनी चाहिए और आपको टू टायर सिस्टम राजस्थान में प्रचलित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। जिस समय राजस्थान बना तो दिल्ली में जयपुर हाउस, कोटा हाउस और बीकानेर हाउस ये तीन हाउसेस हमको मिले। आज हालत यह है कि वहां पर दफ्तर खुले हुए हैं। किसी में पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर खुला हुआ है तो किसी में वाणिज्य कर का खुला हुआ है। इन तीनों बिल्डिंग्स को यदि हम आज आंकें कि कितने की हैं तो यह लाखों रुपयों की बिल्डिंग हैं और यह करोड़ों की सम्पत्ति है और इनका किराया देखें तो मामूली सा हमको प्राप्त हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर हाउस में यदि आप फाइव स्टार होटल बना दें तो राजस्थान की सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरे निवेदन करूंगा कि जयपुर में आज यदि चले जाओ तो यहां पर सरकार आफिसर्स को मकान देगी और आफिसर्स के मकानों में दफ्तर होंगे। यहां बहुत से आफिसर्स के मकान बने हुए हैं और कई दूसरे आफिसर्स जो कि सत्तारूढ़ दल पर हावी हैं उनको आप अलग से मकान देंगे और उन आफिसर्स के मकान में आफिसेस चल रहे हैं और कई स्थानों पर तो हालत यह है कि जिस भवन में दफ्तर बना हुआ है उसी में वह आफिसर भी रहता है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उसी भवन में आफिस और उसी में आफिसर रहता है तो कोई बच्चा आ रहा है कि मम्मी कहती है आलू की सब्जी खरीद कर लाना। गोभी की सब्जी खरीद कर लाना। उसी में साहब रहें और उसी में दफ्तर चले और उसी में कर्मचारी रहें तो यह व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सारी बातों के ऊपर विचार करें।

इसके अलावा एक दफ्तर कहीं पर है और दूसरा कहीं पर है। इसके कारण कर्मचारी परेशान हैं। एक आफिस चांदपोल में है तो दूसरा आमेर रोड पर और सेक्रेटेरियट आपका दूसरी तरफ है। कितना आने जाने में पेट्रोल फूंकेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपको सचिवालय

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

के पास ही सारे आफिसेस कायम करने चाहिए और जयपुर में दफ्तरों का यह हाल है इधर से उधर बदलते रहते हैं। आज एक

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दफ्तर एक जगह है तो कल दूसरी जगह पर। आपको भी माननीय मन्त्री महोदय मालूम नहीं होगा कि जयपुर में आफिसेस कहां कहां हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सैक्रेटेरियेट के पास खाली प्लाट पड़ा है वहां पर सारे आफिसेस बनाय। सारे काम एक स्थान पर ही लोगों के हो जायेंगे और पेट्रोल का खर्चा भी घटेगा। आज पोद्दार पार्क का 34 हजार वर्ग गज जमीन का क्या हुआ ? वह बिक रही है, वहां पर प्लाट्स कटने जा रहे हैं, उसमें कम रेवेन्यू आंक करके रजिस्ट्री कराने वाली बात हुई लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि आर्डिनेन्स निकाल कर या दूसरी प्रकार से संशोधन करके आप राजस्थान स्टाम्प एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं क्योंकि आप उस पोद्दार पार्क की जमीन को बचाना चाहते हैं। हो सकता है आपकी पार्टी को उससे किसी प्रकार का फायदा हो गया हो। इसी प्रकार से आलोक उद्योग ने भी जमीन बेच दी। अभी उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। श्री छंगानी जी और श्रीराम जी शायद इस सम्बन्ध में बोलेंगे कि उसका क्या हुआ। इसी प्रकार से राम बाग की जमीन 1।। लाख वर्ग गज का भी सौदा हो गया। सेक्रेटेरियट के सामने इसी प्रकार से बहुत बड़ी जमीन है, आलोक उद्योग की जमीन लेकर, पोद्दार पार्क की जमीन लेकर आप वहां पर सारे दफ्तर बना सकते हैं। इस प्रकार से जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, दफ्तर तलाश करने में समय लगता है वह समय भी नहीं लगेगा। सरकारी अफसरों के बंगले किराये पर लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। काम में भी गति लाई जा सकेगी।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि आज आप हर चीज का उपाय राष्ट्रीयकरण मानते हैं। अनाज की समस्या का उपाय राष्ट्रीयकरण, बसेज का उपाय राष्ट्रीयकरण, बच्चों की पुस्तकों का उपाय राष्ट्रीयकरण, भले ही पुस्तकों में अशुद्धियां हों। राजस्थान में पुस्तकों में इतनी अशुद्धियां हैं कि राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री 'भीखाभाई' की किताब में 'भीखानाई' छाप रखा है। इस प्रकार की गलत पुस्तकें छपेगी फिर भी आप हर चीज का उपाय राष्ट्रीयकरण मानते हैं। आप पी. डब्ल्यू. डी. में ठेकेदारी प्रथा को भी समाप्त कर दें। आप इसका भी राष्ट्रीयकरण कर लें। आप सड़कें बनायेंगे, आप नालियां बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि लोगों को कमीशन खाने वाली बात, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली बात ही समाप्त हो जाएगी। और इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। सरकारी भवन बनाए जाते हैं। सरकारी भवन पी. डब्ल्यू. डी. के वर्कर्स बना सकते हैं। जब सरकारी भवन पी. डब्ल्यू. डी. बना सकती है तो फिर सड़कें बनाने में, नाली बनाने में, पुल बनाने में आपने ठेकेदारी प्रथा प्रारम्भ कर रखी है जहां पर कमीशन खाने का काम भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम होता है, जो नहीं करना चाहिए और आपने सफलता प्राप्त की उसका श्रेय आपने लिया लेकिन जो असफलता प्राप्त की उन असफलताओं की सारी जिम्मेदारी आप अफसरों पर डालने की चेष्टा करते हैं। इधर आप सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारी प्रथा का राष्ट्रीयकरण नहीं करते हैं और कहीं पर कोई घपला हो गया तो अफसर बेईमान, सरकारी अधिकारी बेईमान। जो बढ़िया काम किया वह मैंने किया। श्रेय लेने का काम आपका और खराब काम अफसरों के नाम पर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और अच्छा काम आपके नाम पर। यदि आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, बेईमानी मिटाना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की ठेकेदारी प्रथा को आपको समाप्त कर देना चाहिए।

पिछली विधान सभा मे कुलदीप ठेकेदार के खिलाफ यहां पर कई प्रकार के चार्जेज लगाए गए थे। अहीमप्पा साहब ने 13 आइटम की इन्क्वायरी की और 60 लाख के बोगस भुगतान की बात और अन्यथा भुगतान की बात कही गई लेकिन उसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की बात सदन में नहीं बताई गई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज यह खुशी की बात है कि आपने इस हवामहल को जयपुर शहर का एक प्रकार से दर्शनीय स्थान है पर रंग सफेदी कराने का कार्य अपने हाथ में लिया है। इसके कंगूरे टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं। फारिनर्स इसको देखने के लिए आते हैं और इसके चित्र खींच कर ले जाते हैं। उसको गौर से देखते है तो कही पर खिड़की टूटी हुई है तो कहीं पर कंगूरे टूटे हुए हैं तो जो आपने इसकी मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया है उसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र है पर इसका गुलाबी रंग कायम रहना चाहिए और इसकी मरम्मत कर कंगूरे खिड़कियां आदि की भली प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर प्रकाश डाला जाता है वह सप्ताह में केवल दो दिन। इसको फोरिनर्स देखने आते हैं इसलिए ट्यूब लाईट लगा कर अथवा फोकस लाईट के द्वारा इस पर प्रकाश डालने की व्यवस्था होनी चाहिए।

फिर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सिरहड्योढ़ी बाजार जिससे होकर विधान सभा में आते जाते हैं, यहां पर हवामहल और सिरहड्योढ़ी है जिसको देखने के लिए फोरिनर्स आते हैं और इस सदन के 183 माननीय सदस्य भी आते हैं, जाते हैं, तो यहां की सड़क टूटी फूटी है। रामप्रकाश सिनेमा से आगे बढ़े तो वहां पर भाटे निकले हुए है। माननीय रामकिशोरजी भी यहां से निकलते हैं और शायद इस सड़क पर माननीय मंत्रीजी भी जब दिल्ली जाते हैं तो इस पर से होकर निकलते होंगे। इस सड़क की हालत बहुत खराब है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस रोड पर जो छोटा सा टुकड़ा है सुभाषचौक से माणकचौक तक, जहां पर हवामहल स्थित है इसकी आप शीघ्र मरम्मत कराने की व्यवस्था करावें।

(... ...)

दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से कहिए आपने जयपुर शहर में दूसरे इलाकों में लाईटिंग की व्यवस्था की है लेकिन सिरहड्योढ़ी बाजार में, आज जब कि आप रात को 9-10 बजे से पहले जाने वाले नहीं हैं, जिस समय यहां से जावें तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, रामप्रकाश सिनेमा तक, आप देखेंगे कि इस सड़क पर किस प्रकार अंधेरा रहता है और एक भी ट्यूबलाईट की व्यवस्था नहीं है। अन्धेरे में जिस प्रकार से यहां इस सदन के 184 सदस्य आते हैं, मिनिस्टर्स आते है जाते हैं, फारिनर्स आते है जाते हैं, जहां पर हवामहल स्थित है तो यहां पर आपको प्रकाश की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

फिर आपने जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की दुकानें जयपुर में स्थित हैं उनको नीलाम करने की कई बार चेष्टा की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन पी. डब्ल्यू. डी. की दुकानों में लोग वर्षों से रह रहे हैं।

Page No 118

(118)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पीढ़ियां गुजर गई हैं, बाप दादों की, इन पर बैठे २ मृत्यु हो गई, आज उनके बेटे पोते बैठे हुए हैं। इसलिए इन सार्वजनिक विभाग की दुकानों को आप नीलाम न करके हायर परचेज सिस्टम पर उन लोगों को जो उन पर बैठे हुए हैं उनको दे देंगे तो दुकानदारों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। वरना बार बार नीलामी की बोली लगती हैं, दुकानदार बोली में शामिल होते नहीं और सरकारी अफसरों को आना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन सार्वजनिक निर्माण विभाग की दुकानों को.........

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अगर हायर परचेज सिस्टम के आधार पर दे देंगे तो उचित होगा।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज आप नाहरगढ़ रोड पर चले जायं या आमेर रोड पर, आमेर रोड पर एक नाला आता है। पूरे का पूरा नाला जिसमें घाट दरवाजा तोपखाना हुजूरी होकर रामचन्द्रजी गगापोल दरवाजे से होता हुआ पन्नीगरों का नाला आता है। पन्नीगरों के इस नाले की सफाई करा कर इसके पाटने की आप व्यवस्था करावें।

इसी प्रकार ब्रह्मपुरी सड़क के दोनों ओर कच्चा बड़ा नाला है। ब्रह्मपुरी जयपुर शहर का एक उप नगर है। मैं आपको जयपुर शहर की सड़कों की दुर्दशा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके दोनों ओर के नाले को पक्का कराने की चेष्टा करेंगे।

इसी प्रकार कंवरनगर में आपने थोड़ा प्रयास किया है लेकिन नाले का पानी आखिर कहां जायेगा? इधर कोई माधोविलास की बिल्डिंग, उधर हरिजन बस्ती, आखिर पानी का निकास कैसे हो सकता है? आप पानी का निकास तालकटोरे में कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश वह आज भी कच्चा है। आप इसको ठीक प्रकार से बनावें।

इसी प्रकार सी-स्कीम के अन्दर

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के और भी माननीय सदस्य हैं?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो मिनिट और, उपाध्यक्ष महोदय। दो मिनिट में समाप्त करता हूं। सी-स्कीम का जो नाला है उसको भी पक्का बना कर दोनों ओर दुकानें बनानी चाहिए। इसी प्रकार नाहरगढ़ का और दूसरी कच्ची बस्ति हैं इनको आप ठीक करावें और नाले बनायें।

मैं अन्त में यह निवेदन करूंगा कि आपके भवनों की, जयपुर शहर के सारे भवनों की हालत खराब है। जयपुर शहर की एक बिल्डिंग में नार्मल स्कूल चलता है गणगोरी बाजार में जहां पर पहले घुड़शाल थी, जहां पर महारानीजी की घुडशाल थी वैसे ही आज भी बनी हुई है कमरों में टाट पट्टियां तक नहीं है। उनकी हालत खराब है। स्थान की इतनी कमी होने पर भी पी. डब्ल्यू. डी. के लोगों ने चार कमरे मोबाइल गोदाउन के लिए ले रखे हैं। लड़कों के बैठने के लिए स्थान नहीं है, पीने के पानी की टंकी तक नहीं है, वहां

(श्री गिरधारी लाल)

पर छत गिराऊ हालत में है। इस प्रकार की जो बिल्डिंगों की हालत है उनकी आप मरम्मत करावें।

यह बात केवल नार्मल स्कूल की ही नहीं है, जयपुर में जो स्कूल चलते हैं कोई दवाखाना में है तो कोई घुड़शाला में है। नाहरगढ़ रोड पर, गणगोरी बाजार में जाकर देखें, बच्चों को बैठन के लिए स्थान नहीं है। बच्चों के बैठने के लिए वहां पर पचास स्कूल पड़े हुए हैं। वहां पर रोशनी का प्रबन्ध नहीं है।

इसी प्रकार से राजस्थान विधान सभा के सामने जिस दरवाजे से कई दफा प्रदर्शन होते हैं और बाहर जाते हैं उसकी भी हालत को देख लीजिए। ढेर से आंटे पड़े हुए हैं, खण्डहर हालत में है। मानो कन्टीन उधर बन गई है लेकिन जिन बच्चों को आप कहते है कि राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए उनको आप यहीं विधान सभा के नीचे राजनीति सिखाते है। यहां से आवाज पड़ती रहती है कि माननीय जोशीजी की गाड़ी ले आए, माननीय बरकत साहब की गाड़ी ले आवें। वहां पर इस प्रकार की आवाजे जाती हैं। जो राजस्थान विधान सभा के नीचे वाला स्कूल है तो वहां की हालत तो आपको सुधारनी चाहिए, उसके कमरों को बढ़िया बनावें, टीन शेड लगावें, फोन लगायें और अच्छे वैल वेन्टीलेटेड कमरे बनावें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप रात को 9 बजे यहां स जाते तो यह कमरे देखते हुए पधारें कि हवामहल पर, सिरह-ड्योढ़ी बाजार में रोशनी की व्यवस्था नहीं है, घुड़शाल और दवाखाना में स्कूल चलते हैं। इस ओर आप ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(अपूर्ण)

इसी प्रकार विधान सभा के सामने जो धाभाईजी की हवेली है उसके सामने रोशनी की व्यवस्था नहीं है, पानी सुबह 7 बजे बन्द हो जाता है, इस ओर भी आप ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्री सांवरमल मौर्य।

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास की मांग पर मैं कुछ निवेदन करूंगा। राजस्थान में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज में आस्था रखने वालों की आज कोई नई परम्परा हो ऐसी बात नहीं है, हम परम्परा से सामुदायिक विकास और पंचायती राज में विश्वास रखते आए हैं। पर आजादी के बाद इसमें बढ़ोतरी नहीं होकर कमी ही हुई है। और इसमे कई कारण हैं। उनमें एक कारण यह है कि पहले यह व्यवस्था समाज और राज्य दोनों से होती थी। साथ ही जो लोग इसमें बुरा काम करते थे उनका अंकुश रहता था आज समाज इस मामले के अन्दर कानून के भय से उत्तरदायी नहीं है और सरकार की तरफ से भी लोग जो काम करने वाले होते हैं, वे समय पर सचेष्ट न रहने के कारण कई तरह की गड़बड़ियां राज्य के सामने आती है।

(श्री लूणाराम)

दूसरा निवेदन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह करना चाहूंगा कि पंचायती राज का जन्म देने वाला हमारा यही राजस्थान है और जिसको हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जवाहरलाल जी नेहरू ने नागौर में आकर 2 अक्टूबर, 1959 को जन्म दिया था वही पंचायती राज आज धीरे धीरे दूसरी तरफ जा रहा है और यों कहे कि समाप्त होने जा रहा है और इसके अन्दर हमारी बहुत सी गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं। हम स्वयं उसके लिए काफी उत्तरदायी हैं जिससे कि आज यह पंचायती राज समाप्त होने जा रहा है। जो 2 अक्टूबर, 1959 को हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया उसके बाद आज हम सत्ता का केन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और जो अधिकार पंचायती राज को दिए गए थे वे धीरे धीरे सरकार के अधीन होते जा रहे हैं। यह नहीं कि उनको अधिकार और दिए जाएं। मैं पंचायती राज पर विश्वास करता हूं और यह भी मानता हूं कि वहां पर गलतियां हुई हैं। परन्तु उन गलतियों को समय पर सुधार करना चाहिए था तभी पंचायती राज चलेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हर प्रकार की जो योजनायें उस समय पंचायती राज को दी गई थी उनको हमने क्रियान्वित नहीं किया है। आज सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण चुनाव है। यह एक बहुत ही बड़ी पंचायती राज को असफल करने का कारण है। लोगों मे यह विश्वास नहीं है कि पंचायतों के भी चुनाव होंगे। चुनाव हो तो आदमी उत्तरदायी हो जाता है है और उनको यह विश्वास रहता है कि उनको जवाब देना है अपने उत्तरदायित्व के लिए इसलिए वे ईमानदारी से काम करते हैं। समय पर चुनाव न होने से और लम्बे समय तक एक ही आदमी के रह जाने से गलती होने का अंदेशा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो हमारी पंचायती राज के अन्दर शक्ति निहित थी जो अधिकार उसको दिए गए थे, वे वापिस लिए हैं आज पंचायत समितियों को तीन श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया कृषि पशुपालन तथा हैल्थ और यह भी सही नहीं रहा कि किस किस श्रेणी में किन किन पंचायत समितियों को आप रख रहे हैं। इससे भी विकास में बाधा उत्पन्न की गई। आज हमारे यहां पर विकास अधिकारी का सवाल है। पशु प्रसार अधिकारी को विकास अधिकारी बना दिया गया है। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। जिस डॉक्टर को हमने रुपया देकर पढ़ाया, टेक्नीकल ट्रेनिंग दी वह अपने पेशे को आज भूल गया है और अनावश्यक कार्यों में फंस गया है। इस तरह से वह अपने पेशे में असफल हो गया है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम पशु प्रसार अधिकारी को विकास अधिकारी नहीं बनाया जाए तो अच्छा होगा और जिस तरह से पंचायत समितियों के अन्दर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं उसी तरह से पशु पालन हैल्थ का एक सेन्टर स्थापित किया जाए और डाक्टरों की सेवाएं ली जायें और जिस पेशे की ट्रेनिंग उनको दी गई है उसका जनता को फायदा दिलाया जाय।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों की आर्थिक स्थिति है। व आज जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है। पंचायतें अपने काम को चलाने लायक नहीं रही हैं। उनके पैदा होने का कोई जरिया नहीं है और न सरकार उनको काम करने के लिए कोई अनुदान दे

(श्री लूणाराम)

रही है। इसी प्रकार से 1951 को जन-संख्या के आधार पर आज पंचायतों के वार्ड बने हुए हैं। इसके लिए भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसके वार्ड बनाये जाएं। पंचायती राज के महत्व को देखते हुए और बढ़ी हुई जनसंख्या को तथा सत्ता की महत्वाकांक्षा को देखते हुए, इस आधार पर पंचायत की सदस्य संख्या बढ़ाई जानी चाहिये जो 20 या 25 तक करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया था गांवों में कई प्रकार की शिक्षाप्रद योजनायें प्रारम्भ की गई थी, जैसे समाज शिक्षा के द्वारा गांवों के अन्दर कई प्रकार की चीजें ली गई थीं, युवक मण्डल, भजन मण्डली, महिला मण्डल और प्रौढ़ पाठशाला। आज हम यह देखते हैं कि 2 अक्टूबर, 1959 से जितनी भी योजनाएं पंचायत समितियों के मार्फत प्रारम्भ की गई थीं वे सारी की सारी योजनायें समेट कर उसका एक एकीकरण हो गया है और पंचायत समितियों एक ढांचा मात्र रह गई हैं। जो एक डाक आफिस से अधिक उनके नाम कोई सेवा नहीं रही है। इसी प्रकार से गांवों के अन्दर दूसरे जो काम पंचायतों को करने हैं वह कोई नहीं कर रहा है। पंच, सरपंच बैठे हुए हैं। इसके साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज कई पद रिक्त पड़े हुए हैं। सरकार आज तक उनका चुनाव नहीं करा सकी है। इसलिए मैं विकास मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 6 महीने तक नामजद करने का मन्त्री महोदय को अधिकार हो तो कम से कम चुनाव होने तक इन रिक्त स्थानों को भर दिया जाए ताकि काम चलाया जा सके। अन्यथा स्थिति यह है कि आज पंचायत समितियों में कोरम के अभाव में काम नहीं हो रहा है। यह पंचायती राज का हाल है। पंचायतों का ऑडिट और निरीक्षण पूरा का पूरा कर लिया जाता है लेकिन उसके बाद कोई उस पर गौर नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है जिसके कारण से वे लोग लापरवाह हो जाते हैं और गलती करते हैं।

इसके साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात पंचायती राज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, वह यह कि पंच, सरपंचों को कोई भी गलती अगर वे करते हैं तो दण्ड स्वरूप, या जांच होने तक निलम्बित कर दिया जाता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि वे गलती करते हैं तो उनको दण्ड नहीं दिया जाए। उनको दण्ड दिया जाए हटा दिया जाए किन्तु नौकरों की तरह यह जो उनको निलम्बित करने की कार्यवाही की जाती है, इसके अन्दर हम उनको उल्टा गुलाम बना देते हैं और निलम्बन की यह कार्यवाही उचित नहीं कही जा सकती है। मैं पंचायती राज मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर विचार करेंगे और निलम्बन की व्यवस्था इसको हटाएंगे क्योंकि निलम्बन की कार्यवाही करना एक कार्यकर्ता का अपमान है और यह गुलामी की द्योतक है।

इसी प्रकार से पंचायतें जो काम करती हैं, हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार कर दिया। अगर इन पंचायतों की आय के आंकड़ों को देखें तो कहीं हजार, या दो हजार रुपया है, तो कहीं तीन हजार रुपया और ज्यादा से ज्यादा चार हजार रुपये तक वार्षिक है। तो इसके अन्दर क्या वे खा जाते हैं। आज

(श्री भूराराम)

उपाध्यक्ष महोदय, सरपंच पढ़ा लिखा अधिक नहीं है और इस तरह उसके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। भोले और सीधे आदमी को फांस करके खड़ा कर दिया जाता है। वह इस सबसे अनभिज्ञ होता है। मैं पंचायती राज मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम जिस तरह से पंचायत समितियों को विकास अधिकारी का पद दे रखा है और विकास अधिकारी ही हिसाब के लिए उत्तरदायी है उसी प्रकार से सेक्रेट्री या ग्राम सेवक को पंचायतों का सेक्रेट्री बना दिया जाए और कम से कम इन चुने हुए व्यक्तियों के पास रोकड़ और कैश का काम कतई नहीं रहना चाहिए और वह सारा सेक्रेट्री के जिम्मे रहे ताकि हमारा पंचायती राज भली प्रकार से फूले फले और बढ़े और जन प्रतिनिधि इस बुराई से बच सकें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायतों की आर्थिक स्थिति कैसी है। वे अपने चपरासियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाती है। तो इसमें (घण्टी) यह बात सरकार को करनी चाहिये कि कम से कम पंचायतों को अधिक से अधिक अनुदान देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारें ताकि वे आगे बढ़ कर काम कर सकें। जिस प्रकार नगरपालिकाओं को पैसा देकर निर्माण कार्य कराया जाता है उसी हिसाब से पंचायतों को पैसा मिलना चाहिये। इसी प्रकार से आज, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस पंचायत एक्ट के अन्दर कम से कम 10 पर्सेन्ट मालगुजारी पंचायतों को देने का प्रावधान रखा हुआ है, लेकिन 2 अक्टूबर, 1959 से आज तक इस पर विचार नहीं किया गया है। उसकी वजह से पंचायतों का काम रुका हुआ है। वैसे आमदनी से पंचायतों को अलग रखा गया है एक्ट के अन्दर प्रोवीजन होते हुए भी उनकी उपेक्षा की गई है। कम से कम आप पंचायतों को स्पेशल बजट देकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे वह अपने कामों को सम्पूर्ण कर सकें।

आज पंचायत समितियों के निर्माण कार्य में सबसे बड़ी बाधा जो है वह ओवरसियर है। तकनीकी मन्जूरी के लिए वह बड़ा भारी सिरदर्द बना हुआ है। एस्टीमेट बनाने में सिरदर्द है। हम जानते हैं और जोशी साहब से निवेदन करते हैं कि वे इस समस्या को सुलझायें ताकि वह रकम 31 मार्च तक खर्च नहीं कर पाती है। उसका एस्टीमेट नहीं बन सकता है। जिसके कारण आज पंचायत समितियां जिलाधीशों के मारफत वर्षों व महीनों से लिख रही है। पर कागज पत्र उठाकर आप देखें तो अनेकों एस्टीमेट और नक्शे तकनीकी स्वीकृति के लिए किस तरह से कितने पड़े हैं लेकिन वह कम्पलीट नहीं कर पाते हैं। सबसे ज्यादा अगर पंचायत समितियों के काम के अन्दर कोई बाधा नहीं है तो वह यह कि समय पर एस्टीमेट नहीं बनते हैं। मेजरमेंट नहीं बनते हैं। तो पंचायत मन्त्रीजी जो निर्माण मंत्रीजी भी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समस्या को सुलझाया जाय तो पंचायतों का काम बहुत कुछ हलका हो सकता है।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग के बारे में आपसे निवेदन करूंगा। बड़े अफसोस और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सड़कों के बारे में 26 जिलों के बजट को मैंने देखा है तो दुर्भाग्य वाले चूरू और जैसलमेर यह दो ही जिले ऐसे नजर आये हैं कि जिनके अंदर कम से कम मरम्मत और नये निर्माण

Page No 123

(123)

(श्री लूणाराम)

के कार्य का प्रोग्राम या पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं है। कम से कम 400 सड़कों का प्रावधान बजट में होते हुए भी इन दो जिलों में एक भी सड़कों का प्रावधान नहीं रखा गया है। 1973–74 में इन दो जिलों ने क्या गुनाह किया! जैसलमेर में तो फिर भी काम चल सकता है कुछ कंकरीली जमीन होने के कारण लेकिन चूरू तो धोरा धरती है उसके अन्दर भी सड़कों का निर्माण न हो तो कैसे काम चल सकता है। मैं इस बारे में ज्यादा न कहकर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि या तो सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का उधर ध्यान नहीं हुआ या वित्त मंत्रीजी ने इन जिलों के लिए इन्कार कर दिया होगा इसलिए उनको बजट में नहीं रखा गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि चूरू जिला अत्यन्त महत्व का जिला है जहां पर भी सड़कों की आवश्यकता है। वहां की धोरा धरती के लिए सड़कों की आवश्यकता है।

मैं अब मेरे क्षेत्र के लिए निवेदन करूंगा कि लूणकरनसर से नागौर तक की सड़क की आवश्यकता है जिनके पोर्शन बाद से कातर व श्री डूंगरगढ़ से कालू जो कि पंजाब को गुजरात से मिलायेगी और गंगानगर से जोधपुर तक मिलायेगी ताकि वह सुलभ नजदीक का रास्ता हो जाय व सेरूना कातर तथा बीदासर और कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिसके पूरा होने पर बहुत अच्छा काम हो सकता है यातायात का।

इसी तरह से चूरू जिले में और महत्वपूर्ण सड़कें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी सड़क इस बजट में नहीं रखी गई है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन महत्वपूर्ण सड़कों पर विचार करें और उनको बजट में शामिल नहीं करने के बारे में कुछ जानकारी दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से माननीय मंत्री महोदय जो कि हमारे उपनेता भी हैं उनको यह निवेदन करूंगा कि आज हमारे पश्चिमी राजस्थान में रेलों का अभाव है। तो मैं जो सुझाव दूं उन रेल लाइनों को अगर पूरा करा दें तो हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है। नागौर से हनुमानगढ़ वाया लालगढ़, श्री डूंगरगढ़, भेमासर सरदारशहर, बलू व रावतसर होते हुए अगर रेल लाइन भारत सरकार दे दे तो इससे पंजाब और गुजरात डाइरेक्टली मिल जायेगा और राजस्थान उसके बीच में आ जायेगा। इसी प्रकार से दूसरी लाइन जो है वह सुजानगढ़ से अनोपगढ़ वाया बीदासर, श्री डूंगरगढ़, कालू, लूनकरनसर, छतरगढ़, छगासरा होती हुई अनोपगढ़। यह एक ऐसे क्षेत्र का मेल करायेगी जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसी प्रकार से सादूलपुर से पूगल वाया तारानगर, सरदारशहर, लूनकरणसर होती हुई। तीन लाइनें तो ये बड़ी हैं और चौथी लाइन अत्यन्त महत्व की है वह है हमारे फतेहपुर से रतनगढ़ का 26 मील का टुकड़ा है। यह इतने महत्व का है कि इतना सा टुकड़ा पूरा होने पर बीकानेर से जयपुर की तरफ जाने वाली लाइन के लिए नजदीक का रास्ता कम हो जायेगा और जो भी गाड़ियां जायेंगी तो इतना सा रास्ता पूरा होने से यह सुविधापूर्वक रास्ता हो जायगा। यह बहुत हित की बात है। इसके बारे में यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे उपनेता महोदय इस संबंध में फेमीन में काम करायें और बाद में भी जल्दी से जल्दी काम करायें

(श्री लूणाराम)

तो और भी बढ़िया होगा। राजस्थान मेल के लिए रास्ता नहीं साउंड से कोई रास्ता रेलवे विभाग को नहीं मिल रहा है। यह रास्ता निकल जाय तो इसमें बढ़कर जयपुर से आने के लिए दूसरा रास्ता नहीं हो सकता।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्र के अन्दर खास तौर से मेरे एरिया के अन्दर रेलवे क्रासिंग की बहुत बड़ी समस्या है। पहले जो रेलवे क्रासिंग सी श्रेणी के थे उनको बी श्रेणी का कर दिया और उनको खम्भे लगाकर बन्द कर दिया गया है और आज 30 30 मील तक कोई रास्ता नहीं है। आज वहां पर मोटरगाडी, ऊंटगाड़ा, या किसी भी प्रकार का वाहन लेकर इधर उधर से नहीं जा सकता। इसलिए इस बार में केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया जाय। हमने भी काफी लिखा पढ़ी की तो रेलवे विभाग ने यह कहा कि जो खर्चा लगे उसका आधा राजस्थान सरकार वहन करने को तैयार हो तो हम उन खम्भों को हटाने को तैयार हैं। मैं यातायात मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारा जो यह संकट है, यह जन समस्या है कि एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते है, हमारे गाड़े नहीं जा सकते हैं तो ऐसे रास्तों के लिए विचार किया जाय, तो मैं आपका बड़ा भारी अहसानमन्द होऊंगा।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में रेलवे की पुलियों की आवश्यकता है जिसके कारण से जब बरसात में पानी भर जाता है तो एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति है कि आज अकाल के कारण बेकारी है। रेलवे पुलियों की समस्या है रेलवे की पुलियों का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से हमारा काम अटका हुआ है जो रखाया जाए। बिगा व स, रामसरा व बेरासर निर्माण कार्यों को देखते हुए मेरे क्षेत्र के अन्दर मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई, सहायक अभियन्ता का दफ्तर मुकर्रर किया जाय। श्री डूंगरगढ़ में वहां पर अनको फेमिन सड़कों का निर्माण हो रहा है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का दफ्तर कायम कर दिया जाय जिससे हमारे कामों में काफी सहयोग मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो हमारे यहां राष्ट्रीय पथ 11 के लिए जमीनें ली गई हैं उन खेतों का मुआवजा नहीं मिला है। इसके बारे में, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम जहां पर होकर सड़क निकले तो मुआवजा तो कम से कम उनको दिया जाय ताकि किसान अपने नुकसान की कमी को पूरा कर सके।

आज इसी प्रकार से दूसरी चीजें हैं। हमारे चूरू जिले के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, सात तहसीलें है। उन 7 तहसीलों के अन्दर तहसील मुख्यालयों के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है जो सरकार की बनवाई हुई हो जबकि लाखों करोड़ों रुपयों की वहां से इनकम होती है। तहसील के मुख्य कार्यालयों का निर्माण नहीं होना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए कम से कम तहसील कार्यालयों के भवनों का निर्माण जो नहीं है जल्दी से जल्दी हमारे चूरू जिले के अन्दर करवाया जाय जिससे वहां की स्थिति में सुधार हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री लूणाराम)

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करके समाप्त कर रहा हूं। यह सब कुछ होते हुए भी हमारा जो लोक-निर्माण विभाग है वैसे तो कहने के लिए पुलिस को बदनाम करते हैं लेकिन पुलिस भी उसी की दुश्मन होती है जो कि अपराध करता है, लेकिन लोक निर्माण विभाग तो आज धीरे धीरे हमारे अन्दर फेमिन के मार्फत घुस रहा है। फेमिन डिपार्टमेंट के कारण हमारे अन्दर घुस रहा है। इसकी बुराई की जड़ें हमारे अन्दर घुस रही हैं। अभी तक जो सरकार की घोषणायें थीं उससे यह आशा बन्धी थी कि काम में सुधार होगा, पर हममें कोई सुधार नजर नहीं आया। इस बारे में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर शेरूना सूडसर की एक कंकरीट की सड़क बन रही है फेश में उस कंकरीट की सड़क बनाने के लिए मजदूरों के साथ वही बदमाशी होती है। उन मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उन मजदूरों का गुनाह यह है कि उन्होंने कलेक्टर के यहां दरखास्त दे दी काम पर न जाने व गड़बड़ी की इसलिए मजदूर हमेशा लगा नहीं रहे। इससे निराश होकर 16 मार्च से जो हफ्ता प्रारम्भ हुआ है, उसका उनको तीन किश्तों में पेमेंट किया गया है। कहीं तो हम यह कहते हैं कि हम उनको काम देंगे। 100 रुपये महीना देंगे। वहीं पर 1 रु० 44 पैसा आया है 16 रोज का। दुसरी मजदूरी एक फरवरी से शुरू हुई है। एक महीने की कुल मजदूरी 16 जनवरी से 15 फरवरी की एक आदमी को 4 रु० 20 पैसा है। बच्चों की 3 रु० 25 पैसा है। यह कुल मिला कर मजदूरों की मजदूरी है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा, आज सवाल यह है,

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मजदूरों ने मांग की कि हमारे काम की नाप ले लो।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ मिनट और दे दें।

उन्होंने कहा कि हमने काम को नापा है। तो लोगों ने कहा कि हमारे सामने नापो। तो कहते हैं कि 10 रु० दो। उपाध्यक्ष महोदय, 2 महीने हो गये हैं, उन उन मजदूरों को कोई पैसा नहीं मिला है। कहने का मतलब यह है कि जब स्ट्राइक की कि हम को लगा नहीं रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, आज जो रवैया अख्तियार कर रखा है, उससे मजदूरों में बहुत असन्तोष है। उनके खाने का कोई और जरिया नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस समस्या के विचारार्थ विश्वास में लिया जाये। इसी प्रकार से एक जेतासर के मजदूरों को एक हफ्ते काम पर नहीं लिया। जब 500 मजदूरों ने ए० इ० एन० का घेराव किया कि काम दो। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो अधिकारी हैं, इस विभाग में जो कम से कम पुराना धब्बा है, और जो इस विभाग का रवैया है, उसमें सुधार किया जाये। ताकि अकाल के समय में लोगों को मेहनत का पैसा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय का खयाल है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यसवन्तसिंह नाहर (अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री भगराज चौधरी

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की चर्चा हो रही है। उसके संबंध में मैं, निवेदन करूंगा, वैसे देखा जाये तो राजस्थान सारा ही आवागमन के साधनों में बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। आजादी के बाद आवागमन के साधनों की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से इन जिलों की ओर राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जो भी पैसा दिया है, अधिकतर 80% पैसा पूर्वी जिलों में ही लगाया गया है। मैं भी जिस जिले से विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैंने बराबर यह ख्याल रखा है और यह मालूम करने की कोशिश की है कि जालौर और बाड़मेर जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं, उनके लिए राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितना प्लान में पैसा रखा है। कितना पैसा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि हरहाल इन जिलों को नेग्लेक्ट किया गया है। पिछले साल 15–20 हजार की राशि रखी गई थी जालौर के लिए, लेकिन वह भी मिलने वाली नहीं थी। इस वर्ष ढाई करोड़ के करीब रुपया सड़कों के निर्माण के लिए रखा है। जो विशिष्ट जिलों के तहत में रखा गया है। जालौर जिले का नाम आता है तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसका कोई नाम नहीं आता है! आखिर में हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जो भी पैसा हम विभिन्न डिपार्टमेंट्स के मातहत रखते हैं, उसका सभी जिलों में बराबर बंटवारा होना चाहिए। ताकि सभी जिलों का समुचित विकास हो सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ जिले ऐसे होंगे कि जहां सड़कें हो जायंगी। सिंचाई की व्यवस्था हो जायेगी और, कुछ जिले ऐसे रहेंगे जो सदियों से पिछड़े रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य सदन में बैठे हैं और मंत्री महोदय भी परिचित होंगे कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों की समस्या विशिष्ट प्रकार की है। वहां निरन्तर अकाल की स्थिति बनी रहती है। पुराने समय में, रियासतों के समय में, आय के साधन कम होने से, उस समय इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। जो सार्वजनिक निर्माण थे, उन पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। राजस्थान निर्माण के बाद जो स्थिति में अन्तर आना चाहिए था, वह नहीं आया है। बाड़मेर को छोड़ कर वहां और कोई पक्की सड़क नहीं मिलेगी। दुर्भाग्य से जो दो लगातार अकाल पड़े हैं, 67-68 में और अभी, तो कुछ सड़कों के काम को महत्व दिया गया। तहसील हैडक्वार्टर्स को जोड़ने वाली और सब-डिविजनल हैडक्वार्टर को जोड़ने वाली सड़कों का काम हाथ में लिया गया था। उस समय जो मेटल बिछाया, तारकोल बिछाया, उसकी भी आज ऐसी हालत हो गई है जिससे लगता है कि उनका भी कोई धणीधोरी नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उनकी मरम्मत की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग ध्यान नहीं देगा तो और कौन विभाग होगा जो सड़कों की मरम्मत का ध्यान देगा। कोलतार बिछाया है, मेटल बिछाया है। उनकी मरम्मत शीघ्र हाथ में लेनी चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग को हाथ में लेनी चाहिए। नहीं तो कुछ दिनों के बाद उनकी

(श्री मगराज चौधरी)

ऐसी हालत हो जायेगी कि वहां सड़क बनी हो नहीं है। जालोर जिले में सड़कों का कार्य बहुत पिछड़ा रहा है। इसलिए नहीं कि जैसा कि प्रदेश के सभी जिलों के आवागमन के साधन बढ़ाने के लिए होता है, वह जालोर जिले के लिए भी होना चाहिए। तो कुछ तो संतोष होगा। लेकिन बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है, बजट का एलोकेशन डिपार्टमेंट की मारफत आते रहेंगे। मरम्मत का काम हाथ में ले लेना चाहिए। जालोर और बाड़मेर जहां बिल्कुल सड़कें नहीं है तो वहां जोड़ने वाला सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

ज्यादा इस सदन का समय न लेकर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों जिलों के विकास के लिए पूरा ध्यान दिया जाय। यह जिले सीमावर्ती जिले हैं, दूसरे साधन वहां पर मौजूद नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जालोर जिले में काफी बड़ी बड़ी नदियां हैं बाड़मेर जिले में धोरे हैं, इसलिए जब तक इन जिलों में आवागमन के साधनों का विकास नहीं करेंगे तब तक किसानों का जो खाद्यान्न है, माल है, उसको मण्डी लाने, ले जाने में असुविधा पैदा होती है और ट्रक या मोटरों के जरिये वहां ले जाने की बात सोचते हैं तो उसमें भी दिक्कत पैदा होती है। इसलिए पूरा पूरा ध्यान देकर कुछ न कुछ इन जिलों के अन्दर सड़कों के विकास की व्यवस्था करने के लिए करना चाहिए। इसके लिए दूसरे जिलों से भी कुछ पैसा काटना पड़े, तो यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, कुछ जिले ऐसे हैं, जो पहले छोटी छोटी रियासत थे, उनमें काफी विकास हो चुका है लेकिन बाड़मेर और जालोर पिछड़े हुए जिले हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनका जिला काफी पिछड़ा हुआ हैं, मेरा निवेदन है कि अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें और जो पिछले दस सालों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के विकास पर पैसा लगाया है, उसको देखें तो यह स्थिति सामने आयेगी कि जालोर और बाड़मेर जिले में बहुत कम पैसा सड़कों के विकास के लिए दिया है। मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर मंत्री महोदय, जो यहां बिराजे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर पूरा विचार करें और जो पैसा का प्रावधान आपने किया हैं, उस पर आप पुनर्विचार करें और जालोर और बाड़मेर जिले पिछड़े हुए नहीं रहे इसके लिए ज्यादा पैसा देंगे। आप इस पर पुनर्विचार करेंगे तो किसी न किसी तरह इस सीगे में हमें ज्यादा पैसा मिल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, पिछले इण्डो पाक अग्रेशन के वक्त में गंगानगर में मिलिट्री मूवमेंट काफी रहा। उस वक्त सड़कों का काफी नुकसान हुआ। हमारा हमेशा यही निवेदन रहा सरकार से चूंकि यह बोर्डर डिस्ट्रिक्ट है और मिलिट्री का मूवमेंट काफी होने के कारण से जो नुकसान हुआ है, उसका कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। रिपेअर और मेन्टीनेन्स के अलावा बोर्डर के डवलपमेंट के लिए वहां सड़कों के इन्तजाम और व्यवस्था को करने के लिए कुछ करना चाहिए। मान्यवर, आज से कोई तीन, चार साल पहले बोर्डर रोड्स के नाम पर सेन्टर से पैसा एलोकेट हुआ था। उसके सम्बन्ध में

(श्री केदारनाथ)

स्केण्डल के बारे में चर्चा हुई और यह तय हुआ इस हाउस में कि इसकी जांच की जाय। वह सारा का सारा मामला रेफर कर दिया सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री फोर ट्रान्सपोर्टेशन को। अब जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें मिली है और जो आंकड़े मिले हैं उनमें उसका जिक्र नहीं है, अब उस मैटर का क्या हुआ, क्या वह मैटर एण्ड हो गया। स्केण्डल्स क्या थे, किसने किये, कौन आफिसर दोषी थे, कौन कान्ट्रेक्टर दोषी थे, ऊंचे लेवल के कुछ आफिसर सेन्टर से आये थे, लेकिन उसके बाद हमारी नालेज में इन्फार्मेशन में कोई चीज नहीं आयी है।

मैं जानना चाहता हूं सेन्टर ने एक रोड आर्गेनाइजेशन बनाया है, उस सम्बन्ध में हमारी सरकार की पालिसी क्या है। दस मील का एरिया बोर्डर के आस पास का है, वहां पर रोड्स के डवलपमेंट हो, क्या इस काम को केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया है या राज्य सरकार के मार्फत से वह होगा? यह जानकारी मैं इस लिए लेना चाहता हूं, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि ज्यादा बोलूं। हाउस की कार्यवाही देर से शुरू हुई है, इसलिए मैं दो चार पाइन्ट ही रेज करना चाहता हूं।

राजस्थान केनाल में इतना मण्डी डवलपमेंट का काम है कि वहां के लिए एक कमिश्नर की पोस्ट क्रियेट कर दी है। मंडी डवलपमेन्ट के लिए रोड्स का, ब्रिजेज का कन्स्ट्रक्शन होगा उसके लिए आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पाइन्ट आफ व्यू से कमिश्नर की तो नियुक्ति कर दी और मंडी डवलपमेंट के लिए रिपोर्ट बना कर भी भेज दी कि इतना रुपया चाहिए। लेकिन पी. डब्लू. डी. से किस के मार्फत आप कार्डीनेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पाइन्ट आफ व्यू से मंडी डवलपमेंट के लिए केवल कमिश्नर की नियुक्ति कर दे यह गलत है। मिनरल डवलपमेंट के लिए आपने एक आथोरिटी कायम करके, एडीशनल चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के मार्फत काम करवाया तो प्रोग्रेस हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान केनाल में मंडी डवलपमेंट के काम को करने के लिए कमिश्नर के साथ इंजीनियर हो, ताकि वहां पर कार्डीनेशन हो। वहां पर कार्डीनेशन आप स्टेट कैपिटल में बैठ कर करवायें तो निरर्थक होता है। जिस जगह काम होता है, वहां पर पूरी आँथोरिटी हो कमिश्नर की उसके साथ आप ऐलान करें कि पी. डब्लू. डी. के साथ कार्डीनेशन का ताकि मंडी डवलपमेंट का काम हो और ब्रिजेज का कन्स्ट्रक्शन हो वरना वह नहीं हो पायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने हमारे मन्त्री महोदय ने पिछली बार एक हाइ पावर जांच कमेटी की घोषणा की और श्री अडियप्पा साहब को वह काम सौंपा कि गंगानगर में जितने सड़कों के काम के अंदर गबन हुए हैं, घोटाले हुए हैं, इर्रेगुलेरिटी हुई हैं- उनकी जांच करे। एक क्वेश्चन के उत्तर में मन्त्री महोदय ने फर्माया था कि सेक्रेटेरियट लेवल पर उस रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं, क्या आफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेना है, क्या कान्ट्रेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेना है। मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए यह निवेदन करूंगा, आपने इस हाउस में आश्वासन दिया था, अब आप घोषणा करें कि क्या क्या एक्शन आपने ले लिये हैं और

(श्री केदार नाथ)

क्या क्या एन्टीसिपेट कर रहे हैं। मैं इसलिए यह नहीं कह रहा हूं कि कोई कान्ट्रैक्टर से द्वेष है या आफिसर से द्वेष है लेकिन इस हाउस के फ्लोर पर घोषणा होने के बाद जांच कमीशन नियुक्त हो जाय या कमेटी नियुक्त हो जाय और उसकी जो रिपोर्ट हो, फाईंडिंग्स हों, उनके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो आयन्दा के लिए, जो गबन करते हैं, घोटाले करते हैं, उनको एन्करेजमेंट मिलता है और जो आफिसर्स को प्रोटेक्शन मिलता है, कन्ट्रैक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलता है, इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली लाना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगी इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके बारे में जानकारी मिल जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी नियुक्त कर दें, पी. डब्लू. डी. के जो रूल्स रेगुलेशन्स हैं, टेण्डर के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में, पेमेन्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, उनको नये तरीके से कैसे बनाया जाय, क्या क्या चेंजेज उनमें आये। मेरा निवेदन है कि पी. डब्लू. डी. के रूल्स रेगुलेशन्स के लिए ऐसी कमेटी नियुक्त कर दें, ताकि जो पिछले पांच दस साल का एक्सपीरियेन्स है, उनका फायदा उठा कर और जो देश में चेंजेज आई हैं डेमोक्रेटिक सेट अप के अन्दर, उनको इनकोरपोरेट कर ले जिससे स्ट्रीम लाइन हो सके।

इसके साथ साथ रिसर्च एण्ड डिजाइन का प्रश्न है। आज के बढ़ते हुए साइन्स और टेक्नोलोजी के युग में इसका एक सैल क्रियेट होना चाहिए, जिससे बहुत सी जो नई चीजें निकल रही हैं, बहुत सा रिसर्च का लिट्रेचर निकल रहा है उनकी स्टेडी हो सके और रिसर्च का काम वह सेल करे। इस सेल को रिसर्च का काम सौंपा जाय, साइन्स और टेक्नोलोजी के अन्दर जो नई चीज निकल रही है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करे और उनके मुताबिक सारी चीजों को कैसे बदले इसके लिए सेल का होना बहुत जरूरी बात है। पी. डब्लू. डी. महकमे में यह कमी रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से और उसमें रिसर्च एण्ड डिजाइन की दृष्टि से कम ध्यान दिया गया है।

नेशनल हाई वे के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे जानकारी मिली है, जितना पैसा खर्च होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम रेफर की हैं, वह सेंक्शन होकर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की कम्पीटेंस से बाहर है, जितना पैसा है उसे युटिलाइज करना। मेरे पास कुछ आंकड़ें हैं, जिससे मालूम पड़ता है, डेढ़ से दो करोड़ रुपये तक लेप्स हो गया, पैसा खर्च नहीं हुआ इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे में, जैसा सेन्टर ने कहा, यह काम चीफ इंजीनियर को सौंपा जाय, एक आथोरिटी कायम हो ताकि जो ऐसे काम हैं उनका कन्ट्रोल और सुपरविजन ऊपर से होता है। वह एक आदमी के होने से युनीफाइड हो और जिससे स्टेट लेवल तक अच्छा काम हो।

इतना कहते हुए मैं पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरी मान्यता है, मान्यवर आज यहां डिसेन्ट्रेलाइजेशन पर विश्वास करते हैं स्टेट में और सेन्टर में मिक्स्ड फाइनेन्स कमीशन नियुक्त होता है, वहां पावर डिफाइन करते हैं, फाइनेंसियल पावर

(श्री केदारनाथ)

डिफाइन करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का पैटर्न तय करते हैं। इसी तरह से राज्य सरकार स्वायत्त शासन की ऐसी इकाइयों के लिए कमीशन बैठाये, जो पावर डिफाइन करें, फाइनेंसियल मैटर में पावर तय करें कि इतने तक फाइनेन्सियल पावर और इतने तक एडमिनिस्ट्रेटिव पंचायतों की पावर हैं, कोर्पोरेशन की हैं, बाकी के ट्रस्ट और म्यूनीसिपल बोर्ड की हैं ताकि उनको फ्री प्ले मिले काम करने का, इनसेन्टिव का, ड्राइव का। वर्तमान में सारी की सारी पावर स्टेट में सेन्ट्रेलाइज्ड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंसियल पावर, सैंक्शन करने की सारी पावर स्टेट के पास है और सरपंच, म्यूनीसिपल बोर्ड का चेअरमैन, कोर्पोरेशन का चेअरमैन–यह सारे के सारे सेंट्रेलाइज बने बैठे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के एपेन्डेजेज बनकर बैठे हैं. इससे उनकी स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट पहल करे इस मामले में और कमीशन नियुक्त कर दे जिससे पावर डिफाइन हो, फाइनेन्सियल मैटर की पावर डिफाइन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिफाइन हों और हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट के सामने एक एक्जाम्पल पेश करें। पंचायती राज के लिए तो एक हाइ पावर कमेटी बैठी है, पंचायती राज के अलावा बाकी की जो स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं, म्यूनीसिपल बोर्ड, उनके बारे में चाहते है कि पीपुल पार्टीसिपेशन मिले विकास के कामों में और वह विकास के काम हाथ में लें ताकि लोकल सेल्फ बाडीज आगे बढ़ सकें, लोगों में उनके प्रति आस्था उत्पन्न हो और समाजवादी समाज की पिक्चर वह पेश कर सकें, इसके लिए जब तक पावर डिफाइन नहीं होगी, वह सरकार के सामने हर मामले में जायेंगे हर काम में टेक्नीकल सेक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के लिए। पीछे पड़ते रहना, यह काम स्वायत्त शासन को समाप्त करने वाला है। आज पंचायती राज न तो वह इन्स्ट्रूमेंटल रहा चेंज का, न प्रोडक्शन में साथ दे, न वहां पीपुल्स पार्टीसिपेशन आता है, उत्साह है, न कान्फीडेन्स है इसलिए इस ढांचे को बिलकुल बदलना पड़ेगा अगर आप पंचायती राज को सफल बनाना चाहते हैं।

सर्विसेज के बारे में आपने दो कैडर्स बनाए। मैं इस बात को मानता हूं कि पंचायतों के हाथ में सर्विसेज आनी चाहिएं। अगर सर्विसेज का बाईफरकेशन न हुआ तो ठीक नहीं होगा। उनके फाईनेन्शल राइट्स का जहां तक सवाल है, वे उनको मिलने चाहिए। रीइम्बर्समेंट स्कीम हैं जिसका लाभ पंचायत के कर्मचारियों को नहीं मिलता। सारे पैटर्न को बदलकर पर्याप्त रिसोर्सेज उनको दे दें तो रिलेशन्स ठीक होंगे। पंचायती राज में चुने हुए नुमाइंदों का एम्पलाइज के साथ कोआर्डीनेशन होना चाहिए ताकि पंचायती राज सफल हो।

जहां तक सड़कों का सवाल है, गंगानगर जिले के बारे में ही नहीं कहता क्योंकि रूरल इकोनोमी का बहुत बड़ा हिस्सा जहां सिंचाई पर डिपेन्ड करता है, बिजली पर डिपेन्ड करता है, वहां रोड्स और मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स पर भी डिपेन्ड करता है। यह एक बहाना है कि हम राजस्थान कैनाल पर इतना खर्च कर रहे हैं। गंगानगर बोर्डर जिला है, ग्रैनरी है, सबसे बड़ी मंडी है, इसलिए जितना ज्यादा रुपया दे सकें रिपेयर्स और मेंटेनन्स के नाम पर नहीं, सड़कों को जोड़ने के लिए, तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग और विकास योजनाओं के सम्बन्ध में यहां चर्चा हुई। सबसे पहले मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाओं के संबंध में बोलूंगा। हम 4 योजनाओं को पार करके, आज फिफ्थ प्लान एप्रोच पेपर प्रस्तुत कर चुके हैं और इन चारों योजनाओं में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में हमारा धन वितरित रहा है, अगर उसको देखा जाय तो स्पष्ट मालूम होगा कि वह वितरण किसी वैज्ञानिक आधार पर, किसी ज्योग्राफीकल या टोपोग्राफीकल सिचुएशन के आधार पर नहीं हुआ है। या हमारी राजस्थान की डैमेजिंग इकोनोमी और राजस्थान के और जो नए फोर्सेज आए हैं या नए हमको एलीमेंट्स और मिनरल्स वगैरह प्राप्त हुए हैं या नए रॉ मटीरियल्स हमारी इर्रीगेशन पर आए है डेवलपमेन्ट के साथ मार्केट्स के, उन सबको दृष्टिगत करते हुए, उन योजनाओं का प्लानिंग नहीं हुआ है। यह सही है कि सन् 1965 में भारत-पाक युद्ध हुआ और आवश्यकता महसूस की गई जो केवल राजस्थान में ही नहीं की गई बल्कि भारतवर्ष की सभी बोर्डर सड़कों पर पूरा धन दिया जाना चाहिए और उनका निर्माण होना चाहिए और बोर्डर के चार जिले गंगानगर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पुनर्गठित किए गए और प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का निर्माण किया गया। ये एब्रप्ट फोर्सेज आई लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी प्लान्ड इकोनामी की वह कन्सीडर्ड मूव थी। वह तो घटना थी उसके अनुसार योजना ने मोड़ लिया। अगर आप फिगर्स देखे तो दूसरी योजना के अंदर हमारा आउटले 451:50 लाख था जो 8.94 प्रतिशत टोटल प्लान का था। तीसरी योजना में 1300 लाख जो टोटल प्लान का 5.5 प्रतिशत, चौथी योजना में 961:80 लाख था जो कि टोटल प्लान आउटले का 2.57 प्रतिशत था। वैसे आज हमारी पांचवी योजना एप्रोच में हम 1500 लाख के ऊपर होंगे। गांवों को कनेक्ट करने के सिलसिले में हमने 100 करोड़ की योजना उसमें सम्मिलित की है लेकिन वस्तुस्थिति क्या होती है, यह भविष्य ही बताएगा और जन आंदोलनों का क्या इम्पेक्ट है, वे सारी स्थितियां पैदा होंगी।

इसके अलावा आज सारे भारतवर्ष को देखते हुए अगर हम सड़कों की स्थिति देखें तो जो सर्फेस रोड्स की स्थिति है जहां समस्त भारतवर्ष के 100 किलोमीटर के पीछे 10 एवरेज है, वहां हमारा राजस्थान केवल 5 पर खड़ा हुआ है और सारे भारतवर्ष में 3 प्रांतों को नागालैंड, असम और जम्मू काश्मीर छोड़कर हम सबसे पिछड़े हैं सड़क के हिसाब से, जबकि हमारे देश व प्रांत की ज्योग्रेफी की मांग थी, सड़कों का ही एक साधन हो सकता था जो हमारी इकोनामी को गीयर अप करता है। अगर हम जिलेवार वितरण देखें सड़कों का और डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया देखें और वहां की स्थिति देखें तो ऐसा मालूम होता है कि जिलों की सड़कों का विकास कामर्स, इकोनामी और इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं हुआ लेकिन टोटली क्षेत्रीयवाद के आधार पर जिला सड़कों का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए, मैंने सारे जिलों की एरियाज और उनके अंदर टोटल सड़कों का एक चार्ट बनाया है। अगर आप एरियावाइज सड़कें देखें और जिलों की इकोनोमीवाइज सड़कें

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

देखें तो उनके अनुपात में बहुत बड़ा अंतर है। जहां अजमेर जिले में 8600 स्क्वायर किलोमीटर्स क्षेत्रफल है वहां टोटल रोड्स सफस, सीजनल रोड्स 1631 के अनुपात में गंगानगर का एरिया देखें तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है और सड़कें केवल 1643 किलोमीटर्स हैं। उदयपुर का जहां क्षेत्रफल 17320 स्क्वायर किलोमीटर्स है वहां टोटल सड़कें 3303 किलोमीटर्स हैं। एक तरफ आप गंगानगर की इकोनोमी देखें। आज गंगानगर साइट्स प्लांट्स में सारे भारतवर्ष में प्रथम आ रहा है, अनाज की सबसे बड़ी मंडी है बल्कि आप देखें कि आज हापुर और भटिंडा के आगे जा रही है। काटन के मामले में गंगानगर की मंडी है विशिष्ट रूप से कामर्स और ट्रेड में जो सड़कें गंगानगर में होनी चाहिए थीं और जिनका इम्पैक्ट सारे राजस्थान की इकोनोमी पर होता उसके आधार पर उदयपुर के अंदर जो सड़कें हैं उनका इम्पेक्ट नहीं होने जा रहा है। मैं क्षेत्रीयवाद की बात नहीं कहता। मैं मानकर चलता हूं कि जैसलमेर और बाड़मेर की स्थिति जो इसमें है, बाड़मेर में 28400 किलो मीटर है वहां कुल एरिया रोड माइलेज का 1509 किलो मीटर्स है, जैसलमेर की स्थिति तो बहुत गंभीर है। 30400 स्क्वायर किलो मीटर्स एरिया है वहां रोड लेंथ 1183 है। पक्की रोड लेंथ बहुत कम है। डामर की सड़क 714, बाड़मेर में डामर की सड़क केवल 376। बाकी फेयर वेदर रोड्स और दूसरी प्रकार की कच्ची और सीजनल सड़कें हैं।

जहां तक बोर्डर रोड्स का प्रश्न है, मुझे इसमें कुछ ऐतराज है ··

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसमें नहीं जोड़ा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मैंने बोर्डर क्षेत्र में एक ठेकेदार द्वारा भयंकर भ्रष्टाचार का मामला सदन में प्रस्तुत किया है। मेरा दृष्टिकोण भ्रष्टाचार के सनसनीखेज मामले प्रस्तुत करने का नहीं है। मैं एक निश्चित दृष्टिकोण और सिद्धांत लेकर चलता हूं। आज जब हमारी मान्यतायें बदल रही हैं, समाज के मूल्य बदल रहे हैं, हमारी आस्थायें बदल रही हैं और हम पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की जड़ों पर चोट कर रहे हैं और मिक्स्ड इकोनोमी के मिले-जुले रास्ते से, समाजवाद के रास्ते की ओर जा रहे हैं, तो ठेकेदारी प्रथा एक अभिशाप है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई कारण नहीं कि इस ठेकेदारी को चालू रखा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो नेशनल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन ने इस ठेकेदारी के लिये जो रिपोर्ट दी वह आज तक प्रस्तुत नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक इन्टरप्रोविन्शियल आरगेनाइजेशन बनाया था जो कि रोड्स के बारे में काम करता है। उसमें हमारे स्टेट के चीफ इन्जीनियर मध्य प्रदेश के चीफ इन्जीनियर, उत्तर प्रदेश के चीफ इन्जीनियर थे जिन्होंने कुछ रोड कन्स्ट्रक्शन के काम किये। इसमें चम्बल की बीहड के अन्दर का इलाका भी था। उन लोगों ने यहां पर जो कि रोड बना रहे थे उन्होंने डाकुओं से मुकाबला भी किया। लेकिन बाद में उसका भी एक तरह से काम खतम हो गया है।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री महोदय ने पंचायतों के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सम्बन्ध में भी इस सदन में कुछ व्यवस्थाओं के बारे में सदन में कुछ मूल्यवान घोषणायें की हैं। ऐसी ही कुछ अच्छी घोषणायें हमारे मन्त्री महोदय ने बसों के राष्ट्रीयकरण के बारे में की हैं। उसमें लोडिंग ट्रक्स पर टेक्सेशन के सम्बन्ध में भी कुछ घोषणायें की हैं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस ठेकेदार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया और इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त ही क्यों नहीं कर देते और सारा का सारा काम सरकारी एजेन्सी के थ्रू ही क्यों नहीं करवाते ? उपाध्यक्ष महोदय, आज इस पी. डब्ल्यू. डी. के विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में मेरे पास कई ऐसी सूचनायें हैं जो मैं सदन में रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कई गम्भीर मसले हैं। अगर आप उन्हें सुनें तो आप दंग रह जायेंगे। बहुत ही एलार्मिंग इनफोरमेशन्स है। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के जितने भी एक्स. ई. एन. केडर से ऊपर के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। क्योंकि ये प्लन्डर विदआउट डेन्जर है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इन्हें पूछिये कि इनके पास इतनी सम्पत्ति कहां से आयी। आप इनसे घोषणा करवायें कि इनके पास कितनी सम्पत्ति है ? और इनके साथ साथ उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी सम्पत्ति की भी घोषणा करवायी जानी चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने एक्स. ई. एन. को इन्वलूड नहीं किया था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा मतलब है कि एक्स. ई. एन. और उनके नीचे वाले इसमें इन्वलूडेड हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक ठेकेदार है कुलदीपसिंह जिसके खिलाफ में एक सिंगल मैन इन्क्वायरी कमेटी का गठन राजस्थान के एडीशनल चीफ इन्जीनियर श्री अडिग्रप्पा साहब के अन्डर में किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को 27-7-72 को प्रस्तुत करदी। उपाध्यक्ष महोदय, आज इतने महीने हो गये मेरे ख्याल से तो 9–10 महीने हो गये हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट पर एक्शन हुआ अभी तक वह आउट नहीं हुआ। मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से कि इसके खिलाफ कम्पलीट एक्शन होना चाहिए। समझ में नहीं आता कि राजस्थान गवर्नमेन्ट को उस रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करने में क्या झिझक आ रही है। अडिअप्पा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि इसमें फ्रॉडूलेन्टली पेमेन्ट किया गया है। एक एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने जुर्रत की है चीफ इन्जीनियर मिस्टर डी० पी० जैन के खिलाफ एक्शन लेने की। उसने लिखा है कि श्री डी० पी० जैन चीफ इन्जीनियर इज रेसपोन्सिबल फोर एक्स्ट्रा पेमेन्ट आफ कम्पेन्सेशन टू दी ठेकेदार। मैं पूछता हूं कि क्या कारण है कि आज 9–10 महीने हो गये हैं आपने उस रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की। यह एक स्पष्ट मिसाल है कि एक एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने अपने से हायर आथोरिटी चीफ इन्जीनियर को रेसपोनसीबल ठहराया है। श्री अडिग्रप्पा ने उसमें क्लीयरली लिखा है कि श्री डी० पी० जैन को चार्जशीट दी जावे। उसने स्पष्ट लिखा है कि "Shri D. P. Jain is wholly responsible for this

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

extra payment of Rs. 7 lacs. लेकिन क्या कारण है कि आज उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और मेरे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या कारण ऐसे हैं जिससे कि वह रिपोर्ट अोपरेट नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लिखा है।

"That a conspiracy was hatched between contractor on one hand and Chief Engineer, Roads Shri D. P. Jain and his officers on the other, to defraud the Government exchequer by lakhs of rupees by making payment for works not required to be done, nor contracted for, and got executed without financial sanction. The conspiracy had already succeeded and payments made to the contractor. Briefly the case is as follows:—

An estimate was prepared and sanctioned by the Chief Engineer, Roads, for construction of road, viz. Hanumangarh-Suratgarh road for 39 kilometers."

यह 39 किलोमीटर का मामला है। जिसमें बाईपास किया गया और सिर्फ 13 किलोमीटर का काम शुरू किया गया और उसका काम दिया गया कुलदीपसिंह ठेकेदार को। पहले जब कम्पेनशेसन के बारे में लिखा गया तो चीफ इन्जीनियर ने उसके लिए मना कर दिया। लेकिन बाद में इसी चीफ इन्जीनियर ने कहा इसको कम्पेनसेसन दिया जाय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कुलदीपसिंह ही के लिए लिखा था या कोई दूसरा था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस कुलदीपसिंह ने ऐसी कार्यवाही की जिस चीफ इन्जीनियर ने कम्पेनशेसन का मना किया उसने ही फिर बाद में इलेक्ट्रिक स्पीड की तरह विद्युत् गति के साथ कम्पेनसेशन के बारे में 20-1-71 को नोटिस इन्वाइटिंग टेन्डर फोर कम्पेनसेशन के सैंकशन किया और एसके बाद एक्सेस आफ कम्पेनसेशन उसको पेमेन्ट किया गया तारीख 28-1-71 तक। यानि सिर्फ सात दिन के अन्दर अन्दर उसको पेमेन्ट भी हो गया। जिस चीफ इन्जीनियर ने उसको कम्पेनसेशन की मनाही की थी उसने विद इन सेवन डेज उसको पेमेन्ट भी करने के आर्डर दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कौनसी ऐसी बात हो गयी कि आपको उसे एक्स्ट्रा कम्पेनसेशन देने की जरूरत हो गयी ? उपाध्यक्ष महोदय, वह पेमेन्ट भी सात लाख रुपये का है। उसको मार्च के पहले पहले पेमेन्ट भी कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, एडीशनल सेक्रेट्री ने अपने नोट में लिखा है कि Chief Engineer Shri D. P. Jain has said in his report to the Government...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने सिर्फ उस 13 किलो मीटर के टुकड़े को ही क्यों बनाया बाकी 26 मील के टुकड़े को क्यों नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बनवाया ? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में मन्त्री महोदय को भी पत्र लिखे, उनसे मिला भी तो उन्होंने कहा कि हमने श्री कुलदीपसिंह ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट कर दिया है। लेकिन अब वही कुलदीपसिंह दूसरे कलर में आपके सामने हाजिर है। पर दूसरे नाम से है अब वे हनुमानगढ़ कन्स्ट्रक्शन एण्ड को लिमिटेड, हरियाणा कन्स्ट्रक्शन एण्ड को लिमिटेड, हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन एण्ड को लिमिटेड के मालिक बनाया हुआ है। अब यही कुलदीपसिंह अपने भाई के नाम, श्री गुरुदीपसिंह के नाम इन कम्पनीज को बता कर काम कर रहा है। यह उसी कुलदीपसिंह की दूसरे कलर में कम्पनी है जो काम कर रही हैं और उसको काम मिल रहा है। इसी प्रकार आज अग्रवाल कोल कम्पनी जो है उसने कोल सप्लाई में बड़े भारी घोटाले किये है। मैंने खुद ने श्रीमती कमला बेनीवाल जो मिनिस्टर हैं उनको इनके घोटाले के बारे में बताया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि अग्रवाल कोल कम्पनी के खिलाफ इन्क्वायरी की जायेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसको भी पेमेन्ट किया गया। उस अग्रवाल कोल कम्पनी के मालिक ने दूसरी कम्पनी गुप्ता कोल कम्पनी और अजन्ता कोल कम्पनी के नाम से कलेक्टर को 40 टन के हिसाब पी. डब्ल्यू. डी. को साढे तैंयालीस टन माल ने फ्रॉडूलेन्ट कम्पनी बनाकर को-आपरेटिव डिपार्टमेन्ट को बिल पेश किया और एक बिल कलेक्टर को दूसरे नाम से पेश किया। उपाध्यक्ष महोदय, एक को 18 रुपये के हिसाब से और दूसरे को 12 रुपये के हिसाब से सप्लाई किया इसमें सीधा ही उन्होंने 60 हजार रुपये का गोलमाल कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर और को आपरेटिव के अन्दर जिस जगह माल सप्लाई किया गया था उसमें बहुत कम फासला है। उपाध्यक्ष महोदय, इसने इसी प्रकार से कलेक्टरेट के अन्दर जो कोल सप्लाई किया और पी. डब्ल्यू. डी. के एस. इ. के यहां जो कोल सप्लाई किया उसमें करीब 50 हजार रुपये का गोलमाल किया है। इनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ बोर्डर रोड्स के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो अपने बोर्डर रोड्स की सीमा संगठन बोर्ड द्वारा लिया जा चुका है। और यह सरेन्डर सारा का सारा 30.9.72 को हो गया। नवम्बर 1972 में 442 मील सड़कें बोर्डर संगठन को सरेन्डर की।

बोर्डर रोड्स पर जो पैसा खर्च हुआ उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। लेकिन बोर्डर रोड्स के कामों के सम्बन्ध में कुछ तथ्य, ग्लेरिंग फेक्ट्स, आपके सामने रखना चाहूंगा। वे गम्भीर तथ्य हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

पहला तथ्य तो यह सामने लाना चाहूंगा कि जब दिसम्बर 71 में लड़ाई खत्म हुई थी तो भारत सरकार की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरी के रिक्वीजिशन पर डिफेन्स मिनिस्टरी ने 7 लाख रुपये बोर्डर रोड्स के लिये सेंक्शन किये। उसको सारा का सारा प्रयोग में न ला सके और मुश्किल से 3, 3½ लाख रुपया प्रयोग में ला सके। डिफेन्स मिनिस्टरी ने 29 लाख रुपया चीफ इन्जीनियर को दिये ग्रिडस वगैरा के सम्बन्ध में जो भी उन पर आवश्यक कार्य कराना था

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उसके लिये, और दिसम्बर से पहले पिक्चर सामने आ चुकी थी। टैंक हेवी व्हिकल्स आदि से जो सड़कें डेमेज हुई, गंगानगर इलाके में भी डेमेज हुई, आरमी का सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ, सूरतगढ़ में हेवी व्हिकल्स आदि का कार्यालय था, हेवी व्हिकल्स रहती थीं, उसको, उसकी बोर्डर रोड्स की रिपेयर्स के लिये 29 लाख में एक कौड़ी नहीं मिली। किस प्रकार से यह पैसा बोर्डर रोड्स पर व्यय किया गया। यदि कोई योजना बनायी जाती तो योजना बनाने में भी समय लगता, कम से कम दो तीन महीने योजना बनाने में लग जाते और एक्जीक्यूट की जाती तो कम से कम 6 महीने उसके एक्जीक्युशन में लगते। लेकिन दो महीने में ही सारा का सारा 29 लाख रुपया गायब हो गया। और किस प्रकार गायब हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी ज्वलन्त मिसालें मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा।

पहली ज्वलंत मिसाल लीजिये, बीकानेर गंगानगर रोड़। इसमें 122 किलोमीटर से 126 किलोमीटर पर ग्रिड सप्लाई करने के लिये टेन्डर इन्वाइट किये गये। 3-9-72 को नोटिस इश्यू हुआ और 11-9-72 को टेन्डर इन्वाइट कर लिये गये। मैं पूछता हूं कि कौनसा ऐसा पी. डब्ल्यू. डी. का वर्क है जिसमें नोटिस इश्यू होने के एक महीने में टेन्डर इन्वाइट किये जाते हैं, इसमें 8 दिन में ही कर लिये। 36 हजार का डिक्लेयर किया और टेन्डर आने में पहले उसको रिड्यूस कर दिया और 16,667 रुपया कर दिया। 36 हजार घोषित किया और टेन्डर पहुंचे ही नहीं और 16 हजार में रिडक्शन हो गया इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा टेन्डर न आ सकें। बड़े टेन्डर्स मैदान में न उतर सकें। टेन्डर आये उसमें एक में 15 परसेन्ट, दूसरे में 15.25 परसेन्ट और तीसरा टेन्डर 25 परसेन्ट और चौथा टेन्डर 25 परसेन्ट गंगानगर कंस्ट्रक्शन कम्पनी का। शर्तों के साथ। पहली शर्त यह थी कि क्रेडिट नोट डिपार्टमेंट इश्यू करे और दूसरी शर्त यह थी कि परिहारा स्टेशन चूरू जिले में है वहां से ग्रिड उठाना चाहिये उसका पेमेंट वहीं स्पोट पर किया जाय। चीफ इन्जीनियर्स के सरकुलर्स निकले हुए मौजूद है, एक नहीं अनेक जिसमें लिखा हुआ है कि कोई ग्रिड क्वेरी पर नहीं ली जावेगी। तीसरा टेन्डर स्वीकृत कर लिया। लोयेस्ट का करना चाहिये था। पहले दूसरे और चौथे टेन्डर वाले से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। विथ कन्डीशन्स स्वीकार कर लिया। अचानक उसमें 70 हजार रुपये का काम और जोड़ दिया। वह काम क्या था? रेत के टीले हटाने का। जनवरी में टेन्डर इन्वाइट हो गये। जनवरी के महीने में ही 70 हजार रुपये रेत के टीले हटाने के काम के लिये सेन्क्शन हो गये। सारे विधायक यहां बैठे हुए हैं राजस्थान के। जनवरी में किस सड़क पर रेत आती है। लेकिन बीकानेर गंगानगर रोड़ पर जनवरी में रेत के टीबे लग गये और उसको हटाने में चीफ इन्जीनियर साहब ने 70 हजार की सेन्क्शन दे दी। यह तो डिपार्टमेंट का क्लीयर कट प्रिन्सीपल है, सिद्धान्त है, कई काम ऐसे होते है, रेत के टीबों की कई किस्म है जैसे फ्रुस्टम, कोन, प्रिज्म हैं, उनका किस प्रकार मेजरमेंट किया जाय कब कितनी रेत निकल जाय, जुड़ जाय, स्पोटिंग शिड्युल्स बने हुए होते है और डेफिनेट मनी नहीं हो सकता है। स्पोटिंग वर्क्स होते हैं

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

वे डिपार्टमेंट की मार्फत कराये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह काम भी किया गया डिपार्टमेंट की ओर से। इतना ही नहीं 16 हजार में 70 हजार जोड़ देता है। एक कलेक्टर के काम में डिफरेन्ट कलेक्टर का जोड़ देता है, 34 हजार का काम हुआ मार्च के महीने में। जनवरी और फरवरी में 34 हजार रुपये डिपार्टमेंट के खर्च हुए और 70 हजार बोर्डर रोड्स रिपेयर में खर्च हुए। बात यहीं तक रखी जाती तो समझ में आता।

दूसरा स्केन्डल इसी गंगानगर बीकानेर रोड़ का है, उपाध्यक्ष महोदय, 166 से 193 किलोमीटर पर टेन्डर की घोषणा की। किसी काम के लिए ग्रिड सप्लाई? किस काम के लिये थी? कन्स्ट्रक्शन वर्क नहीं था। पेचिंग थे उसके लिये ग्रिड सप्लाई। टेन्डर इन्वाइट हुए 3 1-72 को और 11-1-72 को हो टेन्डर की डेट एक्जोस्ट हो गयी। यह केस उससे भी अधिक डेमेजिंग है। 36 हजार का वर्क था और 20 दिन में पूरा करना था। फर्स्ट लोयेस्ट टेन्डर गंगानगर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी। हर जगह गंगानगर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी विभिन्न रूप में। विभिन्न कन्डीशन्स।

"Credit note for the transporation charges for Railway shall be made by the Department."

"Payment shall be made and measurements conducted at Pariyara Railway Station."

रेलवे स्टेशन भी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं। चूरू डिस्ट्रिक्ट में। इस टेन्डर के मुताबिक 44,764 रुपये बना और सेकिन्ड टेन्डर 12 हजार रुपये से कम जिसका मतलब यह हुआ कि 43 हजार और कुछ का। केवल 600 रुपये का डिफरेन्स और कन्डीशन्स मान ली गयी। फर्स्ट और लोयेस्ट टेन्डर वाली को टेन्डर नहीं दिया गया। यह कहा कि 30 परसेन्ट में एक्जीक्यूट कर देंगे। अचानक 1 लाख 46 हजार गंगानगर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को सेन्क्शन हो गये तो रिपेयर वर्क के लिए जोड़ दिये। टेन्डर अलग से निकालने की जरूरत नहीं समझी। ग्रिड सप्लायर को इतना बड़ा काम दे दिया जिसका न बेस है न लोजिक है। एक्चुअल रिपेयर वर्क हुआ भी या नहीं यह भी एक बड़ी डिटेल की चीज है।

इसी प्रकार से 187 हजार रुपयों की टोटली होली कर दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरे स्केण्डल का हिस्सा और अर्ज करूं जो इससे भी बड़ आश्चर्यजनक है।

श्री मीठालाल : ऐसे कितने स्केण्डल हैं आपके पास?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : वैसे तो 200 तीन सौ हैं सारी जैसलमेर बोर्डर पर गंगानगर बोर्डर पर। करोड़ों रुपया आज इन भ्रष्ट इन्जीनियरों की जेबों में चला जा रहा है इसलिये घोषणा की जाय कि कितनी सम्पत्तियां इन इन्जीनियरों के पास है। आज लोग मन्त्रियों के भ्रष्टाचार की ओर उनकी सम्पत्तियों की बात करते हैं। मैं कहता हूं इनसे भी कहीं बहुत ज्यादा हजारों गुणा भ्रष्टाचार की पूंजी इनकी जेबों में है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इन इन्जीनियरों की पूरी सूची मांगी जाय कि इनके पास किस किस के पास कितनी कितनी सम्पत्तियां हैं और किस प्रकार से कितना कितना धन इन्होंने संचित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कन्ट्राक्ट था ग्रिन स्टोन का 193 किलो मीटर से लेकर 232 किलो मीटर तक। यह 36 हजार से शुरू होता है और बाद में कन्ट्राक्ट हो जाता है यह श्रृंक हो जाता हैं। पहले बढ़ाते हैं, बाद में क्यों श्रृंक कर जाते हैं और फिर एक में दो काम और जोड़ दिये जाते हैं। रेत के टीबों में दे घुस जाते हैं और यकायक तब इनका कन्स्ट्रक्शन वर्क बढ़ जाता है। पहले लोएस्ट 25 परसेन्ट, सेकण्ड लोएस्ट दस परसेन्ट, थर्ड लोएस्ट 15.25 परसेन्ट, चौथा 11.25 परसेन्ट। दो कन्ट्राक्टर्स इनके इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं, कोई टेण्डर हो, कोई काम हो सब जगह से ही आगे आ जाते हैं ये चाहे पहले नम्बर पर हों, दूसरे पर हो तीसरे पर हो या चौथे पर हों। घूम फिर कर कन्ट्राक्ट इसी गंगानगर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को जावेगा। चाहे इसके नाम से चाहे लीलाधर कम्पनी लिमिटेड के नाम से। जावेगा टेण्डर तो लीलाधर को जेब में जावेगा, या उनके खास सुपुत्र देवकीरामजी की जेब में जावेगा। कुलदीपसिंहजी की जेब में जावेगा, या हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की जेब में जावेगा। चमत्कार है यह। अलादीन का चिराग जैसे ही सब उन के पास खिंचा चला जावेगा। रातों रात इनके लिये कन्स्ट्रक्शन पैदा हो जाते हैं। रातों रात काम निकल जाते हैं और इनकी जेबों में चले आते हैं और रातों रात हजारों लाखों रुपया सैंक्शन हो जाता है। ये भी सारे वियसरन कण्डीशन्स। शर्तें सबके साथ जुड़ी हुई। बिना शर्त वालों को वे पास भी नहीं फटकने देते। इसको 2 लाख 17 हजार का और दूसरा 7 लाख 71 हजार का अतिरिक्त काम सौंपा गया। ओरिजिनली डेढ़ लाख का था। उसे घटाकर 16 हजार का कर दिया पर बाद में दो लाख 65 हजार का काम और जुड़ गया रातों रात जुड़ गया यह सारा उस 16 हजार की ग्रिड सप्लाई के काम से जोड़ दिया गया। इतना बड़ा काम एक ग्रिट सप्लाई करने वाले 16 हजार के टेण्डर देने वाले के जुड़ गया।

चौथा इस किस्म का स्केण्डल और है। नये किस्म का है यह और एक बढ़कर हैं। 11।1।72 को एन. आई. टी. का 80 हजार का टेण्डर था। 25।1।72 को एन आई. टी. की टेण्डर डेट थी। पर 24 तारीख को भी टेण्डर इश्यू हो गया। यह सड़क आई गई हुई। इसकी मरम्मत नहीं कराने की। अब दूसरी सड़क की मरम्मत करनी है। 24 तारीख को उसका टेण्डर निकाल दिया। कौनसा है? अगर रिपेयर करनी है गंगानगर सूरतगढ़ की 232 से 235 किलो मीटर की सड़क का टुकड़ा और वह 228 हजार से चलकर 55 हजार हो गया। घट गया। अब वह गंगानगर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का नाम भी बदल गया। अब ठेकेदार लीलाधर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी हो गया। गंगानगर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का पार्टनर लीलाधर आये उनके सगे सुपुत्र देवकीराम। लीलाधर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के मालिक खुद लीलाधर 280 हजार का काम 55 हजार में कनवर्ट हो गया और 60 हजार का दूसरा वर्क आकर उसमें एड हो गया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इसी प्रकार से फिफ्थ स्केण्डल और सुनिये। 230 से 250 किलो मीटर के लिये टेण्डर इस्यू हुआ। इन दोनों केसों में टेण्डर इन्वाइट करने का एक दिन । वन डे बांज गिवन। पहले जो वर्क स्पेसिफाइड था डिफरेन्ट ब्रान्च आफ रोड के लिये कन्स्ट्रक्शन था। दूसरा इसी प्रकार का 230-250 के लिये एन. आई. टी 1। । 1-72 का था 25। 1 । 72 को खुलने वाला था। 24 को डिफरेन्ट टेण्डर अनाउन्स हुआ किन शर्तों पर ? 200 से 206 किलोमीटर के लिये अलग, 195 से 197 किलो मीटर और 200 से 212 किलो मीटर के लिये।

और उपाध्यक्ष महोदय, यह कन्ट्राक्ट जो घोषित किया गया था इतनी बड़ी राशि के लिये उसका समय भी घटा दिया गया। पहले जब तीन महीने में करने का था 75 हजार का वहां उस अकाउन्ट को घटाकर तो 43687) कर दिया गया और पीरियड 1। । महीने का कर दिया। इसमें भी बीच में टीले आकर खड़े हो गये रेत के। टीबे हर काम में टीबे बीच में आ जाते हैं। अब टोटल कैलकुलेट करें तो 27 हजार में काम में 10 लाख के करीब टीबे हटाये गये। जोड़ लीजिये आप सारी राशि। दस लाख के टीबे जनवरी के महीने में, कौनसा भूचाल आ गया या साइक्लोन आ गया इस महीने में। सारे कामों में टीबे आ गये मन्त्री महोदय चैक अप कर लें इन को। फिर एक मजा और इन्हीं टीलों को हटाने में डिपार्टमेन्टली भी हजारों रुपया खर्च किया गया इण्डिपेण्डेन्टली काम करके हटाने में। 74627 के टीबे गये। टीबे गये, 70 हजार से दो लाख गये। वापिस रिड्यूस होकर 70 हजार कर दिया।

तो उपाध्यक्ष महोदय, ये स्केण्डलों में से कुछ नमूने हैं जो इस बोर्डर रोड्स के नाम पर हुए और अगर जैसलमेर को भी देखा जाय तो वह भी पीछे नहीं है। इन्हीं चीफ इन्जीनियर साहब के छोटे भाई वहां थे। अगर इन सब के काले कारनामों का यहां बखान करूं तो कम से कम एक घंटा मुझे चाहिये। मन्त्री महोदय को मैं उनकी जानकारी के लिये एक डिटेल्ड रिपोर्ट दे दूंगा। इस समय समय नहीं है अधिक कहने का इस डिटेल से वे स्वयं देख लें। जांच करलें और समझ लें कि क्या क्या हुआ है। इन दोनों बन्धुओं के क्या क्या कारनामे हैं। राम लक्ष्मण की यह जोड़ी। एक ही सरीखे हैं ये। इन लोगों ने राजस्थान की बोर्डर के नाम पर गरीब जनता का धन किस क्रूरता से लूटा है। हमारी सुरक्षा को और देश भक्ति को किस खतरे में डाला है इन जालिमों ने। यह इनका घोर निन्दनीय और अराष्ट्रीय अक्षम्य अपराध है इससे बड़ा कोई राष्ट्रीय अपराध हो नहीं सकता।

अन्त में आपके सामने गंगानगर के पिछले पांच सालों के अन्दर जो जो पेमेन्ट्स हुए हैं उनकी तालिका प्रस्तुत करता हूं। सारे के सारे गंगानगर के कन्ट्राक्ट। कुल-दीपसिंह और उसकी कम्पनी के नाम। खैर। वह तो अब धर्म तेजा बनने वाला है। कम्पनी बदल कर और कई नामों से काम कर रहा है। पर उसका दूसरा भाई और है। मक्खन-

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सिंह । लीलाधरजी और ? ओरिजनल कन्ट्राक्ट इनके क्या थे ? अलग अलग वर्क्स के लिये क्या क्या गोलमाल हुए । सारे दिग्गज कन्ट्राक्टर । सब की मैं एक लिस्ट बनाकर लाया हूं । औसत वर्क के लिये किस किस ने कितना परसेन्ट अधिक लिया है क्या लिया है सब लिस्ट बनाकर लाया हूं । एक है फकीरचन्द रामलाल ये भी एक इनकी गिनती में है। मैं उनके अफसरों के नाम भी लाया हूं । सुपरिन्टेण्डिग इन्जीनियर और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियरों के नाम भी लाया हूं । किस किस इन्जीनियर के टाइम में ये पेमेन्ट कितने कितने के हुए हैं । सब जानकारी इसमें हैं । उनके वर्क्स एक दो तीन चार अनूपगढ़ लिंक रोड के इसी तरह अनूपगढ़–रायसिंहनगर रोड आदि की इन सारी सड़कों के कामों की उनके पेमेन्ट की उनके अन्दर हुए सारे स्कैण्डलों की पूरी पूरी डिटेल मैं सदन की मेज पर रख दूंगा । फिर यह भी इससे मालूम हो जावेगा कि ओवर पेमेन्ट कितने परसेन्ट किसको हुए। इन इन्जीनियरों में मशहूर नाम हैं ओ.एस. भंडारी, डी. एस. सोंधी । यह सारी डिटेल मैं सदन की मेज पर प्रोवाइड कर दूंगा । मैं व्यक्तियों में इन्टरेस्टेड नहीं हूं । मैं तो सिद्धान्त की बात प्रस्तुत कर रहा हूं ।

तो उपाध्यक्ष महोदय 110 परसेन्ट ओवर पेमेन्ट फकीरचन्द रामलाल को अदर वर्क्स में । अर्थ वर्क्स में 232 परसेन्ट । 8/8/67 को । डिफरेन्ट वर्क्स में 106 परसेन्ट । 250 परसेन्ट । 432 परसेन्ट एक में । ओवर पेमेन्ट ।

एक केस है बादा कम्पनी मक्खनसिंह जी, बड़े कन्ट्राक्टर के साहबजादे इनको अक्टूबर में 420 परसेन्ट ओवर पेमेन्ट हुआ है । और इसमें कुलवन्तसिंह जी भी हैं । कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को पूरे 420 परसेन्ट ओवरपेमेन्ट हुआ है । कुलवन्तसिंहजी को भी मात करके 450 परसेन्ट ओवर पेमेन्ट हुआ है । 185 परसेन्ट ओवर पेमेन्ट हुआ है । पर यह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 420 पर पहुंच गई है । तो इस तरह से यह सारी डिटेल की थोड़ीसी झलक मैंने आपके सामने रखी है : पूरी डिटेल सदन की मेज पर रख रहा हूं । इससे मिनिस्टर महोदय पूरी जानकारी कर सकेंगे । इस सारे कन्ट्राक्टरों के नाम भी इसमें हैं वे भी प्रस्तुत कर दूंगा ।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र से एक बात कहना चाहता हूं, हमने राजाओं के प्रिविपर्सेज बन्द किये । मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया । मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पार्लियामेंट के विरुद्ध फैसला दिया । चाहे वह राजाओं का मामला था या बैंक का मामला था । मुझे अधिकार नहीं कि इस सदन के अन्दर मैं एक हाईकोर्ट जज के लिये कोई बात कहूं लेकिन मैं उनके शाहबजादे के लिये एक बात निवेदन करना चाहता हूं । सन् 1968 से 70 तक श्री के० एस० मेहता जो कि जयपुर के अन्दर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे और आज सुपरिन्टेण्डिग इंजीनियर है । उपाध्यक्ष महोदय, इन मेहता साहब के पिताजी का एक फार्म है जो हाई कोर्ट के अन्दर जज है । एक सड़क का निर्माण किया गया 68-69 में, जयपुर की डिस्ट्रिक्ट रीलीफ कमेटी की मीटिंग हुई और उस

(1221)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

मीटिंग के मिनिट्स मैं साथ में लाया हूं जो मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। उस मीटिंग में यह तय हुआ पुराने घाट से खातीपुरे तक सड़क का निर्माण कराया जाय और इसके लिये 10 हजार कलक्टर ने सेंक्शन किये। यह सड़क आपकी पुराने घाट से खातीपुरा तक बनी ? यह रोड बनी आगरा रोड के तीन किलोमीटर के स्टोन से रवाना हो गई और मेहता साहब के फार्म तक यह सड़क पहुंच गई। इस सड़क के रास्ते में एक 150 फुट का नाला आया और उस नाले में हाइ लेवल वेटेड काज वे बनाया गया। 10 हजार की सेंक्शन थी लेकिन 80 हजार की राशि इस हाइ लेवल वेटेड काज वे पर खर्च कर दिये गये और कुल मिलाकर एक लाख 40 हजार खर्च कर दिये गये।

कोई फेमिन का क्षेत्र नहीं है। कोई अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों ने काम नहीं किया। फेमिन एरिया में सड़क बननी चाहिये थी फेमिन के ग्रसित लोगों को राहत मिलनी चाहिये थी लेकिन इसमें ग्यारसीलाल कान्ट्रेक्टर ने काम किया है और ग्यारसीलाल कान्ट्रेक्टर ने सारा का सारा वर्क एक्जीक्यूट किया जो एक लाख 40 हजार का था। यह सारा रुपया इस फार्म तक सड़क पहुंचाने के लिये खर्च किया गया। दलील यह दी जाती है कि यह सड़क गांवों को जोड़ने के लिये बनाई गई। इससे बांदिश खोह नजराना, खातीपुरा-बांदिया तो रास्ते में आता था जो नजराना अभी भी एक डेढ़ मील दूर पड़ा हुआ है—खातीपुरा भी अभी एक डेढ़ मील दूर पड़ा हुआ है। अगर जोड़ना था तो सारे खातीपुरा तक जोड़ना था और कोई यह कहे कि मेहता साहब से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। हाइकोर्ट के जज है एक पोद्दार साहब की ट्यूब वैल्स की फैक्ट्री है जिसमें 15 हजार का काम किया है और के. एस. मेहता साहब को पेमेन्ट किया है चैक नम्बर आदि मौजूद हैं यह चैक नं. डी 77345 500 रु. का पेमेन्ट है, 300 का 11-11-69 को चैक नम्बर, केश पेमेन्ट हुआ है इसलिये चैक नं. काट दिया गया, 20-4-70 को 700 रुपये का पेमेन्ट हुआ है चैक नं. 787831 और मेहता साहब की रसीद मौजूद है और फिर इतना ही नहीं इस फार्म पर सैकड़ों लोगों ने काम किया है...

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सैकड़ों लोगों को काम करते पकड़ा था। अन्त में ज्यादा न कहते हुये एक निवेदन और करूंगा के. एस. मेहता साहब की एक लिस्ट प्रस्तुत करना चाहूंगा। इन दो सालों में मेहता साहब ने कितने दौरे किये। 90 प्रतिशत दौरे गोनेर-आगरा रोड पर। यह लिस्ट मेरे पास मौजूद है। मैं इसे सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। क्या सारे राजस्थान में गोनेर और आगरा रोड के अलावा कोई रोड ही नहीं, जिसका वे दौरा करते लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. के कर्मचारी और गैंगमैन मेहता साहब के फार्म पर काम करते रहे और अकालग्रस्त क्षेत्र का एक लाख 40 हजार रुपया मेहता साहब के फार्म पर खर्च हो गया। जयपुर को देहातों से जोड़ने की बात कही जाती है और जो चन्द रुपयों की सेंक्शन हो वह लाखों रुपये की सेंक्शन हो गई। यह मैं बताना चाहता हूं राजस्थान के जजेज का किस प्रकार का साझा है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

बहुत ज्यादा समय न लेते हुये अन्त में यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय, आज केजुअल लेबर के सम्बन्ध में जो आपका रुख है और जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें परिवर्तन आया है लेकिन आपको देखना होगा केरल के अन्दर केजुअल लेबर्स को परमानेन्ट किया गया। केरल के अन्दर जिस डेट का अपाइन्टमेंट है उसी दिन से उनको परमानेन्ट मान लिया गया। आपके सामने पंजाब की मिसाल मौजूद है। 10 हजार पी.डब्ल्यू.डी. केजुअल लेबर्स को परमानेन्ट कर दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करता हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. में काम करने वाले हजारों श्रमिकों के संबंध में समाजवादी दृष्टिकोण अपनायेंगे और केजुअल लेबर्स को परमानेन्ट करके इस समस्या को समाप्त करेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक उपाध्यक्ष महोदय, गांवों और शहर को जोड़ने की बात कहूंगा। पांच हजार की आबादी वाले गांव को ही जोड़ने की बात है। अभी आपने दो हजार से 4 हजार की आबादी वाले गांवों को केवल 43 परसेन्ट जोड़ा है और जो 1500 से 2 हजार की आबादी वाले गांव हैं उनकी संख्या करीब 2500 है उनके लिये मंत्री महोदय, 17 हजार किलोमीटर रोड़ बनाने की जरूरत है लेकिन आपको यह स्पीड है और केवल 100 करोड़ की जरूरत है। 32 हजार 500 गांवों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं 28 हजार ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 1500 से कम है और इस हिसाब से आपको 200-300 साल चाहिये। हरियाणा और पंजाब को देखिये। एक एक गांव सड़क से जुड़ गया है। रूरल इकोनोमिक की दृष्टि से हर गांव मेन रोड से जोड़ा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं गत साल के बजाय इस साल पी. डब्ल्यू- डी. के बजट को डबल करने की कोशिश की है। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान के 33 हजार गांव, राजस्थान का क्षेत्रफल हिन्दुस्तान के तमाम प्रोविन्स से बड़ा है केवल मध्य प्रदेश को छोड़कर इन सारे हालात के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, हम यह सोचकर नहीं चलते और न चलना चाहते हैं कि हम पंजाब का मुकाबला करें, हम हरियाणा का मुकाबला करें या हम गुजरात का मुकाबला करें लेकिन हमारे गांवों के विकास के लिये, राजस्थान के विकास के लिये हमें भी सोचकर चलना चाहिये

(6. 39. म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

रीजनल इम्बेलेन्स को मिटाते हुये सभी जिलों की तरफ विकास का ध्यान देना चाहिये। अभी इस सदन में इस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य की बात सुन रहा था। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे लेकिन उन्होंने इस

(श्री रामनारायण चौधरी)

बात को छिपाया कि आज नेशनल हाइवे के नाम से, डिफेन्स रोड के नाम से, डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम से कितना पैसा उन जिलों में खर्च हो रहा है–इस बात के लिये उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन जिलों का उन्होंने जिक्र नहीं किया जहां कि एक पैसा आज तक इन प्रोग्रामों में खर्च नहीं हुआ है। आज मुझे इस बात की कोई नाराजगी नहीं है कि राजस्थान के दस जिलों में डी० पी० ए० पी० का प्रोग्राम है, वहां पर नेशनल हाइवे भी बने, डिफेंस रोड्स भी बने— यह सब होना चाहिए लेकिन जब पी. डब्लू. डी. का बजट आये तो मंत्री महोदय को उन जिलों की तरफ विशेषरूप से ध्यान देना चाहिए कि जो जिले किसी भी योजना के तहत कवर नहीं होते हैं। आखिर वह भी राजस्थान के हिस्से हैं। तो पी. डब्लू. डी. का जो 2½ करोड़ का बजट है उसके अन्दर उन जिलों को प्रायोरिटीज दी जानी चाहिए जहां कि डी. पी ए. पी. नेशनल डिफेन्स रोड्स, नेशनल हाइवे और बोर्डर रोड्स के तहत कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। ऐसे जिलों को पी. डब्लू. डी. के प्रोग्राम्स के तहत प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जिले से मैं आ रहा हूं वह झुंझुनूं जिला है वह पी. डब्लू. डी. रोड्स में पीछे, इर्रीगेशन में जीरो, पी. डब्लू. डी. में जीरो, बिजली के अन्दर नगण्य, इन्डस्ट्रीज में नगण्य···

श्री हरिदेव जोशी: बिजली में नगण्य?

श्री रामनारायण चौधरी: बिजली में भी मान्यवर, हरियाणा के मुकाबले में झुंझुनूं जिला नगण्य है।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान में सबसे ऊपर है।

श्री हीरालाल देवपुरा : बिजली में जीरो नहीं कहा है, नगण्य कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर यह भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब के साथ मेरा जिला लगने के कारण और गंगानगर के नजदीक होने के कारण जो वहां की परिस्थितियां बनती हैं, जिन हालातों में हमको काम करने पड़ते हैं वह भी आपसे छुपे हुए नहीं हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपको पी. डब्लू. डी. के बजट के हिसाब से झुंझुनूं जिले की तरफ ध्यान देना चाहिए। झुंझुनूं जिला विकास की दृष्टि से आजादी के बाद वहां पर केवल एक कॉपर प्रोजेक्ट है जो कि एक नेशनल प्रोजेक्ट है और हिन्दुस्तान में किसी भी हिस्से के अन्दर कहीं कापर अवेलेबल नहीं था इसलिए झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट लेना लाजिमी था, कोई उपाय नहीं था। इसलिए झुंझुनूं जिले में खेतड़ी को चुना गया और उसका भी हैड ऑफिस 1400 किलोमीटर दूर पर रख दिया। तो मान्यवर, जिले के विकास की दृष्टि से मैं पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल के बजट में 2½ करोड़ का प्रावधान किया है और मुझे खुशी है कि आपने पी. डब्लू. डी. का महकमा संभालने के बाद इस बजट को दुगना करने की चेष्टा की है और इस बजट में झुंझुनूं जिला भी अछूता नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि सारे हालात को ध्यान में रखते हुए आप इस तरफ अवश्य ध्यान देंगे।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मान्यवर, मैंने मेरे कटौती प्रस्तावों के द्वारा कुछ स्पेसिफिक रोड्स के बारे में जिक्र किया है। जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं वहां की कुछ सड़कें हैं जिनके बारे में बजट प्रावधान था और जिनके बारे में सरकार की मन्जूरी थी और विभिन्न तरीकों से इन सड़कों को पूरा करवाने के लिए और इनके लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वहां के लोगों ने चेष्टा की और मुझे हैरानी यह देख कर होती है कि चालू वर्ष के बजट में जब कि सड़कों की कटौती की तो मेरे क्षेत्र की सड़क जिसके बारे में राज्य सरकार का फैसला है, राज्य सरकार का निर्णय है उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया और कटौती में उनको लिया गया है। मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है झुंझुनूं से अलसीसर, मलसीसर जाने वाली सड़क के बारे में। यह इतनी इम्पारटेन्ट सड़क है कि इसके महत्व के बारे में कुछ वर्णन नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं यह वर्णन करना चाहता हूं कि इसी विधान सभा में याचिका संख्या 37|68 के अन्दर पेश हुई थी उसके ऊपर याचिका समिति में विचार विमर्श हुआ। याचिका समिति ने उस पर यह निर्णय दिया और राज्य सरकार और पी. डब्लू. डी. विभाग से उसके बारे में जानकारी की, मान्यवर, मैं आपके ध्यान में खासतौर से लाना चाहता हूं कि इस विधान सभा की एक कमेटी की फाइन्डिंग्स और उसके सामने आपके विभाग द्वारा, विभाग द्वारा तथा आपके पी. डब्लू. डी. सेक्रेटरी द्वारा जो विधान सभा को सूचना दी गई और एग्जामिनेशन के अन्दर उन्होंने जो स्वीकृति दी उसका किस प्रकार से उन्हीं पी. डब्लू. डी. सेक्रेटरी ने अपने कथन का और सरकार के निर्णय का मजाक उड़ाया। आप ध्यान दीजियेगा।

ध्यान आकर्षित करने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचित किया कि मुकन्दगढ़ से मण्डावा, चूरी और अजीतगढ़ होती हुई बिसाऊ तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में सात लाख रुपये की लागत का स्वीकृत हुआ था तथा मुकन्दगढ़ से मण्डावा सड़क निर्माण के लिए रुपये 2,91,300) का तखमीना स्वीकृत किया गया था, वह कार्य पूरा हो चुका है एवं मण्डावा से बिसाऊ के बीच सड़क निर्माण कार्य होना शेष है। विभाग ने यह भी सूचित किया कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन्, 1966 में इस भाग में कुछ कार्य किया था किन्तु उसके पश्चात के वित्तीय वर्षों में इस कार्य हेतु धनराशि आवंटित नहीं की जा सकी थी किन्तु वित्तीय वर्ष 1969-70 की वार्षिक योजना में इस कार्य हेतु 2 लाख रुपये का प्रावधान रखा जाकर प्रस्ताव स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है और यदि यह सम्भव नहीं हो सका तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसके लिए जो 4.20 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है सन, 1972 के अन्त तक यह कार्य पूरा करवा दिया जावेगा।

दिनांक 19 जून, 1969 को शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने परीक्षण के समय उपरोक्त बात दोहराई और समिति को यह सूचित किया कि सन्, 1972 के अन्त तक यह कार्य पूरा अवश्य करवा दिया जावेगा, किन्तु यह कार्य स्टेजेज में पूरा हो सकेगा।

समिति राज्य सरकार से अपेक्षा करती है कि इस कार्य के लिए दो लाख रुपयों का

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रावधान रखा जाकर जो प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाएगा कि जिससे इस क्षेत्र की इस समस्या का शीघ्र ही निराकरण हो सके और जयपुर से बीकानेर के आवागमन मार्ग में दूरी कम हो सके।

यह आश्वासन 19 जून, 1969 को पी० डब्लू० डी० सेक्रेटरी का दिया हुआ है। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि काम तो करवाना दूर रहा एक पैसा भी इस सड़क के ऊपर खर्च नहीं किया गया। तो क्या हम कहें? इसको रेड टेपिज्म कहें या सरकारी मशीनरी की ब्यूरोक्रेसी कहें या क्या कहें।

दूसरा इसी मेरे क्षेत्र की सड़क के बारे में याचिका संख्या 36 है जो कि 1968 के अन्दर पेश की गयी थी। उस याचिका समिति ने भी सरकार को एग्जामिन किया था। वह सड़क झुंझुनूं से राजगढ़ वाया अलसीसर है। इसमें लिखा है:

ध्यान आकर्षित करने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचित किया कि वर्ष 1964 व 1966 में इस सड़क पर अकाल राहत कार्य के बजट से कार्य हुआ और अलसीसर-मलसीसर के बीच में लगभग दो मील सड़क बनी तथा वर्तमान अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत अब तक 25 मील में मिट्टी का कार्य हो चुका है, लगभग 16 मील में सोलिंग लग चुका है एवं 5 मील सोलिंग का पत्थर खानों पर पड़ा है। उक्त विभाग ने साथ में यह भी सूचित किया कि इस वर्ष राहत कार्य में इस सड़क पर सोलिंग लगाने का कार्य समाप्त हो जायेगा।

परीक्षण के समय दिनांक 19 जून, 1969 को शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वही सूचित किया जैसा कि लिखित में समिति को सूचित किया गया। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष इस सड़क का कार्य पूरा हो जायेगा।

सरकार द्वारा दी गई यह सूचना कि इस वर्ष के अन्त तक इस सड़क का कार्य पूरा हो जायेगा, समिति अग्रेत्तर कार्यवाही आवश्यक नहीं समझती, किन्तु समिति राज्य सरकार से अपेक्षा करती है कि इस सड़क को पूरा करने के पश्चात् समिति को अवगत कराया जाये।

यह स्थिति है। पूरा करना तो दूर रहा गत वर्ष 1970-71 के बजट के अन्दर झुंझुनूं से अलसीसर, मलसीसर की स्वीकृति राज्य सरकार ने

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दी थी और उसमें 2 किलोमीटर काम कराया और इस साल यह चालू वर्ष में बजट में जो कटौती हुई उसके अन्दर इसको कट किया गया जिसमें कि सरकार ने 1969 तक इसको पूरा करवाने का वादा किया था और विधान सभा की कमेटी में आश्वासन दिया। विधान सभा की कमेटी ऐसी है कि जो सदन की कमेटी है और उसमें कोई आश्वासन मौखिक या लिखित देने का तात्पर्य यही माना जाता है कि वह राजस्थान विधान सभा के समक्ष कोई प्रतिज्ञा की गई हो। उसकी हालत यह है कि इस साल भी जो बजट का कटौती का प्रस्ताव आया उसमें चीफ इन्जीनियर रोड्स ने सबसे पहले इस सड़क को कम करने का प्रस्ताव भेज करके झुंझुनूं जिले में जो सड़कें कटी इसका

(श्री रामनारायण चौधरी)

नम्बर वन रखा गया। तो यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार से विधान सभा में और पब्लिक यूटिलिटि की सड़कों का खास-तौर पर मजाक या मखौल उड़ाया जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस चालू वर्ष के बजट में इन दोनों सड़कों के लिए, सरकार 1969 से कमिटेड है,- वचनबद्ध हैं, उनको पूरा करवाने की ओर ध्यान देगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक नीति सम्बन्धी बात भी दोहराना चाहता हूं। भारत आजाद होते वक्त अनेक बातें विरासत के रूप में यहां अंग्रेज छोड़ गए और एक सबसे बड़ी जबरदस्त विरासत अंग्रेजों ने भारतवासियों के लिए छोड़ी वह पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर ठेकेदारी की प्रथा है। ठेकेदारी प्रथा की तमाम कोणों से, तमाम क्षेत्रों से और हर तरह से इस विधान सभा में या पार्लियामेंट में सब जगह पी. डब्ल्यू. डी. के इस ठेकेदारी सिस्टम, कांट्रेक्टर सिस्टम की तीव्र आलोचना होती रही है और आज भी उसके बारे में, उसके कार्य-कलापों के बारे में कटु आलोचना और कटु अनुभव सदन के सामने रखे जाते रहे हैं। आज हमारे यहां राजाओं का राजाशाही सिस्टम, जागीरदारों का जागीरदारी सिस्टम समाप्त हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया जल्दी समाप्त करें। संक्षेप में कहें।

श्री रामनारायण चौधरी : संक्षेप में ही कह रहा हूं। हम हमारे समाज के बेसिक मूल्यों को, आस्थाओं को भुला करके मौजूदा इस वातावरण में फिट करना चाहते हैं। यह पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर ठेकेदारी की प्रथा भी खत्म करने के योग्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पी.डब्ल्यू.डी. से ही अपनी एजेन्सी के मार्फत जितनी भी सड़कें या विकास के काम हों करवाने की आज इस सदन में घोषणा करेंगे। यह सदन इस घोषणा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। आज मान्यवर .....

श्री भीमसेन : इसकी घोषणा तो कई बार हो चुकी है।

श्री रामनारायण चौधरी : जो भी पी. डब्ल्यू. डी. के काम किये जाते हैं उनका टेक्निकल मार्ग-दर्शन आपके विभाग के इन्जीनियरों द्वारा किया जाता है। टेक्निकल नो हाऊ आपके द्वारा दिया जाता है। आज देश में लेबर प्रॉब्लम भयंकर हैं। लेबर की कमी नहीं है। इन्जीनियरिंग स्टाफ आपके पास काफी है। इसके बाद कोई तुक नहीं, कोई औचित्य नहीं, मान्यवर, कि इस पुरानी प्रथा को जो कि आउट आफ आर्डर हो गई है बहुत वर्षों से. और फिर आज जो हमारा कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम हम देश के सामने लेकर चल रहे हैं और जिस प्रोग्राम में आप प्रमुख भागीदार हैं, हम इस बात की अपेक्षा करते हैं, मान्यवर, कि आप इस सिस्टम को खत्म करने का ऐलान फरमायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पी. डब्ल्यू. डी. की चन्द बातें कहने के बाद मैं सामुदायिक विकास की तरफ बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : काफी समय दिया जा चुका है माननीय सदस्य, आपको। जितना

(श्री सभापति)

जल्दी हो सके आप समाप्त करें क्योंकि और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं पोइंट्स में ही निवेदन करता हूं मान्यवर, कि पंचायती राज हमारे राजस्थान में 1959 में सर्व-प्रथम इन्ट्रोड्यूज हुआ, यह बात दोहराना मैं यहाँ उचित नहीं समझता, लेकिन राजस्थान ने डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन के अन्दर भारतवर्ष को नेतृत्व दिया ·· ····

श्री सभापति : आप जो कहना चाहते हैं सुझाव के रूप में, उसे कह दें। भूमिका कृपया नहीं बांधे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे विवाद में नहीं पड़ना चाहता, आसन से, लेकिन मान्यवर, मैं वही कहूंगा जो मेरे जच रही है। मैं आपसे इस मामले के अन्दर मार्ग-दर्शन लेना चाहता हूं···· ··

श्री सभापति : आपको यह निवेदन करना है जितनी जल्दी हो सके आप अपने विचार संक्षेप में रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप ही समय ले रहे हैं बीच बीच में रोक कर। मैं मान्यवर, समय कम कर रहा हूं और आप बढ़ाते जा रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पलीट डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन जो हमारे कांस्टीट्यूशन के निर्देशक सिद्धान्तों में हैं, उसमें बुनियादी ध्येय, बेसिक ध्येय में है, उसको सामने रखते हुए हमें इस प्रथा का पुनः राजस्थान में ही शुद्धिकरण करना होगा। आज मान्यवर, पंचायत समितियों को अबोलिश करने की बात उठाई जाती है। पंचायत समितियों के प्रधानों और पंचायत समितियों के मेम्बरों को भ्रष्ट करार देकर कहा जाता है कि पंचायत समितियों को तोड़ दो, जिला परिषदों को तोड़ दो, ग्राम पंचायतों को तोड़ दो। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सदन में कितनी बार यह आवाज उठाई कि नगरपालिकाओं को तोड़ दो, म्यूनिसिपिल कारपोरेशन को तोड़ दो, म्यूनिसिपल कौंसिल्स को तोड़ दो, किसी ने यह यह आवाज उठाई ? कारण इसका स्पष्ट है कि आज भी राजस्थान की 2 करोड़ 60 लाख जनता पर जिसकी 85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, आज यदि आपने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को खत्म किया तो राजस्थान के अन्दर जो एक उदयमान नेतृत्व उभर रहा उस पर जबरदस्त चोट लगेगी और वे लोग जो शहरों में बैठे हैं और शहरों में बैठे हुए अपने कार्य-कलापों के आधार पर गांवों में जाकर वहां के नेतृत्व ग्रहण करना चाहते हैं, इस प्रकार के तत्वों को बल मिलेगा और आपके बुनियादी प्रजातंत्र के सिद्धान्त पर, उसकी जड़ में करारी चोट लगेगी यदि आपने इसको कमजोर करने की चेष्टा की।

मान्यवर, मैं स्पेसिफिक तौर पर निवेदन करना चाहता हूं और मैंने कटमोशन भी दिया है, पंचायतीराज आपके पास है, पंचायती राज में काम करने वाले कार्यकर्ता, एम्प्लाईज और सरकारी एम्प्लाईज के अन्दर जो भेद है उसको आपको समाप्त करना चाहिए। आपने अनेक बार माना कि इनकी वही शर्तें होंगी सर्विसेज की जो गवर्नमेंट एम्प्लाईज की है लेकिन मेडिकल रीएम्बर्समेंट पंचायती राज कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया अब स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : जितनी जल्दी हो सके, पोइन्ट में कह दें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के एम्प्लाईज को सरकारी कार्यकर्त्ताओं के बराबर जो फैसेलिटिज हैं वह आप उनको दें। मैंने इस बारे में कटमोशन के जरिये भी निवेदन किया है मान्यवर, कि पंचायत समिति झुंझुनूं और पंचायत समिति अलसीसर के टीचर्स और कार्यकर्त्ताओं की सेलेरी और फिक्सेशन के मामले इसलिये पड़े हुए हैं कि राज्य सरकार से उनको फन्ड नहीं मिल रहे हैं। तो एक पंचायत समिति झुंझुनूं और दूसरी पंचायत समिति अलसीसर, इन दोनों की बकाया दो लाख के ऊपर हैं। इससे आप अन्दाज लगाइये कि 232 पंचायत समितियों की 2 करोड़, 32 लाख से ऊपर होगी। आज इस प्रकार 2 करोड़, 32 लाख रुपये की बकाया इस अकाल के समय में लो पेड एम्प्लाईज का बकाया रह जाय तो उनकी किस प्रकार की हालत होगी। मैं निवेदन करता हूं, मान्यवर, कि उनको वेतन, उनके फिक्सेशन से मिलने वाले लाभ की जो राशि है, आप अपने विभाग से कार्यवाही करवा कर उनके खाते में ट्रांसफर करवाने की कार्यवाही करें।

(समय-समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल छंगाणी।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फारअली।

(अनुपस्थित)

श्री मोहर सिंह

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह चौधरी।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान में जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 2 अक्टूबर, 1959 को जब वहां पंचायती राज बना था तब गांव के रहने वाले सभी लोगों में इसके प्रति बड़ी आस्था और विश्वास जमा था इस बात का कि इस पंचायती राज के माध्यम से गांवों का जो विकास है वह बहुत तीव्र गति से होगा। इस में दो राय नहीं है कि कुछ समय तक इस पंचायती राज के माध्यम से चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे गैरसरकारी कार्यकर्त्ता हो, उन्होंने सबने मिल कर एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से इस काम को किया। धीरे धीरे इस पंचायती राज को समाप्त करने का एक षड्यन्त्र चला और यह षड्यन्त्र मैं सोचता हूं कि इस लालफीताशाही, इन सरकारी आफिसरों का था। सरकार के बड़े

(श्री नारायणसिंह)

आफिसर इस पंचायती राज को व्यवस्थित ढंग से चलने देना नहीं चाहते थे। वे यह चाहते थे कि किसी प्रकार से यह पंचायती राज फेल हो और यह आगे नहीं बढ़ने पावे। धीरे धीरे आज इस पंचायती राज को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि नाममात्र के लिए आज यह पंचायती राज है। आज न पंचायतों की स्थिति अच्छी है, चाहे इसको आर्थिक दृष्टि से लें, चाहे उसकी अन्य व्यवस्था को लें। पंचायत समितियों के पास न तो कोई फण्ड है, न पंचायतें किसी काम को कराने के लिए तैयार हैं और न कोई व्यवस्था है और न प्रशासन पर ही नियन्त्रण है। पंचायत समितियों के अन्दर आज बहुत सारा काम जो पहले किया गया था उन सब में कमी की जाकर केवल पंचायतों का काम रह गया है अध्यापकों को वेतन वितरण करना। वहां भी हालत यह है कि तीन तीन महीने तक अध्यापकों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने एक दो पंचायत समितियों का यहां पर उदाहरण भी दिया था। मैं सोचता हूं कि सारे राजस्थान की पंचायत समितियों की हालत खराब है। सीकर जिले की पंचायत समितियों के बारे में हमने इस सारी स्थिति पर विचार किया और इन बातों को ध्यान में रख कर जिला परिषद् के अन्दर इस बात का फैसला किया कि राज्य सरकार यदि कोई पैसा नहीं दे सके; यदि राज्य सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है तो पंचायती राज्य को किस तरह से चलावे? हमने विचार किया और एक तरह से नहीं, बल्कि दो तरह से टैक्स लगाने का निर्णय लिया परन्तु वह टैक्स पंचायत समिति वसूल नहीं कर सकती। किसी रेवेन्यू एजेन्सी के माध्यम से ही वह टैक्स वसूल किया जा सकता था लेकिन आज 8 साल हो जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में पंचायत समिति ने, जिला परिषद् ने जिलाधीश महोदय से दूसरी रेवेन्यू एजेन्सी से इसको वसूल करने के लिए निवेदन किया परन्तु वह वसूल नहीं किया गया। यह टैक्स पंचायत समिति ने प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए लगाया था, अध्यापकों के जो मेडिकल और दूसरे फिक्सेशन का पैसा है उसको देने के लिए यह व्यवस्था की है, लेकिन आज तक वह एक पैसा भी वसूल होकर नहीं आया है। इस सम्बन्ध में जिला परिषद ने कई बार प्रस्ताव पारित किए और राज्य सरकार से भी इस बात के लिए मांग की कि पंचायत समिति और रेवेन्यू एजेंसी के बीच में समन्वय किया जाना चाहिए और इसके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। किन्तु कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई है। टैक्स वसूली की कोई बात नहीं हुई है। आज बहुत सारे अध्यापक, मैं आपको बताऊं कि 75 प्रतिशत अध्यापक, ऐसे हैं जिला सीकर में कि उनको मेडिकल का पैसा नहीं मिलता हैं, एरियर्स का पैसा नहीं मिलता है, फिक्सेशन का पैसा नहीं मिलता है। सरकार की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वह उनको पैसा दे और न ऐसी स्थिति है कि पंचायत समिति अपनी इनकम से उनका भुगतान कर सके इसलिए आज अध्यापकों में असन्तोष है। सभापति महोदय, आज पंचायत समितियों के पास कोई काम नहीं है। अध्यापकों को तनख्वाह देने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। आज उनको इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया गया है। पंचायत समितियों में ए. इ. ओ. को विकास अधिकारी बना दिया

(श्री नारायणसिंह)

गया है और उनका पंचायत समितियों पर पूरा प्रशासनिक नियन्त्रण नहीं है। पहले वहां पर आर. ए. एस. अधिकारी विकास अधिकारी होते थे। उनका पूरा पूरा नियन्त्रण होता था। अब जो एक्सटेंशन आफिसर है उनका कोई प्रभाव नहीं है। दूसरे अधिकारी अपने आपको बराबरी का समझते हैं। जो ए. इ. ओ. विकास अधिकारी बन बैठे हैं उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए हैं। वह काम नहीं करता है और जो दूसरा काम करना चाहिए वह भी करने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे राजस्थान सरकार ने सारे अधिकार वापिस ले लिए हैं। मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायत समितियों को पंगू बना दिया गया है। मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन, करना चाहता हूं कि यदि आप पंचायती राज को मजबूत बनाएंगे तो निश्चितरूप से आपकी योजनाएं पूरी होंगी और आपको कामयाबी मिलेगी। यदि पंचायती राज कमजोर हो गया तो यह मानकर चलिए कि जो आपकी योजनाएं हैं वे सफल नहीं हो सकती हैं और ब्यूरोक्रेसी की मार्फत तो कतई नहीं। यही सोचकर तो आपने पंचायती राज को कायम किया था और राजस्थान ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दूसरी स्टेट्स के सामने कायम किया था। पंचायती राज जैसी एक सुन्दर व्यवस्था कायम करके इसको गांव के आदमी तक पहुंचाया।

सदन का समय और ज्यादा न लेते हुए मैं सीकर जिले की कुछ रोड्स के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि सीकर रोड्स के बारे में जीरो है। रोड्स बनी है लेकिन कुछ रोड्स बनी हुई है वे न बनने के बराबर है। एक रोड अजमेर–सीकर की है जिसके अन्दर तीन तहसीलें हैं हैडक्वार्टर आते है और दो जिले जुड़े हैं। यह आज से 15 साल पहले बनी थी और आज तक पूरी नहीं हो पाई है। यह मेरी कान्स्टीट्यून्सी में पड़ती है इसलिए इसके लिए कहना पड़ा है। इसमें जो तीन माइल का टुकड़ा है वह नहीं जुड़ पा रहा है। वह जुड़ जाए तो इस रोड का उपयोग हो सकता है। इसके लिए सीकर के एक्स. इ. एन. को कहते हैं तो वे कहते कि यह टुकड़ा नागौर में पड़ता है और नागौर वाले कहते हैं कि यह सीकर जिले मे है। एक ही विभाग का यह हाल है और 15 साल से यह विवाद चल रहा है। यह बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है। तीन तहसील हैडक्वार्टर और दो जिलों को जोड़ने वाली यह सड़क है। इसकी इम्पारटेन्स भी बहुत है उसके बावजूद भी वह पूरी नहीं की गई है। मैं पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल मन्त्री महोदय इस रोड को पूरा कराएंगे।

दूसरी रोड, जिसके बारे में आप से निवेदन करूंगा वह है पेलसाना से खंडेला जहां कि गोटे का काम राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के कई भागों से अच्छा है। यहां पर गोटे वालों का बड़ा अच्छा काम है। पहले पेलसाना से खंडेला बस चलती थी परन्तु आज तक यह रोड नहीं बना है। मुझे मालूम हुआ है कि यह रोड प्लान में है। पिछले एक डेढ़ साल में पांच, छः हजार रुपया भी इस पर खर्च

(श्री नारायणसिंह)

किया गया है उसके बाद उसमें कटौती कर दी गई है और वह कार्य आज तक बन्द पड़ा है । मैं सोचता हूं कि सीकर जिले को इन्डस्ट्री के हिसाब से इसको भी प्राथमिकता दी जाएगी । दूसरे जो खलादीपुरा में खान है जिसमें दो तीन प्रकार की धातु मिलती है, माइनिंग की बड़ी अच्छी धातु मिल रही है उसके लिए भी मेरा निवेदन है कि इसको इस साल के अन्दर जोड़ दिया जाए ।

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर से अंडावा की रोड को बजट में लिया है परन्तु उसके लिए जो पैसा दिया है वह बहुत ही कम है । इस रोड से जोधपुर, नागोर और डीडवाना जुड़ता है और सीकर होकर जो 30 मील का चक्कर लगता है वह बच जाता है । यह सीधा रास्ता है और 30 मील की दूरी कम हो जाती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोड को इस साल के अन्दर लेकर पूरी करावें ताकि यह जो जोधपुर से जोड़ने वाली रोड है, काम आ सके और दूरी में कमी आ सके । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री करणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारी लाल ।

(अनुपस्थित)

श्री जगमोहन सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल ।

(अनुपस्थित)

श्री अजीत सिंह ।

श्री अजीत सिंह (टोंक) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से अपने क्षेत्र के अभाव-अभियोगों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मान्यवर, जब मैंने तीन साल का बजट देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कई एक पुल और पुलियाएं, कई एक सड़कें न मालूम क्यों इसके अन्दर बनती हैं और बिगड़ जाती है । क्या मंत्री महोदय, ध्यान नहीं देते । समझ नहीं पड़ता है कि यह बजट है राजस्थान का कोई स्लेट बना रखी है जब चाहा लिख दिया, जब चाहा मिटा दिया । न तो कुछ काम होता है । सारा सर्वे हो जाता है । पैसा सैंक्शन हो जाता है किसी तरह से काम के लिए मगर वह वहां से लैप्स हो जाता है । यह मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर में क्या गोलमाल हो रहा है । मिसाल के तौर पर दो-तीन बातें लेता हूं । हमारे यहां बनास पर पुल बना हुआ है टोंक के पास । यह कहा गया कि पुल खराब हो रहा है । स्टेट टाइम का पुल बना हुआ था उसके ऊपर रोड़ी बनाकर उसको कर दिया और नीचे से क्रेक आगये तो उसका सोलडरिंग कर दिया । एक नये पुल की स्वीकृति हुई और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी वह पुल आया । न मालूम कैसे हो गया कि बजट के ऊपर से वह चला गया । गये साल टोंक के पास बनास के अन्दर से एक रास्ता बनने वाला था । उसकी योजना थी और उसके लिए 5 लाख रुपया सेन्क्शन भी हो गया था । बनास

(श्री अजीतसिंह)

को इस तरह से बीच में काट दिया है कि आना-जाना मुश्किल हो गया है। केवल एक पुल उसको मिलाता है। पक्का रास्ता बनाने के वास्ते योजना प्रस्तुत हुई। 5 लाख रुपये मन्जूर हुए। दो साल तक तो वह बजट में आता रहा, लेकिन इस साल गायब है। पूछा गया तो मालूम हुआ कि कुछ काम करना है कि यह आइटम्स बन रहे हैं इसलिए शामिल किया गया है। इसमें पैसा जब भी एवेलेबल होगा तब काम कराया जायगा। धीरे धीरे वह भी गायब हो गया। वह सड़क और पुल, मैंने बजट पढ़ा तो लगता है कि वह गायब हो गये। जो भी योजनाएं थीं अगर उन पर कुछ काम होता तो कुछ जनता को विश्वास होता। आज हम कहें कि यह बन रही हैं और उनमें एक भी काम नहीं होता है तो जो पैसा खर्च करते हैं वह भी फालतू जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह रास्ता हमारे जिले के लिए बहुत ही आवश्यक है हमारे जिले को मिलाने के लिए। टोडा, मालपुरा और देवली की तहसीलें उधर रह जाती हैं और आवागमन में दिक्कत रहती है। हम केवल एक रास्ते की मांग कर रहे थे उसका भी बजट में प्रावधान नहीं रखा इसका मुझे दुःख है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको पूरा करेंगे।

दूसरा टोडा रायसिंह ठिकाने से जो टोंक को सड़क आती है उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि बसों का चलना भी दुश्वार है और चक्कर खाकर उनको बनास के पुल के ऊपर आना पड़ता है। उसके होने से टोडा रायसिंह, मालपुरा और केकड़ी से आने वालों को सुभीता हो जायगा। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देकर इसकी पूर्ति करें।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा और एक सवाल के माध्यम से भी हम आपसे निवेदन कर चुके हैं कि एक बाई पास की समस्या टोंक के अन्दर बड़ी भारी है। आपने 250 गज के ऊपर एक लाख रुपया खर्च कर दिया। उससे कोई सेन्स नहीं निकला। हमारे गरीबों की बात सुनकर आप रोड निकाल दें, सैक्शन की बात तो आप छोड़ें। सेक्शन के लिए कहां कहां से समझदार लोग आते हैं कि लाखों रुपया बरबाद कर देते हैं और जनता परेशान। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह बाई पास के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। शहर के लिए बड़ा भारी संकट है। 3-4 मर्तबा बुला कर आपके आफिसर्स को भी दिखलाया है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल पाती है। आपने सदन को आश्वासन दिया। उम्मीद है कि आप उसको पूरा करेंगे। अगर आप करवा देंगे तो बड़ी भारी कृपा होगी।

इसके साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहां रोड रोलर्स की व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरे जिले के लिए चार रोड रोलर्स दिये गये हैं। उनकी हालत भी खस्ता है जिसकी वजह से हमारा काम बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। रोड रोलर्स कुछ और लाकर जिले के हिसाब से रोड रोलर्स की व्यवस्था करेंगे। एक-दो रोड रोलर्स और दें। रोड रोलर्स के अभाव में सड़कें तैयार होने में बड़ी दिक्कतें होती है।

अब, सभापति महोदय, मैं पंचायतों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

(श्री अजीतसिंह)

पंचायतों में ओवरसियर का प्रावधान है और ओवरसियरों के अभाव की वजह से बड़ी भारी दिक्कत खड़ी हो गई है। सारा काम उसकी वजह से खराब हो रहा है। खासतौर से गांवों के लिए पीने के पानी के कुएं यहां से स्वीकृत किये गये हैं, लेकिन ओवरसियरों के अभाव में कौन एस्टीमेट तैयार करे? तो सारी की सारी राशि लैप्स हो जाती है और गांवों के लिए जो पीने के पानी के कुए बनाने की योजना थी वह नहीं हो सकी। ओवरसियर्स जिले के हैड क्वार्टर्स पर लगा रखे हैं उनको समय नहीं मिलता है और वे परवाह नहीं करते हैं क्योंकि उनका संबंध डाइरेक्ट बी० डीओज० से नहीं रहता है। पीने के पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए गांवों में कुओं के लिए जो पंचायत द्वारा व्यवस्था कर रखी है उसको पूरा करायें तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा।

पंचायतों के अन्दर जो छोटे छोटे तालाब दे रखे हैं लेकिन वहां पर ओवर-सियरों की व्यवस्था नहीं की और कोई फण्ड्स की व्यवस्था नहीं की। न उनसे पिलाई होती है और उनके ऊपर जितना पैसा खर्च होता है उससे नुकसान के सिवाय एक पैसे का फायदा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि अच्छा तो यह हो कि आप उन बन्धों को इरिगेशन डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दें या इनकी समुचित व्यवस्था करें इनकी बड़ी भारी समस्या तो यह आती है कि इनकी कोई सम्भाल नहीं है। न तो इनकी रिपेयर्स होती है। लोग मनमाने ढंग से पेट को काट काट कर काश्त कर लेते हैं और पानी नहीं भरने देते हैं। बन्धे खाली पड़े रहते हैं। पहले पिलाई ठीक हालत में होती थी। उनको ठीक करवा कर पिलाई की व्यवस्था करवायें। अभी तो यह हालत है कि जो जोरदार है वह अपने खेत में पानी पिला देता है और बाकी कमजोर रह जाते हैं। एक पैसे का उनसे फायदा नहीं हो रहा है। मेरा नम्र निवेदन है कि छोटे तालाबों को अगर आप पंचायत समिति में रखना चाहें तो इनकी गिरफ्त कड़ी करें और पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसका लाभ अपने को मिले और गांव वालों को राहत मिले और प्रोडक्शन भी बढ़े। मैं निवेदन करूंगा कि छोटे तालाबों के वास्ते गम्भीरतापूर्वक विचार करके कुछ न कुछ निर्णय अवश्य लेंगे।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

कई ग्राम पंचायतों द्वारा भवन बनवाये गये हैं उनमें से कुछ अपूर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं और उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं है। उसके कारण से इतना पैसा बरबाद हो रहा है कि वहां पर जाते हुए शर्म आती है। आप इसके लिए कुछ न कुछ योजना ऐसी बनवायें कि ये सम्पूर्ण हों और इनकी पूर्ण व्यवस्था हो और इनका उपयोग हो तो उससे लाभ मिलेगा, वर्ना यह जो सारा पैसा लगा हुआ है वह खराब हो जायगा। जहां नहीं बने हैं वह तो ठीक है, लेकिन जहां पर बने हुए हैं वहां पर न तो सफेदी होती है और न उनकी मरम्मत होती है।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा बीज और खाद के बारे में। हमारे यहां बाजरे का बीज खराब पड़ा हुआ है। पंचायत समिति का पैसा लग गया, लेकिन कोई उसे उठाने

(श्री अजीतसिंह)

वाला नहीं है। तीन-तीन साल तक बीज अगर पड़ा रह जाता है तो खराब हो जाता है। उसका रिटर्न विभाग को नहीं होता है।

दूसरे इसके साथ में दवाइयों के बाक्स दिये गये थे फर्स्ट एड के उनका बहुत सारा पैसा रुका हुआ पड़ा है पंचायत समितियों में और उनका कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसका उपयोग करने के लिए ठोस योजना आप प्रस्तुत करेंगे। या तो उनको वापस ले लिया जाय क्योंकि वहां पर उनका कोई उपयोग नहीं है और जहां पर उसका उपयोग हो वहां पर भेजने की योजना बनायें। सिवाय वापिस लेने के उनका वहीं कोई उपयोग नहीं है।

इस प्रकार से सिनेमा की मशीन, पम्पिग सैट्स और छोटी-मोटी मशीनें हैं उनकी हालत खराब हो रही है। इसलिए या तो उनको नीलाम करवाया दिया जाय या ठीक करवाकर उनको उपयोग में लाया जाय। पिछले सालों में इन पर आपने लाखों रुपया खर्च किया और सारी पंचायत समितियों को सिनेमा की मशीनें, पंपिंग सैट आदि दिये हैं जो कि पड़े हुए हैं और ट्रेक्टर्स भी ऐसी बुरी हालत में पड़े हुए हैं कि इनको कोई देखने वाला नहीं हैं न इनका वहां पर कोई मैन्टीनेन्स हो सकता है। उनके लिए कुछ न कुछ विशेष योजना बनाकर उनका उपयोग करें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक मिनिट।

नगरपरिषद के बारे में निवेदन करूंगा कि वहां पर गृह निर्माण समिति बनाई गई है लेकिन उसको प्लाट्स आपके यहां से स्वीकृत होकर नहीं जाते हैं। वह सारे गरीब लोग चिल्लाते हैं। उन्होंने पैसा जमा करा दिया है और बैंक लोन देने को तैयार है, लेकिन जब तक आपका डिपार्टमेंट गृह निर्माण समिति को प्लाट्स काटकर नहीं देगी तब तक योजनाएं पूरी नहीं होगी। दूसरे जो गरीब रहने वाले हैं उनको दिक्कत हो रही है।

मेरे यहां टोंक जिले के अन्दर यह समस्या बड़ी गम्भीर है। कम से कम और राहत आप नहीं दे सकते तो इन रखने वालों के लिए प्लाट्स की व्यवस्था निश्चितरूप से करायंगे पंचायतों के द्वारा और नगर परिषदों के द्वारा।

टोंक शहर के अन्दर आबादी बढ़ गई है ऐसी हालत के अन्दर वहां पर गटर लाइन की व्यवस्था भी होना चाहिए। यह शहर बढ़ता ही चला गया और अब 50 हजार की आबादी हो गई है तो ऐसी हालत के अन्दर गटर लाइन का प्रावधान करना बहुत आवश्यक है। उम्मीद है कि आप इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ज्ञानसिंह चौधरी :

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : सभापति महोदय, अपना प्रदेश सड़कों के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अन्य प्रदेशों के देखते हुये हमारे यहां सड़कों का 100 वर्ग कि. मी. के पीछे एवरेज बहुत ही कम अर्थात् 9.69 कि. मी. आता है। राजस्थान की आज इस प्रकार की विषम् परिस्थितियां है कि सड़कों का विकास

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

अधिक होना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि राजस्थान में स्वतन्त्रता के बाद सड़कों का विकास हुआ है। केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत सड़कें बनी हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान सड़कों के निर्माण के बारे में काफी पीछे है। जिलेवार सूची को देखते हैं तो सड़कों के हिसाब से गंगानगर जिले का छठा नम्बर आता है वैसे गंगानगर जिले की स्थिति इतनी अधिक अच्छी नहीं है यह मैं मानता हूं। लेकिन गंगानगर जिले से नोहर, भादरा की अलग स्थिति है। भादरा क्षेत्र में सिर्फ एक 80 कि. मी. की सड़क है जो कि हरियाणा की सीमा तक है। लेकिन हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ में सड़कें नोहर व भादरा क्षेत्र से तीन गुणी ज्यादा हैं जब कि क्षेत्रफल आधा है। नोहर भादरा सब डिवीजन गंगानगर के अन्य सब डिवीजनों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। भादरा से लेकर गंगानगर तक सड़क पहले 20 कि. मी. तक और 42 किलोमीटर से आगे तारा नगर तक सड़क बनी हुई है। तो मेरा यह निवेदन है कि यह 22 कि.मी. का जो मिसिंग लिंक है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में यह उद्देश्य ध्यान में रखा गया है कि मुख्य जिला मार्गों के बचे हुए टुकड़ों को लिया जायें यह 22 कि. मी. का टुकड़ा भादरा को चूरू जिले से मिलाता है। अतः इस सड़क को चौथी पंच वर्षीय योजना में जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र भादरा में दो तीन सड़कें ऐसी हैं जो कई सालों से अधूरी पड़ी हैं। बजट की कमी से कार्य प्रगति पर नहीं है। पहली सड़क अमरपुरा से अजीत 8 कि. मी. है। अजीतपुरा 5000 से अधिक आबादी का गांव है। प्रगति विवरण 72-73 में बताया गया है कि 5000की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया है। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अजीतपुरा नेठराणा दो ऐसे गांव हैं,जिनकी आबादी 5000 से अधिक है। दोनों ही गांवों को सड़क से नहीं जोड़ा गया है। अतः निवेदन है कि अजीतपुरा से अमरपुरा जो सड़क अधूरी पड़ी है उसको पूरी करके अजीतपुरा को सड़क से जोड़ा जाये। दूसरा गांव नेठराणा को गोगामेड़ी की पक्की सड़क से जोड़ा जाये। नेठराणा गांव को रजत जयन्ती के अवसर पर आदर्श गांव भी घोषित किया गया है अतः इस वर्ष में गोगामेड़ी से नेठराणा को सड़क से जोड़ा जाये।

एक और सड़क डाबड़ी से शेरड़ा कई वर्षों से अधूरी पड़ी है। डाबड़ी से शेरड़ा सड़क की लम्बाई 12 कि.मी. से 6 कि.मी. का मामला अदालत में जाने की वजह से विभाग द्वारा रद्द कर दी गई है। 6 से 12 कि. मी. बजट की कमी से कार्य अधूरा पड़ा है। अत: 6 कि. मी. से शेरड़ा डाबड़ी सड़क को बजाय डाबड़ी के सीधा अजीतपुरा से जोड़ा जाये क्योंकि शेरड़ा 5000 से अधिक आबादी का गांव है व इसके रास्ते में गड्डा, सुरानपुरा, बढेर काफी बड़े गांव जिनकी आबादी 1500 से अधिक हैं। मेरा निवेदन है कि इस वित्तीय वर्ष में, सबसे पहले जो अधूरे कार्य हैं, पूरे किये जायें। भादरा की ऐसी स्थिति है कि एक तरफ गंगानगर जिले की हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ तहसीलें व दो तरफ हरियाणा से घिरा हुआ है व एक तरफ चूरू जिला है। भादरा का सिर्फ पूर्व की ओर हरियाणा की सीमा से सम्बन्ध है। चूरू जिले से भादरा का कोई सड़क से सम्बन्ध नहीं हैं।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

भादरा से सिरसा 30 मील की दूरी पर है। सिरसा हरियाणा की इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी है। सिरसा प्रतिरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा के इस क्षेत्र में सिरसा में सबसे बड़ा मिलिट्री हवाई अड्डा बना है। अतः भादरा से सिरसा सड़क अन्तर्राज्यीय व आर्थिक महत्व की है। सिरसा से राजस्थान की सीमा के गांव गांधी की बड़ी के पास तक 18 मील की पक्की सड़क बनी है। भादरा से हरियाणा की सीमा तक सिर्फ 12 कि. मी. सड़क नहीं है। भादरा का यह उत्तरी क्षेत्र भाखरा नहर से सिंचित है। अतः इस क्षेत्र से मंडी तक अनाज व अन्य कृषि की उपज का सामान लाने के लिये इस सड़क का अत्यधिक आर्थिक महत्व है। गांधी बड़ी व इसके बासों की आबादी करीबन 7000 है व गांधी से भादरा के बीच में भोजासर व अन्य बड़े गांव पड़ते हैं। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि 73-74 के अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व के बजट में इस सड़क को स्वीकृत किया जा कर इस वर्ष में सड़क का निर्माण किया जाये। इस वर्ष अन्तर्राज्यीय सड़कों का बजट भी 5 लाख से बढ़ा कर 100 लाख कर दिया गया।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों साथी योगेन्द्र हांडा ने जिन ठेकेदारों व उच्च अधिकारियों के खिलाफ जो आरोप लगाये हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाये जिससे कि जिन लोगों की यह धारणा बन गई है उनको यह विश्वास हो सके कि सरकार का इन लोगों के भ्रष्ट कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है। दोषी पाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। लेकिन एक बात सत्य है कि इस विभाग के बड़े अधिकारियों व ठेकेदारों ने पिछले कुछ वर्षों में ही लाखों रुपयों की सम्पत्ति बनाई। इतनी अधिक सम्पत्ति इतने कम समय में सिर्फ भ्रष्टाचार व गलत तरीकों से ही बनाई जा सकती है।

मेरे पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने ठेकेदारों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में काफी बातें कहीं। यह निर्विवाद सत्य है कि विभाग में ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। ठेकेदार लोग, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी को चुनाव में चन्दा देते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक दलों से उनका सम्बन्ध होने की वजह से प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं। राजनीतिक असर से कई दफा कर्मचारियों के तबादले व अन्य कार्यवाही की धमकी दे कर गलत कार्य करने पर मजबूर करते हैं। इसके साथ ही दूसरा सवाल यह उठता है कि ठेकेदारी प्रथा को चालू रखा जाये या नहीं। मेरी दृष्टि में यह ठेकेदारी प्रथा चालू नहीं रहनी चाहिए। इससे एक तो यह होता है कि ठेकेदारों की वजह से उन बेरोजगारों को हम रोजगार नहीं दे सकते जिनको राज्य सरकार की ओर से मिल सकता है। दूसरा यह है कि इससे राष्ट्रीय नुकसान होता है क्योंकि जितना प्रतिशत कमाते हैं, वे राष्ट्रीय विकास में गड़बड़ करके कमाते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तीसरा कारण ठेकेदार कार्य पूरा होने के बाद पूर्णरूप से कानून के अधीन नहीं आता है। इसलिए भ्रष्टाचार करके वह

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

बच जाता है। मेरा निवेदन है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराये जायें क्योंकि ठेकेदार मुनाफा खाते हैं। चौथा कारण पंजाब में सड़कों का काम ठेकेदारी प्रथा से हटा कर विभाग द्वारा करवाये गये हैं। इसी वजह से पड़ोसी गंगानगर जिले से पंजाब की सड़कें सस्ती और मजबूत बनी हुई हैं। जबकि पंजाब में कंकरीट ईंटें व अन्य मेटीरियल गंगानगर जिले से अधिक महंगा पड़ता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, सड़कों के निर्माण का कार्य ठेकेदारों की बजाय विभाग द्वारा करवाया जाये। अन्तिम कारण यह भी है कि हमारे जो इन्जीनियर हैं, उनको प्रोडक्टिव रोजगार नहीं दे सकते। इसी वजह से बिना काम किये ही उन्हें बेकारी भत्ता देते हैं। आज वे अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग देश के विकास के लिए काम में नहीं ला सकते। ठेकेदारी प्रथा खत्म होने से उनको उत्पादक रोजगार मिल सकेगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि 1500 की अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। 1500 से अधिक आबादी वाले 2125 गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 17000 कि. मी. सड़क की आवश्यकता होगी, जिसमें 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ऐसे गांवों की अधिक संख्या है जिनकी आबादी 1500 से कम है। तो उन गांवों के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। एक तरफ हम कहते हैं कि गांवों का आर्थिक दृष्टि से विकास किया जाये तो इसके साथ यह भी करना पड़ेगा कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाये। राजस्थान की आज अकाल की समस्या की वजह से जो स्थिति है, उस अकाल की समस्या का स्थाई हल करने के लिए यह भी आवश्यक है कि गांवों में कृषि व कुटीर उद्योगों के विकास का कार्य-क्रम तेजी से चलाया जाये। इस विकास के लिए सड़कों का होना बहुत आवश्यक है। अन्त में एक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो कहनी है वह यह है कि हमारी सरकार स्टेट प्लान व केन्द्रीय संचालित कार्यक्रमों के बजट का निश्चित समय में पूरा प्रयोग नहीं कर पाती। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो अधिकारी कार्य को समय में पूरा नहीं कर पायें तो उनके विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति : मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : सभापति महोदय, आज जो बहस चल रही है सामुदायिक विकास योजनाओं व सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में, उसमें ज्यादातर यह देखा गया है कि सामुदायिक विकास या पंचायतों के मामले में माननीय सदस्यों ने कम से कम दिलचस्पी ली है और सार्व-जनिक निर्माण विभाग में ज्यादा ली है उससे साफ जाहिर होता है कि इस राज्य के पंचायती राज प्रक्रिया के प्रति लोगों में उदासीनता पैदा हुई है और उसके लिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, अगले साल आप चुनाव भी कर रहे हैं, प्रक्रिया बदल रहे हैं वह सब भविष्य के गर्भ में है लेकिन आप ऐसा

(श्री मीठालाल)

वातावरण पैदा करें जिससे पंचायती राज में चेतना आए, जिससे लोगों को विश्वास हो और पंचायती राज जिस उद्देश्य से चालू किया गया था उसकी उपलब्धि आम जनता को प्राप्त हो सके।

सभापति महोदय, आपने पंचायती राज सेवा बोर्ड का गठन कर रखा है उस बारे में काफी भ्रांतियां हैं। जो आपके पंचायत राज में लगभग 46,000 कर्मचारी हैं, उनके साथ आपका पंचायती राज फेल हो रहा है। चाहे आपकी कार्य-पद्धति फेल हो रही है लेकिन कर्मचारियों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है। जो भी सुविधायें राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं उनसे पंचायती राज के कर्मचारियों को वंचित रखा जाता है। न तो आप उनको मेडीकल लाभ देते हैं। एक एक लाख रुपए एक एक पंचायत समिति में बाकी हैं उन्होंने क्या गुनाह किया, 10-10 साल से इंतजार कर रहे हैं न मकान व्यवस्था न अनिवार्य बीमा, न प्रोमोशन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को व ड्राइवरों को वर्दी के लिए आपने केवल 100) सालाना कर रखा है जबकि अन्य कर्मचारियों के लिए ऐसी सीलिंग नहीं है। तो राज्य सरकार व पंचायत राज के कर्मचारियों में काफी भेद है, तो यह जो विरोधाभास है, अभाव है, उसकी पूर्ति करें। कई बार आपने आश्वासन दिया है, कई बार कमेटी बिठाई है और वेतन आयोग बिठाया है। सदन में और बाहर आपने आश्वासन दिया है, उनके बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि पूर्ति करें और जो उनको सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, वे उपलब्ध करायें।

पंचायत समितियों में केवल प्राइमरी स्कूल ही रह गए हैं जिनमें कुछ दिलचस्पी है। हाइ स्कूल या सेकेन्डरी स्कूल जहां पर 25-30 से अधिक अध्यापक हैं वहां आपने एक एक दो दो एल०डी०सीज० दे रखे हैं लेकिन पंचायत समितियों में जहां 200-200-300-300 अध्यापक हैं वहां आपने एक क्लर्क दे रखा है, आप इससे अंदाजा लगा लें कि अध्यापकों के कितने काम पेंडिंग होंगे।

इसके अतिरिक्त आप जो नई प्रक्रिया, रूपरेखा पंचायती राज की बना रहे हैं, उसके लिए मेरा निवेदन है कि जिला परिषदों को आप ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाने का विचार करें। असम व मेघालय में जिला परिषदें, जिला बोर्डों के नाम से हैं और वह इतनी सशक्त हैं कि छोटी छोटी योजनायें जो यहां राज्य सरकार चलाती है वह वहां जिला परिषद ही करती है और छोटे छोटे टैक्स लगाने का वहां प्रावधान होता है। इस तरह जो एक टायर, दो टायर पंचायत समितियों का चल रहा है, उस पर आप विचार करें, जिला परिषदों को कुछ न कुछ अधिकार दें। इस समय जिला परिषदें केवल पोस्ट आफिस का काम कर रही हैं, उसके अतिरिक्त और भी कुछ काम आप उनको करने दें।

चाकसू पंचायत के पास एक कृषि फार्म है, अगर पंचायत समिति उसको चलाती है तो नुकसान में जाती है और अगर दूसरे को ठेके में देती है, किराये पर देती है तो ऑडिट का ऐतराज आता है। बेचने के लिए सरकार की मनाही है। ऐसी हालत में कृषि फार्म का क्या करें, कई सालों से वे लिखापढ़ी कर रहे हैं लेकिन कुछ जवाब नहीं।

(श्री मीठा लाल)

पंचायत समितियों में काम के लिए पहले तो ओवरसीयर्स उपलब्ध होते हैं लेकिन आज वे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो ग्रुप सचिव हैं, कई जिलों में आपने ग्राम सेवकों को ग्रुप सचिव बना लिया। कई जिलों में प्राइवेट सेक्रेटरीज जो पहले से चले आ रहे थे वहां चल रहे हैं। तो आप एक प्रक्रिया अपनायें। या तो ग्राम सेवकों को ग्रुप सचिव जो कर रखा है उनको चालू रखो या पहले से जो प्राइवेट सेक्रेटरीज चले आ रहे हैं, उनको रखें। कोई न कोई प्रक्रिया अपनायें जो सारे राज्य में एक ढंग की हो।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मेरे क्षेत्र की समस्यायें हैं। आप बड़ी बड़ी सड़कें तो बना रहे हैं। लेकिन आप छोटे गावों को एक दूसरे से मिलाने के लिए और गांव वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और आपका पैसा कम खर्च हो, ऐसी सड़कों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि अधिक से अधिक लिंक रोड्स बनाकर उनसे दो दो तीन तीन मील के टुकड़े बनाकर कान्क्रीट बनायें। मिट्टी डालते हैं, कंकरी डालते हैं तो साल 6 महीने के बाद बेकार हो जाती है। 5-5 गावों को मिलाने से बड़ी सुविधा होगी और प्राइवेट बसेज जो नेशनलाइज करने के बाद बचेगी उनको लिंक रोड्स पर चला दें उससे लोगों को राहत मिलेगी।

मैं दौसा से सवाई माधोपुर या दौसा से गंगापुर तक की नई सड़क नहीं मांग रहा हूं। मैं भी जानता हूं कि बजट की क्या स्थिति है। मैं केवल यह चाहता हूं, जो सड़कें हैं, आपने पिछले दो साल, पांच साल, दस साल में सड़क बनाई नहीं, अब बना रहे हैं उसके लिए पहले से मैं धन्यवाद दे देता हूं, लेकिन पहले वाली जो सड़कें हैं उनकी आप मरम्मत करा दें। मैं हरसाल निवेदन करता हूं, हर विधायक निवेदन करते हैं, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, लेकिन दौसा से गंगापुर, दौसा से सवाई माधोपुर की सडक है उनकी हालत बहुत खराब हैं, जब मैं असेम्बली में प्रश्न पूछता हूं तो उनकी कुछ मरम्मत हो जाती है, फिर भी सड़कों में एक एक फीट गहरे खड्डे हैं। दौसा से लालसोट, लालसोट से गंगापुर-ऐसी सड़कें हैं जिन पर एक पैसा कभी नहीं लगाते हैं और उनमें एक एक फीट गहरे खड्डे हैं, एक मील में कई कई खड्डे पड़े हुए हैं, एक एक मील में आपको बीस बीस खड्डे मिल जायेंगे। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो आप ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र में दौरा कर लें क्योंकि आप दौरा करेंगे तो उन सड़कों की हालत ठीक हो जायगी और यदि नहीं करें तो सड़कों को ठीक करा दें••••••

श्री शोशराम ओला : असेम्बली में आब्जेक्शन करेंगे।

श्री मीठालाल : नई सड़क के लिए मैं निवेदन नहीं करता हूं, लेकिन यह सड़क दौसा से लालसोट, गंगापुर है, इस पर काफी ट्रेफिक रहता है। यह बहुत संकड़ी सड़क है, इसको आप चौड़ा करवा दें, अगर चौड़ा नहीं करवाते हैं तो कम से कम इसकी मरम्मत करादें और इसको बारह मासी सड़क जैसी बना दें. भले ही आप डामर रोड मत बनायें, लेकिन एक एक फीट गहरे खड्डे पड़े हुए हैं, उनमें आप मिट्टी

(श्री मीठालाल)

डलवा दें। आप बारहमासियों पर क्या खर्च करते हैं यह पता नहीं, लेकिन उनके द्वारा इन खड्डों में मिट्टी नहीं डाली जाती है। यह सड़क कस्बों और शहर को जोड़ती है, इसलिए इस दौसा से लालसोट और गंगापुर सड़क को ले लीजिये, लालसोट और गंगापुर के बीच का सड़क का टुकड़ा है, यह न पी. डब्ल्यू. डी. अपनी सड़क मानता है और न नगरपालिका, दोनों ही इस सड़क को ठीक नहीं कराते हैं। मैं निवेदन करता हूं, फिर इसको कौन ठीक कराये, न नगरपालिका कराती है और न पंचायत कराती है। या तो आप उनको बाध्य करिये इसे ठीक कराने के लिए या आप इसे ठीक करवाइये।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, एक प्रश्न आया था असेम्बली में, गंगापुर से दो मील उरली तरफ सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे पीली मिट्टी में। ट्रक वाले मिट्टी खोद खोद कर ले गये शहर, गंगापुर सिटी में और मिट्टी ले जाने के कारण वह पेड़ गिरने की स्थिति में खड़े हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आफिसरों ने शत प्रतिशत झूठी जानकारी आपको दी है कि आंधी और हवा की वजह से मिट्टी उड़ गई है। मेरा निवेदन यह है कि यहां पेड़ों के गिरने की नौबत आ गई है। इस ओर आप ध्यान दें।

विधान सभा के माननीय सदस्य गवर्नमेंट होस्टल में रहते हैं और धाबाई की हवेली में रहते हैं। पी. डब्ल्यू. डी. वालों से हमारे माननीय सदस्यों का काम पड़ता है। इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि यह मालूम नहीं होता कि कब झूठ बोलते हैं और कब सच। एक बार, दो बार, दस बार चद्दर और दरी के लिए उनसे कहते हैं लेकिन अलावा झूठ बोलने के कभी भी वह सामान लाकर नहीं देते हैं। इसलिए या तो काम करने में अकर्मण्यता है या आप उनको पैसा नहीं देते, फण्ड नहीं देते। गृह समिति के चेयरमैन साहब हैं, आप उनके अन्दर में एक इन्क्वायरी आफिस खोल दीजिये, जिससे विधायक इन्क्वायरी आफिस से जानकारी ले सकें, या फिर आप फर्नीचर आदि डलवा दीजिये, जिससे जब माननीय सदस्यों को जरूरत पड़े वह लेकर काम में ले लें।

जो आप नई सड़कें बनवा रहे हैं, उन सड़कों के लिए आप किसानों की जमीन ले लेते हैं लेकिन किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि सड़कों के लिए आप जमीन को टेक ओवर करते हैं, उससे साथ ही ग्रामीण लोगों को जमीन का पूरा मुआवजा देने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए जिससे किसानों को ज्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े और उन्हें दिक्कत नहीं हो।

अब अन्त में मैं क्रेश प्रोग्राम के बारे में निवेदन करता हूं। बगड़ी से खुर्रा माताजी की सड़क का क्रेश प्रोग्राम के अन्दर काम चालू किया गया था, उससे लोगों को मजदूरी मिली थी, लेकिन एक दो मील सड़क का काम हुआ उसके बाद उसे रोक दिया गया। इससे जो सड़क पर मिट्टी डाली, वह भी बेकार हो गई क्योंकि उसका काम रोक दिया गया। मैं सारे राजस्थान के लिए निवेदन करना चाहता हूं, जहां अकाल राहत कार्य हो रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन जिन तहसीलों में अकाल राहत कार्य नहीं

(श्री मीठालाल)

हो रहे हैं, उनका ध्यान रखा जाय और क्रेश प्रोग्राम का पैसा वहां दिया जाय और जो सड़क, स्कूल भवन अधूरे पड़े हैं उनको पूरा कराया जाय।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 59, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के संबंध में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मैं उनके बारे में पहले विचार रखना चाहता हूं।

पहले मैं सुरक्षा सड़कों के बारे में अपने विचार रखूंगा। यह तो सभी जानते हैं कि इन सुरक्षा की सड़कों से हमारे देश को बड़ा ही लाभ हुआ। सन् 1965 के युद्ध में, जब हिन्द और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस समय कोई सड़क नहीं थी जिसके कारण हमको बड़ी क्षति उठानी पड़ी और यह कहिये कि हमारे राजस्थानी सीमा क्षेत्र में हमें पराजय का सामना करना पड़ा, परन्तु सन् 1971 के युद्ध में इन सड़कों के कारण हमारी सेना की बड़ी विजय हुई, हमारी सेना पाकिस्तान के क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में पहुंच गई और उसने काफी क्षेत्र पर कब्जा किया जिसका बहुत ही अच्छा असर पड़ा।

अब मैं इस विषय पर आना चाहता हूं कि जब इन डिफेन्स रोड से इतना लाभ हुआ है और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अभी भी खराब हैं, अमेरिका पाकिस्तान को अभी भी आर्म्स दे रहा है और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है इसलिए जो रोड्स बनी हैं उन पर ही अपने को निर्भर नहीं रहना है। राजस्थान गवर्नमेंट ने सैकिण्ड प्रायोरिटी रोड्स के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सजेशन दिये हैं, सैकिण्ड प्रायोरिटी रोड्स के बारे में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार पर प्रभाव डालना चाहिए और सैकिण्ड प्रायोरिटी रोड्स को जल्दी से जल्दी चालू कराना चाहिए क्योंकि अगर यह कार्य हमने जल्दी नहीं किया, हमने इसके लिए प्रयास नहीं किया, तो मैं आपको इस सदन में कहना चाहता हूं कि हम अपने कर्त्तव्य को अदा नहीं कर सकेंगे। हिन्द-पाकिस्तान का युद्ध कभी भी हो सकता है, उसका खतरा है मुझे, जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, उससे खतरा लगता है। आप यह नहीं समझें, बंगला देश आजाद हो गया, इस कारण पाकिस्तान युद्ध नहीं करेगा। वह युद्ध अवश्य करेगा, भुट्टो अवश्य युद्ध करेगा, चार साल के बाद हो सकता है, पांच साल के बाद हो सकता है वह पूरी तैयारी के अन्दर है। इसलिए मेरा कहना है कि सैकिण्ड प्रायोरिटी रोड्स, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की हाथ में लेनी चाहिए और राज्य सरकार को उन्हें पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में मूलभूत न्यूनतम सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए जो निर्णय लिया है सड़कों के बारे में कि पन्द्रह सौ और उससे अधिक आबादी जिस जगह है उनको सड़कों से मिला दिया जायेगा। चारहम.सी सड़कों का अर्थ यह होता है, डामर सड़क से मिला दिया जायगा। यह कदम बहुत ही सराहनीय कदम है, परन्तु इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्र के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अन्दर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर—यह पार्टली पोपुलेटेड हैं, 1,500 पापुलेशन के बहुत कम गांव हैं, इसलिए वह इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिए राज्य सरकार को यह कोशिश करनी चाहिये, केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि यह जो शर्त है, पन्द्रह सौ की आबादी की, वह घनी आबादी वाले प्रान्तों में हो सकता है, यू. पी. में घनी आबादी है, बंगाल में घनी आबादी है, बिहार में घनी आबादी है, लेकिन राजस्थान में इस प्रकार की घनी आबादी नहीं है, बोर्डर एरिया और डैजर्ट एरिया के अन्दर तो आबादी बहुत कम है। जैसलमेर के अन्दर, आप समझिये, एक किलोमीटर पर सात व्यक्ति रहते हैं, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक वर्ग किलोमीटर पर साठ पर्सन की आबादी है। तो यह बहुत ही कम हैं, इनकी पापुलेशन बहुत ही कम है, इसलिए इस शर्त में रिलेक्सेशन के लिए राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिए और पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनी है इसमें प्रेसर डालना चाहिए कि इन रेगिस्तानी क्षेत्र, जिनमें पापुलेशन बहुत कम है, में पन्द्रह सौ से कम करके एक हजार की पापुलेशन के गांवों को लेना चाहिए और कोशिश करके इनमें कार्य प्रारम्भ कराने चाहिए।

अब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में योजना में रोड है वह सिर्फ पचपदरा से लेकर पचपदरा साल्ट तक है, इसके सिवाय कोई रोड नहीं ली गई है। पांच साल में पचपदरा से पचपदरा साल्ट तक का सात मील का टुकड़ा लिया है, इसके अलावा कोई योजना के अन्तर्गत नहीं रखा है। यह हमारे क्षेत्र की उपेक्षा है। ठीक है, ड्राट प्रोन प्रोग्राम में सड़कें बनीं, फेमिन में सड़कें बनती हैं लेकिन वह इस प्रकार की बनती है जो काम में नहीं आती। अब भी फेमिन पर करोड़ों रुपये खर्च करेंगे और मैटिरियल कम्पोनेन्ट पहले पन्द्रह पर्सेन्ट था अब तीस पर्सेन्ट कर दिया है। यह परसन्टेज बढ़ा दिया है फिर भी इस मैटिरियल कम्पोनेन्ट से कोई भी सड़क तैयार नहीं हो पायेगी। अगर यूजफुल सड़क तैयार करना चाहते हैं तो पचास से साठ पर्सेन्ट मैटिरियल कम्पोनेन्ट आपको करना पड़ेगा। वहां पर धीरे ही धीरे हैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार ग्रेवल अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे एरिया के अन्दर फेमिन के अन्दर काम करने जा रहे हैं, उनके अन्दर आपको यह देखना है कि इन रोड्स के अन्दर मैटिरियल कम्पोनेन्ट पचास से साठ पर्सेन्ट कर दिया जाय वरना जो रोड्स में खर्च होगा वह बेकार जायगा और किसी काम में नहीं आयेगा। यह पैसा वेस्ट जाएगा। पहले जो खर्च हुआ है वह चौदह करोड़ खर्च हुआ है लेकिन असेस करें तो मैं निवेदन करता हूं कि 1 करोड़, डेढ़ करोड़ की राशि से अधिक काम का नहीं है। इस प्रकार से धनराशि का दुरुपयोग करने से, चौदह करोड़ रुपये खर्च करने से राजस्थान सरकार के ऊपर वजन पड़ता है, वह भी डेट के रूप में, कर्ज के रूप में आता है, सेन्टर गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार रुपये का दुरुपयोग किया जाय, यह उचित नहीं है। मैं सदन को निवेदन करूंगा कि बोहटन से रामसर रोड 25 मील रोड है, ग्रेवल, लेकिन ग्रेवल की निकम्मी रोड है, इस पर पच्चीस लाख रुपया खर्च हुआ, डामर की रोड बनाने पर एक लाख भी खर्च नहीं होता। डामर की सड़क बनाई जाय, बोर्डर रोड, डिफेंस रोड जैसी बनी है तो साठ हजार एक मील पर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

खर्च आये। इस रोड पर एक लाख रुपया खर्च आया, इस प्रकार खर्च आया तो सुपरिटेंडिंग इंजिनियर ने उसको सपोर्ट किया, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर जोधपुर थे, उन्होंने सपोर्ट किया है कि पांच लाख रुपये पानी पर खर्च हुआ। इस पांच लाख से तो सड़क बन सकती थी, दूसरी बनी हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिए निवेदन है कि इसकी आप जांच करा रहे हैं, एन्टी करप्शन से, आनेस्ट आफिसर हैं और इस लिए पूरीतौर पर जांच करा कर दोषी आफिसरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। उसका असर पड़ता है। कोई दण्डित होता है तो प्रिवेन्टिव अफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसके बारे में कदम उठाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैंने ऐसा देखा है कि आज जितने भी करप्शन के केसेज फेमिन के अन्दर हुए हैं उनको जो डील करता है उसमें पी. एस. आइ. बहुत ही ढिलाई बरतते हैं। आज ऐसे कई केसेज पेन्डिंग मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास बाड़मेर में पड़े हुए हैं। और इस प्रकार सभापति महोदय, ज्यादा समय बीत जाने से कई केसेज खराब हो जाते हैं। जिन अधिकारियों को या कर्मचारियों को दण्डित किया जाना चाहिये उन्हें हम देखते हैं कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स और पी. एस. आइ जी की ढिलाई के कारण एक्विट कर दिया जाता है। या यों समझें कि एक्विट हो जाते हैं। आज कितने ही फैमिन के केसेज चल रहे हैं लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये और उन केसेज के लिये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आज स्थिति यह है, सभापति महोदय, एक्यूज्ड हजारों रुपये खर्च करके इन पी. एस. आइ. और पी. आइज को परचेज कर लेते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि इन केसेज के लिये अलग से ओनेस्ट और एफीशियेन्ट पी. एस.आइ. और पी. आइज को सिलेक्ट किया जाय ताकि इन केसेज को जल्दी निपटाया जा सके। और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन भी हो सके।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, अब मैं कुछ रोड्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे यहां पर भारत सरकार ने सन् 71-72 में पठान कोट से कान्डला को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया और इसको नेशनल हाइवे नम्बर 15 के नाम से घोषित किया गया। इसको अगर हम बाड़मेर, जैसलमेर से जोड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ 74 किलो मीटर टुकड़े को जोड़ दें तो यह इलाका नेशनल हाइवे नम्बर 15 से जुड़ जायेगा। सभापति महोदय, यह राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ जाने से इसकी काफी इम्पोर्टेन्स बढ़ जायेगी। मैं इसके बारे में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी यह सड़क सिर्फ 12 फीट चौड़ी है उसको 22 फीट चौड़ी बनायी जानी चाहिये। राष्ट्रीय मार्गों को बढ़ाना चाहिये इनका एक्सटेन्शन करना चाहिये। इस काम को हम अभी जो फैमिन के अन्तर्गत काम चल रहे हैं उसमें पूरा कर सकते हैं अभी फैमिन के काम भी चल रहे हैं और राज्य सरकार को इसमें कोई दिक्कत आने जैसी बात नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मार्ग को पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिये।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं पंचायतों के बारे में कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज आठ साल हो गये हैं अपन ने पंचायतों के चुनाव नहीं कराये हैं। इससे हमारी जो ग्रामीण जनता है उसमें काफी रोष है। आज 9 साल होने को जा रहे हैं पंचायतों के चुनाव नहीं होने से, सभापति महोदय, इससे प्रजातन्त्र को बहुत बड़ा धक्का लगता है। सभापति महोदय, यह जो हो रहा है उसके लिये जिम्मेदार कांग्रेस है। मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो हाइ पावर कमेटी इसके लिये बनी है उसकी रिपोर्ट को विधान सभा में प्रस्तुत किया जावे और उसको इसी सेशन में कन्सीडर किया जावे और इसमें वाद विवाद होने के बाद सदन जो भी समय फिक्स करे एक फिक्स डेट तय करली जाये चाहे दो महीने बाद, तीन महीने बाद जो भी तय हो उसको लागू किया जावे। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमें पंचायतों के चुनाव इसी साल में कराने चाहियें। सभापति महोदय, काफी समय हो गया है कभी हम यह कह देते हैं कि चूंकि अकाल है इसलिये हम पंचायतों का चुनाव कराने में असमर्थ हैं। कभी कह देते हैं कि जनरल इलेक्शन्स आगये हैं इसीलिये हम पंचायतों के चुनाव नहीं करा रहे हैं अभी तो इस प्रकार के हम रीजन्स दे देते हैं और पंचायतों के चुनाव नहीं कराते हैं। यह बिलकुल ही गलत बात है क्योंकि जब हम दूसरे चुनाव कराते हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव कराते हैं, विधान सभा के चुनाव करा सकते हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव करा सकते हैं तो पंचायतों के चुनाव कराने में हमें क्या दिक्कत है। हम पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं करा सकते ? इसलिये हमें ऐसे कदम उठाने हैं कि जिससे कि पंचायतों के चुनाव कराये जा सकें। अगर हम अब भी पंचायतों के चुनाव नहीं करायेंगे तो इससे हमारी कांग्रेस की प्रतिष्ठा जनता की निगाह में गिर जायेगी।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि पंचायती राज को मजबूत बनाया जाय। जहां तक टू टायर या थ्री टायर सिस्टम का सवाल है वह राज्य सरकार जो भी जनता के हित में समझे वह रखे। मगर मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि पंचायतों के अन्तर्गत इन एजेन्सीज को ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी जाये और उसमें यह आस्था होनी चाहिये कि हमें डेमोक्रेटिक डी सेन्ट्रेलाइजेशन को मजबूत करना है।

श्री सभापति : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (पिलानी): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये पिछले सालों से बहुत ही अच्छा बजट रखा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार इन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहती है तो राज्य सरकारको इन ग्रामीण क्षेत्रों से सड़कों द्वारा शहरों से जोड़ा जाना अनिवार्य है ताकि ग्रामीण जनता अपने प्रोडक्शन को गांवों से शहरों में आराम से लाकर बेच सकें जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक हालत में सुधार हो सकेगा।

(श्री शीशराम ओला)

इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ऐसी व्यवस्था करावें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र शहरों से जोड़ा जा सके। ताकि काश्तकार को अपने प्रोडक्शन का उचित लाभ मिल सके। इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं सड़कों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूं। जयपुर से लोहारू सड़क जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है उसके बारे में मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि यह जयपुर से जो लोहारू सड़क जाती है उसमें बीच में सीकर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और आगे यह सड़क हरियाणा के अन्दर होकर निकलती है, यह सड़क सीकर डिस्ट्रिक्ट में आगे बहुत ही खराब हालत में है। पहली बात तो यह है कि सड़क बहुत ही कम चौड़ी है इससे लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए पहला तो मेरा यह निवेदन है कि इस सड़क को चौड़ा किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, यह इन्टर स्टेट सड़क है बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो कि एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को जाती है और राजस्थान की राजधानी से मिली हुई है इसकी हालत में सुधार जल्दी से जल्दी करना आवश्यक है। इस सड़क की यह हालत है कि अगर एक तरफ से कोई मोटर आती है तो दूसरी तरफ से सामने मोटर निकल नहीं सकती। ऐसी स्थिति जहां कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क को चौड़ा किया जाए और इस सड़क की हालत को सुधारा जावे तथा आप इस सड़क को स्टेट हाइवे घोषित करें। जहां तक सड़क की चौड़ाई का सवाल है यह सड़क कम से कम 16 फीट चौड़ी होनी चाहिए ताकि गाड़ियों के आने जाने में सहूलियत हो। इसकी हालत का जहां तक सवाल है हरियाणा के एरिया तक तो इस की हालत बहुत ही अच्छी है लेकिन ज्योंही राजस्थान की सरहद में हम घुसते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि हमें अपने आप ही पता लग जाता है कि अब हम राजस्थान में आगये हैं। उस सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं जिससे गाड़ी में हिचके लगते रहते हैं, कभी कभी तो यह हालत होती है कि मोटर गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं। जब कभी हम हरियाणा के लोगों से मिलते हैं तो आपस में बातचीत होती है तो सड़क खराब राजस्थान की ही होने की चर्चा होती है और उस वक्त हमें नीचा देखना पड़ता है। सभापति महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क की हालत को सुधारा जावे और इस सड़क को स्टेट हाइवे ट्रीट किया जाय।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपसे कुछ हमारे जो 5 एम० एलएज क्वार्टर्स बने हैं उनके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह क्वार्टर्स पूरी तरह बने हुए नहीं हैं लेकिन फिर भी राज्य सरकार एम० एलएज से पूरा किराया आज कई अर्से से वसूल कर रही है। मैंने इनके बारे में कई पत्र मंत्री महोदय को भी लिखे और इसके बारे में पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता को भी पत्र लिखे लेकिन मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे पत्रों का कोई भी जवाब किसी के द्वारा नहीं दिया गया। अगर, सभापति महोदय,

(श्री शोभाराम ओला)

कोई उत्तर किसी भी प्रकार का मिल जाता तो उससे कुछ सन्तोष तो मिलता। आज स्थिति है कि उन एम० एलएज क्वार्टर्स में न तो इनके चारों तरफ चाहर दिवारी है जिसके कारण लोग एन क्वार्टर्स के इधर उधर निवटने बैठ जाते हैं न ही उन क्वार्टर्स में कोई गैरेज ही बने हुए है न ही वहां पर कोई लान वगैरह ही है। काफी अधूरी हालत में वे आज तक पड़े हुए हैं। सभापति महोदय, आज कई बार पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को बार बार लिखने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाना चाहिए। और आज तक जो इस अधूरे मकान का पूरा किराया एम० एल० एज से वसूल किया है उसे वापिस दिया जावे। और इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक वह मकान पूरे नहीं हो जायं तब तक इनसे पूरा किराया वसूल नहीं किया जावे। सभापति महोदय, आज यह स्थिति एम० एलएज की है इस सरकार में तो फिर बेचारी ग्रामजनता को कौन पूछता है? इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि राज्य सरकार ने जिन लोगों की जमीन सड़क बनाने के लिए एक्वायर कर ली थी और राज्य सरकार ने उनको मुआवजा देने की बात कही थी वह आज 15 साल हो गये हैं लेकिन मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया है। इसके कारण उन लोगों को तो नुकसान है ही जिनकी जमीन ली गयी थी लेकिन इससे राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है। वहां पर लोगों ने अन-आथोराइज्ड तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहां पर लोग खेत की डोलियां बना रहे हैं। मकान बना रहे हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को राष्ट्रीय सम्पति की सुरक्षा के लिए इनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। हमें राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा करना चाहिए। अगर हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं तो इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं ठेकेदारी प्रथा के विषय में थोड़ा कहना चाहता हूं।

ठेकेदारी प्रथा। करप्शन का कोई चार्ज लगता है। पी. डब्ल्यू. डी. पर तो इस ठेकेदारी प्रथा के कारण। इसको समाप्त् किया जावेगा तो पी. डब्ल्यू. डी. का दामन साफ होगा।

सभापति महोदय, दो मिनट मैं पंचायती राज पर लेना चाहता हूं। राजस्थान में ही सर्वप्रथम इस पंचायती राज का श्रीगणेश किया गया था। इस ओर राजस्थान ने ही पहल की। सर्व प्रथम बी. डी. ओ. बने। हिन्दुस्तान में राजस्थान का अनुकरण होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता आज पंचायती राज की दुर्गति हो गई। जो भी अधिकारी पंचायत-राज के कार्य के लिये नियुक्त किया जाता था तो वह अपना गौरव समझता था लेकिन आज कोई वहां आता है तो अव्वल तो वह वहां आना ही नहीं चाहता है और आ भी जाता है तो वह सिवाय मक्खी मारने के कुछ नहीं कर सकता।

(श्री शीशराम ग्रोला)

पंचायती राज ग्रामीण जनता के लिये एक देन है। लोग यह महसूस करने लगे कि ग्राजादी आयी और समाजवाद आया है। कुओं और अन्य कार्यों के लिये तकावी आदि दिये जाते थे वे पंचायत समितिओं के द्वारा दिये जाते थे। ग्राप अन्दाज लगा सकते हैं और सर्वे करवा सकते हैं कि जब पंचायती राज के समय तकावी दी जाती थी तो कितने गांवों में कुए खुदे, नये नये एनी कट्स बने, और कितने विकास के काम हुए। लेकिन आज क्या स्थिति बन गई है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। ग्रापने मुझे समय दिया उसके लिये ग्रापको धन्यवाद ग्रर्पण करता हूं।

श्री सभापति : श्री ग्रमृतलाल गहलोत।

श्री ग्रमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : सभापति महोदय, मुझे कम से कम पन्द्रह मिनट चाहिए और आप घन्टी नहीं बजायेंगे।

श्री सभापति : दस मिनट में समाप्त करें।

श्री ग्रमृतलाल गहलोत : सभापति महोदय, राजस्थान की ग्रार्थिक स्थिति ऐसी क्यों है? इसके दो कारण हैं। एक तो हमने जो नीतियां अपनायीं, वे नीतियां ग्रार्थिक दृष्टि से ठीक नहीं। दूसरा जो कुछ भी हमने किया उसकी प्रगति ठीक नहीं।

सड़कों को ही लीजिये। यदि मैं यह कहूं कि राजस्थान में सड़कों के साथ बलात्कार किया गया है तो कोई ग्रतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके ग्रांकड़े मैं ग्रापको पेश करता हूं। पहली योजनाकाल में जो 51 से लेकर 56 तक चली हमारे यहां 54 करोड़ रुपया खर्च हुग्रा उसमें सड़कों पर केवल 5½ करोड़ रुपया खर्च हुग्रा। दूसरी योजनाकाल में जो 56 से लेकर 61 तक चली उसमें 105 करोड़ रुपया खर्च किया गया। उसमें से सड़कों पर 9½ करोड़ रुपया खर्च किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में जो 61 से लेकर 66 तक चली उसमें 213 करोड़ रुपया खर्च हुग्रा परन्तु सड़कों पर केवल 10 करोड़ खर्च हुग्रा ग्रर्थात् 5 परसेन्ट योजना का खर्चा हुग्रा। फिर तीन वार्षिक योजनाएं 66 से 69 तक ग्राती हैं। इसमें 137 करोड़ रुपया खर्च हुग्रा लेकिन सड़कों पर 4½ करोड़ रुपया खर्च किया जो कि 3 परसेन्ट आता है। फिर चौथी योजना के योजना वर्ष ग्राते हैं जिसका ग्रन्तिम वर्ष 73-74 है, इसके जो प्रोजक्शन दिये गये हैं उनके ग्रनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना काल में 315 करोड़ रुपया खर्च किया जावेगा और सड़कों पर 10 करोड़ रुपया खर्च होगा। मन्त्री महोदय ने पिछले वर्ष 1½ करोड़ रुपया रखा था और इस वर्ष 2½ करोड़ रुपया रखा है। चार पंचवर्षीय योजना ग्रौर तीन वार्षिक योजनाएं ग्रर्थात् कुल योजना के 23 वर्ष में 824 करोड़ रुपया खर्च किया गया ग्रौर सड़कों पर केवल 39 करोड़ रुपया खर्च हुग्रा। यदि हम दूसरे प्रदेशों के आंकड़ों को भी कम्पेयर करें तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने हम से कई गुना खर्च किया है। चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में भारत सरकार द्वारा 16000 करोड़ की सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की योजना है उसमें

(श्री अमृतलाल गहलोत)

880 करोड़ का इसके लिये प्रावधान रखा गया है। जो अन्य प्रदेशों के हिस्से में 5½ परसेन्ट और राजस्थान के हिस्से में 3 परसेन्ट आता है।

मेरे पास इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी है। मैंने यह जोड़ा है कि 23 वर्ष में राजस्थान में राजस्थान केनाल के अलावा सिचाई योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपया खर्च किया गया है जिसकी सिचाई से आय हमको 30 करोड़ रुपया आती है। 1 परसेन्ट मरम्मत 30 लाख बेटरमेंट लेवी के आते हैं। हमने अन्धाधुन्ध बांध बनाये चाहे पूरी सिचाई हो या न हो। 1 करोड़ के बांध। रिटर्न कुछ नहीं। कहा गया कि पांच हजार एकड़ की सिचाई होगी और एक्चुअल में उतनी होती नहीं। 30 करोड़ रुपया मरम्मत में 1 वर्ष में लग जाता है।

सड़क यातायात से हमको क्या आमदनी है यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे यहां 1 लाख 15 हजार गाड़ियां हैं। इनमें से 35 हजार कारें हैं, 10 हजार बसें हैं और 25 हजार ट्रक्स हैं, 20 हजार ट्रेक्टर्स हैं और बाकी दो और तीन व्हिलर 30000 व्हिकल्स है। 1951 में 9½ हजार थी। 12 गुना वृद्धि हुई है। राजस्थान सरकार को यातायात करों से 5 करोड़ रुपया आता है। मैंने इसको डिटेल्स में देखा है। परोक्ष और अपरोक्षरूप से ये मोटर वाले भारत सरकार व राजस्थान सरकार को 25 करोड़ रुपया देते हैं। 1.62 पैसे में पेट्रोल बिकता है। 1 रुपया 42 पैसे टैक्स के आ जाते हैं। इतना टैक्स देते हुए भी राजस्थान में सड़कों की यह हालत रही तो हमने सड़कों के साथ अन्याय ही किया है। न्याय नहीं। जो आंकड़े दिये हैं योगेन्द्रजी झांडा ने, उनसे भी आपको ज्ञात होगा। 100 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान में 10 और दूसर प्रदेशों में औसत 30 किलोमीटर सड़कें हैं। 9 लाख किलोमीटर सड़कें है कुल देश में उसमें राजस्थान में 35000 किलोमीटर है।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, सदन का समय 9 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन के माननीय सदस्यों की अनुमति है कि जब तक यह डिमान्ड पास न हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की डिमान्ड पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री अमृतलाल गहलोत : जैसा विधायक महोदय ने बताया कि 100 वर्ग किलोमीटर में पक्की सड़कों का राजस्थान में 5 और देश में 10 औसत आता है। कश्मीर में 2 और नागालैंड में 2, केरल में 50, तामिलनाडु में 33, मैसूर में 20, पश्चिमी बंगाल में 18, पंजाब में 16, हरियाणा में 14 आंध्र में 12, महाराष्ट्र में 11, उत्तर प्रदेश में 9; बिहार में 8, गुजरात में 8, मध्यप्रदेश में 6, उड़ीसा में 6 और राजस्थान में 5। हम बिलकुल पैंदे बैठे हुए हैं। आपने सड़कों के साथ अन्याय किया तो किया। 825 करोड़ में से 39 करोड़ रुपया आप सड़कों पर खर्च कर रहे

(अमृतलाल गहलोत)

है उसमें से 25 करोड़ रुपया आपको मोटरों के करों से प्राप्त हो रहा है।

भविष्य में क्या होगा ? संसार भर के आंकड़े देख सकते हैं। अमेरिका में 11 परसेन्ट कृषि में है और 11 परसेन्ट रोड ट्रान्सपोर्ट पर काम करते हैं। कितना महत्वपूर्ण भाग है। सबसे अधिक आमदनी रोड्स से होती है उसको सरकार ने बिलकुल संकुचित कर रखा है और जिसमें कम आमदनी होती है उसमें आप इन्वेस्टमेन्ट कर रहे हैं। पंचम पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण देखते हैं तो राजस्थान में 7 परसेन्ट की आर्थिक वृद्धि होगी। मैं कहता हूं कि आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं ?

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

हमारा मोरल स्टेन्डर्ड जैसा है उसमें आप एक साल बाद ही तीन परसेन्ट से बढ़कर 74 मार्च से 7 परसेन्ट ग्रोथ कर जावेंगे, ऐसा मुझे तो नजर नहीं आता। ऐसा कहकर आप केवल अपने आपको धोखा देना चाहते हैं। यदि आप आर्थिक ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको चुन चुन कर ऐसा जगह पर इन्वेस्टमेंट करना होगा जहां मेग्जिमम ग्रोथ होने के चान्सेज हो। आपको ईमानदारी और मेहनत से पूरा पूरा काम करना पड़ेगा जैसे जापान ने किया। केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिये, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिये अन्धाधुन्ध पैसा लगावें इससे आर्थिक वृद्धि हमारी नहीं हो पावेगी। यह तो जनरल बात कही है अभी तो भूमिका है। अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहूंगा।

मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि 3.6 किलोमीटर की सड़क केवल मुझे चाहिये थी, और वह उन्होंने दे दी। सन् 71 के युद्ध में याह्याखां ने जोधपुर पर बम्बार्डमेंट किया। वहां पेट्रोल डिपो में आग लग गई घन्टों आग जलती रही। बहुत दूर तक उसकी लपटें उठीं। मेरी इस बारे में कलेक्टर से बात हुई और स्पष्ट कहा कि यह बमबारी है या सेबोटेज ? तीन मील सड़क बिलाड़ा से होकर जयपुर से, अजमेर से, कोटा से, दिल्ली से आती है। यह हमारा जोधपुर का प्रवेश द्वार है। इस सेबोटेज से वह सड़क 15/20 दिन बन्द रही। सारा जोधपुर शहर कट ऑफ रहा। मैंने इसके बारे में मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया कि भगवान के नाम पर हमें यह तीन मील की ही सड़क दे दो, हम और कुछ नहीं चाहते। यह सुरक्षा की दृष्टि से भी जोधपुर के लिये और आपके लिये भी ठीक रहेगा। मैं मंत्री महोदय को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी मांग मान ली। मुझे अब कोई नई सड़क नहीं चाहिए। अब अगर मुझे कुछ चाहिए तो पुरानी सड़कों की मरम्मत चाहिये।

एक माननीय सदस्य : मन्त्रीजी आप की बात मान लेंगे। घर की ही बात है। आप समाप्त करिये। बहुत देर हो गई है।

श्री अमृतलाल गहलोत : जोधपुर के पास फिदूसर खान क्षेत्र की सड़कों में जगह जगह एक एक फीट के खड्डे पड़े हुए हैं। इस पर औसतन एक हजार ट्रकें रोज चलती हैं। यहां पत्थर की क्वेरीज हैं जहां से काफी बहुत तादाद में पत्थर और पट्टियां निकलती हैं और राजस्थान के ही कई हिस्सों में नहीं बल्कि आसपास की दूसरी स्टेटों में भी यहां

(श्री अमृतलाल गहलोत)

से पत्थर जाता है। वहां की सड़क का बुरा हाल है। फिर आप जो आजकल सड़कें बना रहे हैं फेमिन में डी.पी. ए.पी. की ये बेकार की हैं। भारी वाहन इन पर चलने के नहीं आज तो जरूरत है ऐसी सड़कों की जो पचास किलोमीटर प्रति घन्टा रफ्तार की बीस टन की गाड़ियों के बोझे को सम्भाल सके। या तो इसके लिये ग्रेवल रोड़ ठीक है या फिर आप उसे टार करावें।

(8.15 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने जयपुर को 35 लाख 15 हजार रुपये दे दिये। जोधपुर के लिये आपने कुछ नहीं दिया। गुलाबी नगरी जो पहले से ही समृद्ध है उसे आपने और समृद्ध बनाने का तो ध्यान रखा, पर जोधपुर जो काली नगरी हो गई बमों से ध्वंस हो गई थी, उसकी तरफ कुछ भी ध्यान देना नहीं चाहते यह आपका सौतेला बरताव है। मैं सदन में इस सौतेले बरताव के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं। बोर्डर रोड्स तो और भी आवश्यकता हैं। आपके, हमारे सबकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी हैं। आपको समय के लिये अधिक ऐतराज हो तो मैं दो पत्र जो मेरे पास हैं उनको सदन की मेज पर रखता हूं। ये पत्र हैं एक तो मुख्यमन्त्री के नाम से और उसकी प्रतिलिपि है निर्माण मन्त्रीजी के नाम। इसका शीर्षक है अंग्रेजी में हैं : 'Is it justice?"

(सदन के पटल पर पत्र की प्रतिलिपि रखी गई है।)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने पंचायत राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिये इसके ढांचे में परिवर्तन लाने के लिये एक हाइ पावर कमेटी नियुक्त कर रखी है। मैं चाहता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था के सम्बन्ध में नियुक्त इस कमेटी की रिपोर्ट सदन में आवे ताकि हम अपने व्यावहारिक सुझाव दे सकें और उस पर विचार कर सकें।

अभी माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में सड़कों की आवश्यकता पर अपने अपने विचार व्यक्त किये। वास्तव में सड़कों का जाल फैलाने से हमारे राज्य की तरक्की और प्रगति के साधन बढ़ते हैं। इससे और कई लाभों के साथ यह लाभ भी है कि हमारी उपजाऊ भूमि वाला जो हिस्सा है उसका उत्पादन आसानी से, कम मेहनत से, कम खर्चे से मंडियों में समय पर पहुंचता रहता है और इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है।

लेकिन जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया, हमारे राज की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण हमें सड़कों पर जितना खर्चा करना चाहिये था उतना खर्च नहीं कर पाये। हालांकि बोर्डर रोड्स के नाम पर, डी. पी. ए. पी. के नाम से और कुछ फेमिन के कारण भी हमारे यहां कुछ सड़कें बनीं और यह काफी अच्छा काम हुआ।

कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत पेश की। भ्रष्टाचार का एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में राज्य सरकार अपना स्पष्टीकरण देगी। बीकानेर जिले में भी पिछले

(श्री भीमसेन)

अकाल में जो कार्य हुए, उनकी शिकायतें आईं। राज्य सरकार उनकी जांच करवा रही होगी और कसूरवार को खोज निकालने में सचेष्ट रही होगी। हम तो यह चाहते हैं कि अकाल के दौरान जो सड़कों के काम हुए उनके जो मस्टर रोल बने और जिनके आधार पर मजदूरों को पेमेंट किया गया सिर्फ वे मस्टर रोल ही अगर पंचायतों और पंचायत समितियों के सामने जांच के लिये रख दिये जावें तो इसमें हुए भ्रष्टाचार के बारे में सही आंकड़े जनता की तरफ से सरकार के सम्मुख आ सकते हैं कि वास्तव में इस मस्टर रोल के हिसाब से जो पेमेन्ट करना बताया गया है उसमें से वास्तव में कितनों को कितना पैसा दिया गया और बाकी का पैसा कहां गया। वास्तव में कितना पेमेंट हुआ और कागजों में कितना पेमेंट हुआ यह अलग अलग साफ साफ मालूम हो सकता है। और तभी सही बात जनता और सरकार दोनों के सामने आ सकती है। माननीय मन्त्रीजी, इस तरह की व्यवस्था कर देंगे तो सही स्थिति सब के सामने आ सकेगी।

मेरे क्षेत्र में छोटी छोटी सड़कों के निर्माण के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं समझता हूं इनमें अधिकतर एप्रोच रोड्स हैं और छोटी छोटी हैं एक एक दो दो किलोमीटर के हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न सरकार करेगी। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से भी पूगल एरिया वाली सड़क की स्वीकृति मिली है। पर इस पी.डब्लू.डी. ने तत्परता से काम नहीं किया और स्वीकृति आने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ। यह एक महत्वपूर्ण सड़क है। इसके लिये तत्परता बरतनी बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार बीकानेर शहर में ओवर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है। इसके बिना आवागमन में और ट्रान्सपोर्ट में बड़ी कठिनाई काफी अरसे से सभी महसूस कर रहे हैं। फाटक काफी समय तक बन्द रहते हैं और इससे जनता को काफी परेशानी होती है। तो अभी कोई टेम्परेरी हल ओवर ब्रिज आदि का निकाल कर इस समस्या का समाधान कर दिया जावे तब भी काफी राहत लोगों को मिलेगी। वैसे तो इसका स्थायी समाधान यही हो सकता है कि डाइवर्शन लाइन रेल्वे की बनाई जावे। शहर में से लाइन हटाकर बाहर से लाइन ले जाई जावे।

इन्हीं शब्दों के साथ मन्त्री महोदय का ध्यान अन्त में एक बात की ओर और करना चाहूंगा। नापासर का कस्बा है मेरे क्षेत्र में। यह एकमात्र इस एरिया में इतना बड़ा कस्बा है जो नेशनल हाइ वे से भी जुड़ा है कृषि प्रोग्राम भी बहुत चल रहे हैं। ग्रेवल रोड भी हो गई है अब केवल उसे टाइ करने की आवश्यकता है। जिससे यह पक्की तरह से नेशनल हाइ वे से जुड़ जावे। तो इसे टाइ करने की ओर मैं मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मांगों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर विचार करते वक्त मुझे एक ही बात निवेदन करनी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में किसी भी काम की मांग के लिए जब कोई प्रश्न उठाया जाता है अथवा मांग की जाती है तो एक ही उत्तर

(श्री प्रतापसिंह)

दे दिया जाता है कि अर्थाभाव से सरकार ग्रस्त है। इसलिए कोई काम कराना उसके लिए सम्भव नहीं है।

कभी यह भी होता है कि अर्थाभाव की बात पीछे पड़ जाती है और टेकनिकल डिफिकल्टी के चक्कर में डाल दिया जाता है। तो इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो अर्थाभाव और टेकनिकल डिफिकल्टी की बातें आपके सामने पैदा होती हैं तो इनको हल करने के लिए कोई ऐसा रास्ता इवोल्व करें कि जिससे जैसे ही पैसा प्राप्त हो जावे टेकनिकल हर्डल्स भी दूर हो जाया करें और वास्तव में जो काम होना चाहिए उसे तत्परता से समय पर पूरा किया जाया करे। इसी संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अकाल के समय में जब हमारे पास कार्य करने के लिये पर्याप्त क्षेत्र और धनराशि उपलब्ध हो जाती है उस समय प्रायः यह सुनने में आता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, कोई एस्टीमेट्स नहीं है, हमारे पास कोई डिजाइन नहीं है—आदि आदि जो बातें हैं ये सामने रख दी जाती हैं और जो हमें करना चाहिये, वह उसी वाद-विवाद में समय नष्ट कर देते हैं और यह अवसर हम खो बैठते हैं। उस समय को खोने से और धन-राशि के खोने से राज्य सरकार पर यह आरोप भी सामने आ जाते हैं कि राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तो उसको भी खर्च करने में सरकार सक्षम नहीं है। मैं समझता हूं यह कहीं तकनीकी कमी है या क्या है? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा और चाहूंगा मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में अपने वक्तव्य में प्रकाश डालें।

जहां तक अकाल में होने वाले कार्यों का प्रश्न है उसमें एक सबसे बड़ी हर्डल आती है और वह यह आती है अलाइनमेंट तय करने के लिये तत्काल जो स्वीकृति होती है वह स्टाफ के कारण या वर्क लोड होने के कारण तकनीकी अधिकारियों को समय नहीं मिलता है। अलाइनमेंट तय नहीं होता है और काम शुरू नहीं हो पाता है और शुरू भी हो जाता है तो बाद में झगड़े पैदा कर देते हैं और उन झगड़ों के कारण कार्य जिस गति से चलना चाहिये वह नहीं चल पाता है। काश्तकार के जो खेत आते हैं, समय पर उनको कम्पनसेशन मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर किसी लेवल पर एक प्लानिंग होनी चाहिये। समय आने पर अमुक अमुक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से या तहसील लेवल से निश्चिततौर से कर सकेंगे और जो सड़क लेंगे उसको निश्चित अवधि में पूरा कराने के लिये किन्हीं संबंधित अधिकारी विशेष का उत्तरदायित्व होगा तो यदि इस तरह की प्रक्रिया और मैथड अडाप्ट करके आदेश प्रसारित करेंगे तो मैं समझता हूं आपके सड़कों के कार्य में काफी गति आयेगी और हमारे राज्य में सड़कों का प्रसार ठीक ढंग से हो पायेगा।

अर्थाभाव की मैंने जो बात कही वह शुक्रवार को मंत्री महोदय ने मुझे सूचित किया था, यह कार्य अर्थाभाव के कारण नहीं हो पाया है। लेकिन मैं मंत्री महोदय को सूचित करना चाहूंगा अर्थाभाव भी इसमें एक कारण हो सकता है, मैं मंत्री महोदय की बात को इन्कार नहीं कर सकता लेकिन वास्तव में उस कार्य में जो कारण रहे हैं वह ठेकेदार के कारण रहा है। ठेकेदार ने

(श्री प्रतापसिंह)

उस कार्य को जिस स्पेसिफिकेशन के आधार पर करना चाहिये था, वह नहीं किया और उसके कारण कम्पीटेन्ट आथोरिटि ने विदहैल्ड कर दिया, वह आज भी वहां है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा रूपनगढ़, परबतसर डिस्ट्रिक्ट में है, उस रोड़ का महत्व भी इसलिए हो जाता है मकराना जैसा एक महत्वपूर्ण स्थान उसका ट्रान्सपोर्ट भी इसी रोड से होता है और दूसरा परबतसर का पशु मेला भरता है वह भी इस रोड पर होता है। इसलिये मैं समझता हूं उस कार्य को तत्परता से लेकर पूरा करवायें तो जनोपयोगी कार्य होगा और वहां की पब्लिक को जो आवागमन की कठिनाई होती है उसको भी हल कर सकेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये आपसे अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में मैं अभी और नहीं कहना चाहूंगा ठेकेदारी प्रथा को इसलिए समाप्त करना जरूरी हो जाता है कि ठेकेदारी प्रथा में जो लगान लेने वाले अधिकारी हैं, अपनी उसी मनोवृत्ति से अनेक प्रकार के हर्डल डालकर कार्यों में गति नहीं आने देते हैं।

विकास-पाइन्ट ऑफ व्यू को देखते हुये यह आवश्यक हो जाता है कि आप ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके जो कोई नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल के एक माध्यम से आपको पी. डब्ल्यू. डी. के कार्यों को पूरा करावें तो लाभप्रद होगा। पी. डब्ल्यू. डी. की जो बिल्डिंग्स हैं- उसमें केवल हास्पिटल्स और स्कूल्स की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। कम से कम समय पर उन बिल्डिंग्स का व्हाइट वाशिंग हास्पिटल के लिए विशेषतौर से कहना चाहूंगा एक साल में व्हाइट वाशिंग की बात अवश्य करें। अन्य बिल्डिंग्स को छोड़ें, आपकी फाइनेन्स भी इतनी सुदृढ़ नहीं है तो मैं समझता हूं इस ओर भी अपना ध्यान देंगे।

इसके साथ ही अब मैं विकास के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। विकास के सम्बन्ध में जहां तक प्रश्न है मैं पंचायत समितियों, जिला परिषदों अथवा पंचायतों की एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल जो कमियां रहती हैं, उनकी तरफ तो मैं सदन का अधिक समय लेना पसन्द नहीं करूंगा केवल इतना ही निवेदन करूंगा यदि इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को वास्तविकता स्वायत्तता प्रदान करनी है तो इनकी जो निजी आय है, इनको बढ़ावा देने के लिये कोई न कोई तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, अन्यथा जैसी पोजीशन सामने आई है और उसका मुख्य कारण यह रहा है। जो सरकार की तरफ से एड मिलती थी, अनुदान मिलता था, लोन मिलता था वे अब सारे के सारे विदहैल्ड होगये हैं और अन्य जो कार्य करने की गति थी और काम करती थी वह नहीं रही है तो जब तक उनकी निजी आय के स्रोत को किसी अन्य तरीके से नहीं अपना कर सुपुर्द करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि वह पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं अपना पायेगी और उस हालत में जैसी आज की हालत है बनी रहेगी…

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा उनकी ओर इन्कम बढ़ाने के स्रोत को ध्यान में रखते हुये ऐसा प्रोसीजर अपनाया जाय ताकि उनकी इन्कम बढ़े और अच्छा कार्य करके

(श्री प्रतापसिंह)

अपनी सेवायें जनता को दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देते हुये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(कई मा० सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री विजय सिंह : समय बढ़ा दिया है हमको भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री मनोहर लाल (कामां) : मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं। मेरे तो सबसे ज्यादा हैं। मेरे 30 कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं मंत्री महोदय का नाम लेने के बाद मैं बोलने के लिये खड़ा हो गया लेकिन हमारे जिले का नाम ही ऐसा है नागौर। जिस प्रकार का नाम है कोई गौर करता ही नहीं है। मंत्री महोदय, इसका नाम अब और ऐड कर लें ताकि थोड़ा बहुत गौर हो सके।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अपने जिले की उन्हीं सड़कों के बारे में थोड़ा बहुत निवेदन करूंगा जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है और जनता को आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि पिछले साल के बजट को देखते हुये इस साल बजट में प्रावधान रखा है, उसके लिये हम मंत्री महोदय के आभारी हैं लेकिन फिर भी यह सोचना कि कुछ नयी सड़कें बन सकेंगी उचित नहीं होगा। मैं थोड़े में निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिला मुख्यालय से कोई भी ऐसी सड़क नहीं जाती जो कि राजस्थान की राजधानी को मिलाती हो और पूर्णतया बनी हुई डामर की सड़क हो। उसके लिए डीडवाना होकर कुचामन, सांभर और दूदू होकर आती है। इसके लिए बीच में डावस नदी आती है और कुछ साल पहले जब यह नदी काफी जोर से आई थी तो सड़क काफी खराब हो गयी थी और उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हो सकी। वहां पर छोटे वाहनों का निकलना बहुत मुश्किल है माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में खुद जानकारी रखते हैं और उनका भी ऐसा विचार है कि नदी से जो टूट-फूट हुई है इसका जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाना चाहिए। उसके साथ ही नागौर से और सड़कें जो दूसरे स्थानों को मिलाती हैं वह लोसल होकर है। अगर हम उधर से होकर नहीं जायें और डीडवाना से सीकर होकर जयपुर आना चाहें तो लोसल के पास एक 5 मील का टुकड़ा है वह बहुत ही खराब है इसलिए उधर से भी नहीं आ सकते। इसके अलावा नागौर से कुचामन, परबतसर होकर किशनगढ़ होकर जयपुर आना चाहें तो रूपनगढ़ के पास एक पुलिया टूटी हुई है जिसके लिए पिछले कई सत्रों में निवेदन किया जा चुका है लेकिन वह अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिला मुख्यालय से जयपुर को मिलाने के लिए इन सड़कों में से कोई तो ऐसी सड़क हो कि जिसके ऊपर पुलिया का निर्माण हो जाये तो फिलहाल काम चल सकेगा वर्ना यह सड़कें बहुत इम्पारटेन्ट हैं और यह काम हो जाना चाहिए।

मैं साथ ही एक और निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरी सड़कें और हैं कि जो एक तहसील से दूसरी तहसील को या

(श्री राम रघुनाथ)

पंचायत समिति को मिलाती है उनकी बड़ी दुर्दशा है और उनके साइड में ट्रैक्स बने हुए हैं और उन पर चलना पड़ता है। सड़कों पर नहीं चल सकते। उसके लिए विशेष निवेदन यह है कि कई जगहों पर रपटें बनी हुई नहीं हैं तो साइडों में निकलते हैं तो निकल नहीं सकते और कई जगहों पर पुलियाओं का निर्माण होना है वह भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हरसोन से परबतसर आते हैं तो वहां एक बांध बना हुआ है उसके ओवर फ्लो से भी सड़क तीन चार साल पहले टूट गयी थी और टूटी हुई अभी तक पड़ी है। वहां जब बरसात होती है तो बरसात के पानी से तालाब भर जाता है। परबतसर का मेला उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रीय महत्व का मेला है और सारी जनता मेड़ता जयपुर से लेकर उधर से निकलती है तो निकल नहीं सकते क्योंकि एक तरफ तो बांध आ जाता है और दूसरी तरफ नदी आ जाती है और सारे में तीन चार फुट पानी भर जाता है और उस जगह की करीब सौ, दो सौ फुट लम्बाई है। उसमें न तो ट्रक निकल सकता है और न ट्रैक्टर निकल सकता है और नतीजा यह होता है कि उस रास्ते जाने के लिए मीलों का चक्कर लगाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पशु मेले के हिसाब से और राज्य की आमदनी होने के हिसाब से और महत्वपूर्ण सड़क को देखते हुए इसका निर्माण करके जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जावे।

इसके साथ ही हमारी एक सड़क अजमेर जाती है डेगाना से। उसके ऊपर एक नदी बहती है। हालांकि वह नदी बरसाती है लेकिन उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और वह पानी दो तीन महीने तक नहीं सूखता है और उधर से नहीं निकल सकते हैं। तो चिकनी मिट्टी आ जाती है और बालू मिट्टी भी आ जाती है तो वहां से कोई नहीं निकल सकता। जो ट्रक वाले चलते हैं वह अपना पैसा खर्च करके रास्ते को ठीक करते हैं लेकिन उसमें से छोटे मोटे वाहन नहीं निकल सकते। इसके लिए हमने जिला परिषद की बैठक में कहा और वहां पर प्रस्ताव भी रखा और बाद में तय पाया गया कि इसको बनाना आवश्यक है। तो उसके लिए निवेदन है कि जो अजमेर से डेगाना सड़क जाती है यह सड़क प्रायः बरसात में बन्द हो जाती है उसको मरम्मत के लिए प्रावधान इसी वर्ष कराया जाये।

इसके साथ ही कुछ सड़कें हैं जो मिट्टी के उड़ान से बन्द हो जाती हैं। बस या ट्रक तो उस पर से निकल जाती है लेकिन जीप को निकालें तो वह फंस जाती है। इसके लिए भाखरी से परबतसर जाती है, डेगाना से अजमेर जाती है, डेगाना से करनाऊ और नागौर की तरफ जाती है– इन सड़कों पर दो, दो और तीन तीन फुट मिट्टी जम जाती है और कोई भी नहीं निकल सकता। अगर विभाग सतर्क रहे और जहां भी उड़ान की मिट्टी बहुत ज्यादा आती है अगर उसको समय समय पर हटाने का प्रयास करें तो यह कठिनाई बड़ी आसानी से दूर हो सकती है।

इसके साथ ही मेरा निवेदन था कि अकाल में काफी सड़कें बनी हैं प्लान में तो कोई विशेष इम्प्रूवमेंट हुआ हो ऐसी बात नहीं है लेकिन अकाल में काफी सड़कें बनी

(श्री रामरघुनाथ)

हैं लेकिन चूंकि उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं इसलिए वह नहीं होने के बराबर हो गयी है। मैं यह तो नहीं कहता कि सारी सड़कें इसी वर्ष ही मरम्मत करा दें लेकिन मेरा निवेदन है कि हर सडक पर कुछ न कुछ काम कराया जाये और थोड़ा बहुत हिस्सा लिया जावे तो दो तीन वर्ष में वह ठीक हो सकती हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

थोड़ा सा और निवेदन करना है।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के भवन के लिए निवेदन था कि जो हमारे वहां भवन है उसको बना कर किसी ने डोनेट किया और उसमें थोड़ा सा एक्सटेन्शन होना था उसके लिए दो तीन वर्ष पहले धनराशि स्वीकृत हुई थी और हमें पता लगा था कि एक्सटेन्शन होने वाला है लेकिन पता नहीं वह राशि कहां गयी, आज तक पता नहीं। अगर उस धनराशि को कहीं और व्यय कर दिया गया है तो उसके लिए तो मुझे ऐतराज नहीं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो धनराशि दो वर्ष पहले स्वीकृत की गयी थी अब स्वीकृत करके प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में जो आवश्यकता है उसको पूर्ण कराया जाये क्योंकि हमने उसमें करीब 80-90 हजार रुपया लगा दिया है और सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला है, हमें आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी एक्सटेन्शन करा दिया जायेगा और उसी आधार पर स्वीकृति हुई थी लेकिन ऐसा नहीं होने से लोगों में भारी असन्तोष है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उसको पूर्ण करा दिया जाये।

इसके अलावा मैं थोड़ा पंचायती राज के बारे में कहना चाहता था और यह कहना चाहता था कि कुछ इलाकों में भी ऐसी कठिनाइयां हो सकती हैं जो कि मेरे यहां पर हैं। मेरे यहां एरिया में एक पंचायत समिति है, जिला परिषद नागौर में है और विधायक क्षेत्र डेगाना में है। मेरे ख्याल से ऐसी पंचायत समितियां जहां से किसी को लोन लेने के लिए या और कार्यों के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है और एक ही काम के लिए तीन तीन जगह जाना पडता है, हम क्योंकि पंचायतों का रूप नया खड़ा करने जा रहे हैं और उसमें हो सकता है कि यह बात भी विचाराधीन हो अतः निवेदन है कि इस तरह को पंचायत समितियों को तहसील और विधान सभा क्षेत्र से लिंक कर दिया जाये तो अधिक सुविधा हो सकेगी।

इसके साथ ही निवेदन है कि ग्राम पंचायतों में ऐसा पाया जाता है कि उनको सचिव उपलब्ध नहीं होते और फिर उसके बाद में सरपंच पर दोष लगाया जाता है कि पैसा जो पंचायत समिति को मिला है या गांव की धनराशि है उसका अपव्यय हो रहा है। तो ऐसी पंचायतें दो, दो और तीन, तीन हजार की आमदनी कर पाती है उनमें सचिव नहीं मिलते हैं और इसी कारण अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं कर सकते इसलिए इस बारे में मेरा निवेदन है कि जहां ग्राम सेवकों के पास कृषि कार्य नहीं है अगर उन ग्राम सेवकों को अनिवार्य रूप से सचिव बना दिया जाये तो यह काम हो सकता है। आखिर वह भी एक कर्मचारी है और वह

(श्री रामरघुनाथ)

अपनी रेस्पोन्सीबिलिटी समझेगा और पैसे का ठीक तरह से हिसाब रख सकेगा। इसलिए ग्राम सेवकों को जहां कार्य नहीं है उनको ग्राम पंचायतों का सचिव लगा दिया जाये।

इसके साथ ही निवेदन था कि मेरे क्षेत्र में गोरैरी और लगोंद जो दो पंचायत क्षेत्र हैं वहां पर जब से पंचायतें बनीं तब से आबादी की जमीन है लेकिन वहां की रेलवे अथोरिटीज नाजायज झगड़ा करती है और कुछ न कुछ जमीन जिलाधीश के पास पहुंचकर हथियाने की कोशिश करती हैं। यह झगड़ा 8-9 साल से चल रहा है और वहां पर लगातार कई मंत्री महोदय आये हैं और उन्होंने झगड़ा निपटाने की कोशिश की है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो इन ग्राम पंचायतों की जमीनों पर रेलवे का अनआथोराइज्ड, नाजायज कब्जा है, वे लोगों को तंग करते हैं, कोई न कोई बवाल खड़ा कर देते हैं उसके लिए मेरा निवेदन है उनका कब्जा इन जमीनों पर से हटायें और इस समस्या को सुलझायें।

इसके साथ ही कुछ माननीय सदस्यों ने यहां यह प्रस्तुत किया था कि पंचायती राज का सिस्टम टू टायर कर दिया जाय। टू टायर से मतलब है कि पंचायतों के बाद जिला परिषदें हैं। मेरा निजी सुझाव इस बारे में यह है कि इनको किसी तरह से बेहतर बनाया जाय लेकिन सिस्टम थ्री टायर ही रखा जाय क्योंकि पंचायतों का सीधा जिला परिषद् से सम्बन्ध होना इतना आसान नहीं है। उसमें मेरे खयाल से कुछ और भी दिक्कतें हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए इसको थ्री टायर सिस्टम ही रखा जाय।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी पंचायतों में जो अध्यापक हैं उनको शिक्षा विभाग से तनख्वाह तो मिलती है लेकिन उनका चिकित्सा व्यय पंचायतों को वहन करना पड़ता है क्योंकि उनको विभाग से इस तरह का कोई व्यय नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समस्त प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य करते हैं उनको चिकित्सा व्यय भी वहीं से मिलना चाहिये। पंचायतों की बहुत कम आमदनी है और उनके निजी खर्चे भी बहुत बढ़ गये हैं। अतः मेरा निवेदन है कि उनका चिकित्सा व्यय जहां से उनको तनख्वाह मिलती है वहीं से मिलना चाहिये। अगर प्राइमरी स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य करते तो जैसे तनख्वाह शिक्षा विभाग देता है तो उसी तरह से चिकित्सा व्यय भी उनको ही वहन करना पड़ता। यदि पंचायत समितियां शिक्षा विभाग को ठीक तरह से प्राईमरी शिक्षा देने में गांवों के अन्दर सहयोग देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मास्टरों के चिकित्सा व्यय का भार भी वहीं वहन करें। आज आप जानते हैं कि पंचायत समितियों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि आज पंचायत समितियों के पास में कोई काम नहीं रह गया है, और न ऐसे साधन रह गये हैं कि वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें। न उनके पास धनराशि है और न धनराशि बढ़ाने के साधन हैं कि वह अपनी

(श्री रामरघुनाथ)

आमदनी बढ़ा सकें। उसमें भी अगर उनको यह खर्च करना पड़ जायगा तो मेरे खयाल से उनके पास कुछ भी नहीं रह जायगा।

एक पंचायत समिति में कृषि फार्म के बाबत कुछ बातें माननीय सदस्यों ने बताई कि उस कृषि फार्म को खरीदने के अन्दर घोटाले हुए हैं। मैं इस बारे में विशेष नहीं कहूंगा क्योंकि आप समय नहीं दे रहे हैं लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि उस फार्म पर पंचायत समिति अपनी ओन इन्कम में से करीब 85 हजार रुपये खर्च कर चुकी है और उसका हर प्रयत्न यह रहा है कि किसी तरह से पंचायत समिति को फायदा हो। लेकिन वहां पर जो ए. इ. ओ. लगे हुए थे, जो प्याऊमैन कार्य कर रहे थे, इतना करने के बाद भी पंचायत समिति किसी प्रकार भी फार्म को प्रोफिट में नहीं ला सकी क्योंकि सिंचाई की सुविधा नहीं थी। जो कुए वहां पर डिपार्टमेंट ने खोद कर दिये और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनको हस्तान्तरित कर दिया उससे पांच बीघा में भी सिंचाई नहीं हो सकती। यह बड़ी खेद-पूर्ण बात है। उसके बाद लगातार लिखा-पढ़ी करने के बाद भी इसके लिए सरकार की ओर से या विभाग की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला। इसके परिणामस्वरूप जो स्टाफ वहां पर लगा हुआ था उसको हटाना पड़ा और विभाग को इस बात के लिए तो धन्यवाद है कि उन्होंने वह स्टाफ हटा दिया और उनको प्रेम से ले लिया। लेकिन आज भी पंचायत समिति की ऐसी हालत नहीं है कि उस फार्म को चला सके। पंचायत समिति ने अपने पास से पैसा लगा कर एक छोटे मोटे बांध का निर्माण किया जिससे दो तीन सौ बीघा में सिंचाई हो सकती है। इसके बाद अकाल राहत में भी पैसा लगा। उस बांध के बारे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैंने एक प्रश्न भी पूछा था और मुझे उत्तर में बताया गया कि उस बांध पर अब तक 1 लाख 35 हजार रुपया लगाया जा चुका है जबकि उस बांध को देखा जाय तो 50-60 हजार से ऊपर उस बांध पर नहीं लगा है। उस बांध में पानी आता है और उसमें भर जाता है तो दो तीन सौ बीघा में सिंचाई हो सकती है लेकिन अभी तक भी नहरें नहीं बनी हैं। आज तीन साल से बराबर इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है थोड़ा-सा पैसा और खर्च

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कर दिया जाय तो जहां दो ढाई सौ बीघा में सिंचाई हो सकती है जहां फार्म में बराबर सिंचाई होने से इसमें भी फायदा हो सकता है।

अन्त में मैं यह कहता हूं···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको पांच मिनिट का समय दिया था, 15 मिनट से ज्यादा हो गये हैं।

श्री रामरघुनाथ : पंचायत समितियों को कुछ पैसा राज्य सरकार से मिलता है सिंचाई के काम में लगाने के लिए। इसके अन्दर मेरा यह निवेदन है कि ग्रामों में ऐसे तालाब होते हैं जिनके इर्द-गिर्द कुए हैं। जब तालाब में पानी भरा रहे तब उन कुओं का

(श्री रामरघुनाथ)

स्तर ऊंचा उठता है। इस तरह की धनराशि तालाबों पर खर्च करने के लिए इरींगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है जिससे कि तालाबों में पानी आए और कुओं का स्तर ऊंचा उठ सके, लेकिन इस तरह की राशि को जिला परिषदें खर्च करना उचित नहीं समझती हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह के तालाब राजस्थान में जहां कहीं भी हैं उनके लिए अगर सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए धनराशि पंचायत समितियों को दी जाती हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि 25 परसेन्ट सब्सीडी और 25 परसेन्ट गांव वालों को कण्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो इस तरह की सहायता यदि पंचायत समितियों को मिले तो सिंचाई के काफी साधन बढ़ाये जा सकते हैं और कुओं के स्तर को भी ऊपर लाया जा सकता है, यह मेरा निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान बीकानेर शहर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बीकानेर की ऐसी स्थिति है कि जहां···

श्री उपाध्यक्ष : बीकानेर देखा हुआ है मंत्रीजी का। आप तो अपना सुझाव दें।

श्री गोपाल जोशी : मंत्रीजी का देखा हुआ है इसीलिए निवेदन कर रहा हूं। वहां पर न ए. पी. डी. पी. में काम हो सकता है, न फेमिन रिलीफ में वर्क हो सकते हैं और न कोई ऐसी गुंजाइश है कि ग्राण्ट इन एड मिल सके। वहां की सड़कों की हालत ऐसी दयनीय है कि जिसको देखा नहीं जा सकता। बात यह है मंत्री महोदय कि बीकानेर नगर परिषद् इस स्थिति में नहीं है कि उन सड़कों की मरम्मत करवा सके क्योंकि जो धनराशि और जो रुपया वह इकट्ठा करती है वह रुपया सेलेरी में खर्च हो जाता है और यदि एक महीने की सेलेरी दे देते हैं तो दूसरे महीने की सेलेरी देंगे या नहीं, यह समस्या खड़ी रहती है और अभी भी यही स्थिति है। इसलिए वहां डवलपमेंट के काम में सड़कों का कार्य हो सके यह मुमकिन नहीं है। पहले सरकार की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कुछ ग्राण्ट नगर परिषदों को, नगरपालिकाओं को दी जाती थी वह भी इस साल से बन्द कर दी गई। पहले सिक्स्टी, फोर्टी या ट्वन्टी-फाइव-सेवन्टी फाइव के रेश्यो से दी जाती थी लेकिन वह भी बन्द हो गई और सिक्स्टी फार्टी में से फोर्टी परसेंट जो नगरपालिकाओं को देना पड़ता था तो नगरपालिकाएं उसको भी नहीं दे पाती थीं। और तो और, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल 60-40 के रेश्यो की धनराशि बीकानेर नगर परिषद् को इसलिए नहीं मिली कि कोई 16 साल पूर्व बीस हजार का लोन या अनुदान का युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नगर परिषद् नहीं दे सकी। मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि यदि 20 हजार का युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट देने में नगर परिषद् असमर्थ है तो आप बीस हजार काटकर 80 हजार तो दे देते लेकिन वह भी नहीं मिला और वह रुपया लैप्स हो गया। यह रुपया अगर आप नगर परिषद् को दिला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि नगर परिषद् बीकानेर या नगरपालिकाएं जो भ

(श्री गोपाल जोशी)

स्थिति है उनको सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से धनराशि देने की कोशिश करें।

दूसरा निवेदन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कराना चाहूंगा कि बीकानेर में चार स्थायी लेवल क्रोसिंग गेट हैं जो बीकानेर शहर में होकर जाते हैं। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बीकानेर शहर में चार जगह लेवल क्रोसिंग गेट है वहां से हजारों ही नहीं लाखों व्यक्ति रोज गुजरते हैं और मैं, अगर आप चाहें तो, आंकड़े दे सकता हूं कि कितने हजार व्यक्ति, कितनी मोटरसाइकिलें, कितने स्कूटर, कितनी साइकिलें, कितने स्लो मूविंग विहिकल गुजरते हैं और दूसरी कार्ट्स, हेंड मूविंग कार्ट्स और दूसरे गधे घोड़ों से काम करने वाले वहां से गुजरते हैं ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : शहर के सेन्टर में रेलवे क्रोसिंग हैं यह क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री गोपाल जोशी : शहर के दोनों ओर....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राई का बाग जोधपुर में हो सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : दोनों के भाषण साथ साथ ही होंगे क्या ?

श्री गोपाल जोशी : मेरा निवेदन है...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब भीलवाड़ा में हो सकता है, जयपुर के गांधीनगर में हो सकता है तो बीकानेर में क्यों नहीं हो सकता ? ऐसी कौन सी प्राब्लम है ?

श्री गोपाल जोशी : थैंक्स। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बीकानेर शहर में जो लेवल क्रासिंग है, जो रेलवे गेट्स हैं उनसे 16 गाड़ियां पैसेंजर और एक्सप्रेस गुजरती हैं और 24 या 26 गुड्स ट्रेन्स गुजरती हैं। इस तरह से 16 और 24 यानि लगभग 40 ट्रेन्स गुजरती हैं और इन 40 ट्रेन्स को गुजरने में कम से कम 10 घन्टे का समय लगता होगा। अब दस घन्टे में एक लाख आदमियों को हैल्ड अप किया जाता है तो कम से कम दस लाख वर्कमैन आवर्स आप वेस्ट करते हैं। मानव शक्ति का इतना बड़ा अपव्यय क्यों किया जा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से यह मेरी करबद्ध अपील है कि इस समस्या का समाधान करावें। मैंने तो जब से होश सम्भाला है तभी से यह हालत देख रहा हूं। जितने भी मंत्री महोदय वहां आते हैं उन सबको दिखाते हैं। शिवचरण साहब भी पधारे थे उन्हें भी दिखाया था। माननीय मंत्री महोदय को भी दिखाया था। तो इसलिए मेरा खासतौर से बीकानेर शहर की इस समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है और मैं चाहता हूं कि अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी इसको ले लिया जाय या रेलवे के पास सेफ्टी वर्क्स का फण्ड होता है उसको इस काम के लिए डाइवर्ट करा सकते हैं तो डाइवर्ट करा कर इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कराने की आप कोशिश करें, यही मेरा निवेदन है। बस, मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुंशीलाल महावर।

श्री मुंशीलाल महावर (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुदान की मांगों पर इतना ही

(श्री मुन्शीलाल महावर)

निवेदन करना चाहूंगा, वैसे तो माननीय सदस्यों ने इस पर काफी चर्चा की है, मैं व्यापक भ्रष्टाचार की बात नहीं करना चाहता हूं और न ही ठेकेदारी प्रथा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है, जहां परिवहन निगम की बसें चलती हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है। इसलिए मेहरबानी कर के हमारी कान्स्टीट्यून्सी में जो मार्ग है जयपुर से डुंगरोड और जयपुर से लवाण, इन दो रोड को आप ठीक करवा दें तो मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा।

इसके साथ साथ इतनी और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान स्टेट्स रोड्स के मामले में दो स्टेट्स को छोड़कर सब स्टेट्स से पीछे है। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो रोड्स यातायात की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और गांव के विकास की दृष्टि से महत्व की हैं, उसके लिए बजट प्रावधान को दुगुना न कर सकें तो इतना अवश्य करदें कि वे रोड बन जाएं और इसके लिए कोई विधायक ना नहीं कहेगा बल्कि सब खुशी से आपकी मांग को मन्जूर कर देंगे। आप मेहरबानी कर के जो भारतवर्ष की दूसरी स्टेट्स हैं उनके मुकाबले आप कब तक इस स्टेट को रोड्स के मामले में लाएंगे, इसके बारे में सदन को आश्वासन दे दें।

इसके साथ साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो नेशनल हाई वे है जयपुर से आगरा रोड पर, बस्सी कान्स्टीट्यूंसी में एक डाक बंगलो मोहन-पुरा विलेज में है। यह डाक बंगलो स्टेट के जमाने का है और इस पर पी. डब्लू. डी. ने कब्जा कर रखा है परन्तु उसको इस लायक नहीं बनाया है कि उस पर आने जाने वाले टूरिस्ट ठहर सकें और दूसरे महानुभाव ठहर सकें। इसलिए यह निवेदन करना है कि जो डाक बंगलो है उसको ठीक करवायें। यह स्थान अच्छा है...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्रेश प्रोग्राम और अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कें बनाई जा रही हैं। गांव गांव में सड़कें बनाई जा रही हैं। वास्तव में यह सराहनीय कार्य है। परन्तु उन सड़कों के साथ साथ डामर भी करवायें तो इन रोड्स का ग्रामीण जनता को ज्यादा फायदा होगा और इन पर किया हुआ खर्चा बेकार नहीं जाएगा वरना बरसात आने के बाद मिट्टी बह कर निकल जाती है और पत्थर रोड़ियां खड़ी रह जाती हैं जिससे रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए विनम्र शब्दों में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी स्टेट्स में जो फेमीन रिलिफ के काम होते हैं, क्रेश प्रोग्राम के काम होते हैं उसका भी सदुपयोग हो सकेगा। वह अच्छा कार्य होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों और पंचायत समितियों में आम तौर पर जो शिथिलता व्याप्त हो गई है उससे मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। परन्तु

(श्री विजयसिंह)

जहां तक मैं समझता हूं इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि कार्य की प्रवृत्तियां कम करना है। जो काम पंचायतों और पंचायत समितियों को सौंपे गये थे वह धीरे धीरे राज्य सरकार ने वापिस ले लिया हैं जिसका नतीजा यह निकला कि आज पंचायतें डिफंक्ट हो गई हैं। माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जिस चीज के लिये एक बार यह कहा था कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन कर रहे हैं वहां दूसरी तरफ सेन्ट्रेलाइजेशन कर के राज्य कर्मचारियों के हाथों में इसको केन्द्रित कर रहे हैं। यह एक इसी तरह की बात है कि apoplexy at the centre and anaemia at the extremities.

हम यही घटना राजस्थान में पैदा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यदि हमें पंचायतों को चलाना है, पचायती राज इन्स्टीट्यूशन को पनपाना है और उसमें यदि हम विश्वास रखते हैं तो हमें इन पंचायतों को बड़ा बनाना चाहिए। आज ये छोटी छोटी यूनिट हो गई हैं जिसके कारण ये डिफंक्ट हो गई हैं और इनका कोई यूज नहीं रह गया है। इसलिये पंचायत को बड़ा बनाया जाए और उसके लिए साधन जुटाए जाएं जिससे गांवों के लेविल का जो तबका है वह उस क्षेत्र के अन्दर कुछ विकास का काम कर सके और यह महसूस भी कर सके कि वास्तव में हमको आजादी मिली है। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आपने यहां पर ज्युडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग अलग करने की बात तय की है लेकिन पंचायत लेवल पर ऐसा करने से इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। पंचायत और न्याय पंचायत को एक कर देंगे तो निश्चित रूप से पंचायतें ज्यादा अच्छा काम करने लगेंगी और इफेक्टिव बन जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण इन पंचायतों और पचायत समितियों के डिफंक्ट होने का यह है कि वहां चुनाव का नहीं होना है। चुनाव कराना जरूरी है इसमें दो राय नहीं है लेकिन चुनाव करा देंगे तो भी शिथिलता दूर नहीं होगी और ठीक तरह से काम करने लायक नहीं हो पाएंगी। इन पंचायतों को सक्रिय करने के लिए इनके ढांचे में आपको आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। इनको इफेक्टिव बनाएं जिससे कि काम हो सके और जो शिथिलता की हालत है वह समाप्त हो सके। केवल चुनाव करा देना ही इसका उपचार नहीं है। पंचायत समितियों में आज डाइआर्किकल सिस्टम है। विकास अधिकारी कुछ कहता है, प्रधान कुछ कहता है और इन दोनों के आपस में नहीं पटने की वजह से पंचायत समिति कोई काम नहीं कर पाती है। इसलिए निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय कम से कम इस डाइआर्किकल सिस्टम को समाप्त करें ताकि ये इफीसिऐन्टली काम कर सकें। जन-प्रतिनिधियों का उन पर ज्यादा कन्ट्रोल हो। चाहे वे पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो। जब तक जन प्रतिनिधि को पावर नहीं देंगे तब तक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इनको डोमीनेट करते रहेंगे। यह काम जब तक कर्मचारियों के हाथ में रहेगा तब तक यह डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर नहीं है। यह केवल एक कहावत मात्र है। मैं तो यह चाहता हूं कि आर. ए. एस. को ही

(श्री विजयसिंह)

विकास अधिकारी के पद पर लगाया जाए। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि ए.ई.ओ. को और ए.एच.ई.ओ. को विकास अधिकारी बनाने से काम बिगड़ा है। उनको विकास अधिकारी बना देने से एक तो उसने अपना काम छोड़ दिया है और जो उसके दूसरे साथी हैं उनके ऊपर उसका कोई कन्ट्रोल नहीं है। इसलिए आर.ए.एस. अधिकारी को पंचायत समिति में रखना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल विकास अधिकारी का प्रधान के हाथ में होना चाहिए तब तो आप इनको ओटोनोमी देंगे नहीं तो यह कोई ओटोनोमी नहीं है। जिस तरह से राज्य कर्मचारी चाहते हैं उसी तरह से इसको चलाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यह निवेदन करूंगा कि धीरे धीरे जो पचायत समितियों से पावर्स लिए गए हैं और जो प्रवृत्तियां ली गई हैं उसका मूल कारण सरकारी कर्मचारी और अधिकारीगण हैं। उन्होंने यह समझा कि यह पंचायत समिति हमारी स्वेच्छारिता के बीच कहां फंस गई। ऐसी कौनसी इन्स्टीट्यूशन पैदा हो गई कि जहां स्वेच्छाचारिता से काम चलता था उनके बीच में टांग फंसा दी और इस तरह से ये इन्डीपेन्डेन्ट नहीं रहे। इसी लिए इन्होंने पंचायतों के कामों में रोड़ा अटकाया और राज्य सरकार के सामने इस तरह की तस्वीर रखी कि ज्यों ज्यों Trends (ट्रेन्ड्स) पंचायत समितियों को सौंपे गये उनमें काम बिगड़ रहा है भ्रष्टाचार फैल रहा है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है उपाध्यक्ष महोदय। कई माननीय सदस्य तो पांच के बजाय बीस मीनिट तक बोले हैं। कम से कम 15 मिनिट तो मिलने चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इन इन्स्टीट्यूशन्स को बदनाम करने के लिए, जो जो प्रतिनिधि जनता से चुनकर आये उनको एक तरह का वह समझकर बदनाम करने के लिए एक प्लान्ड प्रोपेगेन्डा सरकारी अधिकारियों ने चलाया और यह नजरिया पेश किया जिस की वजह से यह संस्थाएं तरक्की नहीं कर सकीं और जिसकी वजह से काम नहीं कर सकीं। राज्य सरकार ने सारी प्रवृत्तियां जो जो भी पहले थीं जैसे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज भेड़ ऊन सोशियल एज्यूकेशन की, इनको दी थीं वह सारी की सारी वापिस ले लीं, जिसके कारण से इनके पास कोई काम नहीं रहा। अब वे वापिस देनी चाहिए।

इसके अलावा जो जनता के प्रतिनिधि हैं मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि जो सरपंच हैं उनको आडिट से मुकाबला करना पड़ता है वह उनके सामने इतनी बड़ी भारी आफत है जिसको स्वयं माननीय मन्त्री महोदय ने देखा और महसूस किया होगा क्योंकि आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी के प्रधानों से और सारे सरपंचों से आपका निकट का सम्बन्ध भी होगा। वह लोग आपको बताते होंगे। वह आडिट रिपोर्ट पहले नहीं लिखेंगे, पंचायतों की जांच करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट लिखेंगे नहीं तो जो उनके लूप होल्स है जो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण लूप होल्स रह जाते हैं उनका नोट तैयार करके पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से

(श्री विजयसिंह)

सरपंच को बुलाएंगे और अपने नोट्स बताएंगे, कहलायेंगे कि यह रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं इसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। इस तरह से उसको जलील करके, परेशान करके उनसे अनलाफुल ग्रेटीफिकेशन एक्स्ट्रेक्ट करते हैं।

युटीलाइजेशन सर्टिफिकेट्स खास तौर से उन रकमों का जो पंचायतों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाने के लिए सरपंचों को दीं उनसे कई जगहों पर तो काम किया और कई जगहों पर नहीं कर पाये जिसके लिये तो अलग से राज्य सरकार कार्यवाही करती है, और जहां पर काम कर लिया गया तो एक हजार का निर्माण कार्य था उसमें से 500 रुपया पंचायत को मिला और उसको लगा दिया और कुछ श्रमदान लगा दिया, उसके बावजूद भी आज तक उनको युटीलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और जो ए० ई० एन०, ए० जी० डी० आपने रखे हैं और उसके नीचे कुछ ओवरसियर्स भी हैं, लेकिन ओवरसियर एक एक पंचायत समिति के अन्दर एक एक नहीं है। कम होने की वजह से दिक्कत पड़ रही है। मैं तो समझता हूं उनका भाग्य ठीक है कि नौ साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगर चुनाव हो जाते तो दूसरे आ जाते सरपंच साहब और उनके खिलाफ पहले वाले सरपंच चुनाव लड़ कर हार गये होते तो वह जीत कर आने वाले सरपंच साहब लगातार इन को परेशान करते कि युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वह कहते कि वे रकम खा गये। तो कम से कम ओवरसियर्स तो आपको बढ़ा कर उतने ही करने चाहिए जितने कि पहले थे।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा आपसे कि आज जिला परिषदों के पास काम नहीं है वह केवल एक एडवाइजरी बोडी का काम कर रही हैं। उनके बजाय जो भी विकास के विभाग हैं जैसे कि सिचाई विभाग है, जैसे कि सड़कों का काम है, जैसे कि शिक्षा का काम है, बिजली का काम है, दूसरे देहाती कारखाने हैं इन विभागों के जो जिला लेवल के आफिसर्स हैं अगर उनको जिला परिषदों को सौंप दें तो काफी अच्छा काम जिला परिषदों के पास हो जायगा और विकास में भी गति आयेगी।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की बिल्डिंगें खराब है, उनमें अनियमितताएं होती हैं उसके लिए तो समय आप नहीं दे रहे हैं। सड़कों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने मेरे पर बड़ी विशेष कृपा करके रकम जो प्रदान की है उसकी मुझे खुशी है कि जिसकी वजह से मेरे वहां के लोगों को सहूलियत मिलेगी। यहां पर यह मैं बताना चाहता हूं कि मेरी तहसील की सड़क का भी महत्व है जबकि सारी सड़कों का सारे हिन्दुस्तान में महत्व है तो मेरी तहसील में भी महत्व है। कुछ प्लान रोडस् है जिनके लिए बजट में रकम होना चाहिए। नेशनल हाई वे को जोड़ने वाली करेड़ा-मार्ग रोड्स के लिए बजट में कुछ आपने इनायत नहीं फरमायी। अगर उनके लिए थोड़ा सा इनायत फर्मा दें, बख्शीश कर दें तो बड़ी महरबानी होगी। मेरे यहां की रोड्स के लिए जो आपने दिया

(श्री विजयसिंह)

उसके सिवाय आप इनायत करेंगे। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि जो प्लान रोड्स हैं वह अधूरी रह गई हैं उनको आप लें, क्योंकि जो पहले का पैसा लगा हुआ है वह भी खराब न जाय और वह सड़कें पूरी हो जायं।

इसके अलावा दूसरी अकाल राहत की सड़कें हैं, माननीय उपाध्यक्ष, वह यों की यों पड़ी हुई हैं। जो मिट्टी का काम हुआ था वह वहकर कट कर वापिस जा रहा है। उसका कोई फायदा नहीं है (समय-समाप्ति सूचक-घन्टी) उनको ग्रैवल्ड कर दिया जाय या मैटल्ड कर दिया जाय तो ठीक रहेगा। आगे समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मजबूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि रेगिस्तान का विकास नहीं हुआ है उसका विकास किया जाय और हम उसके लिए कुरबानी भी देने को तैयार हैं, लेकिन जहां पर इस बात को कहा जाय कि भरतपुर और अलवर जिले उपजाऊ जिले हैं तो ऊंट की गरदन लम्बी होती है तो काटने के लिए नहीं होती है। उपजाऊ तो है लेकिन इसलिए उपजाऊ नहीं हैं कि उनको रेगिस्तान के स्तर पर ला दिया जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज से 39 साल पहले स्टेट पीरियड में सिर्फ 13 साल में सन् 35 से लगा कर 48 तक यानी 34-35 से लेकर 48 तक भरतपुर जिले में यानी भरतपुर स्टेट में 400 किलोमीटर सड़कें बनाई गई जब कि भरतपुर का एक आदमी एक वर्ष में 4 रुपये स्टेट के खजाने में देता था। जब कि आज यह हालत है कि भरतपुर जिले का प्रति व्यक्ति राज्य के खजाने में 200 रुपये प्रति वर्ष देता है। हम जो आज दे रहे हैं वह 39 साल पहले से 50 गुना ज्यादा दे रहे हैं जबकि बदले में पिछले 26 सालों में 13 साल के मुकाबले में, जहां 13 साल में इतनी सड़कें बनी वहां पिछले 26 सालों में 172 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। अलवर का मुझे मालूम नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आबादी का फारमूला बनाया है। अच्छी बात है आबादी के फार्मूले से सड़कें बनाई जानी चाहिएं, लेकिन इसके अलावा दूसरे दृष्टिकोण भी होते हैं, लोकेशन का दृष्टि-कोण भी होता है, यात्रियों का दृष्टि-कोण भी होता है, उत्पादन का दृष्टिकोण भी होता है। भरतपुर के बासी पहाड़पुर को राजस्थान का एक एक आदमी जानता है। उसकी 5 मील की एप्रोच रोड़ नहीं बनाई जाती है। कितनी आमदनी सरकार को होती है, कितनी जनता का उससे काम होता है?

मैं एक बात निवेदन करूंगा आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ डीग सब-डिवीजन की बात निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय उससे अच्छी तरह से परिचित हैं, और मेरे ख्याल से मेरे जन्म के पूर्व के वहां के इन्जीनियर महोदय बैठे हुए हैं, मुख्य अभियन्ता महोदय वह अच्छी तरह से जानते हैं कि डीग सब-डिवीजन का लोकेशन क्या है? इधर हरियाणा है और उधर उत्तर प्रदेश है। मथुरा, गोवर्धन, नन्दगांव, बरसाना यह

(श्री मनोहरलाल)

भारत में धार्मिक सर्वोच्च स्थान हैं और भगवान कृष्ण की क्रीड़ा और लीला-भूमि रहे हैं, और लाखों यात्री हर वर्ष भारत के हर कोने से कामां और डीग होते हुए नन्दगांव और बरसाना जाते हैं। कामां में जो डाक बंगलों है उसमें उल्लू रहते हैं, भूत-बासा है। यहां पर दो फर्लांग की सड़क नहीं बनाई जाती है। मवेशी वहां पर रात को रहते हैं डाक बंगले में। मुझे नहीं पता है। चार मील कामां से बरसाना है उसके लिए 25 मील का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। एक लाख आदमी हर वर्ष भारत के हर कोने से कामवन जाते हैं। भारत में कामवन का वह स्थान है जो आप जानते हैं। नाथद्वारा की गद्दी कामवन में है। वहां पर 33 करोड़ देवी-देवताओं का निवास है। वहां पर एक लाख आदमी हर वर्ष यात्रा करने के लिए आते हैं और विदेशी भी आते हैं और उधर से गुड़गांवा के लिए जाते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि ए० पी० ड्रेन बनाई गई है। यू० पी० ने अपने हिस्से के 33 किलोमीटर के बैंक बना लिये, हरियाणा ने अपने हिस्से के 13 किलोमीटर के बैंक बना लिये और आपके हिस्से के ए०पी० ड्रेन के बैंक खुले पड़े हुए हैं और उस पर पक्का कार्य नहीं हुआ है। उससे आपको आमदनी हो सकती है। वहां पर एक चौकी खन्दूका रैग्युलेटर बना सकते हैं और लाखों रुपयों की चोरी होती है वह बचेगी। नौनेरा तक उत्तरप्रदेश ने बना लिया है और नौनेरा से सोनवर तक 4·5 किलोमीटर का टुकड़ा बन सकता है। इसमें 8-10 गांव बड़े बड़े आते हैं उनमें अच्छी पैदावार होती है। इसमें कामां से बरौली घाऊ देवपुरा तक सड़क बनी हुई है। वहां पर 7-8 गांव बड़े बड़े हैं और नानेरा 5 हजार की आबादी का कस्बा है। वहां पर आप एप्रोच रोड्स नहीं बना सकते हैं। दोनों जगह चौकियां डालनी होंगी। आप को टैक्स मिलेगा। टैक्स की चोरी बचेगी। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी दिलचस्प बात है। डीग से लेकर मनैयावास तक, अचोर से डैंडावास, घाटनो से फतहपुर, इधर एक 17 किलोमीटर का टुकड़ा हरियाणा सरकार बनाना चाहती है लेकिन आप नहीं बनाना चाहते हैं। डीवा से दिल्ली और पहाड़ी से दिल्ली। अगर यह तीन किलोमीटर का टुकड़ा आप बना देते हैं तो 30 किलोमीटर का लाभ हो जाता है। वहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा और राजस्थान की सीमाएं मिलने के कारण करों की चोरी होती है। तो जो दिल्ली के लिए सड़क गई है, उससे उसको मिलाया जा सकता है। इसी तरह से सीकरी और गोविन्दगढ़ को नहीं मिलाया जा सकता है। वह कितनी बड़ी मण्डी है। उसके लिए कितने साल लगायेंगे? इसी तरह से जनूथर सीसवाड़ा, पंचोरी, उनको नहीं मिलाया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय या अधिकारी ध्यान देंगे या नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप की नीतियों और आपके नेता भरतपुर जिले के साथ भेदभाव बरतते हैं। जो भी पहले से सड़क बनी थीं, उनकी मरम्मत नहीं होती है। पहाड़ी से कमां तक सड़क पड़ी है। कामां से डीग तक का टुकड़ा है। कभी कभी गिट्टियां डाली जाती हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कृषि उपज मण्डी के पास पैसा है। कामां कृषि

(श्री मनोहरलाल)

उपज मण्डी के पास पैसा है । डीग कृषि उपज मण्डी के पास पैसा है । उस पैसे से निर्माण आप करा सकते हैं । कुरेहरा, बोलखेड़ा, बरौली थाऊ के क्रेश प्रोग्राम पूरे नहीं हुये हैं । इकलेरा में क्रेश प्रोग्राम पूरे नहीं किये गए हैं 12 करोड़ 90 लाख रुपया आपको नेशनल हाईवे के लिए मिला था । 90 लाख रुपया ही आपने खर्च किया है । 2 करोड़ नहीं किया है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में को-आपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव हो सकते हैं । विधान सभा के चुनाव हो सकते हैं । नगर परिषद् के चुनाव हो सकते हैं । लेकिन हमारे प्रान्त में पंचायतों के चुनाव नहीं हो सकते हैं । आज सरपंच पुलिस के दलाल हो चुके हैं । झूठे मुकदमे लोगों पर लगाते हैं । इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं । अगर आप हिन्दुस्तान में नई चीज करना चाहते हैं । तो मैं दो निवेदन आप से करता हूं । एक तो आप 18 साल वालों को मताधिकार दे दें । जैसा कि बंगला देश में किया गया है । 18 साल वाले को शादी करने का अधिकार है । व्यवसाय करने का अधिकार है । फिर मताधिकार का क्यों नहीं ? दूसरे हरिजनों, शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कभी सरपंच नहीं होंगे अगर इनके लिए स्थान सुरक्षित नहीं किये तो । इसलिए इनके लिए सरपंचों के स्थान सुरक्षित किये जायें । पंचायत समितियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित हों । कृषि उपजमण्डी में उनके लिए स्थान सुरक्षित हों । जब तक ऐसा नहीं होगा, ग्रामीण एरिया में उनकी पूछ नहीं होगी । जयपुर में आकर वह नेता बन जायेंगे । एक और बात कहना चाहता हूं । आपने भरतपुर अलवर को उपनिवेशन बना रखा है । आपने इस क्षेत्र को अपनी कालोनी बना रखा है । भरतपुर के इतने अध्यापक हैं, ग्राम सेवक हैं और कर्मचारी हैं, वह रेगिस्तान में पड़े हुये सड़ रहे हैं । उनकी कोई सुनता नहीं है । जालौर, बाड़मेर में पड़े हुए सड़ रहे हैं ! यह ठीक है, रेगिस्तान की आप सेवा कीजिये । हम भी करेंगे । लेकिन यह नहीं हो सकता है कि भरतपुर, अलवर जिला खून से सींचे ताकि आप पानी पी सके हैं । हम इसके खिलाफ आन्दोलन छेड़ने वाले हैं । उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर के लोग अलवर के लोग, बाड़मेर, जालौर, सिरोही में पड़े सड़ रहे हैं । 15-15 साल से पड़े हुये हैं । कई ऐसे हैं, जिनके मां बाप मर गये हैं, और वह आ भी नहीं सके हैं । यह कितना बड़ा जुल्म और अन्याय है । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों के साथ अन्याय होता है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय यह जो पंचायत चुनावों के बारे में कहा गया है ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । यह मन्त्री महोदय का काम है ।

श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिला एक ऐसा जिला है जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है । मेरे ख्याल में कोई सदस्य भी नहीं है । इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपको और मन्त्री महोदय को जो कि 24 साल के बाद इस योजना में कुछ पैसा रखा है । इसलिए

(श्री उम्मेदीलाल)

मैं मन्त्री महोदय को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि करौली से महुआ महुआ से हिण्डौन होती हुई जो सड़क करौली जाती है, वह सड़क चौड़ी नहीं होने के कारण आये दिन उस पर दुर्घटनायें होती है। क्योंकि उस सड़क पर हर समय कम से कम 400-500 ट्रक चलते हैं। वह ट्रक खानों से पत्थर लाते हैं। करौली में अच्छे पत्थर की खानें हैं। वह राजस्थान के अन्दर उपलब्ध होता है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस सड़क की चौड़ाई को डबल बनाया जाय। ताकि आये दिन दुर्घटनायें नहीं हों। और जो होती हैं, उनकी सुरक्षा हो सके। एक कोटली से 7 मिल का टुकड़ा है। 4 मील तो हो चुका है। 3 मील का रह गया है। एक ट्रक तीन, चार चक्कर करता है। वह सड़क इतनी रद्दी है कि अगर डकैती हो जाये तो पुलिस वाले भी उस सड़क से नहीं जा सकते हैं। वह कहते हैं कि सड़क का रास्ता खराब है। वहां पहुंच नहीं सकते हैं। कल चलेंगे। यह तीन मील का टुकड़ा बना दिया जाये......

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो बड़ी मेहरबानी हो। हिण्डौन से मासलपुर 62 में योजना में रखा था। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं अर्ज करूं माननीय मन्त्री महोदय से कि हिण्डौन से सड़क बनाने की जो योजना रखी है, वह 10 मील की सड़क खराब है। वहां एक बांध है, उससे कुछ 9 मील रहता है। अगर 19 मील का टुकड़ा पक्का हो जाता है तो खानों का रास्ता पक्का हो जायेगा। तो उससे गरीबों को बहुत फायदा मिलेगा।

एक बात दूसरी बात यह है, उपाध्यक्ष, महोदय वहां पर जितनी चोरी होती है और जितनी डकैती होती है, चोर-डकैत जंगल में घुस जाते हैं, वहां कोई जा नहीं सकता। हिण्डौन के पांच छः मील तक जंगल है। हिण्डौन में जितना अन्याय, चोरी, डकैती होती है, वहां एक घण्टे में लुट जाते है जंगल में इसलिए वहां रास्ता बने, वहां सड़क बने तो लोगों को बड़ा भारी लाभ मिलेगा और खानों का रास्ता भी उपलब्ध हो जायगा, इससे सरकार को बहुत अच्छी इन्कम मिलेगी...

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : समय दीजिये। आपको पूरा समय दीजिये।

श्री उम्मेदीलाल : एक सड़क हिण्डौन से बयाना जाती है, उस सड़क का इतना बुरा हाल है, उस पर नदी पड़ती है, गम्भीरी नदी, जब तक उस पर पुल नहीं बने तब तक आवागमन का रास्ता चार महीने बन्द रहेगा। इसलिए गम्भीरी नदी पर पुल बनायें ताकि लोगों को सुविधा हो सके और आवागमन का रास्ता सुलभ हो सके।

हिण्डौन से गंगापुर सड़क जो है उसकी हालत यह है कि कुछ दूर पर नदी पड़ती है। इस साल में कुछ लोगों से पता लगा है कि उस पर पुल बनाने की योजना है। अब पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रहे हैं इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि यह पुल बनाना बहुत उपयोगी होगा। इसलिए यह

(श्री उम्मेदीलाल)

पुल बनाया जाय (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं एक मिनिट में बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा ।

पंचायतों के मामलों में, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो किसानों को पंचायत समिति के द्वारा लोन मिलता था, या कर्ज मिलता था उस कर्ज में इतनी बन्दी आ गई है । अब किसान अपने कुए के लिए कर्ज लेने जाय तो वह बैंक में जायं बैंक में उसे कह देते हैं, भई, हमारे पास पैसा नहीं है । किसान को एक पैसा भी नहीं मिलता है और कुछ लोगों पर बहुत बकाया है । इससे किसानों को बहुत परेशानी होने लग जाती है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना सरकार की असफल रही है । पहले पंचायत समिति से मिलता था, तहसील से मिलता था । इसलिए अब पंचायत एक्ट में कुछ न कुछ संशोधन होना चाहिए ताकि पंचायत राज चल सके । पंचायत राज एक ऐसा राज्य है, जो कांग्रेस की विभिन्न नीतियों में विश्वास करता है इसलिए मैं आप से प्रार्थना करूं, किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है उनके साथ बड़ा भारी धोखा है (समय समाप्ति सूचक घण्टी) । हरिजन भाई कहें, भई हमें कुए के लिए कर्ज चाहिए । तो कह देते हैं, भई हमारे पास पैसा नहीं है । सरकार देवे नहीं है । हम कैसे बनावें और कैसे कर्ज दें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूं, कुछ न कुछ इसमें संशोधन होना चाहिए ताकि गरीबों का भला हो सके और समाजवाद आ सके ।

श्री केदारनाथ : बिना ब्याज के कर्ज दें ।

श्री चतुर्भुज चौधरी (टोडारायसिंह) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं । पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक में एक निर्लज्ज बात हमारे सामने है, जो यह है कि तीन साल पहले से शिक्षा उपकर जनता के माध्यम से तीन रुपया हर परिवार से चूल्हे का टैक्स लागू कर रखा है । शिक्षा भवन निर्माण हेतु आज दिन तक वह पैसा जनता को नहीं पहुंचा है । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है । हम पर किस आशा पर उप कर लगाया था, और हम किस नजर से देख रहे हैं । आप अध्यापकों का वेतन बजट पूरा नहीं भेजते हैं । 33000 हजार रुपया का बजट आता है । वह स्थान पर 3900 हजार रुपया चुकाता है । मय एरियल के 6000 हजार रुपया को हर बार यहां पंचायत समिति को भुगतान करना पड़ता है । इस दशा से शिक्षा उपकर धनराशि भी इस प्रकार खत्म हो जाती हैं । समय समय पर पंचायत समिति जिला परिषद् व जिलाधीश भी इसी विषय में आपको सूचित करता रहा है । इसके बावजूद भी आप पूरा बजट नहीं भेज रहे हैं । अतः आप पूरा बजट भेजने की व्यवस्था करें, और जितनी धनराशि पंचायत समिति निजी आय की उठाई गई है उनको आप अलाट करने की जल्दी व्यवस्था करें । अन्यथा जरा भी देरी करेगी राज्य सरकार तो पंचायत समिति मजबूर होकर इस शिक्षा उपकर को वापिस तोड़ने की दशा में आ गई है । तो मैं आशा करता हूं कि शाला भवन को सुधारने के लिए जो योजना पंचायत समिति ने बनाई उसको नष्ट नहीं करेंगे । मैं उम्मीद करता हूं इसकी व्यवस्था जल्दी करेंगे ।

(श्री चतुर्भुज चौधरी)

दूसरा प्रश्न यह है कि डामर रोड के विषय में लावा हरीसिंह से उनियारा डामर रोड की मंजूरी दी है। आपने इसके साथ लावा हरीसिंह से अजमेर लम्बा यातायात चल रहा है जिसका तीन परमिट बसों का चालू है। जिसमें सुवारिया से मोर 13 कि. मी. और जोड़ दिया जाय तो यह टोडारायसिंह से अजमेर यातायात बरसात में बन्द होने की नौबत नहीं आयेगी। अतः मैं आशा करता हूं आप जल्दी से जल्दी मंजूरी फर्मायेंगे।

टोडारायसिंह से झगड़ा रोड जो ना के समान है, जो टोडा से जिला टौंक रोड है। अतः 21 कि. मी. रोड की दुर्दशा खराब हो रही है। इसको भी आप बजट में जोड़ने की कृपा करेंगे।

चौथा प्रश्न मेरा यह है कि कस्बा देवली में आज दिन तक प्रसूती गृह का निर्माण नहीं है। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उदयपुर भीलवाड़ा से जयपुर व अजमेर से कोटा मार्ग एक बहुत बड़ा सेन्टर स्थान है। देवली कस्बा जहां सी. आर. पी. पड़ी हुई है। कोई भी राष्ट्र पर संकट आता है। उसमें भी देवली एक संकट का भागीदार है। अभी बंगला देश के शरणार्थी पड़े हुए हैं। जिस स्थान पर आज दिन तक लेडी डाक्टर नहीं है। यह एक दुर्दशा की बात है और दान दाता व म्यूनिसिपैलिटी 45 हजार रुपये का भवन राजकीय एप्रूव्ड नक्शा के माफिक भवन बनाकर तैयार कर दिया है। उसके बाद भी लेडी डाक्टर नहीं देना यह न्यायसंगत बात नहीं है। अतः मैं आशा करता हूं कि लेडी डाक्टर देने की मंजूरी फर्मायेंगे।

पांचवां प्रश्न यह है कि जयपुर से ब्यावर रोड पर रोडवेज लागू कर रहे हैं लेकिन इस रोड पर जूनिया स्थान पर एक डाई नदी आती है। तहसील केकड़ी में पुलिया का निर्माण का कार्य सम्पूर्ण नहीं कराती है सरकार तब तक रोडवेज चलाना सम्भव नहीं है। अतः फिर भी यातायात लम्बी वर्षा में बन्द हो जायगा।

प्रश्न छठा यह है कि दोवता से राजमेर तहसील देवली रोड को डामर रोड ले जाय अतः मैं यही आशा करता हूं जो मैंने आपको सूचना दी है उसको ध्यान में रखते हुए परमार्थ करेंगे।

धन्यवाद। मेरा सुझाव यह था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी!

श्री हरिदेव जोशी (मन्त्री सार्वजनिक निर्माण एवं सामुदायिक विकास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी डवलपमेंट की मांगों के ऊपर जिस समय हम विचार कर रहे हैं वह उस समय विचार कर रहे हैं जब कि एक हाइ पावर कमेटी हमारे पंचायत राज का स्वरूप क्या हो, इलेक्टोरल कालेज कैसा हो इन सब के ऊपर अपनी रिपोर्ट देने को ही है। समिति ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दे दी है किन्तु विगतवार तभी कहा जा सकेगा जबकि उसकी पूरी रिपोर्ट आ जायगी। राज्य सरकार ने यह चाहा है कि जून के आखिर तक उनकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये। हम उसका इन्तजार कर रहे हैं। उसके बाद माननीय सदस्यों को अवसर मिलेगा उस पर विचार करने का और अपनी राय देने का भी। किन्तु मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि राज्य सरकार विकेन्द्रीकरण को एक आधार मान कर चलती है प्रजातन्त्र का।

(श्री हरिदेव जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा सत्ता का जो विकेन्द्रीकरण किया गया था उसका हम पुनः केन्द्रीकरण नहीं करना चाहते। राज्य सरकार की यह भावना है कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे किस प्रकार इसमें शक्तिशाली हो सकते हैं उस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार के बनाने की है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस स्ट्रक्चर में अभी जो भी खामियां हैं उन खामियों को दूर करने की राज्य सरकार कोशिश करेगी। इसके लिए जो भी माननीय सदस्य सुझाव देंगे उसको राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक लेगी और उन सुझावों को राज्य सरकार लागू करने की कोशिश करेगी। सरकार की यह बिल्कुल मंशा नहीं है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर ब्योरोक्रेसी हावी हो और आज जो लोकतंत्र का स्वरूप बना हुआ है वह समाप्त हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार लोकतन्त्र में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ओर गम्भीरतापूर्वक सोच रही है और राज्य सरकार यह चाहती है कि उन्हें ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और जिला स्तर पर जो आज लीडरशिप डेवलप हुई है उसको कायम रखी जावे और उस लीडरशिप को आने वाले वर्षों में और अधिक शक्तियां देकर उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाया जाय ऐसी भावना राज्य सरकार की है। उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि इससे जो लीडरशिप पैदा हो उसके जरिये देश में एक नया स्वरूप पैदा हो। जिससे हमारे प्रदेश के लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास हो सके। इसी लीडरशिप के जरिये हमारे राज्य का नवनिर्माण का आधार बनायेगा। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ शंकायें व्यक्त की हैं कुछ आशंकायें उनके मन में हैं लेकिन मैं उन शंकाओं को निर्मूल मानता हूं। मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन उपयुक्त अवसर जब आवेगा तो मैं उन्हें बताऊंगा। और राज्य सरकार की यह पक्की धारणा है कि जो आज पंचायती राज में खामियां आ गयी हैं उन्हें दूर किया जाय। मैं जानता हूं कि आज पंचायती राज की इन्स्टीट्यूशन्स को जिस प्रकार वर्क करना चाहिये उतने इफेक्टिव तरीके से वे काम नहीं कर रही हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि उनके पास फन्ड्स नहीं हैं और इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं। अब हमें यह तय करना है कि पंचायत राज का स्वरूप कैसा हो, यह हम सभी माननीय सदस्य मिल कर तय करें कि उसमें किस प्रकार की व्यवस्था हो, उसमें किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं। इस ओर ध्यान देना है हमें। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि पंचायतों के क्या अधिकार होने चाहियें, पंचायत समिति के क्या अधिकार हों पंचायत के अधिकारी कैसे हों। जिला परिषद् के अधिकारी कैसे हों, उनको पंचायतों के क्या अधिकार होंगे। जिला परिषद् के क्या अधिकार होंगे, वे अधिकार किस प्रकार के होंगे। कौनसा सिस्टम लागू रहना चाहिये। मेरा स्वयं का मत है कि हमारे यहां पर थ्री टायर सिस्टम ही अच्छा सिस्टम है। मैं पंचायतों से सीधे जिला परिषद् तक ही सबंध हो और बीच में कोई व्यवस्था ही नहीं रहे इसको समाप्त करने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। ब्रोडली मैं महाराष्ट्र और गुजरात के पेटर्न पर पंचायती राज का स्वरूप चाहता हूं। इसमें जिला परिषदों को ज्यादा अधिकार

(श्रीहरिदेव जोशी)

दिये गये हैं। यह मैं मानता हूं, उनको ज्यादा अधिकार सौंपे गये हैं। हमारे यहां पर जो हाइ पावर कमेटी है उसने जो सिफारिशें की हैं उससे मैं ब्राडली सहमत हूं। आज वे आउट नहीं हुई हैं इसलिये अभी मैं कोई विशेष बात नहीं कह सकता। इसमें बताया है कि हमारे यहां पर इनका कान्स्टीट्यूशन कैसा होगा किस प्रकार हम उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायती राज में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में और पंचायती राज के अन्दर काम करने वाले अधिकारियों के बारे में भी अभी कहना उपयुक्त नहीं होगा। क्योंकि राज्य सरकार किस प्रकार का पेटर्न स्वीकार करे उस पर निर्भर करता है। यह बात तो निश्चित है कि जिला परिषदों के अधिकार बढ़ जायेंगे और वहां पर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अधिक होंगे। उनके अधिकार भी बढ़ेंगे। इसी प्रकार पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के बारे में भी देखना होगा कि उनका क्या काम होगा किस प्रकार वे अपनी जिम्मेदारी निभायेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से इतना जरूर कहूंगा कि सरपंचों पर जो बवाल है उसे कम किया जाना चाहिये। उनको जो अकाउन्ट का मेन्टीनेन्स रखना पड़ता है उस जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त किया जाना चाहिये ऐसी मेरी मान्यता है। सरपंचों के पास सिर्फ अपने गांवों के विकास के लिये काम करने की बात होनी चाहिये। उसमें लीडरशिप पनपनी चाहिये। मेरी मान्यता यह है कि सरपंचों को क्लर्की के काम से मुक्त कर देना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि एनीमल हस्बेन्डरी ऑफिसर को विकास अधिकारी बनाया जाय। उन्हें बी. डी. ओ. बनाया जाय। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि एग्रीकल्चर एक्सटेन्सन आफिसर को बी. डी. ओ. बनाया जाय। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये अभी तक कोई परटीक्यूलर बात नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने टीचर्स के बारे में बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब लोग बेकार होते हैं तब तो वे सिर्फ नौकरी ही चाहते हैं और उस वक्त यह कहते हैं कि आप हमें नौकरी जहां भी दोगे वहां चले जायेंगे। लेकिन ज्योंही उन्हें रोजगार मिलता है उसके बाद कुछ दिन निकलते ही टीचर्स सिफारिशें लेकर आते हैं कि उन्हें उनके जिले में बदल दिया जाय। इतना ही नहीं वे बाद में यह भी कहते हैं कि उन्हें गांव के पास या उनके घर के पास ही रखा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में कोई ऐतराज उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि उनके खिलाफ में शिकायतें नहीं आयें। मैं इस बारे में आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी करने आया है तो उसको चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो जाना पड़ेगा। क्योंकि हम राजस्थान पूरे को अपना घर मान कर चलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने पी. डब्लू. डी. की डिमान्ड्स पर भी कुछ बातें यहां पर सदन में कही हैं।

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात चाहता हूं कि वे चाहे जो भी प्रक्रिया पंचायतीराज की रखें, चाहे थ्री टायर सिस्टम की रखें, चाहे टू टायर सिस्टम की रखें, लेकिन यह जरूर

(श्री फूलचन्द जैन)

बतादें कि पंचायतों के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं बस।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी जब एक बिल इस बारे में आया था तब भी सदन में कहा था कि पंचायतों के चुनाव काफी ओवर ड्यू हो गये हैं लेकिन कोई न कोई मजबूरी आती गई इसलिए हम चुनाव नहीं करा सके। जब मैं स्वयं मान कर चलता हूं कि पंचायतों के चुनाव अगले साल तक हो जाने चाहिएं। आॅक्टोबर से लेकर जनवरी तक।

एक माननीय सदस्य : इसी ओक्टोबर में या 74 के ओक्टोबर में ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरा मतलब है सन् 73 के ओक्टोबर से लेकर जनवरी 74 के बीच में चुनाव करा दिये जायेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने रोड्स के बारे में काफी बातें कहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर ड्रेनेज के बारे में भी कहा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की डिमान्ड्स के दिन इस ड्रेनेज की डिमांड को इररेलेवेन्ट मानता हूं क्योंकि उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए इसको मैं छोड़ कर चलता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर नागौर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने नागौर जिले में सड़क विकास के बारे में बात कही कि नागौर जैसा कि नाम है वैसा ही इसके साथ बरताव किया जाता है। नागौर शब्द का मतलब है ना गौर यानि इसकी तरफ किसी ने गौर नहीं किया। उन्होंने डाबसी के बारे में बात कही। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जब डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत नागौर जिले के लिए दो करोड़ रुपया का प्रावधान रखा था तो उन्होंने नागौर जिले की तीन मेन रोड्स को क्यों नहीं पूरा करवाया। इसमें एक जयपुर से नागौर, दूसरी किशनगढ़ से नागौर तथा तीसरी अजमेर से नागौर को सड़क द्वारा डी. पी. एम. के अन्तर्गत जोड़ सकते थे। और उसको स्वीकार करवा सकते थे। उसमें राज्य सरकार का वह नहीं हो सकता था। नागौर को तो आपने नागौर किया है। राजस्थान में कोई ऐसा जिला नहीं है। मेरा जिला बांसवाड़ा था जहां से जिला हैडक्वार्टर से राजधानी पर नहीं पहुंचा जा सकता था। लेकिन वह भी जोड़ दिया है। मैं कुचामन गया था और मैंने स्थानीय अधिकारियों को बुलाया और कहा कि यह काम होना चाहिए। फेमिन में मेटिरियल कम्पोनेन्ट कितना हो यह पाबन्दी है लेकिन 68 के फेमिन में कोई पाबन्दी नहीं थी। बड़े-बड़े ब्रिजेज बन गये आर. सी. सी. के, जगह-जगह बन गये। नागौर में क्यों नहीं बना ? मैं यह कहना चाहता हूं कि नागौर हमारी ओर से नहीं है ना-गौर नागौर जिले में रहने वालों की ओर से है। मैं यह कोशिश करूंगा कि नागौर के ब्रिज का काम है वह आने वाले बजट में शुरू करवा दिया जाय और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को राजस्थान की राजधानी से निश्चितरूप से जोड़ देना चाहिए। हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हर तहसील हैडक्वार्टर को जिला हैडक्वार्टर में जोड़ना चाहते हैं ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर राजधानी से जुड़ा हुआ न हो और आवागमन अवरुद्ध हो यह कोई उपयुक्त

(श्री हरिदेव जोशी)

बात नहीं होती है इसलिए कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट बजट में इस काम को ले लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही अनप्लेजेन्ट काम पी. डब्लू. डी. का डिपार्टमेंट मेरे पास आया तो करने पड़े। तीसरी पंचवर्षीय योजना का स्पिल्ट ओवर 1-4-69 को और 3 एन्युअल प्लान्स उनका 340 लाख रुपया था। प्लान खत्म हो गये पर 5.40 लाख के प्लान अनकम्प्लीट थे। 70 में 35 लाख 92 हजार के काम और जोड़े और 70, 71 में 227 लाख 76 हजार के काम और जुड़े और 71-72 में 900 लाख के काम और जुड़ गये। इस प्रकार से 17 करोड़ के काम ये हो जाते हैं और बजट एलोकेशन कभी 1 करोड़ का और कभी $1\frac{1}{2}$ करोड़ का होता है। इसके माने यह होते थे कि एक भी नया काम इसके बाद नहीं लिया जाय तब भी ये काम 12 से 15 वर्ष में पूरे होते और 12, 15 पन्द्रह वर्ष में कोस्ट बढ़ती जाता तो न जाने वे 20 वर्ष में पूरे होते।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि बजट में काम दिखाये गये और न जाने कैसे गायब हो गये। गायब इस तरह से हो गये कि मैंने ड्रास्टिक कट किया गत वर्ष में भी और इस वर्ष में भी और जिस जिले में दस-दस काम ले लिये गये और पांच हजार रुपया बजट प्रोविजन किया। इन कामों पर पैसा खर्च नहीं हुआ और बजट प्रोविजन किया था पांच-पांच हजार का मैंने उनको काट दिया। जिन पर काफी पैसा खर्च हो गया था उस प्रकार के कामों को रहने दिया। मैंने यह सोचा कि जो काम वर्क्स इन हैंड काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं एक बार चौथी पंचवर्षीय योजना में कम्प्लीट कर दिये जायं। दुबारा पहले की तरह से चलते तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 15 करोड़ का स्पिल्ट ओवर होता परन्तु अब इनको काटने के बाद में 1 करोड़ का स्पिल्ट ओवर है। कुछ वर्क्स इन प्रोग्रेस हैं, कुछ डी. पी. ए. पी. में पूरे कर दिये, और कुछ प्लान में रखे गये और बाकी बचे हुए कामों को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कर देंगे। मैं माननीय सदस्यों की इस राय से सहमत हूं कि रोड्स के लिए प्रोपोर्शनेटली हम लोग कम पैसा अलाट करते रहे। लेकिन माननीय सदस्य समय चूक गये। बजट पर जब जनरल डिबेट होती है, अगर आपने वित्त मंत्रीजी से यह कहा होता कि शिक्षा में पैसा कम खर्च कीजिए पीने के पानी पर कम खर्च कीजिए, इरिगेशन पर कम खर्च कीजिए और अस्पतालों पर कम खर्च कीजिए और रोड्स पर ज्यादा पैसा आप दीजिए तो मुझे ज्यादा मदद मिलती। पर कैपिटा भी कम रखा और प्रोर्शनेटली भी कम रखा तो हम सब चूक गये। नैक्स्ट बस से आये और मैं चाहता हूं कि अच्छी आये। एयर कन्डीशन आये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस मामले को तो नैक्स्ट बस के लिए एडवान्स कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अभी से आर्डर दे देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि एक तरफ हम नयी रोड्स बनाते जाते हैं और दूसरी तरफ हमारी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनका मेन्टीनेंस जिस तरह से होना

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। जो स्टेन्डर्ड मेन्टीनेंस का रोड्स का होना चाहिए सेंट्रल पी० डब्लू. डी. के अनुसार, उसके अनुसार आज को जो हमारी मेटल्ड और टार रोड्स हैं उन पर कम से कम, कम से कम हम मानें तो 9 करोड़ रुपया हमें मिलना चाहिए। किन्तु जो ग्रान्ट है वह आपके सामने है। फिर, इसके अन्दर जो हमारे बारह मासी गेंग्स हैं उनका खर्चा भी उसी में आ जाता है। उनको सुविधायें अधिक देने और उस प्रकार से करने में हर वर्ष खर्चा लगभग बढ़ता ही जाता है और जब उस पर खर्चा बढ़ता जाता है तो एक्चुअल काम पर खर्चा कम होता चला जाता है। इसलिए इस वर्ष मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया था कि मेन्टीनेन्स पर बढ़ा दिया जाना चाहिये। उन्होंने इस वर्ष मेन्टीनेन्स पर पैसा बढ़ाया है और हमने यह कोशिश की है कि अब हम इस प्रकार जो खस्ता हालत में रोड्स हैं उनको ज्यादा ध्यान देकर दुरुस्त करेंगे।

मैंने जो पृष्ठभूमि बताई है उस पृष्ठभूमि में मुझे खेद है कि नये वर्ष में जो बिलकुल जरूरी न हो उनको इस एक वर्ष में नहीं लिया जा सकेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो जिले में काम हाथ में लिये उनको पूरा करें और करवा देंगे और बहुत मुमकिन है कि एक माननीय सदस्य की कौन्स्टिचुएन्सी में काम हो और किसी के यहां काम न हो और बहुत मुमकिन है कि समूचे जिले में ही काम न हो, मेरे पास आज इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय बलन्ट नो कहने के (व्यवधान) डी० पी० ए० पी० में भी दो करोड़ रुपया अधिक मिला है।

श्री लूणाराम : माननीय सदस्य को फिक्र लग रही है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे यही कहना है कि आप तो एक वर्ष छुट्टी मनानी है यह मान कर चलना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आप कहेंगे तो छुट्टी मना लेंगे। कोई बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक वर्ष छुट्टी नहीं, अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के लोगों के जूते खाने हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कुछ माननीय सदस्यों ने कन्ट्राक्टर सिस्टम के बारे में कहा है कि यह सिस्टम एबोलिश किया जाना चाहिये। मैं उनसे अपनी सहमति प्रकट करता हूं इन प्रिंसिपल। कन्ट्राक्टर एक दिन भी जिन्दा रहे, इसको मैं पसन्द नहीं करता और जहां तक पी. डब्लू. डी. बिल्डिंग्स और रोड्स का सवाल है बिल्डिंग्स सेक्शन में तो अधिकांश काम एक प्रकार से विभागीय तौर पर ही होते हैं और हमारी यह कोशिश है कि रोड्स साइड में भी हम कन्ट्राक्टर्स को इलीमिनेट करें और विभागीय काम करें। अब कितना जल्दी यह किया जा सकता है, मैं आज तत्काल नहीं कह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने पी. डब्लू. डी. विभाग के अन्दर अधिकारियों के खिलाफ कुछ शिकायतों की बातें कहीं थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा तो पिछली बार एक क्वेश्चन के उत्तर में जब मौका आया था तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि गंगानगर जिले के माननीय सदस्यों ने जो शिकायतें की थीं उनके बारे में जांच होकर रिपोर्ट हमारे पास

(श्री हरिदेव जोशी)

में आ गई है और वह आज एक्शन की स्टेज में है। श्री अडियप्पा ने जिनको कि हमने इन्क्वायरी अधिकारी अपोइन्ट किया था उन्होंने हनुमानगढ़, सूरतगढ़, विजयनगर, रायसिंहनगर ब्रिज ओवर सूरतगढ़ बीच पदमपुर बूढा जोहड़ा रोड़। करणपुर, गजसिंहपुर रोड़, पदमपुर देलवा रोड़ के बारे में अपनी प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट दे दी और केवल विजयनगर से रायसिंहनगर को छोड़ कर बाकी की चार्जशीट भी फ्रेम करके दे दी और जो भी अधिकारी इस सिलसिले में दोषी हैं पर्सनली डिपार्टमेंट उनके बारे में कार्यवाही कर रहा है। जहां तक पी. डब्लू. डी डिपार्टमेंट का सवाल था उसमें मैं यह कह सकता हूं कि निष्पक्षतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्य को उसने अदा किया है और मैं यह आशा करके चलता हूं कि आगे की कार्यवाही भी उसी प्रकार दृढ़ता-पूर्वक की जावेगी। हम किसी अपराधी अधिकारी या कर्मचारी को और कन्ट्राक्टर को भी शील्ड करना नहीं चाहते न किसी को कोई एक सिस्टम के अन्दर आज कन्ट्राक्टर है तो उसकी अच्छाइयां और बुराइयां जो भी हैं उनको ध्यान में रखकर चलते हैं। जो बुराइयां हैं उनको इलीमिनेट करना है।

माननीय सदस्यों ने बोर्डर रोड्स और दूसरी रोड्स के बारे में भी कुछ बातें कहीं जहां तक बोर्डर रोड्स का सवाल है भारत सरकार के खर्च से उनको बनाया गया है। उनके बारे में सदन में पहले भी कुछ शिकायतें आई जब से शिकायतें आई और यहां पर यह मांग की गई कि उनको भारत सरकार को जांच के लिये सौंप दिया जावे, हमने जरा भी संकोच नहीं किया और उन मामलों को भारत सरकार को जांच के लिये सौंप दिया। और साथ ही उन सड़कों की मेन्टीनेन्स का काम भी उनको सौंप दिया। अब से एक तरह से भारत सरकार की सड़कें हैं। अब हमारे काम में अधिकारियों की कोई कमी बदनीयती अथवा लापरवाही पाते हैं और हमको रिपोर्ट करेंगे तो निश्चितरूप से हम सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जो इसमें लापरवाह पाये जायेंगे। इसलिये माननीय सदस्यों को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई भी अधिकारी छोटा हो या बड़ा हो गलती में पाया जावेगा तो एक्शन लिया जावेगा, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं बरता जावेगा।

अब रह जाता है सवाल भारत सरकार द्वारा जांच कराये जाने का। यह उनका काम है कि वे जल्दी से जल्दी जांच समाप्त करें। मैं तो सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही उनकी रिपोर्ट आवेगी मैं एक घण्टा भी रिपोर्ट आने के बाद नहीं लूंगा एक्शन लेने में। इस विश्वास के साथ मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस विभाग की सभी डिमाण्ड्स स्वीकार की जावें।

हां, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं बीकानेर के ओवर ब्रिज के बारे में कुछ नहीं कह सका। मैं निश्चितरूप से मानता हूं कि बीकानेर शहर में यह बहुत ही पुरानी आवश्यकता है और इसको जितना जल्दी हो सके देखने की मैं कोशिश करूंगा चाहे इस मुद्दे से, चाहे उस मुद्दे से हो और मैं यह भी प्रयत्न करूंगा कि पांचवी योजना में यह काम शुरू हो जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : केजुअल और वर्कचार्ज के सम्बन्ध में ?

श्री हरिदेव जोशी : इट हैज बीन पब्लिश्ड ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय तथा मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 143611000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृति)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक-103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 91558000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक-37 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 69875000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 21/ मार्च, 1973 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

(तत्पश्चात सदन की कार्यवाही रात्रि के 9 बजकर 58 मिनिट पर बुधवार दिनांक 21-3-73 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।).

परिशिष्ट- 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 601 की सूची)

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	आदर्श गांव
1.	नागौर	1. बासनी
		2. प्रलाय
2.	जायल	1. फरडोद
		2. रोहिणा
3.	मूण्डवा	1. मूण्डवा
		2. कूचेरा
4.	मेड़ता	1. मेड़ता रोड
		2. मोकाला
5.	रियां	1. रियां
		2. बग्गड़
6.	डेगाना	1. हरसौर
		2. चान्दारूण
7.	परबतसर	1. गावड़िया
		2. बाजवास
8.	मकराना	1. मोरेड
		2. सबलपुर
9.	कुचामन सिटी	1. कुकनवाली
		2. रेसाल
10.	डीडवाना	1. वरडवा
		2. मामडोदा
11.	लाडनूं	1. लाछुड़ी
		2. खामियाद
		कुल 22 गांव

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न सं० 621 की सूची)

सन् 1970 से जो फसल खरीफ में आरजी पानी दिया जा रहा है उसकी सूची

वर्ष	बारहमासी	लालगढ़ छः मासी	समेजा छः मासी	कुल योग
	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़
1970	1846	738	20	2604
1971	1833	390	28	2251
1972	2382	499	117	2998
	6061	1627	165	7853

(200)

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न सं० 623 की सूची)

सांगल्या संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०, तहसील दांतारामगढ़ के रजिस्ट्रेशन के सदस्यों की सूची

क्रमांक	नाम सदस्य मय पिता	जाति	पता निवास स्थान
1.	श्री गोविन्दराम पुत्र श्री केसाराम	जाट	सांगल्या तह० दांतारामगढ़
2.	,, हणमानाराम पुत्र श्री देवाराम	,,	,, ,,
3.	,, नारायणराम पुत्र श्री गणेशाराम	,,	,, ,,
4.	,, जीवणराम पुत्र श्री देवाराम	,,	,, ,,
5.	,, स्योबक्साराम पुत्र श्री देवाराम	,,	,, ,,
6.	,, सूरजाराम पुत्र श्री देवाराम	,,	,, ,,
7.	,, तुल्दाराम पुत्र श्री भैरूराम	,,	,, ,,
8.	,, भूंथाराम पुत्र श्री भैरूंराम	,,	,, ,,
9.	,, बालूराम पुत्र श्री भैरूंराम	,,	,, ,,
10.	,, मंगला राम पुत्र श्री भैरूंराम	,,	,, ,,
11.	,, बोगाराम पुत्र श्री गोविन्दराम	,,	,, ,,
12.	,, हुनाराम पुत्र श्री जोधाराम	,,	,, ,,

परिशिष्ट– 4

(तारांकित प्रश्न सं० 625 की सूची)

श्री गोविन्द गृह-निर्माण सहकारी समिति लि०, जयपुर के वर्तमान पदाधिकारियों के बारे में सूचना

क्रमांक	नाम मय पद		विभाग मय	पद
1.	श्री विमल चन्द जैन	अध्यक्ष	आइ.सी.डी.पी. बीकानेर	सहायक निर्देशक सांख्यिकी
2.	श्री आत्माराम शर्मा	मंत्री	भाषा विभाग जयपुर	भाषाधिकारी
3.	श्री गुलाम हुसेन खां	कोषाध्यक्ष	सहकारी विभाग जयपुर	वरिष्ठ लिपिक
4.	श्री लल्लूलाल जैन	सदस्य	हाउसिंग बोर्ड जयपुर	शीघ्र लिपिक
5.	श्री शान्तिकुमार बिल्टीवाला	सदस्य	—	—
6.	श्री रामेश्वर प्रसाद पारीक	सदस्य	—	—
7.	रिक्त स्थान	संयुक्त मंत्री	दिनांक 25-2-73 से	

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं० 633 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

जालौर जिले की आहोर तहसील में पंजीकृत कृषि सहकारी समितियों का विवरण

क्रमांक	नाम कृषि सहकारी समिति	दिनांक पंजीयन	कृषि भूमि का क्षेत्रफल	सदस्य संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	आइपुरा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	12-3-66	361 बीघा	17	
2.	भंति संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	12-3-66	255 ,,	22	
3.	रामा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	12-3-66	533 ,,	16	
4.	भाद्राजून संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	26-2-66	277 ,,	37	
5.	मालगढ़ संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	4-3-66	1229 ,,	20	
6.	कवला संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	12-3-66	660 ,,	16	
7.	मोरडा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	4-3-66	1518 ,,	18	
8.	सेलडी संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	4-3-66	1806 ,,	16	
9.	रुडमाल की ढाणी संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	12-3-66	455 ,,	16	
10.	बलदरा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	12-3-66	257 ,,	16	
11.	उत्तम कृषि सहकारी समिति लि० चांदबाई	4-5-59	कोई जमीन नहीं है	15	
12.	भंवराणी सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०	14-7-57	,, ,,	18	
13.	गणपति कृषि सहकारी समिति लि० नोखा	16-2-61	,, ,,	14	
14.	विष्णु कलेक्टिव फार्मिंग सहकारी समिति लि० सेलडी	17-2-60	,, ,,	13	
15.	अन्नपूर्णा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० रोडला	16-5-57	,, ,,	19	

परिशिष्ट- 6

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गए तारांकित प्रश्नोत्तर)

जयपुर शहर तथा जिले की विभिन्न समितियों तथा बैंकों में डेपुटेशन पर कार्य कर रहे कर्मचारी

636. **श्री हनुमान सहाय (बैराठ):** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में निरीक्षक तथा सहायक रजिस्ट्रार को डेपुटेशन पर उनके स्वयं के गृह जिले में नियुक्त नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो जयपुर जिले के निवासी कर्मचारियों में से जयपुर शहर में और जयपुर जिले की विभिन्न क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, पंचायत समितियों तथा विभिन्न बैंकों में किस किस को डेपुटेशन पर कब कब से नियुक्त कर रखा है ? उनके नाम, तारीख एवं निवास स्थान तथा पद दर्शाते हुए सूची प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि अनेकों कर्मचारियों को, जो कि जयपुर जिले के निवासी हैं, को कभी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में, कभी पंचायत समितियों में कभी भूमि बंधक बैंक (प्राथमिक एवं केंद्रीय) तो कभी सेन्ट्रल को० बैंक, जयपुर में इधर उधर इन्हीं संस्थाओं में, तो कभी राजस्थान सहकारी विभाग, कार्यालय जयपुर में स्थानान्तरण करते रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा ऐसे कर्मचारियों की पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जा सकता है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगापुर तहसील में ईंटों के भट्टों के लिये दी गई भूमि

637. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर तहसील में किस किस व्यक्ति को ईंटों के भट्टे के लिये कितनी कितनी भूमि, कितने साल के लिये, कितने रुपये के लोज पर नीलाम की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस समय किस किस व्यक्ति ने ईंट बनाने का कार्य आरम्भ कर रखा है ?

(3) इन व्यक्तियों को भूमि लीज पर दी गई है या अन्य किसी आधार पर ? अन्य किसी आधार पर जमीन दी गई है तो वे क्या हैं ?

उत्तर

(1) ब्योरा संलग्न सूची "क" में अंकित है।

(2) इस समय 10 व्यक्तियों ने बिना इजाजत ईंट भट्टे का कार्य प्रारम्भ कर रखा है जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही चल रही है। सूची "ख" संलग्न है।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सूची—क

नाम तहसील	नाम व्यक्ति	नाम ग्राम व भूमि का क्षेत्रफल	लीज की अवधि	लीज राशि (प्रीमियम)	फ्यूचर रेन्ट	रिमार्क्स
गंगापुर	1—श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल निवासी गंगापुर	ग्राम सालोदा ख० नं० 7/1 में से 3 बीघा भूमि	10 वर्ष	रु० 625)	रु० 30) प्रति 1 एकड़ सालाना	1) रु० प्रति हजार ईंट रायल्टी की ली जाती है।

सूची—"ख"

फहरिस्त आसामियान जिन्होंने इस समय ईंट बनाने का कार्य प्रारम्भ कर रखा है। (तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर)।

क्रमांक	नाम आसामी	नाम ग्राम	खसरा नं०	रकबा	विवरण
1	देवीलाल रामचन्द्र चमार महुखुर्द	महुखुर्द	67/1	1)	मुकदमात चल रहे हैं बिला इजाजत कार्य शुरू किया है।
2	मोहनसिंह पुत्र घिसा जाट गंगापुर	,,	67/1	।)	
3	केदारलाल ब्राह्मण गंगापुर	,,	69/1	॥) 3	
4	रतनसिंह पुत्र घीसा जाट गंगापुर	,,	28/2· /.2) , 30/1)4	3)4	
5	रामखिलाड़ी पुत्र रामचन्द्र जाट खानपुर बड़ोदा	,,	59/1	)3	
6	कल्याण गाजी वजीरपुर	वजीरपुर	255	2॥)	
7	मनमोहन महाजन ,,	,,	255	2॥)	
8	रामसहाय मीना ,,	,,	284/8)4 , 281/10/3	18॥)2	
9	रतनसिंह जाट ,,	,,	28/2/2) , 30/1)4	3)4	
10	मांगीलाल रामचन्द्र पुरव्या खुरवा सबीना	खुरवा सबीना	556	—	

बूंदी उपभोक्ता भण्डार के चुनाव

638. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी उपभोक्ता भण्डार में भ्रष्टाचार के कारण भारी घाटा रहा ?

(2) क्या यह सही है कि लाखेरी का एक मात्र भण्डार जो कि मुनाफे में चल रहा था उसको बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बून्दी के उपभोक्ता भण्डार का चुनाव वर्षों से नहीं करवाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि बून्दी उपभोक्ता भण्डार के चुनाव का कार्यक्रम निकाला जाकर चुनाव करवा लिया गया किन्तु लाखेरी के प्रतिनिधियों के चुनाव समय पर स्थगित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं भण्डार का गत चुनाव 21-9-69 को हुआ था भण्डार दिनांक 21-6-71 को अवसायन में आ गया। दिनांक 14-7-72 को पुनर्जीवित कर प्रशासक नियुक्त किया गया। अभी भी भण्डार में प्रशासक नियुक्त है। चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, चुनाव प्रक्रिया चालू है।

(4) जी हां। लाखेरी क्षेत्र के दो प्रतिनिधियों के चुनाव अधिकारी की जीप में यान्त्रिक खराबी के कारण समय पर नहीं पहुंचने पर स्थगित कर दिये चुनाव दिनांक 6-1-73 को निश्चित किए गए हैं।

तहसील शेरगढ़ में कृषकों को पास बुकों का वितरण

639. (231 रा. मं.) श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में कृषकों को कुल कितनी पास बुकें 1 फरवरी, 1973 तक वितरित की गई हैं ?

(2) इस तहसील में कुल कितनी पास बुकें वितरित की जानी है ?

(3) सभी काश्तकारों को पास बुकें वितरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) अब ये पास बुकें कब तक वितरित कर दी जायेंगी ?

(5) क्या यह सही है कि इस तहसील में जितने पटवारी होने चाहिएं उतने नहीं हैं और इसी के फलस्वरूप पास बुकें तैयार नहीं की गई हैं ?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में कृषकों को 1 फरवरी, 1973 तक कुल 6,980 पास बुकें वितरत की गई हैं।

(2) इस तहसील में कुल 24,000 पास बुकें वितरित की जानी हैं।

(राजस्व मंत्री)

(3) इस तहसील में रेगिस्तानी इलाका ज्यादा होने तथा अकाल की स्थिति होने के कारण काश्तकारों को पूरी पास बुकें वितरित नहीं की जा सकी हैं।

(4) जैसे ही अभावग्रस्त स्थिति में सुधार होगा इस तहसील में पास बुकें वितरित की जा सकेंगी।

(5) राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार इस तहसील में पटवारी नियुक्त हैं।

ग्राम सेवा सहकारी समिति उदाखेड़ा

610. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति उदाखेड़ा (तहसील मावली) का मंत्री श्री डाल चन्द, सरपंच ग्राम पंचायत ढूंडिया है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि सन् 71-72 में उक्त मंत्री द्वारा समिति के सदस्यों को दी गई ऋण की रकम को वसूल किया गया? यदि हां, तो किन किन सदस्यों से और कब कब?

(3) क्या यह सही है कि ऋण की रकम सदस्यों से प्राप्त करने पर समिति के न तो रोकड़ में जमा की और न सदस्यों के पास बुक में ही उसका इन्द्राज किया गया और न सदस्यों को रसीद दी गई?

(4) क्या यह सही है कि उक्त समिति के मंत्री ने ऋण देने से सम्बन्धित कोई भी पास बुक किसी भी सदस्य को नहीं दी?

(5) क्या यह सही है कि उक्त समिति के मंत्री ने सदस्यों से ऋण वसूल करने के बाद न तो सदस्यों को शेयर की रकम ही दी और न ऋण ही दिया?

(6) क्या यह सही है कि उक्त मंत्री ने समिति के लाभ हानि का विवरण कभी भी सदस्यों के सम्मुख नहीं रखा?

(7) क्या यह सही है कि उक्त समिति के हिसाब का सहकारी विभाग द्वारा कभी भी ऑडिट नहीं कराया गया?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति टोंक में लघु सिंचाई के बन्धे

611. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति टोंक में लघु सिंचाई के कितने बंधे हैं और प्रत्येक से कितनी पिलाई वसूल होती है? ब्योरेवार बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन बंधों से पिलाई 250 बीघा से ज्यादा में होती है, और केश व रिलीफ के कार्य होने से बड़े हो गये तथा जिन्हें पंचायत समिति या पंचायत संभाल नहीं सकती और वे इन्हें सिंचाई विभाग को देना चाहती है? यदि हां, तो क्या ऐसे बांधों को सिंचाई विभाग अपने नियन्त्रण में लेना चाहेगा? यदि हां, तो वह कौन कौन से बांध होंगे? प्रस्तावित लिस्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

Page No 208

(208)

सूची 'अ'

पंचायत समिति टोंक में लघु सिंचाई के बंधे व उनसे सिलाई की वसूली

क्रमांक	नाम तालाब	सम्वत् 2028 में निर्धारित धनराशि	विशेष विवरण
1.	चन्दलाई	9292.63	
2.	सवादर	427.67	
3.	पालडी	709.07	
4.	सांकली	--	
5.	दारिवण	2072.19	
6,	सोहेला	--	
7.	पराना	1428.65	
8.	साखना	2714.08	
9.	बोरखंडी कला	1031.71	
10.	नीमेडा	916 36	
11.	झराना	1191 07	
12.	वजीरपुरा	1355 65	
13.	देवपुरा	725.52	
14.	रुस्तमगंज	—	
15.	किशनपुरा	201.95	
16.	हरिपुरा	571.11	
17.	बोरखण्डीखुर्द	443.00	
18.	लाम्बा	670.53	
19.	बगडी	506.10	
20.	हतूना	2000.04	
21.	दौलतसाग	5253.57	
22.	अनियामाल	662.28	
23.	जेखाडिया	218.74	
24.	हरचन्देडा	615.65	
	योग:	33052-59	

ग्राम जावाल की कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

श्री जेठमल आर्य (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के जावाल ग्राम के मध्य में खसरा नम्बर 294 की भूमि पर गत 50 वर्षों से मेघवाल जाति के 15 परिवार बसे हुए हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जावाल ग्राम में खसरा नं० 294 की भूमि कृषि भूमि से आबादी भूमि में बदलने हेतु ग्राम पंचायत ने प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त भूमि को आबादी में बदल कर अनुसूचित जाति के लोगों को पक्के पट्टे दे दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि जावाल ग्राम की भूमि श्री बाबूलाल हुकमाजी महाजन के नाम आबादी में परिवर्तित करने की कार्यवाही जिलाधीश सिरोही, ने राज्य सरकार को भेजकर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सार्वजनिक हित में उक्त भूमि को ग्राम पंचायत के नाम आबादी में बदलेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम पंचायत ने दिनांक 23-10-72 को खसरा नं० 294 में से रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा को आबादी में परिवर्तन हेतु जिलाधीश कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया था। जिसके प्रार्थना-पत्र पर गैर मुमकिन गोचर भूमि में 82 बीघा 10 बिस्वा भूमि आबादी में परिवर्तन कर ग्राम पंचायत को दे दी गई तथा उपरोक्त भूमि खातेदारी की होने के कारण नहीं दी गई।

(3) श्री बाबूलाल पुत्र हुकमा निवासी जावाल द्वारा अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि को आवास हेतु आबादी में परिवर्तन हेतु निवेदन किया था। जिलाधीश को ऐसे अधिकार नहीं होने के कारण मामला राज्य सरकार को आदेशार्थ प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार ने उपरोक्त भूमि को आबादी में परिवर्तन नहीं करने के आदेश दिनांक 21-2-73 को ही प्रसारित कर दिये थे।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 27-2-73)

नीम का थाना उपखण्ड में कृषि भूमि का आवंटन

175. श्री मालाराम (नीम का थाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) नीम का थाना उपखण्ड में सन् 1967 से लेकर अब तक किस किस ग्राम में किन किन को कितनी कितनी कृषि भूमि आवंटित की गई ?

(2) इनमें कितने अनुसूचित जाति, भूतपूर्व सैनिक एवं व्यापारी हैं तथा ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो भूमिहीन नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलों में भूमिहीनों की कोई सूची नहीं है ? यदि नहीं, तो कृपया यह बताया जाय कि इस सूची के किस किस नम्बर के काश्तकारों को भूमि का आवन्टन हुआ है ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) 88 गांवों में 994 व्यक्तियों को 1,669 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है।

(2) उक्त आवंटितियों का विस्तृत ब्योरा निम्न प्रकार है :—

अनुसूचित जाति	679
अनुसूचित जनजाति	185
भूतपूर्व सैनिक	5
कार्यरत सैनिक	17
स्वर्णकार	1
व्यापारी	1
अन्य	106

उक्त सभी व्यक्ति भूमिहीन हैं।

(3) जी नहीं, तहसीलों में भूमिहीनों

(4) जी नहीं, तहसीलों में भूमिहीनों की सूची तैयार हैं। जिसमें 5,362 भूमिहीन अंकित हैं।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 2-3-73)

अलवर होलसेल उपभोक्ता भण्डार की आडिट रिपोर्ट

265. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर होलसेल उपभोक्ता भंडार लिमिटेड के हिसाब का आडिट पिछले 5 साल में कब कब कराया गया है और उसकी क्या रिपोर्ट है ? कृपया आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त होलसेल भंडार के चुनाव कब कब कराये गये हैं ?

(3) अलवर शहर में कितने सहकारी उपभोक्ता भंडार हैं और उनके चुनाव कब कब कराये गये ?

(4) क्या सहकारी उपभोक्ता भंडार में से किसी के खिलाफ धनराशि के दुरुपयोग या गबन की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो कौन से भंडार के खिलाफ कितनी धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतें हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-73)

पंचायत समिति पीपलखूंट के सरपंचों के विरुद्ध धन के दुरुपयोग की शिकायतें

399. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलखूंट के सरपंचों के खिलाफ सार्वजनिक कार्यों में धन का दुरुपयोग करने के विषय में विकास अधिकारी

(श्री विट्ठल भाई)

ने इनके खिलाफ नोटिस जारी किये हैं ? यदि हां, तो किस-किस सरपंच के खिलाफ और कितनी-कितनी धनराशि के ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-73)

सेवा सदन संस्था को आवंटित भूमि

406. श्री निरन्जन नाथ आचार्य (मावली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के आदेशानुसार सेवा सदन नामक संस्था को पिछड़ी जातियों के छात्रावास के संचालन करने की दृष्टि से जयपुर नगर के निकट ही 150 बीघा जमीन का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो उक्त भूमि अब किस-किस व्यक्ति के खाते में कितनी-कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि जिस प्रयोजन हेतु इस भूमि का आवंटन किया गया था उसका उपयोग उस प्रकार नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इस भूमि का राज्य सरकार द्वारा अभी तक अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया ?

(स्थगित किया गया)

(212)

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 609 की सूची)

सूची मौलिक भू-प्रबंध निरीक्षक जो कि कार्यवाहक नायब तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं एवं थानसिंह से वरिष्ठ हैं।

1. श्री दुर्गा प्रसाद दधीच
2. ,, रासबिहारी सिंह
3. ,, कंवर प्रसाद
4. ,, विजय सिंह
5. ,, भंवरलाल सुखवाल
6. ,, वजीर मोहम्मद
7. ,, कृष्णसिंह चौहान
8. ,, गौरी शंकर
9. ,, महावीरसिंह उदावत
10. ,, फौजदार सिंह
11. ,, कोमल राय
12. ,, तफजुल हुसैन
13. ,, अर्जुन प्रसाद
14. ,, नित्यानंद
15. ,, रावतराम
16. ,, इसाक मोहम्मद
17. ,, राम प्रताप
18. ,, राम प्रसाद राय
19. ,, रमेशचन्द्र
20. ,, दुल्हाराम
21. ,, दुर्गा राम
22. ,, मोहम्मद अली
23. ,, हरीराम
24. ,, लीलाधर
25. ,, राधामोहन
26. श्री धासीमल
27. ,, गीगाराम
28. ,, महावीर सिंह
29. ,, मोहनलाल पुरोहित
30. ,, केदार नाथ
31. ,, सदानन्द
32. ,, जसवंतसिंह
33. ,, मोहनलाल पारीक
34. ,, दाऊलाल बीसा
35. ,, रामसिंह उदावत
36. ,, ओंकारलाल
37. ,, जवानसिंह
38. ,, फरीद खान
39. ,, गौरी शंकर
40. ,, शिवनारायण
41. ,, भैरूदान
42. ,, सुल्तानसिंह
43. ,, चिमनलाल
44. ,, चन्दनमल सोनी
45. ,, पृथ्वीसिंह
46. ,, मूलसिंह
47. ,, शेरसिंह
48. ,, जय सिंह
49. ,, रामलाल

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 1630 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

सवाई माधोपुर जिले में नियन्त्रित कपड़े की सूचना

जिले में माहवारी कपड़े का अलॉटमेंट		जिले को माहवार प्राप्त हुई गांठ	तहसीलवार विवरण	
माह दिसंबर 72	45 गांठें	2 गांठें	(1) नादोती	1646 मीटर
माह जनवरी 73	43 गांठें	31 गांठें	(2) गंगापुर	35½ मीटर
माह फरवरी 73	17 गांठें	42 गांठें	(3) हिन्डोन	1481 मीटर
माह मार्च 73	—	8 गांठें	(4) सपोटरा	1690 मीटर
			(5) टोडाभीम	3075 मीटर
	105 गांठें	83 गांठें	(6) बामनवास	3519 मीटर
			(7) करोली	1690 मीटर
			(8) खण्डार	—
			(9) बोली	—
			(10) महुआ	—
			(11) सवाई माधोपुर	39 गांठें

नोट—एक गांठ में प्राय: 1500 मीटर कपड़ा होता है।

परिशिष्ट-ब

कन्ट्रोल कपड़े के डीलरों की सूची

(अ) गंगापुर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि० होलसेलर

रिटेलर्स के नाम	क्षेत्र जहां के लिये वितरण किया जा रहा है।
1. गंगापुर को-ऑपरेटिव मार्के० सोसायटी	गंगापुर तहसील
2. नादौती ग्राम सेवा स०स०लि०	नादौती ,,
3 सुभाष ,, ,,	बामनवास ,,
4. चैनपुर बृहत बहु० स०स०लि०	करोली ,,
5. एकट बहु० स०स०लि०	सपोटरा ,,
6. टोडाभीम राज० कर्मचारी स०स०लि०	टोडाभीम ,,
(ब) सवाई माधोपुर क्रय-विक्रय स०स०लि०	होलसेलर
1. सवाई माधोपुर क्रय-विक्रय स०स०लि०	सवाई माधोपुर तहसील
2. सिमेन्ट फैक्ट्री कर्मचारी सहकारी भंडार	,,
3. खिरचीपुर बृहत बहु० स०स०लि०	,,
4. कुश्तला ,, ,,	,,
5. खन्डार ,, ,,	खण्डार तहसील
6. छान ,, ,,	,,
7. हिन्डौन ,, ,,	हिन्डौन तहसील
8. हिन्डौन क्रय विक्रय ,,	,,
9. मण्डावर ,, ,,	महुवा तहसील
10. महुआ बृ० बहु० ,,	,,

बौली तहसील के लिये अभी तक किसी सहकारी समिति से रिटेलर नियुक्त हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(215)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 272 की सूची)

सूची (अ) :—

भरतपुर जिले में सन् 1972 की बाढ़ से क्षति हुए राजकीय मार्गों पर व्यय की गई धनराशि की सूची।

क्र०सं०	राजकीय मार्ग का नाम	अनुमानित लागत	धनराशि 72-73	व्यय जनवरी 1973
1	2	3	4	5
1.	भरतपुर रूपवास रोड	5,19,400.00	3,50,000.00	1,07,644.00
2.	धौलपुर राजाखेड़ा रोड	1'74,100.00	1,15,000.00	96,058.00
3.	धौलपुर बाडी रोड़	86,700.00	65,000.00	18,701.00
4.	बाड़ी सैपाऊ रोड़	69,900.00	50,000.00	39,358.00
5.	बाड़ी बसेड़ी जगनेर रोड़	53,200.00	45,000.00	46,381.00
6.	धौलपुर सैपाऊ रोड़	95,200.00	80,000.00	26,719.00
7.	सैपाऊ बसेडी नवाव रोड़	80,000.00	65,000.00	12,258.00
8.	बाड़ी मरमपुरा करौली रोड़	1,21,500.00	80,000.00	1,34,193.00
9.	भरतपुर बयाना मार्ग	7,00,000.00	4,20,000.00	93,372.00
10.	उच्चैन सैयला वारेठा मार्ग	2,00,000.00	1,20,000.00	41,329.00
11.	बयाना रूपवास मार्ग	2,50,000.00	1,50,000.00	36,832.00
12.	उच्चैन रूपवास मार्ग	1,00,000.00	60,000.00	23,037.00
13.	उच्चैन पीगोरा मार्ग	30,000.00	18,000.00	———
14.	बयाना तालचिरी मार्ग	2,15,000.00	1,30,000.00	8,798.00

1	2	3	4	5
15.	भुसावर सलेमपुर तालचिरी मार्ग	1,00,000.00	60,000.00	16,294.00
16.	बयाना भुसावर छोकरवाडा मार्ग	40,000.00	24,000.00	40,498.00
17.	बयाना हिण्डोन मार्च	30,000.00	18,000.00	5,697.00
18.	डीग कामा मार्ग	1,00,000.00	60,000.00	24,997.00
19.	कामा पहाड़ी मार्ग	2,00,000.00	2,20,000.00	24,721.00
20.	डीग गोवरधन मार्ग	1,00,000.00	60,000.00	11,859.00
21.	खेरली पर्थेन मार्ग	1,15,000.00	70,000.00	26,434.00
22.	डीग नगर सेमली मार्ग	1,00,000.00	60,000.00	56,773.00
23.	डहरा बोड नदवई-मार्ग	50,000.00	30,000.00	20,231.00
24.	नदवई नगर सीकरी पहाड़ी मार्ग	2,50,000.00	1,50,000.00	46,531.00
25.	भरतपुर शहर में मार्ग	1,00,000.00	60,000.00	63,703.00
26.	घना वर्ड सेन्क्चुरी मार्ग	50,000.00	30,000.00	12,072.00
27.	भरतपुर अछनेर मार्ग	80,000.00	46,000.00	6,319.00
28.	धन तसई मार्ग	40,000.00	24,000.00	2,045.00
29.	हन्तरा बैर मार्ग	40,000.00	24 000.00	7,091.00
30.	सेवर एजेन्सी मार्ग	60,000.00	36,000.00	7,790.00
31.	नदवई कुम्हेर मार्ग	50,000.00	30,000.00	8,098.00

217

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 276 की सूची)

क्रमांक	नाम अध्यापक	पंचायत समिति जहां से आना चाहता है	पंचायत समिति जहां जाना चाहता है	आवेदन-पत्र के प्राप्त की तिथि	विवरण
(1)	श्री रामदयाल सोनी	पंचायत समिति जैतारण जिला पाली	पंचायत समिति राजगढ़ जिला अलवर	6-7-72 व 23-2-73 को प्रमुख अलवर की सहमति प्राप्त हुई	शिक्षा सत्र का मध्य होने के कारण आयोग के विचाराधीन है।
(2)	,, बृद्धलाल	पंचायत समिति फलोदी जिला जोधपुर	पंचायत समिति राजगढ़ जिला अलवर	23-2-73	,, ,,
(3)	,, छोटूलाल जैन	पंचायत समिति छीपाबड़ोद जिला कोटा	पंचायत समिति नैनवा जिला बून्दी	19-2-73	अस्थाई एवं परिवीक्षाधीन व शिक्षा सत्र के मध्य होने के कारण।
(4)	श्रीमती कान्तादेवी शर्मा	पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाड़ा	पंचायत समिति किशनगढ़ जिला अजमेर	19-2-73	,, ,,

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 279 की सूची)

क्र०सं०	नाम काश्तकार	भूमि की तादाद	कीमत	विशेष विवरण
		वर्ष 1970-71		
1.	मोतीनंदा सुतार सांवलपुरा	40 बाइ 4 फुट	57 रु०	नजराने से
2.	मोहनलाल लक्ष्मीनारायण रटलाई	30 बाइ 20 फुट	60 रु०	,,
3.	मोतीलाल कालू गूजर भीकड़ियां	17 बाइ 15 फुट	63-75	,,
4.	प्रभुलाल देवलाल माली रटलाई	20 बाइ 20 फुट	40-00	,,
5.	घासीखां कालूखां रटलाई	25 बाइ 25 फुट	93-75	,,
6.	बाबू मांगीलाल पिंजारा रटलाई	20 बाइ 20 फुट	40-00	,,
7.	नारायण घीसा वागरी रटलाई	15 बाइ 15 फुट	निःशुल्क	अनु० जाति का होने से
8.	रामचन्द्र मिश्रीलाल दर्जी रटलाई	40 बाइ 40 फुट	160-00	नजराने से
9.	गफूर खां पठान किशनपुरा	रिकार्ड चार्ज में नहीं मिला	44-00	
10.	उंकारलाल गूजर रघुनाथपुरा	25 बाइ 16 फुट	40 रु०	नजराने से
11.	भंवरलाल खटीक रटलाई	20 बाइ 20 फुट	20-00	नजराने से
12.	जुम्माअली फकीर रटलाई	15 बाइ 20 फुट	45-00	नजराने से
13.	बशीरमोहम्मद मुसलमान रटलाई	15 बाइ 25 फुट	37-50	नजराने से

नोट:— क्रम नम्बर 9 के व्यक्ति को भूमि भूतपूर्व सरपंच ने जिसकी फाइल पंचायत को चार्ज में नहीं सम्हलाई तथा 44-00 की राशि भी बकाया है।

वर्ष 71-72

1.	महावीरप्रसाद जैन रटलाई	15 बाइ 20 फुट	45-00	नजराने से
2.	कन्हैयालाल धूलीलाल महाजन रटलाई	19 बाइ 12 फुट	401-00	नीलाम से

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची)

सूची 'अ'

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अधिशासी अभियन्ता जिनको एक ही पद, कार्यालय व क्षेत्र में जयपुर स्थित कार्यालय के कार्य करते हुए तीन साल से अधिक वालों के नाम

क्र० सं०	अधिशासी अभियन्ता का नाम व पद	वर्तमान पद व कार्य करते रहने की तारीख
1.	श्री बी० डी० विजय, अधिशासी अभियन्ता (प्रवाप्ति)	4-11-68 से निरन्तर
2.	श्री फतेह सिंह, निजी सहायक मुख्य अभि० (निर्माण)	21-3-70 से निरन्तर
3.	श्री पी० सी० माथुर, अधि० अभि० (प्रवाप्ति)	13-6-66 से निरन्तर
4.	श्री सी० पी० कृष्णास्वामी, अधि० अभि० (योजना)	2-8-67 से निरन्तर
5.	श्री ओ० पी० बन्सल, अधि. अभि. (टी. एल. सी. एस. डी.)	31-10-67 से निरन्तर
6.	श्री यू० सी० कासलीवाल, अधि० अभि० (मीटर)	15-9-69 से निरन्तर

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 282 की सूची)

क. सं.	चक नम्बर	मुरब्बा नं.	नाम आवंटी	भूमि आवंटित	किस आधार पर आवंटित हुआ	आवंटी किस स्थान का रहने वाला है	आवंटित का नाम निर्वाचन भूमि में है या नहीं
1.	15 इ. इ. ए. तहसील पदमपुर	52	तेजसिंह पुत्र मानसिंह	बीघा विस्वा 3 1	पुख्ता आवंटन आदेश उप जिलाधीश करनपुर दि. 7—12-67	तहसील रायसिंहनगर के रहने वाले हैं। वर्तमान रिहायश के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होरही है।	निर्वाचन सूची में नाम नहीं है।
2.	15 इ. इ. ए. तहसील पदमपुर	52	मेजरसिंह पुत्र जरनेलसिंह	15 14	,,	,,	,,
3.	,, ,,	52	प्रेमसिंह पुत्र अमरसिंह साकिन 2 आर. बी.	3 00	पुख्ता आवंटन आदेश जिलाधीश गंगानगर दिनांक 19-1-71	2 आर० बी० के निवासी हैं।	निर्वाचन सूची विधान सभा करनपुर 1966 चक 2 आर० बी० की भाग संख्या 201 क. सं. 40 पर अंकित है।
4.	,, ,,	52	शिवचन्दराय पुत्र तुलसीराम साकिन फकीरवाली	3 5	सन् 71-72 से आरजी-काश्त पर आवंटित है।	फकीर वाली के निवासी हैं।	निर्वाचन सूची विधान सभा करनपुर 1966 चक मन्डी पदमपुर भाग संख्या 101 क.सं.617 पर दर्ज है।
5.	,, ,,	64	तेजसिंह पुत्र मानसिंह	17 10	पुख्ता आवंटन आदेश उप जिलाधीश करनपुर दिनांक 7-12-67	तहसील रायसिंहनगर के रहने वाले हैं। वर्तमान रिहायश के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हो रही है।	निर्वाचन सूची में नाम नहीं है।

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 284 की सूची)

नं० क्र०	नाम तहसील	कुल आवंटित पासबुकें	अब तक वितरित पासबुकें	वितरण से शेष
1.	अकलेरा	12,587	5,782	6,805
2.	पिड़ावा	17,899	11,196	6,703
3.	झालरापाटन	5,107	4,095	1,012
4.	खानपुर	1,633	1,633	—
5.	गंगधार	1,541	1,541	—
6.	पचपहाड़	1,473	1,473	—
	योग	40,240	25,720	14,520

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 289 की सूची)

1. लाटरी प्रणाली द्वारा वर्ष 1970-71 से वर्ष 1972-73 तक आवंटित भूमि की सूचना
2. उपनिवेशन तहसील राजस्थान नहर योजना श्री विजयनगर जिला श्री विजयनगर (बीघों में)

क.सं.	आवंटन का वर्ष	आवंटित भूमि का सालवार वितरण					सवर्ण एवम् अनुसूचित वर्ग को कुल आवंटित भूमि							विशेष विवरण
		सवर्ण वर्ग को				अनुसूचित वर्ग को								
		आवंटी	कमांड	अनकमांड	योग	आवंटी	कमांड	अनकमांड	योग	आवंटित	कमान्ड	अनकमांड	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	1970-71	1032	19958	2298	22256	460	9737	973	10710	1492	29695	3271	32966	नोट-लाटरी प्रणाली द्वारा
2.	1971-72	456	7046	2992	10038	280	4453	2041	6494	736	11499	5033	16532	भूमि का आवंटन
3.	1972-73	317	4774	1761	6553	300	3504	4567	8071	617	8278	6328	14606	1970-71 से होना चालू हुआ था।

223

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 297 की सूची)

List of Industrial connections from P. No. 1 to 11 in village Maunda.

S. No.	Name of consumer	P. No.	Date of issue of Demand Notice	Date of Deposit of security amount	Date of release of connection	Remarks
1.	M/s Modi Mineral Grinding Mills.	1	—	—	—	Connections could not be released as extension to 11 KV line & Transformer is required.
2.	M/s Nand Lal S/o Nathulal Jangid.	2	—	—	—	(see above)
3.	M/s Rajasthan Mineral & Grinding Mills.	3	4-3-72	4-3-72	12-3-72	—
4.	-do-	4	—	—	—	Application cancelled as connection at Priority No. 3 released to the Party.
5.	M/s Rajendra Prashad S/o Kirodimal.	5	7-9-72	—	—	Application cancelled. Party failed to deposit the amount.
6.	M/s Murlidhar Jagdish Pd. Sharma.	6	—	—	—	Application cancelled as the same did not belong to village Maunda.

7. M/s Lalchand S/o Ram Pratap.	7	—	—	—	Application cancelled in view of the connection released in the premises at Priority No. 3.
8. M/s Narang Oil Mill C/o Chiranjilal.	8	7-9-72	—	—	Application cancelled. Party failed to deposit the amount.
9. M/s Rajasthan Mineral & Grinding Mill, C/o Shri Nandlal.	9	8-5-72	9-6-72	13-6-72	—
10. -do-	10	—	—	—	As this was an application of extension of 110 H. P. connection at Priority No. 3-it was not within the powers of AEN, to sanction the same, Estimates have been prepared for obtaining sanction of the competent authority.
11. M/s Agarwal Mills C/o Mannalal Agarwal.	11	7-9-72	—	—	Application cancelled. Party failed to deposit the amount.

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 300 की सूची)

क्रम संख्या	क्षेत्र	खनिज	अवधि	मात्रा	विशेष विवरण
(1)	हतुंडा-नेनवा	अलोह-धातु	1968–69	—	खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान
(2)	सतुर	चूने का पत्थर	1968	21 लाख टन	एजन
(3)	उमर पयारा	बेराइट	अक्टूबर 1968	1656 टन	एजन
(4)	दलेलपुरा	चूने का पत्थर	1960–61	3,848,750 टन	भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्थान
(5)	फूल सागर	—	—	356,4000,00 टन	एजन
(6)	पीपलान्तरी	—	—	31,104,000 टन	एजन
(7)	कथिहारी	—	—	66,825,000 टन	एजन
(8)	बारोदिया	ग्लास सेन्ड	1948–49	1,162,000 टन	एजन

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 1973)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
7	ऊपर से 12	क	के
9	ऊपर से 12	देखित्र	देखिये
12	नीचे से 5	छगाणी	छंगाणी
15	नीचे से 4	मत्री	मंत्री
19	नीचे से 14	जल्द	जल्दी
26	ऊपर से 2	रजिट्रेशन	रजिस्ट्रेशन
27	,, 7	पदाधकारा	पदाधिकारी
30	,, 5	उपनवेशन	उपनिवेशन
38	,, 13	बीब	बीच
54	,, 1	मैं	में
60	,, 2	की	को
65	नीचे से 7	भूमि	भूमि पर
74	ऊपर से 15	समन	समय
78	,, 13	मंढ़ी	मंडी
80	नीचे से 2	कारण	होने के कारण
89	नीचे से 13	बराठ	बैराठ
95	,, 11	की	को
109	,, 8	बनिस्वत	बनिस्पत
116	,, 2	अनुत्राप	—
144	ऊपर से 4	13:–60	13-60
168	,, 9	की बनाई	की न बनाई
170	नीचे से 12	सड़कर	सड़क
205	ऊपर से 5	जाय	दिया जाय
209	नीचे से 7	सामं	सामने
213	ऊपर से 8	मु,ख्य	मुख्य
226	,, 12	की	—
237	नीचे से 1	स	इस

227

1	2	3	4
243	ऊपर से 10	खा	रखा
246	,, 11	डूंग गढ़	डूंगरगढ़
257	ऊपर से 3	ले	से
274	नीचे से 14	बड़	बड़ा
294	,, 10	पंजायती	पंचायती
298	ऊपर से 5	करते	करने
302	ऊपर से 10	सढ़कें	सड़कें
309-394	शीर्षक—	अनुदानों की मांगों पर विचार—	अनुदान की मांग सं० 20, 42 व 23 पर विचार एवं पारण
311	नीचे से 10	100	10
344	नीचे से 18	तहसीस	तहसील
355	,, 14	बीघा	बीघा
382	ऊपर से 6	क	की
389	नीचे से 7	कोन्स्टिट्युएन्सी	कान्सटीट्यूएन्सी
390	नीचे से 3	गगानगर	गंगानगर